मनीष कुमार

बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ

[के. एम. जोसेफ, जे.]

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले प्रतिबद्ध, रहेगा

अप्रभावित।;

253. उप-धारा (1) में पहला परंतुक घोषित करता है कि यदि धारा 31 के तहत समाधान योजना की मंजूरी है और अभियोजन पक्ष ने

निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. के दौरान स्थापित किया गया, निगमित देनदार को छुट्टी दे दी जाएगी। हालाँकि, यह इस शर्त के अधीन है कि उप-धारा (1) की आवश्यकताएँ, जो हमारे द्वारा विस्तृत की गई हैं, पूरी हो गई हैं। दूसरे शब्दों में, यदि अनुमोदित समाधान योजना के तहत, कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में परिवर्तन होता है, तो एक व्यक्ति, जो प्रवर्तक नहीं है, या कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में, या कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष, या वह व्यक्ति जो कॉर्पोरेट का नियंत्रण या प्रबंधन प्राप्त करता है।

ऋणी ने अपराध करने के लिए न तो उकसाया है और न ही साजिश रची है, तो अभियोजन पक्ष, यदि इसे सी. आई. आर. पी. के शुरू होने के बाद और इसकी विचाराधीनता के दौरान स्थापित किया जाता है, तो निगम के खिलाफ आरोप मुक्त हो जाएगा।

ऋणी। उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत, हालांकि, देयता साझेदारी के संबंध में नामित भागीदार या इसमें अधिकारी चूक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (60) के तहत परिभाषित किया गया है, या प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी तरह से, अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कॉर्पोरेट देनदार के लिए प्रभारी या जिम्मेदार था, उत्तरदायी बना रहेगा।

निगमित ऋणी द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए और दंडित किया जाए। यह आपराधिक दायित्व के उन्मूलन के बावजूद है उप-धारा (1) के तहत निगमित देनदार। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ा हुआ था, और जो था

जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और दायर की गई रिपोर्ट के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के अपराध में शामिल होने पर निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना और दंडित किया जाना जारी रहेगा। इस प्रकार, उप-धारा (1) के विभिन्न अंगों के संयुक्त अध्ययन से पता चलेगा कि एक ओर, निगमित ऋणी किसी भी अपराध के लिए दायित्व से मुक्त है।

सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले, निगमित देनदार द्वारा अपराध किए जाने के परिणामों से वैधानिक प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है और आपराधिक दायित्व उन व्यक्तियों को परेशान करता रहेगा, जो निगमित देनदार की संपत्ति के प्रभारी थे, या जो इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे या जो थे निगमित देनदार के साथ किसी भी तरह से संबद्ध, और जो अपराध करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, और वे उत्तरदायी बने रहेंगे।

254. धारा 32 ए की उप-धारा (2) पर आते हुए, यह निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के खिलाफ प्रतिबंध घोषित करता है। यह

बार सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराध और निगमित देनदार की संपत्ति के बीच संबंध पर भी विचार करता है। यह प्रतिबंध समाधान योजना के तहत आने वाली संपत्ति के लिए सशर्त है। आगे की आवश्यकता यह है कि एक समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए

और, अंत में, अनुमोदित योजना के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार के नियंत्रण में बदलाव होना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसकी पहले से ही पहचान और वर्णन किया जा चुका है।

उप-धारा (1) में। दूसरे शब्दों में, सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले किए गए अपराध के संबंध में निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

(i) समाधान योजना होनी चाहिए, जिसे

संहिता की धारा 31 के तहत निर्णय प्राधिकरण;

(ii) अनुमोदित समाधान योजना के परिणामस्वरूप निगमित देनदार के नियंत्रण में एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन होना चाहिए, जो नहीं था-(ए) एक प्रवर्तक; (बी) कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में।

निगमित ऋणी या (ग) निगमित ऋणी का कोई संबंधित पक्ष; (घ) ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में जांच प्राधिकारी ने सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण दिया था कि उसने अपराध करने के लिए उकसाया या साजिश रची है और

रिपोर्ट या शिकायत प्रस्तुत की है। यदि उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया जाता है तो कानून प्रदाता ने प्रावधान किया है कि निगम की संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अपराध के संबंध में देनदार;

उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि ये शब्द "निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई" हैं।
किसी अपराध के संबंध में, कानून के तहत ऐसी संपत्ति की कुर्की, जब्ती, प्रतिधारण या जब्ती शामिल होगी।

निगमित देनदार पर लागू। चूँकि "शामिल" शब्द है स्पष्टीकरण के उपखंड (i) के तहत उपयोग किए जाने वाले शब्द "कार्रवाई" का उद्देश्य निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करना है।

सबसे व्यापक संभव आयाम। संहिता के उद्देश्य के साथ एक स्पष्ट संबंध है। स्पष्टीकरण का दूसरा भाग, स्पष्टीकरण के तहत, स्पष्टीकरण (ii) के दूसरे उपखंड में पाया जाता है। व्याख्या के दूसरे अंग के तहत, कानून देने वाले ने इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि जहाँ तक मनीष कुमार v का संबंध है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा (1), सी. आई. आर. पी. के तहत किए गए अपराध के लिए निगमित, देनदार का दायित्व समाप्त हो जाएगा; (ii) निगम की संपत्ति।
निगमित देनदार को सुरक्षा उपायों के अधीन फिर से किसी भी कानूनी कार्रवाई से संरक्षित किया जाता है, जिसका हमने संकेत दिया है। संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ प्रतिबंध, न केवल निगम के लिए उपलब्ध है

सी. आई. आर. पी. या परिसमापन प्रक्रिया के तहत निगमित देनदार।
निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ प्रतिबंध किसी व्यक्ति के मामले में भी उपलब्ध है जो

उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में भी निर्धारित सीमा, यदि उसने निगमित देनदार के परिसमापन की कार्यवाही में निगमित देनदार की संपत्ति खरीदी है।

255. धारा 32 ए का अंतिम खंड इसे अनिवार्य बनाता है -

निगमित ऋणी का हिस्सा या कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 32 ए के तहत प्रतिरक्षा प्रदान की गई है, सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए जांच अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करने के लिए।

256. याचिकाकर्ताओं की दलीलें यह प्रतीत होती हैं कि

प्रावधान संवैधानिक रूप से अभिशाप है क्योंकि यह एक अपात्र प्रावधान प्रदान करता है।

उस संपत्ति के लिए प्रतिरक्षा जो अपराध की आय के साथ अर्जित की जाएगी। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, पी. एम. एल. ए.) के प्रावधानों को हमारे सामने रखा गया है। यह तर्क दिया जाता है कि संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही के खिलाफ निषेध, याचिकाकर्ताओं जैसे हितधारकों के हित को प्रभावित करता है जो आबंटित या अन्य हो सकते हैं।

लेनदार। संक्षेप में, यह उनका तर्क प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर परीक्षण किए जाने पर प्रावधान न्यायालय की जांच में टिक नहीं सकते हैं। प्रावधान के रूप में अनुमानित है स्पष्ट रूप से मनमाना। मूल्यवान संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई होने से रोकने के लिए, घर खरीदारों और अन्य लेनदारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है। भारत संघ का रुख स्पष्ट है। प्रावधान अनुभव से पैदा होता है। यह संहिता वर्ष 2016 में लागू की गई थी।

इसके काम करने के बारे में, इसने जो अनुभव पैदा किया है, वह यह है कि समाधान आवेदक एक समाधान योजना तैयार करने में संकोच करते हैं, और भले ही वह आगामी हो, यह कॉर्पोरेट देनदार और अन्य हितधारकों के हित के लिए उचित नहीं है। 257. हमारा स्पष्ट विचार है कि धारा 32ए को अमान्य करने का कोई भी मामला नहीं बनाया गया है। इस न्यायालय की सीमाएँ

अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है। कानून का विवेक न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। संहिता के उद्देश्य, संहिता के काम करने के अनुभव, सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समाधान आवेदकों को आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता है, जो इसके हिस्से के रूप में उचित और उचित मूल्य की पेशकश करने से पीछे नहीं हटेंगे।

समाधान योजना यदि विधायिका सोचती है कि निगमित देनदार के साथ-साथ उसकी संपत्ति को भी उन्मुक्ति दी जाए, तो यह शायद ही इस न्यायालय के हस्तक्षेप करने का आधार प्रदान करती है। प्रावधान पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत करने वालों को भागने दिया जाता है। वे उत्तरदायी बने रहते हैं। कॉर्पोरेट देनदार के आपराधिक दायित्व को समाप्त करना नए प्रबंधन के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है ताकि अतीत के साथ एक साफ ब्रेक बनाया जा सके और एक साफ स्लेट पर शुरू किया जा सके। हमें इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विवादित प्रावधान एक आर्थिक उपाय का हिस्सा है। सम्मान अदालतें न्यायसंगत रूप से मानती हैं कि ऐसे कानून तत्काल मामले में भी लागू हो सकते हैं। यह प्रावधान सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले किए गए अपराधों के संबंध में है। आवेदन को स्वीकार करने के साथ कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन अंतरिम समाधान पेशेवर के हाथों में चला जाता है और उसके बाद समाधान पेशेवर के हाथों में जाता है जो निस्संदेह ऋणदाताओं की समिति द्वारा नियंत्रित होता है। जहाँ तक संपत्ति को दी गई सुरक्षा का संबंध है, इसके

पीछे स्पष्ट रूप से एक तर्क है। कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम प्रावधान में शायद ही कोई स्पष्ट मनमानेपन देखते हैं।

258. यह याद रखना चाहिए कि प्रतिरक्षा पर आधारित है

विभिन्न शर्तों को पूरा करना। एक समाधान योजना होनी चाहिए। इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। निगमित देनदार के नियंत्रण में बदलाव होना चाहिए। नया प्रबंधन पुराने प्रबंधन का छद्म अवतार नहीं हो सकता है। यह कॉर्पोरेट देनदार का संबंधित पक्ष भी नहीं हो सकता है। नया प्रबंधन जांच का विषय नहीं हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप उकसाने या साजिश दिखाने वाली सामग्री सामने आई हो। अपराध करना और उस पर दर्ज रिपोर्ट या शिकायत। मनीष कुमार बनाम की छूट का दावा करने के लिए भी इन अवयवों पर जोर दिया जाता है।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[के. एम. जोसेफ, जे.]

संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई से रोकें। विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो निगमित देनदार के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ था और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध करने में शामिल था।

प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना और दंडित किया जाना जारी है। संहिता की योजना के संदर्भ में निगमित देनदार और उसकी संपत्ति एक अलग विषय वस्तु है जो उन्हें दिए गए विशेष व्यवहार को उचित ठहराती है। आपराधिक अपराध के सृजन के साथ-साथ आपराधिक दायित्व को समाप्त करना भी आम तौर पर विधायिका के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, जब उन उद्देश्यों के व्यापक संदर्भ में देखा जाए जिन्हें प्राप्त करने की मांग की गई है, जिसमें परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण शामिल है, जिसे फिर से जल्द से जल्द प्राप्त किया जाना है, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक वीटो का विषय नहीं बन सकता है। अगर हम खुद को यह याद नहीं दिलाते कि लोक कल्याण प्राप्त करने के लिए अक्सर परस्पर विरोधी हितों के नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है, तो हम निराश होंगे। इस बारे में कि किस हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह एक विधायी मूल्य निर्णय बना रहना चाहिए और यदि अधिक से अधिक अच्छे के लिए अपनी खोज में विधायिका कुछ लोगों के हितों को समाप्त करती प्रतीत होती है, तो यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यह आश्चर्यजनक रूप से खराब न हो।

कुछ संवैधानिक जनादेश के साथ अमान्यता का सामना करना पड़ता है।

259. इस धारा को आधारहीन ठहराने का कोई आधार नहीं है

कि यह अनुच्छेद 19,21 या 300 ए का उल्लंघन करता है।

निहित अधिकार;

प्रत्याभूति; तीसरा

धारा 7 में प्रावधान

260. हम इस मोड़ पर तीसरे परंतुक का पुनर्कथन करेंगे।

" 7 (1) XXX

XXX

XXX

स्पष्टीकरण

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

बशर्ते कि जहां आरंभ करने के लिए एक आवेदन

निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

पहले में संदर्भित एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर किया गया है और

दूसरा प्रावधान और निर्णायक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है

दिवाला की शुरुआत से पहले प्राधिकरण और

दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020, इस तरह के आवेदन

पहले या दूसरे की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए संशोधित किया जाए उक्त अधिनियम, [2021] 14 एस. सी. आर. के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर परंतुक

ऐसा न करने पर आवेदन को स्वीकार करने से पहले वापस लिया गया माना जाएगा।

261. उसी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तीसरा परंतुक एक बार का मामला है। इसका उद्देश्य केवल धारा 7 के तहत उन आवेदनों से निपटना है, जो 28.12.2019 से पहले दायर किए गए थे, जब, आक्षेपित अध्यादेश के माध्यम से, शुरू में, सीमा आवश्यकताएं निम्नानुसार थीं:

पहले और दूसरे विवादित प्रावधानों द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरे शब्दों में, विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना था कि धारा 7 के तहत कोई भी आवेदन 28.12.2019 के बाद दायर नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसका पालन किया जाए

पहले और दूसरे प्रावधानों में आवश्यकताएँ। विधानमंडल ने नहीं किया

धारा 7 (5) के तहत स्वीकार किया गया। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल का इरादा था कि धारा 7 के तहत दायर किए गए प्रत्येक आवेदन में लेनदारों को शामिल किया जाए। पहले परंतुक द्वारा और दूसरे परंतुक द्वारा शासित आबंटियों द्वारा, नई अधिरोपित सीमा आवश्यकता को भी अपनाया जाना चाहिए, जिसके लिए अध्यादेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुपालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह प्रतिबंध उन आवेदनों पर लागू नहीं था जो अध्यादेश की तारीख तक स्वीकार किए गए थे। यह भी स्पष्ट है कि पहले दायर किए गए आवेदनों के संबंध में सीमा आवश्यकता का पालन करने में विफलता का परिणाम यह था कि वे वापस ले लिए जाएंगे।

262. इस संबंध में कई विवाद उठाए जाते हैं। यह याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इंगित किया गया है, याचिका के अलावा

भेदभाव, जो पहले और दूसरे प्रावधान के खिलाफ आरोप लगाया गया है, कि तीसरा प्रावधान, एक निहित अधिकार में स्पष्ट घुसपैठ करता है। विवादित तीसरा परंतुक स्पष्ट मनमानेपन के दोष से पीड़ित है। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता, जिन्होंने पूर्ववर्ती शासन के तहत एक आवेदन दायर किया था, कानूनी रूप से ऐसा आवेदन करने के हकदार थे, चाहे वह एकल आवंटी द्वारा हो या संयुक्त रूप से। यह एक मौलिक अधिकार था। एक कानून के तहत इस तरह के मूल अधिकार का लाभ उठाते हुए, जब आवेदन स्थापित किया गया था, तो उन्हें नई सीमा आवश्यकता से बाधित और निर्बाध रूप से कार्यवाही जारी रखने का अधिकार था, जिसे उनके मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि जब किसी क़ानून का निरसन होता है, तो मौजूदा अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं के पास धारा 7 के तहत आवेदन को स्थापित करने का एक मौजूदा अधिकार था और इसलिए, इस अधिकार को मनीष कुमार बनाम को लागू करके बाधित नहीं किया जा सकता है।

संशोधन। यह बताया गया है कि एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए वैधानिक समय सीमा चौदह दिन थी। पायनियर (ऊपर) में इस न्यायालय ने इस अवधि के भीतर मामलों को निपटाने के महत्व पर भी जोर दिया, भले ही उसने यह निर्धारित किया हो कि अवधि लचीली रूप से अनिवार्य नहीं है और यह निर्देशिका है। याचिकाकर्ताओं के मामले में आवेदन एक साल से अधिक समय से लंबित थे। एक ही शीर्ष के तहत अनुप्रयोगों को वर्गीकृत करना मनमाना और तर्कहीन है। याचिकाकर्ताओं ने काफी समय के अलावा अदालत की फीस, कानूनी और अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त राशि खर्च की है। उनके नुकसान को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। निकासी और नई फाइलिंग दिवालिया प्रक्रिया को पटरी से उतार देगी। हमारा हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य और अन्य ", जिसमें इस न्यायालय ने उस क़ानून को निर्धारित किया है, जो मूल अधिकार को प्रभावित करता है, को संभावित माना जाता है, जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है।

इरादा। प्रत्येक वादी को मूल मामलों में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है। कार्रवाई के अधिकार और अपील के अधिकार से संबंधित कानून, भले ही उपचारात्मक हो, प्रकृति में ठोस है। एक प्रक्रियात्मक क़ानून, आम तौर पर, लागू नहीं किया जाना चाहिए।

पूर्वव्यापी रूप से, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा।

पीछे की ओर। परंतुक दंडात्मक, मनमाना, अन्यायपूर्ण और अनुचित है। रिलायंस रे में रखा गया है: पुलबोरो पैरिश स्कूल बोर्ड चुनाव, बोर्के बनाम। नट 74।

263. इसके विपरीत, इस संबंध में उत्तरदाताओं का रुख इस प्रकार है -

निम्नलिखित है: तीसरा प्रावधान ऋणदाताओं के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। धारा 7 के तहत केवल आवेदन दायर करने से कोई पूर्ण अधिकार नहीं बनता है। इस संबंध में, (2004) 1 एस. सी. सी. 663, (2019) 2 एस. सी. सी. 1, (2019) 4 एस. सी. सी. 17, (2015) 3 में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

71 (1994) 4 एस. सी. सी. 602 72 (2001) 8 एस. सी. सी. 397

73 (2019) 11 एस. सी. सी. 633/2018 1 आई. बी. जे. (जे. पी.) 649 एस. सी. 74 (1894) 1 क्यू. बी. 725 [2021] 14 एस. सी. आर.

एस. सी. सी. 206, (2019) एस. सी. सी. ओ. एन. एल. आई. एन. एस. सी. 1478। यह आगे तर्क दिया जाता है कि मूर्ति का लाभ उठाने का मात्र अधिकार निहित अधिकार नहीं है। और इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयों-(1961) खंड की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। 2 सभी अंग्रेज़ी। 721 , (1980) 1 एस. सी. सी. 149; लालजी राजा एंड संस (ऊपर), (1985) 1 एस. सी. सी. 436। विवादित तीसरे प्रावधान का उद्देश्य सामूहिक की रक्षा करना है।

लेनदारों के एक वर्ग में दूसरों का ब्याज। आवेदन स्वीकार करने से पहले,

कोई निहित अधिकार नहीं है। इसलिए, इसका कोई पूर्वव्यापी अनुप्रयोग नहीं है, इस तरह से जो निहित अधिकार को बाधित करता है। यह आवश्यकता यह सुनिश्चित करेगी कि कोई अनावश्यक बहुलता न हो और कोई भी एक आबंटित व्यक्ति प्रवेश और इसके परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।

जहाज पर हमवतन लोगों की निश्चित न्यूनतम संख्या। यहाँ तक कि निहित अधिकार को भी विधानमंडल द्वारा छीन लिया जा सकता है [(1957 एससीआर 488]।

स्वीकार किया। यह भी तर्क दिया जाता है कि लाभ उठाने का अधिकार केवल एक ही था एक क़ानून। न्यायशास्त्र पर सैल्मंड में, निम्नलिखित विशेषताओं को एक अधिकार का गठन करने के लिए अपरिहार्य पाया गया है:

" 41. कानूनी अधिकार की विशेषताएँ

प्रत्येक कानूनी अधिकार की निम्नलिखित पाँच विशेषताएँ होती हैं: -

(1) यह एक ऐसे व्यक्ति में निहित है जिसे अधिकार के मालिक, इसके विषय, हकदार व्यक्ति या अधिकार के व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

अंतर्विरोध।

(2) यह उस व्यक्ति के खिलाफ फायदेमंद है, जिस पर सहसंबंधी कर्तव्य निहित है। उसे बाध्य व्यक्ति के रूप में, या विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है

कर्तव्य, या घटना के व्यक्ति के रूप में।
(3) यह हकदार व्यक्ति के पक्ष में किसी कार्य या चूक के लिए बाध्य व्यक्ति को बाध्य करता है। इसे अधिकार की सामग्री कहा जा सकता है।

दाहिनी ओर से। (5)
प्रत्येक कानूनी अधिकार का एक शीर्षक होता है, अर्थात कुछ तथ्य या घटना जिसके कारण अधिकार उसके मालिक में निहित हो गया है। मनीष कुमार बनाम।

265. कानूनी अधिकार, व्यापक अर्थों में, चार अलग-अलग प्रकार के होते हैं।

वे हैं अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियाँ और उन्मुक्ति। कर्तव्य एक अधिकार का सहसंबंध है, जबकि कोई भी अधिकार स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। देनदारियों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के साथ संबंध होता है, जिसके संबंध में देयता किसी अन्य पक्ष में मौजूद होती है। जब किसी के पास दूसरे के खिलाफ प्रतिरक्षा होती है, तो यह दूसरे को अक्षम कर देता है, और इस प्रकार, यह उसके लिए एक विकलांगता का गठन करता है। सैल्मंड ने आगे नोट किया कि अधिकार शब्द का उपयोग अक्सर व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता को शामिल करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा यह अभिप्रेत है कि व्यक्ति को वह करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए जो वह चाहता है।

266. हम शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित चर्चा को देख सकते हैं।

और देनदारियाँ:

" 2. शक्तियाँ और देनदारियाँ। कानूनी अधिकारों का एक और वर्ग

इनमें वे शामिल हैं जिन्हें शक्तियाँ कहा जाता है। ऐसे उदाहरण

ये निम्नलिखित हैं: वसीयत बनाने या संपत्ति को अलग करने का अधिकार;

बिक्री की शक्ति एक बंधक में निहित है; एक मकान मालिक का अधिकार

प्रविष्टि; अपनी मृत पत्नी की बहन से शादी करने का अधिकार; शक्ति

मुकदमा करना और मुकदमा चलाना; धोखाधड़ी के लिए अनुबंध को रद्द करने का अधिकार;

नियुक्ति की शक्ति; नियुक्ति की शक्ति;

एक निर्णय पर मुकदमा निष्पादन; विभिन्न शक्तियाँ निहित हैं

न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को उनके कार्यों की उचित पूर्ति के लिए।

ये सभी कानूनी अधिकार हैं-ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हित हैं।

वे कानून द्वारा प्रदत्त लाभ हैं-लेकिन वे एक के अधिकार हैं

दो वर्गों से अलग प्रजातियाँ जो हमारे पास पहले से हैं

विचार किया। ..... वसीयत बनाने का मेरा अधिकार कोई कर्तव्य नहीं है

किसी और में। एक बंधकधारी की बिक्री की शक्ति सहसंबंधी नहीं है।

गिरवी रखने वाले पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य का;

XXX

XXX

XXX

एक शक्ति को किसी व्यक्ति को प्रदान की गई क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

कानून द्वारा परिवर्तन करने के लिए, उस उद्देश्य के लिए निर्देशित अपनी इच्छा से, अधिकार,

कर्तव्यों, देनदारियों या अन्य कानूनी संबंधों, या तो स्वयं या अन्य लोग। .....

(जोर दिया गया)

267. यह पूछा जा सकता है कि कार्रवाई का अधिकार एक अधिकार है या एक

शक्ति। क्या कार्रवाई के अधिकार के मामले में किसी के साथ कोई कर्तव्य है? हमें इसकी आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यापक अर्थों में एक शक्ति भी एक अधिकार है। मुकदमा करने के अधिकार और अपील करने के अधिकार को मान्यता दी गई है जैसा कि हम देखेंगे।

268. जहाँ तक विशिष्ट प्रकार के कानूनी अधिकारों का संबंध है, सैल्मंड द्वारा किए गए वर्गीकरण में "जिसमें नौ विशिष्ट कानूनी अधिकार गिने जाते हैं।

कानूनी अधिकारों के वर्गीकरण, हम निहित और आकस्मिक अधिकारों के बीच वर्गीकरण की निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देते हैं। उद्धृत करने के लिए:

" निहित और आकस्मिक अधिकार। एक अधिकार निहित है जब सभी तथ्य हुए हैं जो कानून द्वारा होने चाहिए

अधिकार रखने के लिए विचाराधीन व्यक्ति। एक अधिकार आकस्मिक होता है जब

कुछ लेकिन सभी निहित तथ्य, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, घटित नहीं हुए हैं। ए को साधारण शुल्क में भूमि का अनुदान ए को स्वामित्व का एक निहित अधिकार देगा। ए को जीवन भर के लिए अनुदान और फिर बी को सरल शुल्क में यदि वह ए से बच जाता है, तो बी को एक आकस्मिक

अधिकार देता है। यह आकस्मिक है क्योंकि कुछ निहित तथ्य अभी तक नहीं हुए हैं, और वास्तव में ऐसा कभी नहीं हो सकता है: बी ए से बच नहीं सकता है. अगर वह करता है, तो उसका पूर्व

आकस्मिक अभी निहित हो जाता है। एक आकस्मिक सही तब एक है

सही जो अधूरा है।

एक आकस्मिक अधिकार अलग है, हालांकि केवल जासूसी की उम्मीद से। यदि ए अपनी वसीयत में बी को विरासत में छोड़ देता है, तो बी को ए के जीवनकाल के दौरान इसका कोई अधिकार नहीं है। उसके पास एक आशा के अलावा और कुछ नहीं है कि वह एक विरासत प्राप्त करेगा; उसके पास निश्चित रूप से एक अधूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि यह है ए के लिए किसी भी समय अपनी वसीयत बदलने के लिए खुला है।

269. गरिकापति वीराया (ऊपर) में, मुकदमा दायर किया गया था

सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें यह तर्क शामिल था कि अपील वास्तव में संघीय न्यायालय में है क्योंकि 1949 में प्रिवी काउंसिल के उन्मूलन को देखते हुए सभी अपील संघीय न्यायालय में होंगी। चूंकि, संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसलिए अपील इस न्यायालय के समक्ष रखी गई थी। 270. मामला कानून पर विचार करने के बाद हम निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

" 23 (i) कि किसी उपचार, वाद, अपील और दूसरी अपील की कानूनी खोज वास्तव में एक आंतरिक एकता से जुड़ी कार्यवाही की एक श्रृंखला में कदम हैं और इन्हें एक कानूनी कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए। ((ii) अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि

मूल अधिकार।

75 "न्यायशास्त्र पर सैल्मंड, 12 वां संस्करण, पी. जे. फिट्जगेराल्ड" मनीष कुमार बनाम देखें।

(iii) मुकदमे की संस्था अपने साथ यह निहितार्थ रखती है कि सभी

सूट के बाकी करियर तक। ((iv) अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और इसमें प्रवेश करने का ऐसा अधिकार है।

उच्चतर न्यायालय वादी को अर्जित करता है और उस पर और उस पर मौजूद है

जिस तारीख से लिस शुरू होता है और हालाँकि यह वास्तव में हो सकता है

प्रयोग किया जाता है जब प्रतिकूल निर्णय घोषित किया जाता है तो ऐसा अधिकार है

संस्थान की तिथि पर प्रचलित कानून द्वारा शासित होना

वाद या कार्यवाही का, न कि उस विधि द्वारा जो उस पर लागू होती है

उसके निर्णय की तारीख या अपील दायर करने की तारीख पर।

(v) अपील के इस निहित अधिकार को केवल एक द्वारा छीन लिया जा सकता है

बाद का अधिनियम, यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से प्रदान करता है इरादा और अन्यथा नहीं।

(जोर दिया गया)

271. यह स्पष्ट है कि एक मुकदमे की स्थापना निष्कर्ष की ओर ले जाती है

अपील करने का अधिकार सुरक्षित है। अपील करने का एक निहित अधिकार है।

अपील का अधिकार वादी को प्राप्त होता है और उस दिन से मौजूद है

ई लिस (सूट) की संस्था। इसलिए, जबकि एक का उपचार

कानून के तहत यह प्रावधान किया जा सकता है कि अधिकार एक निहित हो जाता है

केवल उस समय से जब अपीलार्थी और विरोधी पक्ष द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है। यह सब निस्संदेह बाद के अधीन है।

अपील के अधिकार में हस्तक्षेप न करना।

272. लालजी राजा एंड संस बनाम। हंसराज नाथूराम ", यह अदालत

अन्य निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 16. कि एक के तहत अर्जित अधिकार को संरक्षित करने का प्रावधान

निरस्त अधिनियम "का उद्देश्य अमूर्त अधिकारों को संरक्षित करना नहीं था

निरस्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त। यह केवल विशिष्ट अधिकारों पर लागू होता है। एक या दूसरे के होने पर किसी व्यक्ति को दिया गया

क़ानून में निर्दिष्ट घटनाएँ देखें "-लॉर्ड एटकिन की टिप्पणियाँ

हैमिल्टन सेल वी। सफेद। [(1922) 2 के. बी. 422] केवल अधिकार,

कानून को लागू करने की तारीख पर मौजूद, लाभ उठाने के लिए

निरस्त किए गए कानून के प्रावधान इसके भीतर अर्जित अधिकार नहीं हैं। सामान्य बचत खंड का अर्थ-एबॉट वी देखें। मंत्री

भूमि के लिए [(1895) एसी 425] और जी. ओग्डेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड वी. लुकास। [(1969) 1 सभी ईआर 121] "

71) 1

एससीसी 721 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

273. जिस संदर्भ में उक्त टिप्पणियां की गई थीं, उस पर ध्यान देना उचित है। एक पूर्व पक्षीय आदेश पारित किया गया था

1949 में पश्चिम-बंगाल में न्यायालय। इसे पुराने मध्य भारत राज्य के एक न्यायालय (मुरैना) में स्थानांतरित कर दिया गया था। निष्पादन याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह एक विदेशी अदालत का एकतरफा आदेश था। इस न्यायालय ने नोट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 और 39 विचाराधीन दिन पर लागू नहीं होती थी, और इसलिए, स्थानांतरण आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना थे। 1 अप्रैल, 1951 को सी. पी. सी. का विस्तार पूर्व मध्य भारत राज्य में किया गया था। डिक्री धारकों ने डिक्री को उसी अदालत में नए सिरे से स्थानांतरित करने की मांग की, जिसमें पहले मुरैना था, जो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया था, जिसके लिए सी. पी. सी. ने आवेदन किया था। उच्च न्यायालय ने निर्णय देनदार के इस तर्क को बरकरार रखा कि डिक्री को विदेशी न्यायालय के रूप में निष्पादित नहीं किया जा सकता है। इस अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। जो तर्क दिया गया था, वह सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 20 पर आधारित था, जिसके द्वारा संहिता का मध्य भारत तक विस्तार किया गया था। 1951 में सी. पी. सी. में संशोधन लागू होने पर राज्य में प्रचलित कानून को निरस्त कर दिया गया था। हालाँकि, एक प्रावधान भी था जो अर्जित, उपार्जित या उपार्जित अधिकारों के विशेषाधिकारों, दायित्वों और देनदारियों को बचाता था। इसलिए निर्णय देनदार का तर्क था कि निर्णय देनदार का विरोध करने का अधिकार बचत खंड के तहत संरक्षित था। इस न्यायालय ने पाया कि मध्य भारत में लागू सी. पी. सी. के प्रावधान निर्णय देनदार द्वारा दावा किए गए अधिकार को प्रदान नहीं करते हैं। यह सब पूरे भारत में संहिता के विस्तार के परिणामस्वरूप हुआ

1951 में, यह था कि जिन फरमानों को निष्पादित किया जा सकता था

ब्रिटिश भारत को अब पूरे भारत में लागू किया जा सकता था। इसलिए, यह निरसन के संदर्भ में और इस बारे में कि क्या निरस्त कानून का लाभ उठाने का अधिकार सामान्य बचत खंड के तहत अर्जित अधिकार है, पैराग्राफ 16 में की गई टिप्पणियों को समझा जाना चाहिए।

274. इस न्यायालय ने कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया (पैराग्राफ)

16) एबॉट और भूमि मंत्री सहित "। हम सोचते हैं कि यह उचित है कि हम उन मुद्दों का विज्ञापन करें जो उक्त मामलों में शामिल थे। 275. एबॉट (ऊपर) में, प्रिवी काउंसिल को निम्नलिखित तथ्यात्मक मैट्रिक्स से निपटना था, संक्षेप में:

अपीलार्थी ने क्राउन लैंड्स एलियनशन एक्ट, 1861 की धारा 22 के तहत एक सशर्त खरीद की, जो उस भूमि से सटा हुआ था जिसे उसने साधारण शुल्क में अधिग्रहित किया था। उन्होंने कुछ आवेदन किए, जिसमें कहा गया था कि

77 (1895) ए. सी. 425 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

कुछ आस-पास की भूमि की अतिरिक्त सशर्त खरीद करें और पट्टा भी लें। अदालत की राय के लिए जो प्रश्न उठे वे संख्या में तीन थे। सबसे पहले, यह सवाल उठा कि क्या अपीलार्थी ने जो सशर्त खरीद की थी, वह 1884 के अधिनियम की धारा 42 के तहत एक मूल सशर्त खरीद का धारक था। इसके अलावा, यह सवाल निर्णय के लिए गिर गया कि क्या 1884 के क्राउन लैंड्स एक्ट की धारा 22 ने अपीलार्थी के लिए आस-पास की क्राउन लैंड्स की अतिरिक्त सशर्त खरीद का अधिकार सुरक्षित रखा है, जिन्हें निरस्त अधिनियम द्वारा अनुमत 648 एकड़ के पूरे क्षेत्र की अनुमति दी गई थी। तीसरा, सवाल यह उठा कि क्या यह मानते हुए कि वह अतिरिक्त सशर्त खरीद का हकदार है, क्या वह उस सशर्त पट्टे का हकदार था जिसके लिए उसने आवेदन किया था? 1861 के अधिनियम की धारा 22 को निरस्त कर दिया गया था और बाद के अधिनियम में, धारा 22 के लिए कोई संबंधित प्रावधान नहीं था, लेकिन एक बचत परंतुक था जिसने अपीलार्थी को, उनके अनुसार, एक अतिरिक्त सशर्त खरीद करने में सक्षम बनाया, जैसे कि धारा 22 लागू रही। बचत खंड ने सभी अर्जित अधिकारों और देनदारियों को बचा लिया। निवास की स्थिति में परिवर्तन को देखते हुए, जिसे पहले लागू किया गया था, इसे समाप्त किया जा रहा है, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" अर्जित सभी अधिकारों को बचाने के लिए मूर्तियों को निरस्त करने के मामले में यह बहुत आम बात रही है। यदि यह माना जाता है कि इसका प्रभाव

इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुला छोड़ देना था जो लाभ उठा सकता था

उनमें से, परिणाम बहुत दूरगामी होगा।

यह हो सकता है, जैसा कि विंडेयर जे. का मानना है, कि किसी अधिनियम का लाभ उठाने की शक्ति को अनुचितता के बिना कहा जा सकता है

" सही "। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिनियम के अर्थ के भीतर एक "अर्जित अधिकार" है जिसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।

उनके अधिपति ऐसा नहीं सोचते हैं, और इस राय में उनकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जिन शब्दों पर भरोसा किया गया है वे "किए गए दायित्वों या लगाए गए" शब्दों के संयोजन में पाए जाते हैं। वे सोचते हैं कि (यह मानते हुए कि समुदाय के सदस्यों या उनमें से किसी भी वर्ग में किसी अधिनियम का लाभ उठाने के लिए उचित रूप से तथाकथित अधिकार मौजूद है, किसी व्यक्ति द्वारा उस अधिकार का लाभ उठाने के लिए किए गए किसी भी कार्य के बिना, अधिनियम के अर्थ के भीतर "अर्जित अधिकार" को उचित रूप से नहीं माना जा सकता है।

276. हैमिल्टन गेल बनाम। सफेद 1 8, मकान मालिक द्वारा दिए गए छोड़ने के नोटिस पर, किरायेदार ने धारा 11 का लाभ उठाने की मांग की।

78 (1922) 2 के. बी. 422 [2021] 14 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुआवजे की मांग के लिए दो शर्तों में से एक का सफलतापूर्वक पालन करते हुए कृषि धारक अधिनियम, 1914। इससे पहले कि किरायेदार आगे की शर्त का पालन कर सके, जो यह थी कि उसे दो महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए, होल्डिंग छोड़ने के बाद, धारा 11 को निरस्त कर दिया गया था। बाद में उन्होंने तीन महीने के भीतर अपना दावा किया, जैसा कि निरस्त धारा द्वारा सीमित किया गया था। मामला मध्यस्थ के पास गया। मध्यस्थ एक विशेष मामला बताया। उन्होंने दो सवाल उठाए। पहला, क्या किरायेदार 1920 के निरसन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार था और दूसरा, क्या वह निरसन के बावजूद निरस्त अधिनियम के तहत दावा कर सकता है। किरायेदार के खिलाफ पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया था, जिसके साथ, अपील न्यायालय सहमत हो गया। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, न्यायालय का विचार था कि किरायेदार सफल होने का हकदार था। संक्षेप में तर्क निम्नलिखित है:

“ स्क्रूटन एल. जे. लेकिन यह सुझाव नहीं दिया जाता है

एस द्वारा लगाई गई शर्तें। 11 शर्तें थीं, अधिग्रहण की नहीं अधिकार का, लेकिन इसके प्रवर्तन का। संप्रदाय। 38 कहते हैं कि एक का निरसन

अधिनियम (ग) किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

इस प्रकार निरस्त अधिनियम "या (ई)" किसी भी जांच को प्रभावित करता है, कानूनी

ऐसे किसी अधिकार के संबंध में कार्यवाही या उपचार। जैसे ही

किरायेदार ने मुआवजे का दावा करने के अपने इरादे की सूचना दी थी

एस के तहत। 11 वह उस दावे की जांच करने का हकदार था मध्यस्थ। उस मध्यस्थता के दौरान वह कोई संदेह नहीं होगा

यह साबित करने के लिए कि वह अधिकार वास्तव में मौजूद था, अर्थात यह कहना कि सूचना छोड़ने के लिए एक बिक्री को देखते हुए दिया गया था, और उसे भी करना होगा

उसके नुकसान का पैमाना साबित करें। लेकिन उसे यह अधिकार था कि

एस के लिए जांच, जो शुरू की गई थी, जारी है। 38 स्पष्ट रूप से

यह प्रावधान है कि निरसन से जांच प्रभावित नहीं होगी।

मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि मध्यस्थ को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि

उसके पुरस्कार को पूरा करें। अगर उसने अपनी जाँच जारी रखी होती

1908 के अधिनियम के तहत इतना मुआवजा और इतना 1920 के अधिनियम के तहत हमें अपना अंतिम निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए था

फैसला "।

(जोर दिया गया)

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

277. इस प्रकार निर्णय उस समय पर बदल गया जिस पर

सही उठा। 278. एटकिन एलजे।, जैसा कि वे तब थे, इस बात पर सहमत हुए कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" एटकिन एल. जे. यह स्पष्ट है कि उस प्रावधान का उद्देश्य निरस्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त अमूर्त अधिकारों को संरक्षित करना नहीं था, जैसे कि 1908 के अधिनियम के तहत आम तौर पर किरायेदारों को दिए गए व्यवधान के लिए मुआवजे का अधिकार, क्योंकि यदि यह निरसन अधिनियम होता तो यह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता। यह केवल किसी व्यक्ति को दिए गए विशिष्ट अधिकारों पर लागू होता है -

कानून में निर्दिष्ट घटनाओं में से एक या अन्य घटना का होना। यहाँ आवश्यक घटना हुई है, क्योंकि मकान मालिक संपत्ति की बिक्री

को देखते हुए, किरायेदार को नौकरी छोड़ने का नोटिस दिया गया है। उन परिस्थितियों में किरायेदार ने "एक अधिकार प्राप्त कर लिया है", जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपनी हिस्सेदारी छोड़ने पर "अर्जित" होगा। ..... "

279. ओडजेन इंडस्ट्रीज पीटीवाई में। लिमिटेड वी. हैदर डोरीन

लुकास ", ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न एक मामले में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। 7 जुलाई, 1965 को अपीलार्थी के एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु में भौतिक रूप से चोटों का योगदान था, जो बदले में, अपीलार्थियों के साथ उनके कार्य के दौरान उत्पन्न हुई थी। कर्मचारी को मार्च, 1965 में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें फिर से 19 जून, 1965 में अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद, उनकी मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे प्रतिवादी, अपनी विधवा और दो बच्चों को छोड़ गए।

संशोधन अधिनियम के तहत मुआवजा। प्रिवी काउंसिल को बुलाया गया था दो प्रश्नों का निर्णय करना। सबसे पहले, सवाल यह था कि क्या संशोधन अधिनियम मूल चोट के बाद लागू हुआ था

कर्मचारी, उसके आश्रित संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई दरों के हकदार थे। दूसरा, क्या मृतक ने 30.06.1965 के बाद, 79 3 डब्ल्यू. एल. आर. 75/(1969) (1) ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट 121 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर एक और चोट या उग्रता, जिसने उन्हें नया खिताब दियासंशोधन अधिनियम। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ फैसला सुनाया

बनाम ः

" 1958 के अधिनियम के तहत विधवा को साबित करने की आवश्यकता नहीं थी

कि वह वास्तव में अपने पति की कमाई पर निर्भर थी, हालांकि संशोधन अधिनियम के तहत उसे ऐसा करना पड़ता है। फिर भी, कानून के मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है

किसी भी अधिनियम के तहत मृत्यु से पहले के क्षण "मैं एक रहूंगा

अगर मैं इतना लंबा जीऊंगा तो मृत्यु पर निर्भर रहूंगा। सबसे पहले, यह होना चाहिए यह स्थापित किया कि मृत्यु के कारण या योगदान किया गया था

दुर्घटना, दूसरा यह कि विधवा मृत्यु की तारीख पर मृतक की विधवा होगी और मृत या किसी अन्य पुरुष से विवाहित नहीं होगी, और बच्चों को यह दिखाना होगा कि वे सोलह वर्ष से कम उम्र के हैं। इनमें से किसी भी बात का पता (साबित होने की तो बात ही छोड़िए) तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि

कर्मचारी की मृत्यु का क्षण।

धारा 7 (2) (सी) में उनके प्रभुओं की राय में एक तरफ अर्जित या अर्जित अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व और

उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट दूसरी ओर की गई देनदारियाँ

ये परस्पर और परस्पर संबंधित हैं।

व्याख्या अधिनियम का उद्देश्य और इरादा एक तरफ अर्जित या अर्जित अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षित करना है और दूसरी तरफ उन अधिकारों या विशेषाधिकारों का पालन करने या उनका पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा किए गए संबंधित दायित्व या दायित्व को संरक्षित करना है।

पक्ष; ताकि जब कोई बाद का अधिनियम उन्हें निरस्त या संशोधित करे भविष्य के लिए अधिकार, विशेषाधिकार और देनदारियाँ जो प्रभावित नहीं करेंगी

पक्षों के पूर्व-विद्यमान पारस्परिक अधिकार और देनदारियाँ। ... . लेकिन इस विचार से कि उनके अधिपत्य वहाँ ले जाते हैं, के उद्देश्यों के लिए है

व्याख्या अधिनियम आश्रितों में कोई अधिकार नहीं है और मृत्यु के क्षण तक श्रमिक के नियोक्ताओं पर कोई सहसंबंधी दायित्व नहीं है। इसलिए पूरी तरह से अधिकार के अलावा उनके प्रभुत्व हैं

राय है कि अधिनियम व्याख्या अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है और

आश्रितों के अधिकार और संबंधित दायित्व

नियोक्ता का मृत्यु की तारीख को परीक्षण और पता लगाया जाना चाहिए; उस समय नियोक्ता पर 1958 के अधिनियम के तहत और उसके आधार पर आश्रितों को उसके प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति करने का दायित्व था जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था।

यह उच्च न्यायालय के बहुमत मनीष कुमार बनाम के निर्णय का आधार था।

उनके बहुत सावधानीपूर्वक निर्णयों में जिनसे उनके प्रभु सहमत होते हैं।

(जोर दिया गया)

280. यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि बचत खंड में

निरसन अधिनियम, कर्मचारी के पक्ष में दिए गए निर्णय का आधार नहीं था। मृत्यु के समय प्रचलित कानून के आधार पर मुआवजे का आदेश दिया गया था।

281. अब इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है।

ईशा वलीमोहम्मद बनाम। हाजी गुलाम मोहम्मद और हाजी दादा ट्रस्ट 80. उक्त मामले के तथ्यों पर कुछ विस्तार से ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका हमारे द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्यर्थी मकान मालिक ने अन्य बातों के साथ-साथ सबलेटिंग के आधार पर 12.02.1964 दिनांकित नोटिस द्वारा एक इमारत के संबंध में किरायेदारी को समाप्त करने का इरादा किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस समय सबलेटिंग हुई थी, उस समय इमारत सौराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1951 के दायरे में थी। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि मकान मालिक द्वारा सबलेटिंग के मामले में कब्जा वसूल करने का हकदार होगा। किरायेदार। यह तब है जब यह अधिनियम लागू था कि किरायेदार परिसर को खाली कर देता है। हालाँकि, बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट, 1947 द्वारा सौराष्ट्र अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। बॉम्बे अधिनियम की धारा 51 में, अन्य बातों के साथ-साथ, बचत खंड शामिल था कि निरसन इस तरह से निरस्त किसी भी कानून के तहत अर्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। 'सौराष्ट्र अधिनियम' के निरस्त होने के बाद किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस 12.02.1964 पर जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि मकान मालिक को बॉम्बे अधिनियम के बचत खंड के तहत अर्जित अधिकार था। निरस्तीकरण के बाद मुकदमा लाया गया था।

282. इस न्यायालय ने निम्नलिखित तर्क को अपनाया:

यदि संपत्ति हस्तांतरण के तहत नोटिस आवश्यक था

सबलेटिंग के आधार पर किरायेदारी निर्धारित करने के लिए, फिर

उच्च न्यायालय सही नहीं होगा कि प्रत्यर्थी मकान मालिक ने

सूचना जारी करने से ठीक पहले उपार्जित। इसके बाद, न्यायालय ने 'हैमिल्टन' (ऊपर) और 'एबॉट' (ऊपर) पर विचार किया

आलिया।

इसके बाद, न्यायालय ने इस तर्क पर विचार किया कि

क्या मकान मालिक को बचत खंड के तहत कोई विशेषाधिकार था।

इसके बाद जो प्रासंगिक है वह यह है कि इस न्यायालय ने यह पाया कि उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही करने में सही नहीं था

उस सूचना को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत इस आधार पर समाप्त करना आवश्यक था कि अपीलार्थी ने परिसर को खाली कर दिया था।

283. पैराग्राफ-16 में दिए गए तर्क पर ध्यान देना उचित है:

" 16. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत, केवल उप-पट्टा, एक द्वारा

किरायेदार, जब तक कि किरायेदारी का अनुबंध इस प्रकार प्रदान नहीं करता है, किरायेदारी को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है। उस अधिनियम के तहत एक मकान मालिक ऐसा नहीं कर सकता है इस आधार पर किरायेदारी को समाप्त कर दें कि किरायेदार के पास परिसर का उप-पट्टा था, जब तक कि किरायेदारी का अनुबंध उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। इसलिए प्रत्यर्थी-मकान मालिक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत नोटिस जारी नहीं कर सकता था।

किरायेदारी निर्धारित करने के लिए, क्योंकि किरायेदारी का अनुबंध किरायेदार द्वारा उप-किराए पर देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता था। इसे अलग तरह से रखने के लिए, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत, यह केवल तभी है जब किरायेदारी का अनुबंध किरायेदार द्वारा उप-किराए पर देने को प्रतिबंधित करता है कि एक मकान मालिक इस आधार पर किरायेदारी को जब्त कर सकता है कि किरायेदार ने परिसर को उप-किराए पर दिया है और नोटिस जारी करने के बाद उसी का कब्जा वसूल कर सकता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 111 में प्रावधान है कि यदि किरायेदार किरायेदारी के अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, जिसमें किरायेदारी को जब्त करना शामिल है, तो पट्टे को जब्त करके निर्धारित किया जा सकता है। यदि किरायेदारी के अनुबंध के तहत उप-किराए पर देना निषिद्ध नहीं है, तो उप-किराए पर देना किरायेदारी के अनुबंध में किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होगा जो मकान मालिक को नोटिस जारी करके उस अंक पर किरायेदारी को जब्त करने में सक्षम बनाएगा। अगर ऐसा है तो कोई सवाल ही नहीं था।

इस आधार पर कि किरायेदार ने परिसर को किराए पर दिया था; और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस अधिनियम की धारा 15 ने किरायेदार को किराए पर देने से बिना शर्त प्रतिबंधित किया था। सौराष्ट्र अधिनियम कहीं भी नहीं है इस बात पर जोर देते हुए कि मकान मालिक को धारा 13 (1) (ई) के तहत कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने से पहले एक नोटिस जारी करना चाहिए और किरायेदारी को समाप्त करना चाहिए, इस आधार पर कि किरायेदार ने परिसर को किराए पर दे दिया था। इसलिए स्थिति यह थी कि मकान मालिक अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत परिसर का कब्जा वसूलने का हकदार था।

सौराष्ट्र अधिनियम इस आधार पर कि किरायेदार परिसर को खाली कर देता है।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

खंड के साथ पठित धारा 13 (1) के तहत परिसर का कब्जा (ङ) सौराष्ट्र अधिनियम की मुद्रा के दौरान उप-किराए के आधार पर उस अधिनियम के निरसन के बाद सौराष्ट्र अधिनियम बनाए रखने योग्य था। इस दृष्टिकोण से, हम सोचते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय

अदालत को बरकरार रखा जाना चाहिए और हम ऐसा करते हैं।

284. इस प्रकार, जो प्रासंगिक है, इस न्यायालय ने सौराष्ट्र अधिनियम के तहत पाया कि इसे समाप्त करने के लिए किसी भी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी।

किरायेदारी। यह पाया गया कि मकान मालिक वसूली का हकदार था

उक्त अधिनियम के तहत कब्जा, यदि उपखंडन था। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा परिसर को खाली करने पर सौराष्ट्र अधिनियम के तहत मकान मालिक को अधिकार प्राप्त होता है। यह सौराष्ट्र अधिनियम के लंबित रहने के दौरान था। यह अधिकार सौराष्ट्र अधिनियम के निरसन से बच गया और इस प्रकार सौराष्ट्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया।

बनाए रखने योग्य।

285. जाहिरा तौर पर, न्यायालय ने इस सिद्धांत से समर्थन प्राप्त किया

हैमिल्टन (ऊपर)। हम हैमिल्टन (ऊपर) के तथ्यों पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं। संक्षेप में सवाल यह प्रतीत होता है कि अधिकार कब अस्तित्व में आता है? यदि अधिकार अस्तित्व में आता है तो हकदार पक्ष द्वारा उपाय किया जा सकता है।

286. यह फिर से अनिवार्य रूप से निरस्तीकरण अधिनियमों की शर्तों के साथ-साथ बचत खंड की शर्तों पर भी निर्भर करेगा। में

बचत खंड के अभाव में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पक्ष सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 पर भी वापस आ सकता है। यह फिर से (1989) 2 एस. सी. सी. 557 में बचत खंड के दायरे के बारे में जो माना जाता है, उसके अधीन है जैसा कि बाद में देखा जाएगा। 287. ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्णय में एक ऐसा मामला शामिल था, जहां, हालांकि एक मुकदमे के रूप में शैलीबद्ध किया गया था, सौराष्ट्र अधिनियम के तहत कार्यवाही एक क़ानून के तहत एक कार्यवाही थी और अधिकार क़ानून द्वारा बनाया गया था और जो मकान मालिक को अधिकार देता था वह सबलेट करने का कार्य था। उक्त अधिकार वह था जिसे निरस्त करके समाप्त नहीं किया गया था। जैसा कि पहले से ही देखा गया है कि मुकदमा स्वयं निरसन के बाद दायर किया गया था। उक्त [2021] 14 एस. सी. आर. में विशेषाधिकार और अर्जित अधिकार के बीच अंतर पर चर्चा।

हममें से एक (न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाम में हाल ही में एक फैसले में निर्णय पर भरोसा किया है। वी. एस. कंडलगांवकर 3 1.

288. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा 82, द

प्रथम उत्तरदाता के पति की मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। दुर्घटना के दो साल के भीतर मुकदमा सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 82 के तहत लाया जा सकता है। 18.03.1867 पर, उत्तर सरकार प्रदेश ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन किया। न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थियों के आवेदन पर अपीलकर्ता बीमाकर्ता द्वारा आपत्ति जताई गई थी। प्रत्यर्थियों के पक्ष में निर्णय लेते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आवेदन न्यायाधिकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य था, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" ..... यदि कार्रवाई, सिविल कोर्ट के समक्ष जीवित थी जहां कोई मुकदमा नहीं किया गया था दायर किए गए ऐसे मामलों में कार्रवाई का निहित अधिकार नहीं था

बुझा दिया। धारा 110ए के तहत किसी भी आवेदन का उपाय या एक दीवानी मुकदमा उपलब्ध होना चाहिए; निश्चित रूप से दोनों नहीं।

289. इसके बाद, यह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार आयोजित किया गया:

" 5. धारा 110-ए और 110-एफ की साधारण भाषा पर

यह विचार रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि कानून में परिवर्तन था

केवल मंच का परिवर्तन अर्थात विशेषण या प्रक्रियात्मक परिवर्तन

कि कानून का ऐसा परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है और व्यक्ति नए मंच पर जाना पड़ता है, भले ही उसका कार्रवाई का कारण या अधिकार हो

मंच बदलने से पहले उपार्जित कार्रवाई। उसके पास एक निहित होगा कार्रवाई का अधिकार लेकिन मंच का निहित अधिकार नहीं। अगर व्यक्त शब्दों से

नया मंच केवल कार्रवाई के कारणों के लिए उपलब्ध कराया गया है

मंच के निर्माण के बाद, फिर पूर्वव्यापी संचालन

कानून छीन लिया जाता है। अन्यथा सामान्य नियम यह है कि

पूर्वव्यापी। अभिव्यक्तियाँ "एक दुर्घटना से उत्पन्न"

उप-धारा (1) में होने वाला और "उस क्षेत्र पर जिसमें दुर्घटना हुई ", उप-धारा (2) में उल्लिखित स्पष्ट रूप से दिखाएँ

कि मंच का परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होने के लिए था

चाहे दुर्घटना कब हुई हो। इसके लिए जिस हद तक जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं थी

रास्ते में "।

(जोर दिया गया)

81 (2015) 2 एससीसी 1

82 (1975) 2 एस. सी. सी. 840 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]290. हम यह भी देख सकते हैं कि इस प्रश्न के संबंध में कि क्या सीमा का कानून कार्रवाई के निहित अधिकार को समाप्त कर सकता है, यह था

अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

" 7. (2) भले ही मोटे तौर पर सीमा कानून को एक प्रक्रियात्मक कानून माना गया है, लेकिन इस सिद्धांत के अपवाद हैं। आम तौर पर सीमा का कानून जो कार्रवाई शुरू होने की तारीख को प्रचलित है, इसे नियंत्रित करता है। लेकिन इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। लंबी अवधि प्रदान करने वाला सीमा का नया कानून एक मृत उपचार को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। न ही यह कम अवधि के लिए प्रावधान करके कार्रवाई के निहित अधिकार को अचानक समाप्त कर सकता है।

सीमा "।

" 9. गोपेश्वर पाल बनाम। जीवन चंद्र चंद्र [आई. एल. आर. 51 कैल 1125] जेनकिंस, सी. जे. बहुमत की ओर से निर्णय देते हुए पूर्ण पीठ ने पी. 1141 :

" यहाँ वादी उस समय जब संशोधन अधिनियम पारित किया गया था मुकदमा करने का एक निहित अधिकार था, और हम अधिनियम में संशोधित के रूप में कुछ भी नहीं देखते हैं

जो उस निर्माण की मांग करता है जो वादी द्वारा किया गया था

संशोधन अधिनियम के पारित होने की तारीख में उसे निहित मुकदमे के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह (हमारी राय में) धारा 184 और बंगाल किरायेदारी अधिनियम की तीसरी अनुसूची का उचित अध्ययन भी नहीं है।

जैसा कि संशोधित किया गया है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि इसका उद्देश्य एक निहित अधिकार की ज़ब्ती के दर्द के तहत एक असंभव शर्त लागू करना था, और हम केवल उन मामलों पर लागू नहीं होने के रूप में संशोधन का अर्थ लगा सकते हैं जहां

इसके प्रावधानों का पालन नहीं किया जा सकता है।

राजाह में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का बहुमत

साहिब मेहरबान-आई-दोस्तन श्री राजा रो वी. के. एम. सूर्या रो

बहादुर, सरदार, राजमुंदरी सरकार और पित्तापुर के राजा बनाम। जी. वेंकट सुब्बा रो [आई. एल. आर. 34 मैड 645] ने गोपेश्वर पाल मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के बाद पी. 650. सीमा कानून का संशोधन वादी के कार्रवाई के अधिकार को नष्ट नहीं कर सकता था जो अधिनियम के समय मौजूद था।

लागू हुआ। हम इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में किए जाने वाले अंतर से अवगत हैं। यह कहा जाता था कि अधिकार को नष्ट नहीं किया जा सकता था लेकिन सूट का सहारा लिया जा सकता था

यह सीमा के पुराने कानून के तहत उपलब्ध होगा। हालाँकि, हम सोचते हैं कि [2021] 14 एस. सी. आर. के संबंध में कानून के परिवर्तन को पूर्वव्यापी प्रभाव देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंच को, परिवर्तन के उद्देश्य के संदर्भ में, है अनिवार्य है। कि ऐसा होने के कारण उपरोक्त सिद्धांतों पर काबू पाने के लिए कहा गया है

सीमा की सीमा लागू होगी।

291. विनोद गुरुदास रायकर में इस फैसले का पालन किया गया है।

वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस 83 और भारत संघ बनाम। हरनाम सिंह 84 और हाल ही में इस न्यायालय द्वारा बी. के. शैक्षिक सेवा (उपरोक्त) मामले में भी।

292. वी. धनपाल चेट्टियार बनाम। येसोदाई अम्मल 85, की एक पीठ

सात विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार रखते हुए कि टी. पी. अधिनियम 1882 की धारा 106 के तहत पद छोड़ने का नोटिस किसी भी राज्य किराया अधिनियम के तहत बेदखली याचिका के लिए आवश्यक नहीं था, ईशा वली मोहम्मद (ऊपर) के संबंध में यह देखा गया कि उक्त मामले में लिया गया दृष्टिकोण कि मकान मालिक निम्नलिखित आधार पर किरायेदारी निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकता था:

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत उपखंडन था

यह सही नहीं है क्योंकि धारा 111 (एच) के तहत जारी किए गए नोटिस में किरायेदारी की समाप्ति के लिए किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस संबंध में ईशा वली मोहम्मद (उपरोक्त) में लिया गया दृष्टिकोण, केवल धारा 111 (जी) के तहत लिया जाएगा।

293. डी. सी. भाटिया बनाम भारत संघ, दिल्ली किराया नियंत्रण

अधिनियम को 01.12.1988 से संशोधित किया गया, जिसके द्वारा संशोधन, अधिनियम किसी भी परिसर पर लागू नहीं होना था, जिसका मासिक किराया Rs.3500/- से अधिक था। किरायेदारों के इस तर्क से निपटते हुए कि उनका एक निहित अधिकार था, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि यदि किरायेदार को संशोधन से पहले बेदखल करने की मांग की जाती है, तो वे इस तरह की बेदखली का विरोध करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठा सकते थे। लेकिन यह कानून का लाभ उठाने के अधिकार के अलावा और कुछ नहीं था और किरायेदार को केवल तब तक वैधानिक संरक्षण प्राप्त था जब तक कानून लागू रहता है। हम केवल अनुच्छेद-53 पर ध्यान दे सकते हैं। यह नीचे पढ़ा गया है:

अधिनियम के तहत लिया जाना आवश्यक है, जिसे भी नहीं लिया जा सकता है अधिनियम के निरस्त होने के बाद "।

(जोर दिया गया)

83 (1991) 4 एस. सी. सी. 333 84 (1993) 2 एससीसी 162

85 (1979) 4 एससीसी 214

86 (1995) 1 एस. सी. सी. 104 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

294. एमएसटी में। बीबी सईदा और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य 87 न्यायालय को 'बाजार' शब्द के अर्थ पर विचार करना था।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार अधिनियम 30)। निश्चित रूप से,

उक्त निर्णय में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी राज्य के स्वामी का अपनी भूमि पर 'मेला' आयोजित करने का अधिकार उस संपत्ति का अधिकार है जो उसकी भूमि के स्वामित्व से संबंधित है। संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में, निस्संदेह न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 17. 'निहित' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी (6th) में परिभाषित किया गया है।

एडन.) पी पर। 1563 के रूप में:

अधिकार 'निहित' होते हैं जब आनंद का अधिकार, वर्तमान या भावी, वर्तमान हित के रूप में किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति की संपत्ति बन जाता है; केवल भविष्य की अपेक्षा। लाभ, या पर स्थापित संपत्ति में आकस्मिक ब्याज

मौजूदा कानूनों की प्रत्याशित निरंतरता, गठित नहीं करती है

निहित अधिकार।

वेबस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी (अंतर्राष्ट्रीय संस्करण) में

पी। 1397 ' निहित 'को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" [किसी आकस्मिकता के अधीन कार्यकाल द्वारा आयोजित; पूर्ण; एक स्थायी अधिकार के रूप में कानून द्वारा स्थापित; निहित स्वार्थ।

295. हालांकि यह एक ऐसा मामला है जो निहित अधिकार से संबंधित है।

लाभप्रद रूप से गोपेसुर पाल बनाम में रिपोर्ट किए गए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की विशेष पीठ का उल्लेख करें। जीवन चंद्र चंद्र और अन्य 88, ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 237 (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा संदर्भित, जब यह अन्य बातों के साथ-साथ अभिनिर्धारित किया गया था:

3. " इसके विपरीत, दोनों मामलों की आवश्यक शर्तें इतनी अलग हैं कि हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले का निर्णय, इस मामले की परिस्थितियों के संबंध में, प्रिवी काउंसिल के फैसले से प्रभावित है। यह एक स्थापित स्वयंसिद्ध है ऐसा निर्माण जो यद्यपि प्रक्रिया को अधिनियम द्वारा विनियमित किया जा सकता है

87 (1996) 9 एस. सी. सी. 516/ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1936 88 ए. आई. आर. 1914 कलकत्ता 806 [2021] 14 एस. सी. आर.

कुछ समय के लिए, अभी भी, एक निहित को छीनने का इरादा

क्षतिपूर्ति या किसी बचत के बिना अधिकार, विधानमंडल पर तब तक अधिरोपित नहीं किया जाना है, जब तक कि इसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है। लोक निर्माण आयुक्त v. लोगान [एल. आर. 1903 ए. सी. 355]] . कि यह दृष्टिकोण उन मामलों तक सीमित नहीं है जहाँ संपत्ति के अधिकार हैं।

सीमित अर्थों में शामिल हैं, औपनिवेशिक चीनी शोधन कंपनी द्वारा दिखाया गया है। इरविंग [एल. आर. 1905 ए. सी. 369] , जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी अधिनियम का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह किसी विचाराधीन कार्रवाई में किसी पक्षकार को अपील से वंचित कर दे, जो अधिकार के रूप में उसका था।

अधिनियम के पारित होने की तिथि। समान रूप से एक मुकदमा का अधिकार है

निहित अधिकार, और जैक्सन बनाम में। वूली [8 एल। और बीएल। 784 (1859) .] ,

राजकोष चैंबर के न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, की अनुपस्थिति में

इस मामले को संदेह से परे रखने के लिए, एक अधिनियम को लागू करने के लिए

अधिनियम के पारित होने के समय उसे निहित किया गया था। 4. विलियम, जे ने कहा: “ हमें यह कहने के लिए प्रेरित करने के लिए कि यह इस तरह के निहित अधिकार को छीन लेता है, कानून में बिना किसी सामान्य शक्ति के शब्दों की आवश्यकता होगी।

296. एम. एस. शिवानंदा बनाम कर्नाटक एस. आर. टी. सी. 8 9, एक अध्यादेश के तहत, पूर्ववर्ती राज्य कैरिज ऑपरेटरों के कर्मचारियों को समाहित किया जाना था।

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कुछ शर्तों के अधीन। अनुपात प्रदान किया गया था। अध्यादेश को एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि, अनुपात बदल गया। इसने श्रमिकों के अवशोषण की संभावनाओं को प्रभावित किया। इसके कारण रिट याचिकाएं दायर की गईं। वह प्रश्न जो निरसन के प्रभाव के संदर्भ में तय किया जाना था और जो एक अधिकार था। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 15. क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है, इसके बीच का अंतर

किसी कानून का निरसन उसके तहत अर्जित या अर्जित एक अधिकार है न कि केवल "आशा या अपेक्षा", या अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता। लोक निर्माण निदेशक v. हो पो सांग [(1961) 2 ऑल ई. आर. 721,731 (पी. सी.)] लॉर्ड मॉरिस प्रिवी काउंसिल के लिए बोलते हुए, यह देखा गया:

" इसलिए यह हो सकता है कि किसी निरस्त अधिनियम के तहत एक अधिकार दिया गया हो, लेकिन इसके संबंध में, कुछ जांच या

89 (1980) 1 एस. सी. सी. 149 मनीष कुमार बनाम।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[के. एम. जोसेफ, जे.]

16. इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 31 (2) (i) में जिस बचत खंड पर हम विचार कर रहे हैं, वह अध्यादेश के लागू होने के दौरान किए गए कार्यों को बचाता है। निरस्त अध्यादेश के तहत अर्जित अधिकार को संरक्षित करें। इसके विपरीत है।

सामान्य बचत खंड जो निरसन से अप्रभावित रहते हैं, न केवल निरस्त अधिनियम के तहत किए गए कार्य बल्कि उसके तहत अर्जित अधिकार भी। यह भी स्पष्ट है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6, जिसकी प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है, का उद्देश्य निरस्त अध्यादेश द्वारा प्रदत्त अमूर्त अधिकारों को संरक्षित करना नहीं है। यह केवल निर्दिष्ट घटनाओं में से एक या अन्य के घटित होने पर किसी व्यक्ति को दिए गए विशिष्ट अधिकारों पर लागू होता है।

कानून में "।

297. कनयराम (उपरोक्त) में पूर्ववर्ती ने अपीलार्थियों के हित में पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम 1953 के तहत किरायेदारी अधिकार की खरीद के लिए आवेदन किया था। विचाराधीनता के दौरान

सहायक कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही, कुछ व्यक्तियों को इस आधार पर प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था कि वे मकान मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी थे। इसके बाद उनके नाम अनावश्यक बताकर हटा दिए गए। उसी दिन, अपीलार्थियों के हित में पूर्ववर्ती के आवेदन की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, मूल भूमि मालिक द्वारा कुछ मौखिक बिक्री की गई। जाहिरा तौर पर मकान मालिक की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा जो तर्क लिया गया था, वह यह था कि मूल मकान मालिक की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, और भूमि मालिकों की स्थिति में परिवर्तन हुआ था, जिनके खिलाफ धारा [2021] 14 एस. सी. आर. के तहत आवेदन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18 (1) अधिनियम का उस तारीख को बनाया गया था क्योंकि उनके कानूनी उत्तराधिकारी छोटी भूमि के मालिक बन गए थे। वित्तीय आयुक्त, जिनके समक्ष मामला पहुंचा, का हालांकि यह विचार था कि अपीलार्थी के पूर्ववर्ती द्वारा किया गया आवेदन दायर किए जाने की तारीख को सक्षम होने के कारण, पक्षों

के अधिकारों पर उस आधार पर निर्णय लिया जाना था। हालाँकि, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा कि किरायेदार के अधिकार का निर्धारण करते समय बड़ी भूमि के मालिक की मृत्यु से आई बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्यर्थी 3 से 14, जो मकान मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी थे, ने मकान मालिक से हस्तांतरणकर्ताओं के खिलाफ इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि वे केवल

भूमि मालिक के बैंमायदार और उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया जैसा कि आरोप लगाया गया है

बिक्री धारा 54 के तहत पंजीकृत उपकरणों द्वारा प्रभावित नहीं थी, जिसे पंजाब सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1955 से राज्य में लागू किया गया था। मुकदमा तय होने को आया। उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारिता की मांग की कि भूमि मालिकों की भूमि के अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने में कलेक्टर का मानना था कि उत्तरदाता 1 और 2 के पक्ष में बिक्री बेनामी थी। कलेक्टर ने पाया कि मूल भूमि मालिकों की मृत्यु पर, उत्तरदाता 3 से 14 छोटे भूमि मालिक बन गए। डिवीजन बेंच ने यह विचार रखा कि कोई मौखिक बिक्री नहीं की जा सकती है, और इसलिए, उत्तरदाता 1 और 2 के पक्ष में किए गए स्थानान्तरण ने कोई अधिकार पारित नहीं किया। यह न्यायालय, इस तथ्य पर ध्यान देने के अलावा कि मुख्य के खिलाफ विशेष अनुमति से इनकार कर दिया गया था

निर्णय अपील अब मान्य नहीं थी, यह अभिनिर्धारित किया कि मूल भूमि

मालिक को पूर्ववर्ती द्वारा अपने आवेदन में अपीलार्थियों के हित में शामिल नहीं किया गया था, भले ही 3 से 14 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था और बाद में उन्हें अपीलार्थी की आपत्ति पर हटा दिया गया था कि वे आवश्यक पक्ष नहीं थे। इस न्यायालय ने रामेश्वर और अन्य बनाम में निर्णय में अंतर किया। जोतराम और एक और "जैसा कि यह एक मामला था

जहाँ किरायेदारों ने अपेक्षित आवेदन करने के बाद खरीद मूल्य की पहली किस्त का आवश्यक जमा किया था। इसमें था।

कनाया राम (ऊपर) में निर्णयः 9 0 90 (1976) 1 एस. सी. सी. 194 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थियों का शीर्षक, जब उन्होंने खरीद के लिए आवेदन किया था अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत, केवल "आशा या अपेक्षा" थी।

अर्जित अधिकार का नहीं, बल्कि अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता

एबॉट बनाम का प्रमुख मामला। भूमि मंत्री [1895 ए. सी. 425: 64 एलजेपीसी 167: 72 एल. टी. 402 (पी. सी.)] [1895 एसी 425: 64 एलजेपीसी 167: 72 एलटी

402 (पी. सी.)] कि के प्रावधानों का लाभ उठाने का मात्र अधिकार

एक अधिनियम एक अर्जित अधिकार नहीं है। एबॉट मामला [1895 एसी 425: 64

एलजेपीसी 167: 72 एल. टी. 402 (पी. सी.)] का इस न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया है।

कई निर्णय। ऐसी स्थिति में, न्यायालय बाध्य है -

बाद की घटनाओं को ध्यान में रखें और राहत को ढालें

तदनुसार। रामेश्वर मामले में निर्णय (1976) 1 एस. सी. सी. 194

: ए. आई. आर 1976 एस. सी. 49: (1976) 1 एस. सी. आर. 847] ने स्पष्ट रूप से कानूनी कार्रवाई की

अधिनियम की धारा 18 (4) (बी) में निहित कल्पना और मृत्यु इससे पहले अपील के लंबित रहने के दौरान बड़े जमींदार तेजा

वित्तीय आयुक्त जिस पर विरासत खोली गई और उसका

कानूनी उत्तराधिकारी छोटे जमींदार बन गए, निहित को प्रभावित नहीं कर सके

द्वारा पारित आदेश के आधार पर किरायेदारों द्वारा अर्जित अधिकार

निर्धारित प्राधिकरण और उनके द्वारा पहली किश्त की जमा राशि

धारा 18 (4) (ए) के तहत आवश्यक खरीद मूल्य। ”

(जोर दिया गया)

298. जबकि बचत खंड के दायरे में हम देख सकते हैं

आई. डी. आर. वी. राजस्थान राज्य "बचत के तथ्य से निपटने के दौरान

ड. एक निरसनकारी कानून में न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 28. निरसनकारी कानून में बचत का प्रावधान संपूर्ण नहीं है -

निरस्त करें। यह इस न्यायालय द्वारा आई. टी. आयुक्त बनाम में देखा गया है। शाह। सादिक एंड संस [(1987) 3 एस. सी. सी. 516: 1987 एस. सी. सी. (कर) 270: एयर

1987 एससी 1217,1221]: (एस. सी. सी पी. 524, पैरा 15)

‘ ..... दूसरे शब्दों में जो भी अधिकार स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं

' बचत का प्रावधान बचा हुआ है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकार

जो 'बचत' प्रावधान द्वारा सहेजे नहीं जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं

या केवल इस तथ्य से समाप्त हो जाता है कि एक नया क़ानून

पुराने कानून को निरस्त करने का अधिनियम बनाया गया है। अधिकार जो अर्जित हुए हैं

89) 2

एससीसी 557 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्हें तब तक बचाया जाता है जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं ले जाया जाता है। यह वह है

धारा 6 (सी), सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के पीछे का सिद्धांत। ... . ”

हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि 1973 के अधिनियम की योजना इसके विपरीत और असंगत इरादे को प्रकट नहीं करता है,

धारा 5 (6-ए) और अध्याय के निरस्त प्रावधानों को सहेजना

जहाँ तक लंबित मामलों का संबंध है, "1955 अधिनियम" का III-B और

कि पुराने कानून के तहत उपार्जित अधिकार और देनदारियां

नष्ट नहीं होते हैं। अपीलार्थी का तर्क (क), हमारी राय में है,

अवास्तविक। पुनर्कथन (बी)

"

299. याचिकाकर्ता इस अदालत हितेंद्र के फैसले पर भी भरोसा करते हैं

विष्णु ठाकुर (ऊपर) और अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ऊपर)।

300. हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) में, मामला निम्नानुसार उत्पन्न हुआ:

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टाडा अधिनियम)। टाडा अधिनियम की धारा 20 (4) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 को कुछ संशोधनों के साथ लागू किया। खंड (ख) में एक लंबी अवधि के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके लिए रिमांड का आदेश दिया जा सकता है। एक संशोधन, डब्ल्यू. ई. एफ. 22.05.1993 द्वारा, अवधि को कम कर दिया गया था। तत्पश्चात, तथापि, एक अन्य खंड, अर्थात्। , खंड (बी. बी.) जोड़ा गया, जिसमें एक परंतुक था। परंतुक ने अनिवार्य किया कि यदि इसे पूरा करना संभव नहीं था

लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर 180 दिनों की अवधि के भीतर जांच, जो जांच की प्रगति और 180 दिनों से अधिक हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत देती है, नामित अदालत को अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाना चाहिए। यह इस प्रावधान के संदर्भ में था कि इस न्यायालय ने यह ध्यान देने के बाद कि संशोधन पूर्वव्यापी था और लंबित मामलों पर लागू होता है, जिसमें संशोधन अधिनियम की तारीख को जांच पूरी नहीं हुई थी और अदालत में चालान दायर नहीं किया गया था, न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को हटा दिया:

" 26 .

XXX

XXX

XXX

XXX

(i) एक कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, माना जाता है।

संचालन में संभावित होने के लिए जब तक कि पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है, या तो

स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से, जबकि एक क़ानून जो

केवल प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जब तक कि इस तरह का निर्माण पाठ्य रूप से न हो।

असंभव, इसके अनुप्रयोग में पूर्वव्यापी माना जाता है, चाहिए एक विस्तारित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए

अपनी स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के लिए।

((ii) मंच और सीमा से संबंधित कानून प्रक्रियात्मक है।

प्रकृति, जबकि कार्रवाई के अधिकार और अपील के अधिकार से संबंधित कानून

भले ही उपचारात्मक प्रकृति में सारवान हो।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

((ग) प्रत्येक वादी को मूल कानून में निहित अधिकार है, लेकिन

अक्षमता या दायित्व या पहले से किए गए लेन-देन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना। (v) एक कानून जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों का भी निर्माण करता है, उसका अर्थ होगा -

संचालन में संभावित, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, या तो

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा।

301. इसके बाद, न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि संशोधन खंड (बी) और (बी. बी.) दोनों पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे -

सभी लंबित मामले। इस प्रकार, यह पाया गया कि संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी था और दोनों खंड उन मामलों पर लागू होंगे जिनकी जांच संशोधन के लागू होने की तारीख से लंबित थी

और जहाँ तब तक चालान दाखिल नहीं किया गया था।

302. अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ऊपर) में

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन, जबकि प्रत्यर्थी मकान मालिक द्वारा बेदखली के लिए एक याचिका सबलेटिंग के आधार पर लंबित थी, जिसके संबंध में किराया नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार किया गया था

3, 500/- रुपये से अधिक मासिक किराया पाने वाले किरायेदारों को लागू किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ यह सवाल भी उठा कि क्या अवैध सबलेटिंग का आधार एक निहित अधिकार था। यह भी निर्णय के लिए गिर गया कि क्या वहाँ

अपीलार्थी किरायेदार के विवाद में योग्यता थी कि

संशोधन, अकेले दीवानी अदालत के पास अधिकार क्षेत्र था। यह किरायेदार का तर्क था कि उसके पास कोई निहित अधिकार नहीं था और संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था, और इसलिए, अकेले दीवानी अदालत के पास होगा

अधिकार क्षेत्र। मकान मालिक ने तर्क दिया कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए, किराया नियंत्रक के समक्ष लंबित कार्यवाही किसी भी दर पर जारी रखनी चाहिए, भले ही उसका तर्क निम्नलिखित के आधार पर हो।

92 (1985) 4 एससीसी 221 93 9 3 (1995) 1 एससीसी 104 [2021] 14 एस. सी. आर.

एक निहित अधिकार बनाएँ)। इसके बाद, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मकान मालिक को भी इस आधार पर मांग करने का निहित अधिकार नहीं है कि -

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के तहत बेदखली। यह पाया गया कि धारा 14 केवल एक किरायेदार के लिए एक सुरक्षात्मक अधिकार था और विभिन्न खंड जो एक द्वारा बेदखली से संरक्षण के लिए एक परंतुक का गठन करते थे मकान मालिक को मकान मालिक के पक्ष में निहित अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता था। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के निरसन के प्रभाव पर विचार किया। इसमें, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी-मकान मालिक को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत किराया नियंत्रण बोर्ड के समक्ष कार्यवाही जारी रखने का अधिकार है। यह धारा 6 के संदर्भ में एक अर्जित अधिकार होगा। हमें केवल अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ऊपर) के पैराग्राफ-26,35 और 36 पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

" 26. एक सामान्य नियम के रूप में, धारा 6 को देखते हुए, एक क़ानून का निरसन, जो संचालन में पूर्वव्यापी नहीं है, प्रथम दृष्टया प्रभावित नहीं करता है

लंबित कार्यवाहियां जो इस तरह जारी रखी जा सकती हैं जैसे कि निरस्त की गई हों

मानो अधिनियम निरस्त नहीं किया गया है। वास्तव में जब एक लिस शुरुआत में, पक्षों के सभी अधिकार और दायित्व स्पष्ट हो जाते हैं

उस तारीख को। सामान्य खंडों की धारा 6 का अधिदेश

अधिनियम केवल लंबित कार्यवाहियों को अप्रभावित रखने के लिए है जो

इरादा व्यक्त किया जाता है। हम पाते हैं कि धारा 6 का खंड (सी), संदर्भित करता है शब्द "कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व. अर्जित या अर्जित"

निरस्त कानून के तहत निरसन से प्रभावित नहीं होगा

कानून। हम यहाँ यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि केवल एक अधिकार का अस्तित्व है।

निरस्तीकरण की तारीख को "अर्जित" या "उपार्जित" नहीं किया जाना सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का संरक्षण नहीं मिलता है।

XXX

XXX

XXX

XXX

35. ऐसे मामलों में जहां धारा 6 लागू नहीं होती है, अदालतें

जाँच करनी होगी और यह पता लगाना होगा कि क्या किसी व्यक्ति को निरस्त किया गया है

कानून में कोई निहित अधिकार था। यदि उसके पास था, तो लंबित है

कार्यवाही को बचाया जाएगा। तथापि, उन मामलों में जहां धारा 6

लागू होता है, यह केवल एक निहित अधिकार नहीं है, बल्कि वे सभी अधिकार हैं जो इसमें शामिल हैं।

धारा 6 के (ए) से (ई) तक विभिन्न खंडों के तहत। हम पहले से ही स्पष्ट किया कि इसके तहत अधिकार और विशेषाधिकार उस तक सीमित है जो मनीष कुमार बनाम है।

" अर्जित "और" उपार्जित "। ऐसे मामलों में लंबित कार्यवाही है -

इसे ऐसे जारी रखा जाए जैसे कि कानून निरस्त नहीं किया गया हो।

36. उपरोक्त कानूनी सिद्धांत के उभरने को देखते हुए, हम

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि जब निरस्तीकरण अधिनियम लागू हुआ था तब किरायेदार को बेदखल करने की कार्यवाही लंबित थी, इसलिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 वर्तमान मामले में लागू होगी, क्योंकि यह धारा 6 के संदर्भ में मकान मालिक का अर्जित अधिकार है। धारा 6 का खंड (सी) "किसी भी अधिकार" को संदर्भित करता है जो एक निहित अधिकार के रूप में सीमित नहीं हो सकता है लेकिन एक अर्जित अधिकार के रूप में सीमित है। धारा 6 (सी) में "अर्जित कोई भी अधिकार" शब्द इतने व्यापक हैं कि इसमें मकान मालिक का किसी किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार शामिल है, जब निरसन आने पर कार्यवाही लंबित थी। इस प्रकार निरस्तीकरण अधिनियम लागू होने की तारीख को किरायेदार को बेदखल करने के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष लंबित कार्यवाही निरस्तीकरण क़ानून से प्रभावित नहीं होगी और इसे जारी रखा जाएगा और

निरस्त के तहत मौजूद कानून के अनुसार निष्कर्ष निकाला गया कानून "।

303. हावड़ा नगर निगम और अन्य बनाम। गंगा रोप कंपनी लिमिटेड और अन्य 94 पहली उत्तरदाता कंपनी ने आवेदन किया था।

इसके सात मंजिला परिसर के निर्माण के लिए मंजूरी के लिए। दिनांक 23.12.1993 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने चौथी मंजिल तक की योजना के लिए मंजूरी देने का निर्देश दिया, बशर्ते अन्य आवश्यकताओं का पालन किया जाए। यह भी देखा गया कि यदि अनुमति दी जाती है तो कंपनी आगे की मंजूरी लेने के लिए स्वतंत्र होगी। मंजूरी दी गई और चार मंजिलों का निर्माण पूरा किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, शेष मंजिलों के लिए मंजूरी मांगी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस उम्मीद को व्यक्त करते हुए एक आदेश पारित किया कि आदेश पहले के आदेश के आधार पर चार सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच पत्राचार होता था। जबकि मामला इतना लंबित था, अन्य बातों के साथ-साथ इमारतों की ऊंचाई को सीमित करने के लिए भवन नियमों में संशोधन किया गया था। ऊंचाई प्रतिबंधित होने के कारण, अतिरिक्त तीन मंजिलों की मंजूरी के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि

आगे के निर्माण के लिए मंजूरी की मांग करने वाले आवेदन को जमा करने की तारीख पर अपरिवर्तित नियम और विनियम

बात है। इस न्यायालय ने नियमों के संदर्भ में पाया कि नियमों में 'मानित मंजूरी' या 'मानित अस्वीकृति' पर विचार नहीं किया गया है, और इसलिए, स्पष्ट मंजूरी के बिना निर्माण नहीं हो सकता है। विवाद 94 (2004) 1 एससीसी 663 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, यह था कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने लंबित आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक अवधि निर्धारित करने के आदेश को प्रतिवादी के पक्ष में निहित अधिकार पैदा करने के रूप में माना जाए। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 37. तर्क तथाकथित सृष्टि के आधार पर आगे बढ़ा

भवन नियमों (अपरिवर्तित) के आधार पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए निहित अधिकार के लिए क्योंकि वे आवेदन जमा करने की तारीख पर थे और उच्च न्यायालय के आदेश के लिए एक अवधि निर्धारित की गई थी

उसी का निर्णय गलत है। "बनियान" शब्द का उपयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब किसी संपत्ति के संबंध में वर्तमान या भविष्य के आनंद में तत्काल निश्चित अधिकार बनाया जाता है। लंबे उपयोग के साथ कहा गया "बनियान" शब्द
ने भी एक अर्थ प्राप्त कर लिया है "एक निरपेक्ष या

अक्षम्य अधिकार "[के. जे. अय्यर का न्यायिक शब्दकोश देखें (ए.

कम्पलीट लॉ लेक्सिकन), 13वीं संस्करण।] . जिस संदर्भ में प्रत्यर्थी कंपनी मंजूरी के लिए एक निहित अधिकार का दावा करती है और जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा स्वीकार किया गया है, वह "किसी भी संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे" के संबंध में अधिकार नहीं है।

जिसके लिए आम तौर पर "बनियान" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। द्वारा स्थापित "निहित अधिकार" के दावे से हम क्या समझ सकते हैं

प्रत्यर्थी कंपनी यह है कि भवन नियमों के आधार पर, जैसा कि मंजूरी के लिए आवेदन करने की तारीख को उनके मामले में लागू होता है और अदालत द्वारा इसके लिए आवंटित निश्चित अवधि

विचार करने पर, मंजूरी प्राप्त करने के लिए इसकी एक "वैध" या "स्थिर अपेक्षा" थी। हमारी सुविचारित राय में, इस तरह की "स्थिर अपेक्षा", यदि कोई हो, तो मंजूरी प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार पैदा नहीं करती है। यह सच है कि

कि प्रत्यर्थी कंपनी, जिसका निगम द्वारा मंजूरी के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के तरीके पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, को देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन मंजूरी के लिए अपने आवेदन के लंबित रहने के दौरान, यदि राज्य सरकार ने अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए भवन नियमों में संशोधन किया और निगम पर प्रतिबंध लगाए।

जी. टी. रोड और अन्य वार्डों पर इमारतों की ऊँचाई, जैसे "बसे हुए"

कानून में बदलाव के कारण अपेक्षा को पूरा करना असंभव हो गया है। कथित "निहित अधिकार" या "तय अपेक्षा" पर आधारित दावे को वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ स्थापित नहीं किया जा सकता है।

जिन्हें राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था

भवन नियमों में संशोधन करना, न कि उस निगम द्वारा जिसके खिलाफ इस तरह के "निहित अधिकार" या "तय अपेक्षा" की मांग की जा रही है।

लागू करने के लिए। "निहित अधिकार" या "तय अपेक्षा" को न केवल निगम द्वारा बल्कि राज्य द्वारा भी भवन नियमों में संशोधन करके रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, इस तरह के एक "स्थिर मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

भवन नियमों के संशोधन द्वारा सेवा प्रदान करने की मांग की गई और निगम का संकल्प उस पर जारी किया गया।

304. आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार

गुप्ता और अन्य ", हम में से एक (आर. एफ. नरीमन, जे.) द्वारा दिया गया एक निर्णय, यह न्यायालय उसी संहिता से संबंधित है जिससे हम संबंधित हैं। यह संहिता की धारा 29ए के दायरे से संबंधित है जिसमें कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ संहिता के दायरे के साथ-साथ निगमित आवरण को भेदने के सिद्धांत पर भी विचार करते हुए, और संहिता के एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद और इस सिद्धांत को दोहराते हुए कि यह तय किया गया कानून है कि एक क़ानून व्यवहार्य होने के लिए बनाया गया है, एक सवाल उठाया गया था कि क्या धारा 30 (2) के तहत अस्वीकार की जा रही समाधान योजना को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 79. ऊपर उल्लिखित समयरेखा को देखते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना पर कोई निहित अधिकार नहीं है।

विचार किया जाए, यह स्पष्ट है कि किसी भी चुनौती को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है

इस स्तर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी। अनुच्छेद के तहत एक रिट याचिका

226 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा इस आधार पर कि कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार से बहुत कम, प्रभावित नहीं होता है

इस चरण में। यह धारा के पहले परंतुक द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

30 (4) , जिसके तहत एक समाधान पेशेवर केवल नए लोगों को ही आमंत्रित कर सकता है

यदि कोई अन्य समाधान योजना पारित नहीं हुई है तो समाधान योजनाएँ।

XXX

XXX

XXX

XXX

82. धारा 30 के तहत अगला चरण लें। एक संकल्प

पेशेवर ने समिति को एक समाधान योजना प्रस्तुत की है

इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद ऐसी योजना को मंजूरी नहीं देना, के मतदान हिस्से के कम से कम 66 प्रतिशत के आवश्यक वोट के रूप में

जो यह है कि इस स्तर पर जो कुछ भी हो सकता है, उसकी आवश्यकता है समाधान पेशेवर के भीतर एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए

समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है जहाँ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है

उसके साथ। यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर फिर से पहले कोई आवेदन नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर विचार किया जा सकता है क्योंकि कोई निहित नहीं है समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना को अनुमोदित करने का अधिकार या मौलिक अधिकार है, और क्योंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जगह।

305. स्विस रिबन (ऊपर) में, संहिता की धारा 29ए के संवैधानिक प्रावधान पर विचार करते हुए, जिसमें कुछ व्यक्तियों को ऐसा नहीं घोषित किया गया है

ले समाधान आवेदकों के रूप में, निर्णय का उल्लेख करने के बाद

ऑर्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 97. यह तय कानून है कि एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है और न ही यह केवल पूर्वव्यापी है।

क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा इसके पारित होने के समय से लिया गया है [स्टेट बैंक का कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) v देखें। भारतीय संघ [स्टेट बैंक का कर्मचारी संघ (मद्रास)

वृत्त) v. भारत संघ, (2005) 7 एस. सी. सी. 584: 2005 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 994] (पैरा 21 पर)। आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड v. सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1], इस न्यायालय ने

यह देखा गया कि एक संकल्प आवेदक का कोई निहित अधिकार नहीं है

इसकी समाधान योजना पर विचार या अनुमोदन निम्नानुसार है: (एससीसी

पी। 87 , पैरा 82)

" 82. धारा 30 के तहत अगला चरण लें। एक संकल्प

समाधान पेशेवर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर फिर से

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं है समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना को अनुमोदित करने का अधिकार या मौलिक अधिकार है, और क्योंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जगह "।

98. यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 29-ए के लागू होने से कोई निहित अधिकार नहीं खोया जाता है। तथापि, श्री विश्वनाथन रितेश अग्रवाल बनाम में निर्णयों की ओर इशारा किया।

एस. ई. बी. आई. [रितेश मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

अग्रवाल बनाम। (2008) 8 एस. सी. सी. 205] (पैरा 25 पर), के. एस.

परिपूर्णन बनाम। केरल राज्य [के. एस. परिपूर्णन बनाम। की स्थिति

केरल, (1994) 5 एस. सी. सी. 593] (पैरा 60-66 पर), दर्शन

सिंह बनाम। राम पाल सिंह [दर्शन सिंह बनाम। राम पाल सिंह,

1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 191] (पैरा 35 पर), प्यारे लाल

शर्मा बनाम। जम्मू और कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड [प्यारे लाल]

शर्मा बनाम। जम्मू और कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1989) 3 एस. सी. सी.

448 : 1989 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 484] (पैरा 21 पर), पी. डी. अग्रवाल बनाम। यू. पी. राज्य [पी. डी. अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1987) 3 एस. सी. सी. 622:

1987 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 310] (पैरा 18 पर), और गोविंद

दास वी। सी. आई. टी. [गोविंद दास बनाम। सी. आई. टी. (1976) 1 एस. सी. सी. 906: 1976 एस. सी. सी. (कर) 133] (पैरा 6 और 11 पर), यह तर्क देने के लिए कि यदि कोई धारा तथ्यों के एक पूर्ववर्ती समूह पर काम करती है, लेकिन एक निहित अधिकार को प्रभावित करती है, तो इसे पूर्वव्यापी माना जा सकता है, और जब तक कि विधायिका स्पष्ट रूप से ऐसी पूर्वव्यापीता का इरादा नहीं रखती है, तब तक धारा का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक निर्णय अलग-अलग स्थितियों से संबंधित है जिसमें दंडात्मक और अन्य अधिनियम निहित अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उन्हें प्रकृति में संभावित माना गया था। हालांकि, आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (भारत) (पी) में हमारे फैसले में लिमिटेड वी. सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1], हम पहले ही मान चुके हैं कि समाधान आवेदकों को समाधान प्रक्रिया में इस तरह से विचार

करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। हालाँकि, श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह निर्णय अलग है क्योंकि इसका कोई सवाल ही नहीं है।

इस मामले में संवैधानिक वैधता उत्पन्न हुई और प्रवर्तक के निहित अधिकार के बारे में कोई मुद्दा विचार के लिए नहीं आया। हमारा मानना है कि आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल] में की गई टिप्पणियाँ

(भारत) (पी) लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1] रुइयाओं को हटाने के लिए मामले के तथ्यों पर सीधे सामने आए।

प्रवर्तक अपनी समाधान योजना पर विचार करने के दायरे से, जिस संदर्भ में, इस न्यायालय ने माना कि उन्हें समाधान आवेदक के रूप में माने जाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। तदनुसार, हम पालन करते हैं

उपरोक्त निर्णय। चूँकि एक समाधान आवेदक जो धारा 29-ए (सी) के तहत आवेदन करता है, उसे समाधान आवेदक के रूप में माने जाने के लिए आवेदन करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इस बिंदु का कोई लाभ नहीं है।"

306. हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय के निर्णयों में

' ऑर्मिटल इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड (ऊपर) और स्विस रॉबिन्स (ऊपर) हमारे समक्ष मामलों के संदर्भ में उपयुक्त हैं। हम वेस्ट बनाम ग्वेने में अपील न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान दे सकते हैं। वादी

उक्त मामले में जो संपत्ति का मकान मालिक था, उसने लिखा

प्रतिवादी, प्रस्तावित पट्टा के लिए उसकी सहमति के लिए उसका किरायेदार। हालाँकि प्रतिवादी ने सहमति की शर्त के रूप में अधिशेष किराये का आधा हिस्सा अपने लिए प्राप्त करने पर जोर दिया। वादी द्वारा दायर मुकदमा इस घोषणा के लिए था कि प्रतिवादी ऐसी शर्त नहीं लगा सकता है और वह प्रतिवादी की आगे की सहमति के बिना पट्टा दे सकता है। वर्ष 1892 में (पट्टे के बाद), परिवहन अधिनियम 1892 की धारा 3 लागू की गई थी। सवाल यह उठा कि क्या यह मौजूदा पट्टों के साथ-साथ सामान्य रूप से भी लागू होगा या अधिनियम के प्रारंभ के बाद इसे पट्टों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। उक्त धारा में यह प्रावधान किया गया है कि लाइसेंस या सहमति के बिना सौंपने या उसके तहत किराए पर देने के खिलाफ वाचा वाले सभी पट्टों में ऐसी वाचा होनी चाहिए जब तक कि पट्टे में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो -

इसके विपरीत इस परंतुक के अधीन माना जाएगा कि ऐसे लाइसेंस या सहमति के लिए या उसके संबंध में कोई जुर्माना देय नहीं होगा। अदालत ने यह विचार व्यक्त किया कि धारा के शब्द स्पष्ट थे। वास्तव में, हम जॉयस, जे. के शब्दों को लाभप्रद रूप से देख सकते हैं, जिसका निर्णय अपील का विषय था "जिस धारा के साथ हमें इस मामले में निपटना है वह सभी के लिए काफी स्पष्ट है लेकिन एक वकील"। अपील न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रावधान सार्वजनिक नीति के आधार पर एक सामान्य अधिनियम था, कोजेंस हार्डी एम. आर. इस सामान्य प्रस्ताव से सहमत होते हुए कि एक क़ानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं माना जाता है जब तक कि एक विपरीत इरादा व्यक्त शब्दों द्वारा या निम्नलिखित रूप में आयोजित आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रकट नहीं होता है:

" पूर्वव्यापी संचालन एक गलत शब्द है। लगभग प्रत्येक कानून उस अधिकार को प्रभावित करता है जो अस्तित्व में रहा होगा लेकिन

कानून।

307. बकली, एल. जे. ने आगे कहा:

" ..... मेरे विचार से "पूर्वव्यापी" शब्द अनुचित है, और सवाल यह नहीं है कि क्या यह खंड पूर्वव्यापी है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन एक बात है। मौजूदा अधिकारों के साथ हस्तक्षेप एक और बात है। यदि कोई अधिनियम यह प्रावधान करता है कि पिछली तारीख को कानून को वह माना जाएगा जो वह नहीं था, तो मैं उस अधिनियम को पूर्वव्यापी समझता हूं। यह मामला ऐसा नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि क्या पट्टों की सामग्री के बारे में एक निश्चित प्रावधान सभी पट्टों के मामले में संबोधित है या केवल कुछ, अर्थात् अधिनियम के पारित होने के बाद निष्पादित पट्टों के मामले में है। सवाल परिधि और दायरे के बारे में है मनीष कुमार v.

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियम की, और उस तारीख के बारे में नहीं कि जिस तारीख से अधिनियम द्वारा अधिनियमित नई विधि को विधि माना जाना है।"

308. रिलायंस को बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। पराग गुप्ता और

एसोसिएट्स "जो हम में से एक (आर. एफ. नरीमन, जे.) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। धारा 238 ए के प्रभाव से संहिता में एक संशोधन करके सीमा अधिनियम, 1963 को अपीलीय न्यायाधिकरण सहित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही और अपीलों पर लागू किया गया था। निर्णय के लिए जो प्रश्न पड़ा वह यह था कि क्या सीमा अधिनियम 1963 धारा 7 के तहत आवेदन के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ 1.12.2016 पर संहिता के प्रारंभ से संशोधन की तारीख यानी 6.6.2018 तक लागू होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए, इस अदालत ने कहा कि सी. आई. आर. पी. केवल उन ऋणों के संबंध में वित्तीय या

परिचालन लेनदार द्वारा शुरू किया जा सकता है जो समय की पाबंदी नहीं हैं। अपने निर्णय के दौरान, इस न्यायालय ने एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम में इस न्यायालय के हाल के फैसले सहित इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त। में।

उक्त निर्णय, इस न्यायालय ने श्रीमती में रिपोर्ट किए गए पहले के फैसले पर भरोसा किया है। शांति मिश्रा (ऊपर) जिसमें इसे अन्य बातों के साथ निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:

" (2) भले ही मोटे तौर पर सीमा कानून को एक प्रक्रियात्मक कानून माना गया है, लेकिन इस सिद्धांत के अपवाद हैं। आम तौर पर, सीमा का कानून जो कार्रवाई शुरू होने की तारीख को प्रचलित है, इसे नियंत्रित करता है। लेकिन इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। लंबी अवधि प्रदान करने वाला सीमा का नया कानून एक मृत उपचार को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। न ही यह कम समय का प्रावधान करके कार्रवाई के निहित अधिकार को अचानक समाप्त कर सकता है।

सीमा अवधि।"

309. इस अदालत ने यह भी कहा कि 2016 या 2017 में दायर आवेदन अचानक उस ऋण को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है जो अब देय नहीं है क्योंकि यह समय की पाबंदी है। जाहिर है, याचिकाकर्ता इस सिद्धांत पर जोर देना चाहते हैं कि एक नया कानून कार्रवाई के निहित अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है, भले ही वह सीमा की अवधि से संबंधित हो। 310. अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है, जैसा कि देखा गया है। हालाँकि, यह निहित नहीं होता है क्योंकि अधिकार केवल क़ानून के तहत बनाया गया है।

97 (2019) 11 एस. सी. सी. 633

98 (2015) 7 एससीसी 58 [2021] 14 एस. सी. आर.

यह निहित हो जाता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गरिकापति वीराया (ऊपर) में देखा गया है, मुकदमे की स्थापना की तारीख से। मुकदमा करने के अधिकार के बारे में क्या? दीवानी मुकदमा दायर करने के अधिकार के मामले में, समान रूप से मुकदमा दायर करने का एक निहित अधिकार है, लेकिन सवाल यह होगा कि यह कब उत्पन्न होता है। संघ की ओर से यह तर्क दिया गया कि किसी मौजूदा क़ानून का लाभ उठाने के अधिकार के मामले में कोई उपार्जित अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ यह भी है कि कोई निहित अधिकार नहीं है, क्या हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि एक निहित अधिकार की अवधारणा को सिविल मुकदमा दायर करने के बाद ही मान्यता दी जा सकती है, ऐसे समय में जब कोई कानून नहीं है, एक दीवानी मुकदमे को हटाने या प्रतिबंधित करने और एक कानून पारित किया जाता है, एक दीवानी मुकदमे के लंबित होने के दौरान, जो फिर से स्पष्ट रूप से उन मुकदमों को प्रतिबंधित नहीं करता है, जो पहले ही

दायर किए जा चुके थे? चूँकि हम निहित अधिकारों के क्षेत्रों में हैं, और प्रत्येक अधिकार का अधिकार होना चाहिए, और चूँकि प्रत्येक दीवानी मुकदमा कार्रवाई के कारण पर आधारित है, क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा करने का अधिकार उस समय से निहित हो जाता है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है? चूँकि, प्रत्येक दीवानी मुकदमे के लिए, निर्धारित सीमा की अवधि होती है, क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि इसके लिए सीमा की अवधि निर्धारित की गई है

मुकदमा दायर करने का अधिकार पहले दिन से निहित हो जाता है जब सीमा की अवधि चलने लगती है।

311. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश VII नियम 11

अभियोग की अस्वीकृति पर विचार करता है, यदि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है।

एक मुकदमे में कार्रवाई के कारण में तथ्य शामिल होंगे, जो यदि प्रतिवादी द्वारा पार नहीं किए जाते हैं, तो वादी को एक डिक्री का अधिकार मिलेगा। सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची, जिसमें तीन कॉलम शामिल हैं। तीसरा स्तंभ, उस समय के लिए प्रदान करता है, जिससे विभिन्न सूटों के लिए अवधि शुरू होती है। अनुच्छेद 19 में धन के लिए देय धन का प्रावधान है।

उधार दिया। सीमा अवधि के रूप में निर्धारित तीन साल की अवधि, उस समय से चलने लगती है, जब ऋण दिया जाता है। इसका मतलब है कि, किसी भी समय, ऋण दिए जाने के बाद, लेकिन तीन साल के भीतर, आम तौर पर, एक दीवानी मुकदमा दायर किया जाना है। उदाहरण में, हमने दिया है, यदि तीन साल की अवधि के अंत में कोई मुकदमा दायर किया जाता है, तो क्या यह कहा जाएगा कि मुकदमा करने का अधिकार पहले दिन से उपलब्ध नहीं था, जब सीमा की अवधि चलने लगी थी? हम एक और उदाहरण लेंगे। अनुच्छेद 73 में झूठे कारावास के मुआवजे के लिए मुकदमे के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रावधान है। वह समय, जब से अवधि शुरू होती है, वह है जब कारावास समाप्त होता है। क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि कैदी, अपनी कैद समाप्त होने पर, मुकदमा करने के निहित अधिकार के साथ पहना हुआ है? हम सोचेंगे कि कारावास समाप्त होने पर उसे एक अधिकार दिया जाता है, जो उसके पास निहित होता है। वास्तव में, यह अवैध कारावास है जो वास्तव में निहित अधिकार मनीष कुमार बनाम का निर्माण करता है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

लेकिन सीमा की अवधि उनकी रिहाई के बाद ही ठोस नीति पर शुरू होती है। सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 में उन मुकदमों का प्रावधान है जिनके लिए अनुसूची में कोई अवधि प्रदान नहीं की गई है। प्रदान की गई 03 वर्षों की अवधि तब शुरू होती है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि अनुच्छेद 113 के अर्थ के भीतर 'अर्जित' मुकदमा करने का अधिकार है, तो क्या यह अभी भी कहा जा सकता है कि निर्णय लेने के उद्देश्य से, अधिकार को प्रभावित करने वाले कानून का प्रभाव, जब तक मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तब तक कोई निहित अधिकार या अर्जित अधिकार नहीं है? हम एक और उदाहरण देंगे और वह है अनुच्छेद 30, जो एक शर्त के अधीन बांड पर मुकदमा करने का अधिकार देता है। सीमा की अवधि तीन वर्ष है। स्थिति टूटने पर समय चलना शुरू हो जाता है। स्पष्ट रूप से

मुकदमा करने का अधिकार कहा जा सकता है, शर्त टूटने के तुरंत बाद। हम, इस संदर्भ में, यह भी देख सकते हैं कि अस्तित्व के कानूनी अधिकार के लिए पांच विशेषताओं में से एक यह है कि प्रत्येक कानूनी अधिकार का एक शीर्षक होता है। न्यायशास्त्र पर सैल्मंड में आगे कहा गया है कि प्रत्येक कानूनी अधिकार का एक शीर्षक होता है, जो स्पष्ट रूप से वे तथ्य या घटनाएँ हैं जिनके कारण अधिकार उसके मालिक में निहित हो गया है। अब, इस स्तर पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीमा अधिनियम, वास्तव में, उस समय पर विचार करता है, जिसके भीतर मुकदमा लाया जाना चाहिए, आवश्यक रूप से इस धारणा पर शुरू होता है कि कम से कम, उस अवधि के पहले दिन, जिससे कोई वादी मुकदमा कर सकता है, अधिकार पहले से ही उसके पास निहित है। यह हमारे विचार को मजबूत करेगा कि मुकदमा करने का एक निहित अधिकार अर्जित किया जा सकता है, और यह हमेशा मुकदमे की स्थापना से पहले होगा। किसी भी तरह से, यह कहा जा सकता है कि यह सीमा अधिनियम के तहत पहले दिन से मौजूद है, जिस दिन समय चलना शुरू होता है।

312. हालाँकि, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या मुकदमे का अधिकार किसी क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है। इस संबंध में, हम मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं। भारत संघ और अन्य। 99 9 9. इसमें सरफेसी अधिनियम 2002 के कुछ प्रावधानों की वैधता, पूछताछ की गई। इन मामलों में धारा 17 (2) के अधिकारों से संबंधित इस न्यायालय की चर्चा हमारे लिए प्रासंगिक है। उक्त प्रावधान

न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 17 के तहत आवेदक द्वारा राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा करने पर विचार किया गया। इस न्यायालय ने जमा करने से पहले की शर्त को मनमाना और अनुचित पाया। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने एक दीवानी मुकदमे और एक अपील के बीच के अंतर को भी नोट किया और यह पाया गया कि धारा 17 के तहत रखा गया एक आवेदन एक मुकदमे की प्रकृति का था, यह उचित है कि हम निम्नलिखित पर ध्यान दें: 9 9 99 (2004) 4 एससीसी 311 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 59.हम यह देखना चाहेंगे कि अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्यवाही, वास्तव में, अपीलीय कार्यवाही नहीं है। यह एक गलत नाम प्रतीत होता है। वास्तव में यह प्रारंभिक कार्रवाई है जिसे अधिनियम के तहत निर्धारित मंच के समक्ष लाया जाता है, जिससे शिकायतें उठती हैं। अनुबंध के किसी एक पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई या उपायों के विरुद्ध। यह दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करने जैसी प्रारंभिक कार्यवाही का चरण है। वास्तव में अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्यवाही एक दीवानी मुकदमे के बदले में होती है जो उपचार सामान्य रूप से उपलब्ध है लेकिन वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 34 के तहत बार के लिए है। हम गंगा बाई बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। विजय कुमार [(1974) 2 एस. सी. सी. 393] जहाँ मूल और

अपीलीय कार्यवाहियों में निम्न प्रकार का अंतर किया गया है: (एस. सी. सी पी. 397, पैरा 15)

" मुक़दमे के अधिकार और अपील के अधिकार के बीच एक बुनियादी अंतर है। प्रत्येक में एक अंतर्निहित अधिकार है नागरिक प्रकृति का सूट लाने वाला व्यक्ति और जब तक कि सूट वर्जित न हो

कानून द्वारा, कोई अपने जोखिम पर, अपनी पसंद का मुकदमा ला सकता है।

यह किसी मुकदमे का कोई जवाब नहीं है, चाहे दावा करना कितना भी तुच्छ क्यों न हो, कि कानून मुकदमा करने का ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसकी रखरखाव के लिए एक मुकदमे के लिए कानून के किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है और यह पर्याप्त है कि कोई भी क़ानून मुकदमे को प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन अपीलों के संबंध में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अपील का अधिकार किसी में निहित नहीं है और इसलिए एकर रखरखावक लेल कोनो अपीलकेँ कानूनक स्पष्ट अधिकार रहबाक चाही। यह बताता है कि अपील के अधिकार को कानून के रूप में क्यों वर्णित किया गया है।

60. कार्यवाही के पहले चरण में किसी भी राशि के पूर्व-जमा की आवश्यकता किसी भी मामले में नहीं पाई जाती है।

प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत निर्णय। ये सभी मामले अपीलों से संबंधित हैं। माँग के 75 प्रतिशत की जमा राशि, प्रारंभिक कार्यवाही में ही अनुचित और दमनकारी लगती है, विशेष रूप से जब ऐसी ब्याज हस्तांतरण के अधिकार के साथ सुरक्षित परिसंपत्तियों/उसके प्रबंधन को सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया हो या कुछ मामलों में संपत्ति भी बेच दी गई हो। के आधार पर इतनी भारी राशि जमा करने की आवश्यकता

अकेले एकतरफा दावे को विवाद के निर्णय की शुरुआत से पहले पहली बार में ही एक उचित शर्त नहीं कहा जा सकता है। केवल न्यायाधिकरण को राशि को माफ करने या कम करने की शक्ति देना, मनीष कुमार बनाम के पक्ष में एक तरफा झुकाव वाली अंतर्निहित दुर्बलता को ठीक नहीं करता है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

पार्टी का, जो, अब तक अकेले पार्टी ने तय किया है

राशि और चूक का तथ्य और बकाया राशि को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत करना

ऐसी कठिन और दमनकारी स्थिति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। द्वारा विवेक के उचित प्रयोग की अपेक्षा में संचालन

संबंधित प्राधिकारी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी स्थिति में रखा गया है,

जहाँ उधारकर्ता के लिए कोई राशि जुटाना संभव नहीं हो सकता है। जमा करने के लिए, उसकी सुरक्षित संपत्ति पहले ही ले ली गई है

कब्जा या बेचा, ऐसे सवार को न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए

कार्यवाही का पहला उदाहरण, अपील के रूप में शीर्षक, प्रस्तुत करता है

भ्रमपूर्ण और उत्तेजक का उपचार करें।

XXX

XXX

XXX

XXX

64. वर्तमान मामले में पूर्व-जमा की स्थिति खराब है।

उपचार को इस आधार पर भ्रामक बनाना कि - ((i) यह लागू किया जाता है

पहली बार के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से संपर्क करते हुए,

अपील में नहीं, (ii) देय राशि का कोई निर्धारण नहीं है

फिर भी, (iii) हस्तांतरणीय के साथ सुरक्षित परिसंपत्तियाँ या उनका प्रबंधन।

ब्याज पहले से ही ले लिया गया है और सुरक्षित के नियंत्रण में है

अभी तक निर्धारित और निपटाई जाने वाली राशि, (v) राशि का 75 प्रतिशत किसी भी तरह से दावा नहीं की गई राशि बहुत कम होगी, और (vi) यह होगी

उधारकर्ता को ऐसी स्थिति में छोड़ दें जहाँ यह संभव न हो। वह अनिर्धारित राशि का 75 प्रतिशत जमा करने के लिए कोई भी धन जुटाने के लिए

माँगें। इस तरह की परिस्थितियाँ अकेले कठिन और दमनकारी नहीं हैं

लेकिन अनुचित और मनमाना भी। इसलिए, हमारे विचार में, उप

अधिनियम की धारा 17 की धारा (2) अनुचित, मनमाना और

यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(जोर दिया गया)

313. इस प्रकार, मुकदमा करने का अधिकार क़ानून द्वारा नहीं बनाया गया है। यह एक

जब तक कि किसी कानून द्वारा वर्जित न हो। इसलिए यह सिद्धांत कि

किसी संविधि के उपार्जित अधिकार न होने का लाभ उठाना संभव नहीं है।

. हम इस अवसर का उपयोग इस आधार पर तर्क को पीछे हटाने के लिए भी कर सकते हैं -

लिया केमिकल्स (ऊपर) कि धारा 7 के तहत आवेदन समान दीवानी मुकदमा है। एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन का संदर्भ संहिता से पूरी तरह से अलग है। द.एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. की धारा 17 के तहत मुआवजे को बदले में मुकदमा पाया गया। आबंटित व्यक्ति के पास [2021] 14 एस. सी. आर. के तहत आवेदक के विपरीत अन्य उपाय हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 17. ऋणी की सभी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाता है। इस स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान ए. एस. जी. का तर्क संहिता की धारा 7 के तहत एक क़ानून का लाभ उठाने के अधिकार पर आधारित है। एबॉट (ऊपर) में, एक बचत अधिनियम के संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि केवल यह मानते हुए कि यह जनता या किसी वर्ग के सदस्यों में मौजूद है, एक अधिनियम का लाभ उठाने का अधिकार, व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य के बिना, उस अधिकार का लाभ उठाने के लिए, अधिनियम के तहत एक उपार्जित अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 7 के तहत अधिकार केवल एक अधिनियम का लाभ उठाने का अधिकार है। यह संघ का आगे का मामला है, जाहिरा तौर पर कि केवल एक आवेदन दायर किए जाने पर और इससे भी अधिक, यह धारा 7 (5) के तहत स्वीकार किया जाता है कि एक निहित अधिकार अर्जित होगा।

314. हम यह नहीं सोचते कि जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, वे कार्रवाई के निहित अधिकार के मामले में लागू हो सकते हैं। हम लेते हैं

यह विचार कि वादी को एक निहित अधिकार है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कार्रवाई का कोई कारण और सीमा की अवधि है, जो चलनी शुरू हो गई है, जिसमें अनिवार्य रूप से निहित अधिकार का अस्तित्व शामिल है। संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के मामले में, हम देख सकते हैं कि यह एक मूल्यवान अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रकृति में वैधानिक है। यह कानून नहीं हो सकता है कि एक क़ानून निहित अधिकारों का निर्माण नहीं कर सकता है। यदि विधानमंडल जिन घटकों पर विचार करता है, वे किसी व्यक्ति के पक्ष में कानूनी कार्रवाई के रूप में मौजूद हैं, तो इसे एक निहित अधिकार के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। धारा 7 के तहत आवेदन एक आवेदन है, जो सीमा की अवधि को आकर्षित करता है, जिस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। यह उस समय से शुरू होता है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक मामले में, जहां सीमा की अवधि चलने लगी, संहिता के अस्तित्व में आने से पहले ऋण के संबंध में, मुकदमा करने का अधिकार पहले ही उत्पन्न हो गया होगा। इस संबंध में हम ईशा वली मोहम्मद (उपरोक्त) का उल्लेख कर सकते हैं।

315. धारा 7 में पहले और दूसरे प्रावधानों को चुनौती देने पर इस निष्कर्ष के प्रभाव के संबंध में, हमें तुरंत अवलोकन करना चाहिए।

कि विवादित पहले और दूसरे प्रावधानों का केवल संभावित संचालन होता है। हम पहले ही पा चुके हैं कि पहले और दूसरे प्रावधान वैध हैं। वे बच सकते हैं, भले ही तीसरा प्रावधान रद्द कर दिया जाए। दूसरी ओर तीसरा परंतुक पहले और दूसरे परंतुकों पर निर्भर है और उनके अमान्य होने से बच नहीं सकता है। निहित अधिकार केवल धारा 7 के कारण मौजूद नहीं हो सकता है। यह उन निहित तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए जो धारा 7 के संयोजन में अधिकार का निर्माण करेंगे। हमें उन मामलों में मामले की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है जहां केवल प्रथम और मनीष कुमार बनाम।

दूसरे प्रावधान पर सवाल उठाया जा सकता है। यह दो रिट याचिकाओं में है, 2020 की डब्ल्यू. पी. संख्या 228 और 2020 की डब्ल्यू. पी. संख्या 850, जहां, हालांकि कोई नहीं हैं।

संशोधन से पहले धारा 7 के तहत दायर आवेदन, तीसरे परंतुक को भी चुनौती दी जाती है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 316. हमारे विचार में, एक अधिकार है जो उन मामलों में निहित है जहां याचिकाकर्ताओं ने आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आवेदन दायर किया है।

संहिता की असंशोधित धारा 7 के तहत। आवेदन दाखिल करने का कार्य, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तावित स्पष्ट परीक्षण को भी संतुष्ट करता है, कि धारा 7 के तहत अधिकार केवल क़ानून का लाभ उठाने के लिए है और जब तक कि वास्तव में लाभ का लाभ नहीं उठाया जाता है, यह एक अर्जित अधिकार नहीं बनाता है। जब इसके तहत आवेदन दायर किए गए थे धारा 7 के असंशोधित प्रावधान, किसी भी तरह से यह एक निहित अधिकार में बदल जाएगा। निहित अधिकार यह है कि कार्रवाई को उसके तार्किक और कानूनी निष्कर्ष तक आगे बढ़ाया जाए। हम विद्वान ए. एस. जी. के इस रुख को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एक निहित अधिकार के उभरने के लिए अभी भी संहिता की धारा 7 (5) के तहत एक आदेश की आवश्यकता होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा चरण है, जब प्राधिकरण को पता चलता है कि इसमें चूक हुई है और नियुक्ति सहित मामले को आगे बढ़ाता है।

317. पी. डी. अग्रवाल और अन्य बनाम यू. पी. राज्य और अन्य। 100 न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ वैधानिक नियमों को चुनौती दे रहा था, जिसके द्वारा अस्थायी सहायक अभियंता जो लगातार काम कर रहे थे। सहायक अभियंता के संवर्ग में उनकी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के उद्देश्य से अस्थायी पद पर पर्याप्त नियुक्ति की तारीख से उनकी सेवाओं से वंचित कर दिया गया था। इस न्यायालय में

नियमों का संदर्भ और इसका प्रभाव इस प्रकार रहा:

" 18. ई. पी. रोयप्पा बनाम में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है। तमिलनाडु राज्य [ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 555,583: (1974) 4 एससीसी 3: 1974 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 165], मेनका गांधी बनाम। भारत संघ [ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597,624: (1978) 1 एस. सी. सी. 248] कि राज्य की कार्रवाई में मनमानी नहीं होनी चाहिए और राज्य की कार्रवाई से निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए और उपचार की समानता। यह न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है कि क्या कोई

किसी भी अधिनियम के नियम या प्रावधान ने समानता और मनमानेपन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत नागरिकों के अधिकारों पर आक्रमण किया है।

यह निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देने के बाद भी था:

" .....इस प्रकार 1969 और 1971 के संशोधन प्रभावी रूप से लोक सेवा आयोग के माध्यम से संवर्ग में अस्थायी पदों पर नियुक्त अधिकारियों से दूर ले जाते हैं, यानी लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के बाद, उनकी नियुक्ति का मूल चरित्र। ये संशोधन न केवल अस्थायी रिक्तियों के लिए भविष्य की भर्तियों के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि इन्हें 1 मार्च, 1962 से पूर्वव्यापी रूप से लोक सेवा के माध्यम से अस्थायी रिक्तियों के लिए भर्ती किए गए मौजूदा अधिकारियों पर भी लागू किया गया था

आयोग। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार के पास नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यदि

नियम निहित अधिकारों को छीनने का तात्पर्य रखते हैं और मनमाने हैं और उचित नहीं हैं तो ऐसे पूर्वव्यापी संशोधन न्यायिक जांच के अधीन हैं यदि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया है।

संविधान "।

318. हम दो पहलुओं को देख सकते हैं। सबसे पहले, यह एक वैधानिक नियम के लिए एक चुनौती थी। न्यायालय ने कहा कि यदि यह मनमाना है तो इसे पलट दिया जा सकता है। हम पहले ही ध्यान दे चुके हैं कि अनुच्छेद 14 के तहत विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देने के संबंध में यह आवश्यक है कि एक कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होना चाहिए। उक्त अवधारणा को शायरा बानो (ऊपर) (पैराग्राफ-101) में समझाया गया है।

319. दर्शन सिंह बनाम। राम पाल सिंह और Ors.[10][1] 101, अपीलकर्ताओं ने कुछ अलगाव को प्रथा के विपरीत होने के रूप में चुनौती दी

वर्ष 1920 के राज्य कानून के तहत। मामला अपील में था

अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए मुकदमों में चरण। 320. 1973 में कानून में संशोधन किया गया था। उसी के आधार पर, उच्च न्यायालय ने संशोधन के बाद उस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया

अधिनियम लागू हुआ तो स्थानांतरण के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकती थी। अपीलार्थियों की दलील थी कि संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। मूल अधिनियम ने इस आधार पर हस्तांतरण को चुनौती देने की अनुमति दी कि हस्तांतरण प्रथा के विपरीत था। यह वह अधिकार था जिसे कुछ शर्तों के अधीन रखने की मांग की गई थी।

101 1992 (पूरक) 1 एस. सी. सी. 191 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

321. हम देख सकते हैं कि इस मामले में कोई चुनौती शामिल नहीं थी

संशोधन। फैसले के दौरान, अदालत ने यह विचार रखा कि जो छीन लिया गया था वह 'प्रतिस्पर्धा' का मूल अधिकार था, स्थानांतरण चाहे वह किसी मुकदमे या अपील में हो। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संशोधन अधिनियम द्वारा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था।

322. के. एस. परिपूर्णन बनाम। केरल राज्य 02, संविधान

पीठ को इस बात पर विचार करना था कि क्या संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा प्रस्तुत की गई धारा 23 (आई-ए) पूर्वव्यापी थी। एस. सी. अग्रवाल, जे. के बहुमत निर्णय में हम निम्नलिखित पर ध्यान देते हैं:

" 64. मूल अधिकारों से संबंधित क़ानून क़ानून से अलग होता है।

जो प्रक्रिया या साक्षय से संबंधित है या प्रकृति में घोषणात्मक है

जबकि मूल अधिकारों से संबंधित एक क़ानून प्रथम है

संभावित रूप से जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से न हो

पूर्वव्यापी प्रभाव रखने के लिए बनाया गया, एक क़ानून जो मुख्य रूप से संबंधित है प्रक्रिया या साक्षय के मामलों के साथ या जो घोषणात्मक है

प्रकृति को पूर्वव्यापी के रूप में समझा जाना चाहिए जब तक कि कोई स्पष्ट न हो।

यह संकेत देता है कि विधायिका का इरादा ऐसा नहीं था। ए.

कानून को पूर्वव्यापी माना जाता है यदि यह मामलों या तथ्यों पर काम करता है

इसके प्रारंभ से पहले इस अर्थ में अस्तित्व में आना कि यह प्रभावित करता है, भले ही केवल भविष्य के लिए, चरित्र या परिणाम

पूर्व में किए गए या अन्य पिछले आचरण के लेन-देन।

पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के खिलाफ धारणा के आधार पर

मौलिक अधिकारों के लेन-देन से संबंधित कानून न तो हैं

औपचारिक रूप से पालन करने में विफलता के कारण अमान्य बाद में लागू की गई आवश्यकताएँ, न ही इसके तहत हमले के लिए खुली हैं

बचने की शक्तियाँ बाद में प्रदान की गईं। वे भी नहीं हैं। कानून की बाद की छूटों द्वारा मान्य किया गया, चाहे

इसके विपरीत इरादा न तो दिखाई देता है और न ही नई देनदारियों को लागू करता है उनके प्रारंभ से पहले होने वाली घटनाओं के संबंध में,

और न ही व्यक्तियों को उस समय मौजूद देनदारियों से मुक्त किया जाता है, और यह विचार कि

मौजूदा दायित्वों को प्रभावित करने का इरादा नहीं था

स्पष्ट रूप से निषेध करने वाले प्रावधानों को भी अलग-अलग डिग्री में लिया जाता है

कार्यवाही। (देखिए: हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण। खण्ड. 44 ,

पैरा 921,922,925 और 926)।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

323. स्टेट बैंक के कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) v. भारत संघ और अन्य 1 3, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्णय पारित किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित किया गया था। जब बात ऐसी थी

लंबित रहने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया। अपीलार्थियों का तर्क था कि संशोधन का उद्देश्य उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करना था, जिसे खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने भी

पूर्वव्यापी विधान बनाने के लिए संप्रभु विधानमंडल की शक्ति पर विचार किया जाता है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 21. प्रत्येक संप्रभु विधायिका को पूर्वव्यापी कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने की शक्ति में शामिल हैं - इसे
पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति। क़ानून पर क्रेज़ (7 वाँ)

एडन.) पी पर। 387 पूर्वव्यापी कानूनों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:

" एक क़ानून को पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए, जो मौजूदा के तहत अर्जित किसी भी निहित अधिकार को छीन लेता है या बाधित करता है।

कानून, या एक नया दायित्व बनाता है, या एक नया कर्तव्य लागू करता है, या

लेन-देन के संबंध में एक नई अक्षमता संलग्न करता है या पहले से ही अतीत के विचार "।

22. के. जे. अय्यर का न्यायिक शब्दकोश (13वां संस्करण), बटरवर्थ, पी. 857 , यह बताता है कि "पूर्वव्यापी" शब्द का उपयोग जब किसी अधिनियम के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ हो सकता है (i) किसी अधिनियम को प्रभावित करना।

मौजूदा अनुबंध; या (ii) पिछले, बंद और पूर्ण लेनदेन को फिर से खोलना; या (iii) अर्जित अधिकारों और उपचारों को प्रभावित करना; या (iv) प्रक्रिया को प्रभावित करना। शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण। , खण्ड. 37 - ए, पीपी। 224-25 , एक "पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी कानून" को परिभाषित करता है जो मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित या अर्जित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है। एक पूर्वव्यापी कानून मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है, या एक नया दायित्व बनाता है, एक नया कर्तव्य लगाता है, या एक नई अक्षमता को जोड़ता है,

लेन-देन या विचार जो पहले से ही बीत चुके हैं।

23. पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (तीसरा संस्करण, 2005) में "पूर्वगामी" और "पूर्वव्यापी" अभिव्यक्तियाँ हैं।

पी में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। 4124 , खण्ड. 4 :

" रेट्रोएक्टिव। — पीछे की ओर कार्य करना; जो अतीत है उसे प्रभावित करना।

(एक कानून, निर्णय, आदि) का दायरा या प्रभाव में विस्तार

वे मामले जो अतीत में हुए हैं। यह भी कहा जाता है

पूर्वव्यापी। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 7 वीं संस्करण। , 1999)

103 एयर 2005 एससी 3446/(2005) 7 एससीसी 584 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

6 " रेट्रोएक्टिविटी "एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर वकीलों द्वारा किया जाता है लेकिन शायद ही कभी

परिभाषित किया। विश्लेषण पर यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है, इसके अलावा, कि इसका उपयोग कम से कम दो अलग-अलग अवधारणाओं को शामिल करने के लिए किया जाता है। पहला, जिसे "वास्तविक पूर्व सक्रियता" कहा जा सकता है, एक अधिनियम या लेनदेन के लिए कानून के एक नए नियम के अनुप्रयोग में शामिल है जो नियम के लागू होने से पहले पूरा किया गया था। दूसरी अवधारणा, जिसे "अर्ध-पूर्व सक्रियता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, तब होती है जब किसी कार्य या लेनदेन की प्रक्रिया में कानून का एक नया नियम लागू किया जाता है।

पूरा करना। इन अवधारणाओं की नींव पूर्ण और लंबित लेनदेन के बीच का अंतर है। हार्टले, यूरोपीय सामुदायिक कानून की नींव, पी। 129 (1981) .

पूर्वव्यापी। - पीछे मुड़कर देखना; अतीत के बारे में सोचना।

पिछले समय से ऑपरेशन होना।

' 'रेट्रोस्पेक्टिव' कुछ हद तक अस्पष्ट है और यह अच्छा सौदा है।

भ्रम इस तथ्य के कारण हुआ है कि इसका उपयोग एक से अधिक इंद्रियों में किया जाता है। सामान्य तौर पर, हालांकि, अदालतें किसी भी क़ानून को पूर्वव्यापी मानती हैं जो अपने प्रारंभ से पहले अस्तित्व में आने वाले मामलों या तथ्यों पर इस अर्थ में काम करता है कि यह प्रभावित करता है, भले ही भविष्य के लिए ही क्यों न हो। पूर्व में या अन्य पिछले आचरण में किए गए लेनदेन। इस प्रकार, एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा कानून को प्रभावित करता है।

अधिकार; और न ही यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकता का एक हिस्सा इसके पारित होने के समय से लिया गया है।

(खण्ड. 44 , हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण। , पी। 570 , पैरा 921.)

XXX

XXX

XXX

XXX

25. हार्वर्ड लॉ रिव्यू में, वॉल्यूम। 73 , पी। 692 यह देखा गया था

वह:

" यह आवश्यक है कि विधायिका इलाज करने में सक्षम हो

विधियों या उनके प्रशासन में अनजाने में दोष जिसे उपयुक्त रूप से 'छोटी मरम्मत' कहा गया है। इसके अलावा, जो व्यक्ति यह दावा करता है कि दोष से एक निहित अधिकार उत्पन्न हुआ है, वह अप्रत्याशित परिणाम की मांग कर रहा है क्योंकि यदि विधायिका या प्रशासक की कार्रवाई का प्रभाव था जो इसका इरादा था और हो सकता था, तो ऐसा कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार [2021] 14 एस. सी. आर. के पूर्वव्यापी उपचार में रुचि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार के प्रशासन में इस तरह का दोष अधिक होता है।

दोष से लाभान्वित होने में व्यक्ति का हित।

सहायक के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। कॉम. में से शहरी भूमि कर बनाम। बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड [(1969)]

2 एस. सी. सी. 55] इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या विधायी

पूर्वव्यापी संचालन के साथ एक प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है

उचित रूप से प्रयोग किया जाए या न किया जाए, विभिन्न कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। यह स्टॉट वी के मामले में देखा गया था। स्टॉट रियल्टी कं. [284 एन. डब्ल्यू.

635] जैसा कि शब्दों और वाक्यांशों में उल्लेख किया गया है, स्थायी एडन। , खण्ड. 37

ए, पी। 2250 कि -

" 'पूर्वव्यापी' के पारित होने का संवैधानिक निषेध

पर्याप्त या निहित अधिकार, और उन उपचारों को संदर्भित नहीं करता है एक नियम प्रदान करने के उद्देश्य से एक विधायी निकाय द्वारा अपनाया गया

अपने नागरिकों के लिए कुछ प्राकृतिक, न्यायसंगत अधिकार का आनंद सुनिश्चित करना।

और सिर्फ अपने आप में, लेकिन जिसे वे खाते पर लागू करने में सक्षम नहीं थे कानून में दोष या आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए इसकी चूक

इस तरह के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए "।

27.पी. सं. सं. सं

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक मौजूदा प्रावधान प्रति स्वयं नहीं है

यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। विधायिका

परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने कावेरी जल विवादों में कहा है

न्यायाधिकरण, पुनः [1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 96 (2)] जिसके आधार पर निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है और इस प्रकार सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन होता है,

जो बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और घटनाओं के एक वर्ग को प्रभावित करेगा। यह नहीं हो सकता,

हालांकि, एक व्यक्तिगत निर्णय को अलग रखें और प्रभावित करें

केवल उनके अधिकार और देनदारियाँ। की ओर से ऐसा कार्य

विधायिका राज्य द्वारा न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के बराबर है।

और एक अपीलीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना, जो इसके खिलाफ है

शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा "।

(जोर दिया गया)

सामान्य आरोप अधिनियम, 1897 की धारा 6

325. इस संबंध में, धारा 6 से कोई समर्थन नहीं लिया जा सकता है

सामान्य खंड अधिनियम, 1897। धारा 6 यह स्पष्ट करती है कि जिन अधिकारों या विशेषाधिकारों का दावा किया जा सकता है, वे कानून के अधीन हैं जो ऐसे अधिकारों/विशेषाधिकारों के विपरीत नहीं हैं। इस मामले में यह ठीक इसलिए है क्योंकि तीसरे परंतुक में संशोधन से पहले दायर किए गए आवेदन शामिल हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था, कि याचिकाकर्ताओं ने प्रावधान को चुनौती दी है।

नीचे पढ़ रहे हैं 326. इसके अलावा, पढ़ने के सिद्धांत को लागू करने की अपील

परंतुक असमर्थनीय है। बहुमत के लिए अपने फैसले में सावंत, जे. दिल्ली परिवहन निगम में। वी. डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस 04 के रूप में आयोजित

निम्नलिखित है:

" 255. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पढ़ने या पढ़ने का सिद्धांत कानून का पुनर्गठन सीमित स्थितियों में लागू किया जा सकता है। यह है।

अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है, सबसे पहले, एक क़ानून को निरस्त होने से बचाने के लिए इसकी असंवैधानिकता के कारण। यह एक विस्तार है

सिद्धांत है कि जब दो व्याख्याएँ संभव हैं

एक

इसे संवैधानिक बनाना और दूसरा इसे असंवैधानिक बनाना,

पहले वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। असंवैधानिकता पनप सकती है कानून को लागू करने के लिए विधायिका की अक्षमता से

या संविधान के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से।

दूसरी स्थिति जो इसकी सहायता को बुलाती है वह है जहां प्रावधान हैं

कानून के अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं और यह इकट्ठा करना संभव है

104 (1991) पूरक।

(1) एससीसी

600 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधान के उद्देश्य से विधानमंडल के इरादे, वह संदर्भ जिसमें प्रावधान होता है और वह उद्देश्य जिसके लिए इसे बनाया गया है। हालाँकि, जब प्रावधान को एक निश्चित और असंदिग्ध भाषा में डाला जाता है और इसका इरादा स्पष्ट होता है, तो इसे सुधारने या मोड़ने की अनुमति नहीं है, भले ही ऐसा पुनर्कथन उचित कारण और विवेक के अनुरूप हो। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत के लिए क़ानून का पुनर्निर्माण करना संभव नहीं है। इसका एकमात्र कर्तव्य यह है कि इसे समाप्त कर दिया जाए और यदि वह चाहे तो इसे विधायिका पर छोड़ दिया जाए।

इसे संशोधित करें। इसके अलावा क्या है, अगर अदालतों द्वारा क़ानून का पुनर्निर्माण इसके विरूपण की ओर ले जाता है तो उस पाठ्यक्रम को सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए

टाल दिया। उन स्थितियों में से एक जहां सिद्धांत को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है, वह है जहां क़ानून में व्यापक परिवर्धन और विलोपन की आवश्यकता होती है। इस तरह की कवायद करना न केवल अदालत के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ”

327. अब, परंतुक की शर्तें स्पष्ट हैं। यह कम से कम विषय के संदर्भ में एक से अधिक व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करता है।

इसके द्वारा। एकमात्र क्षेत्र बचा है जो वापसी का प्रभाव है जो होना है।

328. हम विजय बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान दे सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य 1 05. अपीलार्थी को सदस्य के रूप में चुना गया था 2000 में पंचायत हुई और पंच के रूप में चुने गए। उन्हें आगे जिला परिषद के पार्षद के रूप में चुना गया। 8.8.2003 से एक संशोधन किया गया था। सीमांत नोट अयोग्यता के तहत,

धारा 14, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी व्यक्ति को जिला परिषद का पार्षद चुने जाने पर पंचायत सदस्य के रूप में बने रहने से वंचित कर देती है। इस न्यायालय ने पाया कि यह एक अयोग्य कानून था जिसका उद्देश्य पूर्वव्यापी प्रभाव डालना था। हम पैरा 12 पर ध्यान दे सकते हैं जो इस प्रकार है:

" 12. अपीलार्थी को क़ानून के प्रावधानों के अनुसार चुना गया था। निर्वाचित होने का अधिकार एक क़ानून द्वारा बनाया गया था और इस प्रकार, एक क़ानून द्वारा छीन लिया जा सकता है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब पूर्वव्यापी प्रभाव देने वाले प्रावधान का शाब्दिक अध्ययन बेतुका या विसंगति पैदा नहीं करता है, तो इसका अर्थ नहीं लगाया जाएगा। केवल संभावित होना। निषेध एक कठोर नियम नहीं है और विधायिका के इरादे और उद्देश्य के साथ भिन्न होता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए

ऐसा मामला निष्पक्षता का सिद्धांत है। जब एक कानून समग्र रूप से समुदाय के लाभ के लिए अधिनियमित किया जाता है, भले ही एक के अभाव में

105 (2006) 6 एस. सी. सी. 289 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रावधान, कानून को प्रकृति में पूर्वव्यापी माना जा सकता है। अपीलार्थी की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता है और न ही कर सकता है

इस संबंध में विधायिका "।

इस मामले में कानून को चुनौती नहीं दी गई थी। जो महत्वपूर्ण है वह यह कथन है कि एक क़ानून द्वारा बनाए गए अधिकार को छीन लिया जा सकता है एक कानून द्वारा।

329. हम पाते हैं कि तीसरे परंतुक द्वारा कवर किए गए वित्तीय लेनदारों के लिए, किसी भी दर पर धारा 7 को लागू करने के बाद, उनका एक निहित अधिकार था।

332. इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल प्रक्रिया के संबंध में कोई निहित अधिकार नहीं हो सकता है और जबकि सीमा, आम तौर पर, के क्षेत्र से संबंधित है प्रक्रिया, यदि नया कानून सीमा की मौजूदा अवधि को छोटा कर देता है, तो ऐसा कानून कार्रवाई के अधिकार के संबंध में काम नहीं करेगा जो निहित है [शांति मिश्रा (ऊपर देखें)]। हो सकता है कि किसी पार्टी के पास फोरम का निहित अधिकार न हो जो कार्रवाई के निहित अधिकार से अलग हो [शांति मिश्रा (ऊपर) देखें]।

333. प्रत्येक संप्रभु विधानमंडल पूर्वव्यापी कानून बनाने की क्षमता रखता है। यह विधानमंडल के लिए खुला है, जबकि

निहित अधिकारों को छीनने के लिए पूर्वव्यापी कानून। यदि एक निहित अधिकार [2021] 14 एस. सी. आर. हो सकता है।

एक पूर्वव्यापी कानून द्वारा छीन लिए जाने पर, कोई कारण नहीं हो सकता है कि विधानमंडल निहित अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकता है [स्टेट बैंक का कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) (ऊपर) देखें]।

334. एक कार्रवाई में, जहां कानून को चुनौती नहीं दी जाती है, न्यायालय सामान्य रूप से निम्नानुसार आगे बढ़ेगा। यह मान लेगा कि एक कानून, जो प्रभावित करता है मूल अधिकार, केवल संभावित संचालन के लिए होते हैं। उसी तरह, प्रक्रियात्मक कानूनों या केवल प्रक्रिया या मंच के मामले से संबंधित कानूनों के संबंध में, वे पूर्वव्यापी प्रभाव डालते हैं।

335. एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है। हालाँकि, यह मौजूदा अधिकारों के लिए कानून के भविष्य के संचालन के संबंध में है। यदि मौजूदा अधिकार को संशोधित किया जाता है या छीन लिया जाता है और यह केवल नए कानून की तारीख से लागू होता है, तो इसका स्पष्ट रूप से केवल संभावित संचालन होगा और यह एक पूर्वव्यापी कानून नहीं होगा।

जनहित का पहलू जिसमें दोषों को दूर करने, संदेह पैदा करने वाले पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए संप्रभु विधानमंडल की आवश्यकता होती है। घोषणात्मक कानून में फिर से विधायी इरादे को स्पष्ट किए जाने का प्रभाव है। इन कानूनों के मामले में उन्हें पूर्वव्यापीता के दाग के साथ चित्रित करना उचित नहीं हो सकता है। 337. फिर रेट्रोस्पेक्टिविटी क्या है? यह आम तौर पर उन मामलों या तथ्यों पर लागू होने वाला नया कानून है, जो कानून के अधिनियमन से पहले अस्तित्व में आए थे। एक पूर्वव्यापी कानून, दूसरे शब्दों में, या तो एक मौजूदा कानून का स्थान लेता है या एक नया कानून बनाता है और विधानमंडल विचार करता है कि नया कानून एक पूर्ण लेनदेन के संबंध में लागू होगा। यह फिर से खोलने के बराबर हो सकता है, दूसरे शब्दों में, जो पहले के कानून के तहत पूरा किया जाता है, यदि कोई था, या एक नया कानून बनाना, जो पिछले लेनदेन पर लागू होता है।

338. " एक क़ानून को पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए, जो किसी भी मौजूदा कानून के तहत अर्जित किसी भी निहित अधिकार को छीन लेता है या बाधित करता है या

एक नया दायित्व बनाता है या एक नया कर्तव्य लगाता है या पहले से ही पारित लेनदेन या विचारों के संबंध में एक नई अक्षमता जोड़ता है। [क्रेज़ ऑन स्टेट लॉ, 7 वां संस्करण, पृष्ठ-387 देखें।]

339. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के चौथे संस्करण में, पृष्ठ-570,

पैराग्राफ-921, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार कहा गया है-"सामान्य तौर पर, अदालत को पूर्वव्यापी माना जाता है, कोई भी क़ानून, जो मामलों पर काम करता है।

या तथ्य, अस्तित्व में आना, इसके प्रारंभ से पहले, अर्थ में मनीष कुमार v।

कि यह प्रभावित करता है भले ही केवल भविष्य के लिए, चरित्र या परिणाम

लेन-देन, जो पहले या अन्य पिछले आचरण में किए गए थे।

340. जब संप्रभु विधानमंडल द्वारा बनाए गए क़ानून का पूर्वव्यापी संचालन पाया जाता है और अनुच्छेद के तहत चुनौती दी जाती है 14 संविधान के, (i) न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कानून, अपनी पूर्वव्यापीता में, वर्जित वर्गीकरण को प्रकट करता है। ((ii) क्या कानून, अपनी पूर्वव्यापीता में, मनमानेपन को प्रकट करता है, (iii) यदि कोई कानून

अनुच्छेद 19 (1) (छ) का कथित रूप से उल्लंघन करने वाला, सबसे पहले, न्यायालय, एक नागरिक द्वारा की गई कार्रवाई में, यह पता लगाएगा कि क्या अधिकार का दावा किया गया है, यह अनुच्छेद 19 (1) (जी) के दायरे में आता है। न्यायालय आगे इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसा कानून, अन्य बातों के साथ-साथ, जनहित को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतिबंध लगाकर बनाया गया है। कानून के मामले में, जो अनुचित नहीं पाया जाता है, वह भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करेगा।

341. जहां कानून को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, अनिवार्य रूप से न्यायालय को यह करना चाहिए कि

पता लगाएँ कि क्या यह एक मनमौजी, तर्कहीन, असमान, अत्यधिक और अंत में, बिना किसी निर्धारित सिद्धांत के है। [शायरा बानो मामला (ऊपर) देखें] एक नागरिक का अधिकार, या उस मामले के लिए, अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी व्यक्ति का अधिकार, एक ऐसा अधिकार है जो उसके लिए व्यक्तिगत है।

342. जो सुनहरा धागा प्रकट मनमाना अन्याय के सिद्धांत को बनाने वाले आधारों के माध्यम से चलता है, निस्संदेह, इसमें सार्वजनिक हित का पूर्ण अभाव होता है, जिसमें सर्वोच्च कानून दाता के रूप में संप्रभु विधानमंडल निस्संदेह संरक्षक होता है। यद्यपि इंग्लैंड में न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में, निष्पक्षता की

अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, पूर्वव्यापीता के मुद्दे पर निर्णय लेते समय, हम न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में निम्नलिखित मार्ग पर विचार करेंगे, जो एल 'ऑफिस चेरीफियन डेस फॉस्फेट और एक अन्य और यामाशिता-शिनिहोन स्टीमशिप कंपनी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय पर निर्भर करता है। Ltd.[1] 106%, एक सुरक्षित और काफी व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करेगा, यहां तक कि मामले में भी

पूर्वव्यापी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करना। इसलिए, हम उसी का उल्लेख करते हैं और उसी का अनुमोदन करेंगे।

" ..... यह देखा गया कि निष्पक्षता के सवाल का जवाब किसी विशेष क़ानून के संबंध में विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए देना होगा। , उन अधिकारों का मूल्य जो क़ानून प्रभावित करता है; जिस हद तक उस मूल्य को कम किया जाता है या समाप्त किया जाता है

106 (1994) 1 ऑल ई आर 20 [2021] 14 एस. सी. आर.

कानून के पूर्वव्यापी प्रभाव का सुझाव दिया;

अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना; उपयोग की जाने वाली भाषा की स्पष्टता

संसद और वे परिस्थितियाँ जिनमें कानून बनाया गया था

बनाया गया "। इन सभी कारकों को एक साथ तौला जाना चाहिए

इस सवाल का सीधा जवाब दें कि क्या पढ़ने के परिणाम

पूर्वव्यापीता के सुझाए गए स्तर के साथ मूर्ति इतनी अनुचित है

कि संसद द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का उद्देश्य नहीं हो सकता था

इसका मतलब वही है जो वे कहते प्रतीत हो सकते हैं।

(जोर दिया गया)

343. सिद्धांतों को निर्धारित करने के बाद, अब हम उसी को लागू करेंगे।

हमारे सामने वर्तमान मामलों के तथ्यों के लिए। जहाँ तक प्रश्नगत अधिकार की प्रकृति का संबंध है, जिसमें अधिकार का मूल्य शामिल होगा। अधिकार, यह कार्रवाई का अधिकार है। कार्रवाई का अधिकार, निस्संदेह, एक निहित अधिकार है। धारा 7 (5) के तहत आवेदन के प्रवेश के बाद आवेदक की

भूमिका अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। संहिता की योजना को हमारे द्वारा उजागर किया गया है। अधिकार, जो दिया जाता है, रेम में एक अधिकार है। यह केवल एक व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, इस अर्थ में कि यह रेम में सही है। आवेदक को किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए चूक के रूप में आवश्यक राशि का अनुरोध करने की भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि यह अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित न हो, पर्याप्त है। आवेदन के परिणाम होंगे

बशर्ते कि यह आवेदक और सभी हितधारकों को भी निगमित देनदार के परिसमापन में ला सके।

344. जहाँ तक, जिस तरीके से, अधिकार का मूल्य है

प्रभावित या यदि हम 'विकलांग' शब्द का उपयोग कर सकते हैं, तो यह एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस तरह से, पूर्वव्यापी प्रभाव रखने वाला एक विशेष क़ानून, प्रभावित करेगा, अधिकार निर्भर करेंगे।

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर। उदाहरण के लिए, हमने पी. डी. अग्रवाल (ऊपर) में स्पष्ट अन्याय को देखा है, जो कि विचाराधीन नियम में कर्मचारियों के एक समूह को उनके निहित अधिकार के संबंध में बताया गया है। वास्तव में निहित अधिकार में वरिष्ठता के उद्देश्य से कुछ अवधि की गणना करने का अधिकार शामिल था। जहाँ तक उपयोग की गई भाषा की स्पष्टता की बात है, तो इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है और संसद का इरादा पूरी तरह से संदेह से मुक्त है। एकमात्र क्षेत्र जहाँ किसी भी अस्पष्टता को मौजूद कहा जा सकता है-आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में माना जा रहा है। अगला पहलू, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह है वे परिस्थितियाँ जिनमें कानून बनाया जाता है। यही वह जगह है जहाँ शरारत का शासन और जनहित का पहलू बड़ा है। दिन के अंत में, झगड़ा है

व्यक्तिगत अधिकार बनाम सार्वजनिक हित के बीच। अब, जनहित मनीष कुमार बनाम।

उन सभी उद्देश्यों के संदर्भ में समझा गया, जिनके लिए संहिता लागू की गई थी। इनमें उस गति को शामिल किया जाएगा जिसके साथ कोड पर काम किया जाता है। इसमें सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना भी शामिल होगा। इसमें अनिवार्य रूप से निगमित देनदार को एक हितधारक के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिसे उन आवेदनों से संरक्षित किया जा रहा है, जिन्हें तुच्छ माना जाता है या जो एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 345. संघ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर हमने ध्यान दिया है। 27.12.2019 पर अध्यादेश की पूर्व संध्या पर, यह होगा

ऐसा प्रतीत होता है कि 2201 आवेदन, एक अवधि के दौरान स्थानांतरित किए गए थे

पिछली अवधि के दौरान 253 आवेदनों की तुलना में लगभग अठारह महीने लगभग 10 गुना वृद्धि दर्शाते हैं।

346. अब, तीसरा परंतुक, इस प्रकार, वास्तव में, यह नहीं कहता है कि आवेदन दाखिल करने की तारीख तक, कानून वही था जो इसमें निहित है - पहला और दूसरा प्रावधान। उस अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि यह पूर्वव्यापी नहीं था। हमने पाया है कि जब असंशोधित धारा 7 आवेदनों को लागू किया गया था, तो उन्होंने कार्यवाही जारी रखने के लिए निहित अधिकारों के निर्माण का संकेत दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदन धारा 7 (5) के तहत प्रवेश से पहले स्तर पर थे। यह इस स्तर पर है कि तीसरे परंतुक के माध्यम से, संसद ने लंबित आवेदनों के संबंध में सीमा आवश्यकता के पहले और दूसरे परंतुक के सिद्धांत को लागू किया है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि यह भविष्य में लागू होगा। अब यहाँ हमें केवल प्रक्रिया में जाने वाले तीसरे परंतुक के एक तर्क को संबोधित करना चाहिए। तीसरे परंतुक द्वारा कवर किए गए वित्तीय लेनदार

धारा 7 के तहत एक वैधानिक अधिकार के साथ पहने गए थे। यह अधिकार एक व्यक्तिगत लेनदार द्वारा स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग करने के लिए उपलब्ध था। एक सीमा आवश्यकता का अधिरोपण अनिवार्य है

और अपरिवर्तनीय न्यूनतम, भले ही इसे संशोधन की तारीख के रूप में और उसके बाद प्राप्त किया जाना हो, व्यक्तिगत लेनदार में निहित कार्रवाई के मूल अधिकार में घुसपैठ का गठन करता है। लेनदार की कार्रवाई एक पूर्ण लेनदेन नहीं थी। अतीत में उनके आचरण के संबंध में, अर्थात। , धारा 7 के तहत, यह अधूरा है लेकिन कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन कानून (तीसरा परंतुक) अतीत की कार्रवाई और भविष्य को बाधित करता है। हम निम्नलिखित रूप में पाएँगे। तीसरे परंतुक के तहत सीमा आवश्यकता को लागू करना, केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है। यह निहित अधिकारों को बाधित करता है।

इसके बजाय पहले और दूसरे परंतुक में दिए गए तरीके से अधिकार की शर्त रखी है। हम पहले और दूसरे परंतुक को पहले ही बरकरार रख चुके हैं, जो वास्तव में केवल भविष्य में ही काम करता है। इस अर्थ में, विधानमंडल ने उन व्यक्तियों की बराबरी करने का इरादा किया है जिन्होंने आवेदन दायर नहीं किए थे।

कानून। न्यायालय इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखता है कि कानून एक आर्थिक है। माप।

के तहत 'हस्तांतरण' को ध्यान में रखते हुए स्पष्टता

तीसरी भविष्यवाणी

348. विचार किए जाने वाले पहलुओं में से एक पूर्वव्यापी कानून की स्पष्टता है। पहले और दूसरे परंतुक के तहत सीमा संख्यात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता तीसरे परंतुक का एक अभिन्न

और अविभाज्य हिस्सा है। आइए हम उन परिणामों पर एक नज़र डालते हैं जो संख्यात्मक शक्ति को संयोजित नहीं किया जा सकता है

आवेदक द्वारा। परंतुक घोषणा करता है कि ऐसी स्थिति में आवेदन को प्रवेश से पहले वापस लिया गया माना जाएगा। नियम 8, जैसा कि हमने देखा है, न्यायाधिकरण के पास वापसी की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रवेश से पहले। क्या इसका मतलब यह है कि एक आवेदक आवश्यक संख्या एकत्र करने के बाद एक नया आवेदन दायर कर सकता है? सामान्य कानून के तहत प्रावधानों के तहत निकासी का क्या प्रभाव पड़ता है? जिस आवेदन को वापस ले लिया गया है, उसके संबंध में सीमा अधिनियम से संबंधित कानून का क्या प्रभाव है?

349. दीवानी मुक़दमे के संदर्भ में, आदेश XXIII से संबंधित है -

सूट की वापसी और समायोजन। आदेश XXIII (1) (4b) उसी विषय वस्तु (कार्रवाई का कारण) के संबंध में एक नए मुकदमे को प्रतिबंधित करता है, यदि आदेश XXIII (1) (3) के तहत अदालत की अनुमति के बिना एक मुकदमा वापस लिया जाता है।

350. हमारे समक्ष मामले के तथ्यों में तीसरा परंतुक इस बात का संकेत नहीं देता है कि क्या मनीष कुमार v का पालन करने के बाद एक नया आवेदन है।

पहले और दूसरे परंतुक की सामग्री की आवश्यकता है बनाए रखने योग्य। यह यह भी इंगित नहीं करता है कि स्थिति क्या होगी, भले ही

इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में खर्च की गई अवधि के संबंध में, कि सीमा अधिनियम लागू होता है और प्रासंगिक अनुच्छेद अनुच्छेद 137 है, इस तरह का आवेदन उसी आवेदक द्वारा बनाए रखा जा सकता है और इसलिए, चूक की तारीख से तीन साल की अवधि से आगे दायर किया गया कोई भी आवेदन वर्जित है।

351. इन मुद्दों को देखने का दूसरा तरीका यह है कि आदेश XXIII (1) केवल दीवानी मुकदमे के मामले में लागू होता है। आवेदन के संबंध में

अनुच्छेद 137, जो संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन है, यह कहा जा सकता है कि आदेश XXIII (1) लागू नहीं होता है। दूसरा, क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आवेदक द्वारा स्वैच्छिक रूप से आवेदन वापस लेने का मामला नहीं है और आवेदन वापस लेने की घोषणा विधानमंडल द्वारा की जाती है, और इसलिए, आदेश XXIII (1) लागू नहीं होगा।

352. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 इस प्रकार है:

" 14.बिना अदालत में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्कार

अधिकार क्षेत्र।

(1) किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में उस समय के लिए जिसके दौरान वादी उचित परिश्रम के साथ अभियोजन कर रहा है, प्रतिवादी के खिलाफ एक अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, को बाहर रखा जाएगा, जहां कार्यवाही उसी मुद्दे से संबंधित है और उस अदालत में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या अन्य कारणों से है।

एक समान प्रकृति का कारण, इसका मनोरंजन करने में असमर्थ है।

(2) किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, जिस समय के दौरान आवेदक उसी राहत के लिए एक ही पक्ष के खिलाफ किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, का मुकदमा चला रहा है, उसे बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर मुकदमा चलाया जाता है।
किसी न्यायालय में सद्भावना से, जो अधिकार क्षेत्र के दोष या अन्य कारणों से

एक समान प्रकृति का कारण, इसका मनोरंजन करने में असमर्थ है।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXIII के नियम 2 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उप-धारा (1) के प्रावधान उस आदेश के नियम 1 के तहत अदालत द्वारा दी गई अनुमति पर शुरू किए गए नए मुकदमे के संबंध में लागू होंगे।

जहाँ ऐसी अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि पहला मुकदमा [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किसी दोष या इसी तरह के अन्य कारणों से विफल होना चाहिए।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) उस समय को छोड़कर जिसके दौरान एक पूर्व दीवानी कार्यवाही लंबित थी, जिस दिन वह कार्यवाही शुरू की गई थी और

जिस दिन यह समाप्त हुआ, दोनों की गिनती की जाएगी।

(ख) अपील का विरोध करने वाले वादी या आवेदक को माना जाएगा।

किसी कार्यवाही का अभियोजन करना;

(ग) पक्षकारों की गलती या कार्रवाई के कारणों को माना जाएगा -

अधिकारिता के दोष के साथ समान प्रकृति का कारण बनें।

353. 14 (1) के अवलोकन से पता चलता है कि इसका उद्देश्य समय को बाहर करना है।

एक दीवानी मुकदमे को ध्यान में रखते हुए। धारा 14 (2) उन आवेदनों से संबंधित मामलों को शामिल करती है जिनके लिए सीमा की अवधि तय की गई है। यह विचार करता है कि यदि ऐसा आवेदक समयबद्ध आवेदन के साथ अदालत में देर से आता है, लेकिन यह दिखाने में सक्षम है कि वह उसी राहत के लिए उचित परिश्रम के साथ एक और दीवानी कार्यवाही का अभियोजन कर रहा है, तो उस अवधि को, जब वह दूसरी कार्यवाही का अभियोजन कर रहा था, बाहर रखा जा सकता है जहां कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया गया था जो अधिकार क्षेत्र के दोष या अन्य कारणों से

जैसे प्रकृति इसका मनोरंजन करने में असमर्थ है। यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 14 की उप-धारा (3) केवल उप-धारा (1) के तहत आने वाले मामले से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, यह दीवानी मुकदमों से संबंधित है। यह बाद के मुकदमे में वादी को उस अवधि को बाहर करने में सक्षम बनाता है जो पहले के दीवानी मुकदमे पर मुकदमा चलाने में खर्च की गई थी, जिसे बाद का मुकदमा अदालत द्वारा दी गई अनुमति के साथ वापस ले लिया गया था। इसलिए, अनुच्छेद 137 के तहत आवेदनों सहित आवेदनों के संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि कानून प्रदाता ने एक अन्य कार्यवाही को आगे बढ़ाने में बिताए गए समय को स्पष्ट रूप से हटाने पर विचार नहीं किया है जो वापस ले लिया गया था।

354. निकासी की शक्ति के संबंध में जैसा कि पहले से ही दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अनुप्रयोग) के नियम 8 में देखा गया है। नियम), 2016 इस प्रकार है:

" नियम (8) आवेदन की वापसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कर सकता है

आवेदन की अनुमति वापस लेने का नियम 4,6,7 नहीं हो सकता है क्योंकि मामला आवेदक द्वारा इसके प्रवेश से पहले किए गए अनुरोध पर हो सकता है।

355. नियम 4 के तहत किया गया आवेदन वित्तीय लेनदार द्वारा धारा 7 के तहत किया गया आवेदन है। हालांकि, नियम 8 किसी भी मनीष कुमार बनाम के बारे में चुप है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

आदेश XXIII (1) 4 (बी) में निहित समान निषेध। जब तक सार्वजनिक नीति पर आधारित आदेश XXIII नियम 1 का सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है, तब तक धारा 7 में पहले दो प्रावधानों के अनुरूप एक नया आवेदन प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, चूंकि धारा 7 (1) में स्पष्टीकरण के

तहत चूक तब होती है जब किसी भी वित्तीय लेनदार को चूक माना जाता है, तो कार्रवाई का कारण अलग हो सकता है, जिस स्थिति में आदेश XXIII नियम 1 का सिद्धांत भी लागू नहीं हो सकता है।

356. इस संबंध में, चूंकि वापसी तीसरे परंतुक द्वारा निर्धारित की गई है, इसलिए यह अनुरोध पर नियम 8 के तहत वापसी नहीं होगी। दूसरा, सार्वजनिक नीति पर आधारित सिद्धांत को भी निकासी पर लागू करने के लिए

नियम 8 के तहत, एक अनुरोध और वापसी होनी चाहिए। हम उसी के प्रभाव पर उच्चारण नहीं करते हैं। , अनुरोध पर निकासी। यह निष्कर्ष निकालने और यह ठहराने के लिए पर्याप्त है कि तीसरे परंतुक के तहत वापसी पहले या दूसरे परंतुक के प्रावधान का पालन करने के बाद उसी पक्ष द्वारा नए आवेदन पर रोक नहीं लगाएगी क्योंकि मामला उसी चूक पर हो सकता है।

357. हालाँकि, जहाँ तक सीमा का संबंध है, धारा 14 की शर्तों पर, क्योंकि 14 (1) को 14 (3) के साथ पढ़ा जाता है, आदेश XXIII नियम 1 (4) (बी) के तहत अनुमति के साथ एक मुकदमे को वापस लेने पर विचार करता है ताकि एक मुकदमे में बिताई गई अवधि को बाहर किया जा सके जिसे वापस ले लिया गया है और धारा 14 (2) वह है जो अनुच्छेद 137 के तहत एक सहित आवेदनों पर लागू होती है, आवेदन में बिताई गई अवधि जब इसे तीसरे परंतुक के तहत वापस लिया जाता है तो उसे सीमा अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत बाहर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह इंगित करने के लिए खुला हो सकता है कि आवेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है

हम महसूस करते हैं कि धारा 7 के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, यह हमेशा आवेदक के लिए खुला रहेगा कि वह किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए एक अलग चूक स्थापित करे और नए सिरे से आगे बढ़े। संहिता की यह अनूठी विशेषता संशोधन की वैधता निर्धारित करने में अत्यधिक प्रासंगिक है। धारा 7 के तहत आवेदन एक वसूली तंत्र के लिए नहीं है। संहिता, जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है, शुरू में दिवाला समाधान से संबंधित है। यदि दिवाला है, तो बड़ी संख्या में लेनदारों में से किसी के संदर्भ में आवेदन पर्याप्त है। 358. इस प्रकार, तीसरे परंतुक के तहत वापसी कार्रवाई के उसी कारण पर भी एक नए आवेदन पर रोक नहीं लगेगी। इसे किसी भी दर पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत माफ किया जा सकता है। यहाँ हम [2021] 14 एस. सी. आर. करेंगे।

अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्ति का प्रयोग यह निर्देश देने के लिए भी करें कि यदि नया है तो याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले और दूसरे परंतुक का पालन करने के बाद आवेदन दायर किए जाते हैं, फिर आवेदनों के लंबित रहने की अवधि के संबंध में सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर किए जाने वाले आवेदनों पर, प्राधिकरण देरी को माफ कर देगा। जहाँ तक परंतुक के तहत वापसी के बाद की अवधि की

बात है, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत फिर से शक्ति को देखते हुए, निश्चित रूप से हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि अवधि क्यों बिताई गई

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड के संदर्भ में समझाया नहीं जा सकता है। (ऊपर)। उपरोक्त तरीके से, हम निकासी के निहितार्थ की व्याख्या करेंगे।

359. हम लोक हित के पहलू पर विचार करेंगे, जिसे प्राप्त करने की शर्तों से एकत्र किया जा सकता है, जब विवादित

संशोधन किया गया। मौजूदा कानून के तहत, संहिता की धारा 7 एकल आवेदकों द्वारा आवेदन दाखिल करने की अनुमति देती है। यह समझ में आ गया है

विधायिका द्वारा कि वित्तीय लेनदारों के कुछ वर्गों के संबंध में पूर्ण अधिकार की शर्त लगाने की सख्त आवश्यकता है। हम पहले और दूसरे प्रावधान में अधिनियमित वर्गीकरण को पहले ही बरकरार रख चुके हैं। लोक हित के दृष्टिकोण से, एक एकल आवेदक द्वारा रखे गए प्रत्येक आवेदन को, आवेदन की पूर्ति के लिए एक वास्तविक खतरे के रूप में माना जाता है। संहिता के उद्देश्य। इसलिए आवेदनों को जारी रखना जनहित में नहीं हो सकता है। यह, मानो, विधानमंडल का इरादा आवेदनों से पहले, आवेदकों को न्यूनतम संख्या में समान हितधारकों की सहमति प्राप्त करने के लिए कहने के रूप में अपने ब्रेक लगाने का है।

इसे आगे संसाधित किया जा सकता है।

360. आइए हम एक अलग शब्द के साथ आक्षेपित परंतुक पर विचार करें। क्या होगा, यदि परंतुक में पहले और दूसरे परंतुकों के तहत आवश्यकता का पालन करने के लिए लंबी अवधि का प्रावधान किया गया है। ? ऐसे परिदृश्य में, एक बार जब पहले और दूसरे परंतुक में निहित संख्यात्मक संख्या, उसी के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के संबंध में, हमारे द्वारा मान्य पाई गई है, तो जो दोष बना रहेगा, वह निस्संदेह है कि विधानमंडल निहित अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है, जिस तरह से किया गया है। प्रावधानों के तहत एक साथ पढ़ें। यह संदेह नहीं किया जा सकता है कि एक निहित अधिकार पूर्वव्यापी कानून का विषय हो सकता है। चूँकि संविधान के तहत बनाए गए कानून को संविधान के अनुच्छेद 14,19,21 और 300ए के तहत पारित होना चाहिए, इसलिए यह मुद्दा वास्तव में स्पष्ट रूप से मनमाना है या नहीं। अनुच्छेद 19 के तहत आगे सवाल उठेगा कि क्या यह कानून अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार के उचित प्रतिबंध के बराबर होगा। निष्पक्षता के सिद्धांत में वास्तव में मनीष कुमार बनाम है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

जब भी कोई कानून, जिसे पूर्वव्यापी के रूप में वर्णित किया जाता है, कानून को चुनौती देने के साथ या उसके बिना व्याख्या के लिए आता है, तो वह अदालतों के दिमाग में मौजूद होता है। एक चुनौती के संदर्भ में, स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर, लागू किए जाने वाले परीक्षण को स्पष्ट किया गया है कि क्या यह

मनमौजी, तर्कहीन है, किसी भी सिद्धांत का खुलासा नहीं करता है, आनुपातिकता की अनुपस्थिति को धोखा देता है या क्या यह अत्यधिक है। हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि विचाराधीन कानून एक आर्थिक उपाय है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कानून देने वाले ने अटकलों या संदेह के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। हम पहले ही आवेदन को अनिवार्य रूप से वापस लेने के प्रावधान के प्रभाव के बारे में संकेत दे चुके हैं। हमारा विचार है कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें विचाराधीन कानून पूर्वव्यापी है, जिसमें कानून की आवश्यकता के विपरीत, उस समय, जब आवेदन दायर किया गया था, एक नई आवश्यकता रखी गई है, भले ही, यह इस शर्त को अधिरोपित करके किया जाना चाहिए, उस समय नहीं, जब आवेदन दायर किया गया था, जो वास्तव में आवेदन की रखरखाव के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक समय है, इस संदर्भ में कि आवेदन को कौन स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन नए कानून के स्तर पर।

361. हालाँकि, हम इस तथ्य को भी नहीं भूल सकते हैं कि विधानमंडल के पास निहित अधिकारों को कम करने और छीनने की शक्ति है। द.

हालाँकि, जो सीमाएँ हैं, वे अनुच्छेद 21 के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 19 दोनों से हैं। यह सिद्धांत से प्रवाहित होता है कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। प्रश्न, पूर्वव्यापी की वैधता के बारे में कानून, तथ्यों, समय की अवधि, जिस पर पूर्वव्यापी कानून संचालित होता है, निहित अधिकारों पर कानून का प्रभाव, सार्वजनिक हित, अधिकार की प्रकृति, जो कानून का विषय है और कानून की शर्तों पर विचार करने पर निर्णय लिया जाने वाला मामला है।

362. इस मामले में शामिल अधिकार की प्रकृति, वित्तीय लेनदारों का धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार है। हालांकि,

धारा 7 वित्तीय लेनदार को आवेदन दायर करने का अधिकार प्रदान करती है। हम पहले से ही संहिता के दायरे और हितधारकों और अचल संपत्ति परियोजना पर इसके प्रभाव के बारे में बात कर चुके हैं। विधानमंडल को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां उसने महसूस किया कि धारा 7 के तहत आवेदन की रखरखाव के रूप में आवश्यकता, लंबित आवेदनों के संबंध में, किए गए तरीके में संशोधित किया जाना चाहिए। एक निर्धारित करने वाला सिद्धांत है, अर्थात्, अनुभव से यह धारणा कि कैसे संहिता का पूरा उद्देश्य खतरे में पड़ जाएगा यदि पहले से दायर आवेदन एक निष्पक्ष [2021] 14 एस. सी. आर. होने पर भी जारी रह सकते हैं।

और इसका समर्थन करने के लिए उचित संख्या में आत्मीय आत्माएं उपलब्ध नहीं हैं।

एक बार जब कोई सिद्धांत हो जाता है, तो यह तब तक मनमौजी, अत्यधिक या असमान नहीं हो सकता जब तक कि हम परंतुक के तहत दिए गए समय को नहीं पाते हैं

स्पष्ट रूप से मनमाना। किसी कानून के तहत निहित अधिकार को पूर्वव्यापी कानून द्वारा छीन लिया जा सकता है। एक क़ानून के तहत दिए गए अधिकार को दूसरे क़ानून द्वारा छीन लिया जा सकता है। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस तरह के कानून के पीछे काफी जनहित था। सरासर संख्याएँ, जिनमें विस्तारित आवेदनों को, उनके द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले परिणामों के साथ, एक तर्कहीन या मनमौजी पहलू के रूप में दरकिनार नहीं किया जा सकता है जिसे कानून बनाने में निर्देशित किया गया है। एक आर्थिक उपाय होने के नाते, कानून देने वाले के लिए उपलब्ध व्यापक अक्षांश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

363. मुद्दा, जो हालांकि बना हुआ है, वह 30 दिनों की अवधि है जो उपलब्ध कराई गई है। क्या यह उम्मीद करना उचित है कि एक एकल आवेदक कर सकता है,

कानूनों के तत्वावधान में जानकारी एकत्र करें, और इसके अलावा, साथी यात्रियों का समर्थन एकत्र करें, जो आवश्यकता के अनुसार आवेदक का समर्थन करने के लिए भी इच्छुक हैं। तीसरा परंतुक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने और अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदक के लिए प्रावधान नहीं करता है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि इस तरह के विस्तार देने से हितधारकों को कोई नुकसान नहीं होता है, जहां तक कि यह सब आवेदन के प्रवेश से पहले किया जाता है, जिसके साथ ही, अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति और एक आदेश पारित करने सहित परिणाम होते हैं।

अधिस्थगन, उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ फिर से हम विधायी मूल्य निर्णय के क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि एक बेहतर कानून क्या होगा। 364. इसलिए हमें कानून को जैसा है वैसा ही लेना होगा और उससे इस आधार पर निपटना होगा कि क्या कानून स्पष्ट रूप से मनमाना है। हमारे पास है।

पहले से ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैधानिक तंत्र के आधार पर, कानून के तहत एक सूचना ग्रिड उपलब्ध प्रतीत होता है। निसन्देह,

अगर यह अवधि पहले से अधिक लंबी होती तो हम अधिक आश्वस्त महसूस करते। कानून नीले रंग से एक बोल्ट के रूप में आया।

365. जहाँ तक लंबित आवेदनों के तीसरे परंतुक के तहत जबरन निकासी का संबंध है, हम निम्नानुसार मानते हैं। एक बार जब विधानमंडल ने इरादा किया कि लंबित आवेदनों को सीमा आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करने के लिए परिणाम प्रदान करने पड़े। अन्यथा, इसने पूरी तरह से अनिश्चितता पैदा कर दी होगी और आवेदक के साथ स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से व्यवहार किया गया होगा। प्रवेश से पहले निकासी के परिणाम के लिए प्रावधान, जो

हमने समझाया है कि मनीष कुमार v को रोकने का कोई परिणाम नहीं है।

नए सिरे से दाखिल करना, यहां तक कि उसी चूक के संबंध में, पहले या दूसरे परंतुक की आवश्यकता का पालन करने के बाद, निस्संदेह मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान में इस संबंध में स्पष्टता की कमी है, लेकिन कानून की समझ पर, जैसा कि हमने व्याख्या की है, प्रावधान को किए गए तरीके से समझने में सक्षम था। 366. पहले और दूसरे प्रावधानों के संबंध में, उनके पास केवल संभावित संचालन है। इन प्रावधानों द्वारा कवर किए गए लेनदार,

अपेक्षित समर्थन प्राप्त करने के मामले में किसी भी समय सीमा (निस्संदेह, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंध को छोड़कर) के अधीन नहीं हैं।

हालांकि, लंबित आवेदनों के संबंध में एक समय सीमा निर्धारित करना, अपने आप में, मनमाना के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा, यह अंतहीन होगा। और अनिश्चित प्रक्रिया। आवेदन डाकेट का हिस्सा बने रहेंगे और देनदार और अन्य हितधारकों को हानिकारक परिणामों के साथ लटकाने वाली डेमोक्लिस तलवार भी बन जाएगी।

कोड से। 367. अंत में, वास्तविक समय प्रदान किया गया। क्या यह स्पष्ट रूप से अनुचित है? क्या छह सप्ताह, दो महीने या उससे भी अधिक लंबी अवधि अधिक उचित नहीं होगी?

निस्संदेह, यह आवेदकों के दृष्टिकोण से होगा। समस्या से निपटने का एक और तरीका यह है कि क्या लेनदार/लेनदारों के लिए यह असंभव था।

जानकारी प्राप्त करने के लिए, अन्य लेनदारों से संपर्क करें और उन्हें उनके साथ शामिल होने के लिए राजी करें। जहाँ तक न्यायालय शुल्क का संबंध है, कोई अतिरिक्त देयता नहीं है क्योंकि राशि समान रहती है। , Rs.25,000/-, चाहे आवेदकों की संख्या कुछ भी हो। यदि तीसरे परंतुक की शर्त का पालन करना असंभव था, तो यह भी स्पष्ट रूप से मनमाना होगा। जहां तक जानकारी की उपलब्धता का सवाल है, चाहे वह

आर. ई. आर. ए. के तहत विचार किए गए आवंटनकर्ताओं के संघ का तंत्र या उक्त अधिनियम के तहत आवंटन का विवरण पोस्ट करने की आवश्यकता, कम से कम, कानून में, विधानमंडल एक मज़बूत आदेश नहीं दे रहा था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88 की स्पष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पहले परंतुक द्वारा कवर किए गए लेनदारों के मामले में भी ऐसा ही है। रजिस्टर हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है और जानकारी एकत्र की जा सकती है।

368. इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि यदि दिवाला है और यह लेनदारों को प्रभावित करता है, तो आम तौर पर, स्व-हित उन्हें उनके लिए उपलब्ध सर्वोत्तम मार्ग का अनुसरण करने में मार्गदर्शन करेगा। हमने बहुवचन उपचारों की उपस्थिति भी देखी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मामले में दसवें हिस्से

की गणना के लिए, निस्संदेह, लेनदारों की कुल संख्या की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है।

यह आवश्यक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल तभी जब सौ लेनदार नहीं पाए जा सकें

आवेदन का समर्थन करें।

369. हमने मानित वापसी के परिणामों, अधिकार की प्रकृति, धारा 7 के स्पष्टीकरण, संहिता के उद्देश्यों, आवेदनों में दस गुना वृद्धि को दर्शाने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स, निकायों के डॉकेट पर दबाव, जिन पर उच्चतम गति के साथ मामलों से निपटने के लिए अनिवार्य कर्तव्य के साथ आरोप लगाया जाता है, श्रेणी में समान हितधारकों पर प्रभाव और व्यापक रूप से प्रभाव का उल्लेख किया है। लेनदारों का वर्ग। यह अवधि लंबी होने से याचिकाकर्ताओं के लिए अधिक उचित हो सकती थी, लेकिन हमें अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय कहाँ रेखा खींचेगा? हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि 30 दिनों की समय सीमा के भीतर इसका पालन करना असंभव है।

370. हमने आवेदन को वैधानिक रूप से वापस लेने के प्रभाव से संबंधित पहलू पर विचार किया है। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह संहिता वर्ष 2016 में लागू की गई थी। पूर्वव्यापी संचालन की अवधि, दो साल की अवधि के लिए फैली हुई प्रतीत होती है और अधिकांश भाग के लिए, यह एक साल की अवधि से संबंधित है। हम पहले ही पा चुके हैं कि तीसरे परंतुक के तहत निकासी, आवेदक के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी, उसी चूक को लागू करना और आवेदन दायर करना और यहां तक कि सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 1 का सिद्धांत भी होगा। यह लागू नहीं होगा और इस तरह के आवेदन पर रोक नहीं लगाएगा। जहाँ तक सीमा का सवाल है, हमने समझाया है कि इसका क्या प्रभाव होगा। निहित अधिकार की प्रकृति और कानून का प्रभाव, लोक हित, उदात्त उद्देश्य, जो पूरे किए जाएंगे, इस मामले के तथ्यों में हमें हस्तक्षेप करने से रोकेंगे, भले ही, इस न्यायालय का समय की अवधि के बारे में एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, जिसकी अनुमति आवेदक को दी जाती है।

371. अंत में, अदालत की फीस का सवाल बना रहता है। जहाँ तक अदालती शुल्क का संबंध है, यह सच है कि मामले की परिस्थितियों में आवेदनों को जबरन वापस लिया जाता है। तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आवेदनों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को शामिल किया गया था और आवेदनों पर समय खर्च किया गया था। इन मामलों की परिस्थितियों में, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निम्नलिखित आदेश देने की अपनी शक्ति का सहारा लेंगे। हम निर्देश देंगे कि यदि आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन दायर किए जाते हैं, जो हमारे समक्ष याचिकाकर्ता हैं, उसी कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में, उसी

अचल संपत्ति परियोजना में, जहां तक आवंटनकर्ताओं का संबंध है, तो आवेदकों को अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से एक मनीष कुमार बनाम होगा।

एक समय का मामला। हालाँकि, हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि संयुक्त आवेदकों के मामले में अदालत शुल्क का भुगतान करने से छूट, आवेदन के अनुसार, भविष्य में एक ही विषय के संबंध में, केवल एक बार, एक ही आवेदन तक सीमित होगी। यह स्पष्ट करने के लिए, एक मामले में जहां वहाँ

अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में लंबित आवेदन में एक से अधिक आवेदक हैं, यदि वे भविष्य के आवेदन में संयोजन करते हैं, तो वे खड़े होंगे

छूट दी गई है। दूसरा, यदि कोई भी आवेदक, दूसरे परंतुक के तहत आवश्यक संख्या के साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़ता है, तो छूट केवल एक बार तक सीमित होगी। इसका मतलब है कि यदि संयुक्त आवेदकों में से किसी एक ने दूसरों के साथ मिलकर छूट का लाभ उठाया है, तो अन्य संयुक्त आवेदक छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। यदि कोई आवेदक है, जो पहले परंतुक के तहत आता है, और जो याचिकाकर्ताओं में से हैं, एक ही कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में, वे अदालत शुल्क के भुगतान से छूट के भी हकदार होंगे।

विश्वास

372. हम विवादित संशोधनों का समर्थन करते हैं। हालाँकि, यह निम्नलिखित निर्देशों के अधीन है, जिन्हें हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी करते हैं।

भारत का संविधान:

यदि याचिकाकर्ताओं में से कोई इस संबंध में आवेदन करता है -

आई.

समान चूक, जैसा कि उनके आवेदनों में आरोप लगाया गया है, आज से दो महीने की अवधि के भीतर, धारा 7 (1) के तहत पहले या दूसरे परंतुक का भी अनुपालन करता है, जैसा भी मामला हो, तो उन्हें अदालत शुल्क के भुगतान की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जिस तरह से हमारे पास है। ठीक इससे पहले के पैराग्राफ में विस्तार से।

दूसरा, हम निर्देश देते हैं कि यदि आवेदनों को नीचे स्थानांतरित किया जाता है

ii.

याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 7, आज से दो महीने की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, किसी भी परंतुक का अनुपालन करते हुए, और आवेदनों में कथित चूक पर, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत आवेदन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो पहले से ही दायर किए गए थे,

यदि याचिकाकर्ता सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत आवेदन दायर करता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष बिताए गए समय की अवधि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदनों को अनुमति देगा और देरी की अवधि को उस अवधि के संबंध में माफ कर दिया जाएगा, जिसके दौरान उनके द्वारा दायर किए गए पहले के आवेदन, जो तीसरे परंतुक का विषय है, पहले लंबित थे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

iii.

हम स्पष्ट करते हैं कि दो महीने की समय सीमा तय है।

केवल न्यायालय शुल्क से छूट का लाभ प्रदान करने और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित आवेदनों के कारण होने वाली देरी को माफ करने के लिए। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ताओं के लिए दो महीने की अवधि के बाद भी आवेदन दायर करने और आवेदन करने के लिए हमेशा खुला रहता है

सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने का लाभ, उस अवधि के संबंध में, जिसके दौरान, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन लंबित थे, जो अपरिवर्तित धारा 7 के तहत दायर किए गए थे, और उसके बाद भी।

373. रिट याचिकाएं और हस्तांतरित मामला कायम रहेगा।

उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के अधीन खारिज कर दिया गया निर्णय में निहित है, और हम केवल यह स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत निर्देशों के लाभ हस्तांतरित मामले में याचिकाकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

374. हस्तक्षेप आवेदन (2020 का WP (C) No.26 में 2020 का I.A.No.67473) आवंटनकर्ताओं द्वारा दायर किया जाता है जिन्होंने 20.9.2019 पर धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया है। 2020 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.53 में 2020 का आई. ए. No.32863 आबंटित व्यक्ति द्वारा अभियोग के लिए दाखिल किया जाता है। उन्होंने 19.12.2019 पर संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया है। 2020 के 2020 डब्ल्यू. पी. (सी) No.53 का आई. ए. No.32869 आवंटनकर्ताओं द्वारा दाखिल किया जाता है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है।

प्रभाव डालना। उन्होंने 17.9.2019 पर धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया है। I.A.No। 2020 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.26 में 2018 का 15425 एक निगम द्वारा दाखिल किया गया है।

प्रलोभन के लिए देनदार। उपरोक्त सभी आई. ए. का निपटारा उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में किया जाता है। हालाँकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अदालत की फीस के संबंध में अनुच्छेद 142 के तहत जो निर्देश जारी किए हैं और

देरी की माफी उन आवेदकों पर लागू होगी जो आबंटित हैं।

रिट याचिकाएं और स्थानांतरित मामले खारिज कर दिए गए।

बिभूति भूषण बोस

[2021] 14 एस. सी. आर 895

मनीष कुमार

वी.

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

(2020 की लिखित याचिका (सी) No.26)

19 जनवरी, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन, नाविन सिन्हा और

के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 - एस. 3-एस. 3 आक्षेपित संशोधन, संशोधित एस। 7 (1) में से

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में तीन प्रावधानों को शामिल किया गया है। 7 (1) – दूसरे परंतुक के तहत, एक आवंटी के लिए आवेदन करने के लिए एक नई सीमा घोषित की गई थी। एस. 7 संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को ट्रिगर करने के लिए-दूसरा परंतुक प्रदान करता है कि वित्तीय लेनदारों के लिए जो एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटित थे, कॉर्पोरेट शुरू करने के लिए एक आवेदन।

निगमित देनदार के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे आवंटनकर्ताओं में से कम से कम सौ या एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे आवंटनकर्ताओं की कुल संख्या के दस प्रतिशत से कम नहीं, द्वारा संयुक्त रूप से दायर की जानी थी।

जो भी कम हो-एस के लिए दूसरे परंतुक को चुनौती। 7 (1) – आयोजित किया गया: मान्य नहीं-क़ानून का उद्देश्य, निश्चित रूप से, यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों (आवंटनकर्ताओं) का एक महत्वपूर्ण समूह है, जो इस बात से सहमत हैं कि संहिता को लागू करने और संहिता के तहत अपरिहार्य प्रक्रियाओं के अधीन होने के लिए समय आ गया है, इसके सभी परिचर खतरों के साथ-तर्क

इसके पीछे, आबंटियों को एक ही अचल संपत्ति परियोजना तक सीमित रखना, संहिता के उद्देश्य को बढ़ावा देना है-एक बार जब कला पर आधारित चुनौती के रूप में परीक्षण किया जाता है तो सीमा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। 14 , 19 और 21, फिर, विधायी मूल्य निर्णय के पीछे तर्क और कारण दोनों हैं कि आबंटियों, जिन्हें शामिल होना चाहिए विवादित प्रावधानों के तहत आवेदन, एक ही अचल संपत्ति परियोजना से संबंधित होना चाहिए-अचल संपत्ति परियोजनाओं के तहत आवंटनकर्ता वित्तीय लेनदार होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें वित्तीय लेनदारों की व्यापकता से अलग करती हैं, जैसे कि संख्यात्मकता; विषमता; और निर्णय लेने में व्यक्तित्व। एस. 7, अन्य सभी आबंटियों के हितों को खतरे में डाला जा सकता है-उन परिस्थितियों में, यदि विधानमंडल,

14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणदाताओं के एक समूह की सरासर संख्या पर विचार करना, अर्थात। , अचल संपत्ति परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं को यह समझ में आता है

विभेदन, जो आबंटितों को अन्य वित्तीय लेनदारों से अलग करता है, जिनके पास संख्या की विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं, तो इस न्यायालय के लिए इस तरह के उपाय के विवेक पर निर्णय लेना उचित नहीं है-आबंटित व्यक्ति एक वित्तीय लेनदार बना रहता है-जिसकी परिकल्पना की गई है वह विधायी मूल्य निर्णय है कि आबंटितों के लिए संहिता के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक महत्वपूर्ण जन अनिवार्य है, जिसे सक्रिय किया जा सकता है-आवेदकों के महत्वपूर्ण जन का तात्पर्य यह सुनिश्चित करेगा कि समान रूप से व्यक्तियों की एक उचित संख्या, यह विचार बनाता है कि रेरा या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या एक दीवानी मुकदमे के तहत उपलब्ध उपचारों के बावजूद, संहिता का आह्वान ही एकमात्र रास्ता है, किसी विशेष मामले में-यदि विधानमंडल को लगा कि

संहिता के तहत एक आवेदन के लिए, जब व्यक्तियों का इतना बड़ा समूह एक-दूसरे पर हमला करता है, तो एक अतिरिक्त सीमा निर्धारित की जाती है।

सही यू/का प्रयोग करना एस. 7, निश्चित रूप से, यह कानून की न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालय के हाथों एक संवैधानिक वीटो का सामना नहीं कर सकता है-यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां आवंटनकर्ता का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया जाता है-जो कुछ भी हुआ है वह यह है कि एक

आधे रास्ते का घर चरम स्थितियों के बीच बनाया गया है, अर्थात। , आबंटित व्यक्ति के आवेदन को स्थानांतरित करने के अधिकार को पूरी तरह से अस्वीकार करना संहिता की धारा 7 और एक व्यक्ति को अचल संपत्ति परियोजना और उसके तहत सभी हितधारकों को संहिता-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत एक कार्यवाही के लिए बंधक बनाने के लिए एक बेलगाम लाइसेंस देना - एस. 7.

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020। 3 एस। 3 आक्षेपित संशोधन, संशोधित एस। 7 (1) में से

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में तीन प्रावधानों को शामिल किया गया है। 7 (1) – पहले परंतुक में वित्तीय लेनदारों के लिए उप-धारा (6ए) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट प्रावधान किया गया था। 21 , निगमित दिवाला समाधान शुरू करने के लिए एक आवेदन

निगमित देनदार के खिलाफ प्रक्रिया एक ही वर्ग के कम से कम सौ ऐसे लेनदारों द्वारा या एक ही वर्ग के ऐसे लेनदारों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से कम नहीं, जो भी कम हो, संयुक्त रूप से दायर की जाएगी। पहला प्रावधान अभेद्य है-विधायी समझ स्पष्ट है कि बड़ी संख्या की पहचान रखने वाले ऐसे लेनदारों के संबंध में उनके साथ अलग व्यवहार करने की आवश्यकता है-यदि उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है तो यह अराजकता पैदा करेगा और संहिता के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाएगा।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

- यह इस मूल सिद्धांत का विस्तार है जिसके कारण विवादित परंतुक को शामिल किया गया है-ऋणदाताओं की इन श्रेणियों के संबंध में एक सीमा पर जोर देने से इस पर रोक लग जाएगी -

अंधाधुंध मुकदमेबाजी जिसका परिणाम अनियंत्रित होगा

जहां तक संहिता का काम करने वाले अधिकारियों का संबंध है-ऋणी जो स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त है, ऊँट की पीठ पर लगे अंतिम पुआल से मुक्त हो जाता है, जैसा कि यह था, व्यक्तिगत लेनदारों को रोककर, जिनके विचार उनके उचित संख्या में साथियों द्वारा भी साझा नहीं किए जाते हैं, आवेदनों के साथ दौड़ते हुए-फिर, जैसा कि आबंटियों के मामले में, यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां उन्हें वित्तीय लेनदारों के रूप में मानते हुए वे एस के तहत आवेदन करने के अधिकार से पूरी तरह से वंचित हैं। 7 विधायी योजना के हिस्से के रूप में-विधायी नीति कॉर्पोरेट देनदार को उस चीज़ से बचाने के प्रयास को दर्शाती है जिसे वह तुच्छ या परिहार्य अनुप्रयोगों के लिए मानता है।

संशोधन से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि आवेदन दाखिल करने से पहले कम से कम समान रूप से रखे गए लेनदारों के एक छोटे से प्रतिशत के लिए आम सहमति हो, जिसके लिए समय आ गया है।

एक कानूनी ओडिसी का उपक्रम करना जो खतरों से घिरा हुआ है

स्वयं आवेदक दूसरों से अलग-जहां तक परंतुक के तहत विचार किए गए आवेदकों का प्रतिशत है, यह स्पष्ट है कि इसे मनमाना या मनमौजी आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 7.

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 - एस. 4 एस. 4 आक्षेपित संशोधन, एक अतिरिक्त शामिल किया गया

एस में स्पष्टीकरण। 11 कोड का-जबकि एस। 11 यह उन व्यक्तियों के बारे में है जो कॉर्पोरेट दिवालियापन शुरू करने के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं हैं समाधान प्रक्रिया, अतिरिक्त स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि धारा 11 में कुछ भी एक कॉर्पोरेट देनदार को किसी अन्य कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने से नहीं रोकता है-आयोजितः विवादित स्पष्टीकरण के प्रावधान स्पष्ट रूप से एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन के बराबर हैं-एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन है

प्रकृति में पूर्वव्यापी-स्पष्टीकरण केवल विधानमंडल के इरादे को संदेह के दायरे से परे स्पष्ट करता है-याचिकाकर्ताओं का तर्क कि संशोधन केवल इस पर लागू हुआ

28.12.2019 और इसलिए, एस. एस. के तहत दायर आवेदनों के संबंध में। 7 , 9 या 10, इसका कोई असर नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है

इन मामलों के तथ्यों में स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है और यह निश्चित रूप से सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा-विधानमंडल का इरादा हमेशा निगम [2021] 14 एस. सी. आर. को लक्षित करना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देनदार केवल उस सीमा तक जहाँ तक वह संहिता के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगमित देनदार द्वारा अपने खिलाफ आवेदन को प्रतिबंधित करने का इरादा रखता है-विधानमंडल का इरादा कभी भी निगमित देनदार के मार्ग में बाधा पैदा करने का नहीं हो सकता था। 11 , दूसरों से देय देनदारियों की वसूली करने का प्रयास करके अपनी परिसंपत्तियों को अधिकतम करने से-यह न केवल बुनियादी सामान्य दृष्टिकोण के खिलाफ जाता है, बल्कि यह संहिता के उद्देश्य को भी विफल कर देगा, अगर किसी कॉर्पोरेट देनदार को संहिता के प्रावधानों को लागू करने से या तो स्वयं या उसके माध्यम से रोका जाता है।

समाधान पेशेवर, जो बाद के चरण में, इसके परिसमापक-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। एस. 11, स्पष्टीकरण II।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 - एस. 10 एस. 10 आक्षेपित संशोधन एस सम्मिलित करता है। 32 संहिता में ए-यह तर्क दिया गया था कि लेकिन एस के लिए। 32 ए, वे गुण जो हैं

अर्जित को संलग्न किया जा सकता है लेकिन वह एस द्वारा पूर्व-खाली है। 32 ए-याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले किए गए अपराधों और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के लिए पूर्ववर्ती प्रबंधन के अपराधों से उत्पन्न होने वाले अपराधों और अपराधों की आय से अर्जित कॉर्पोरेट देनदारों और उनकी संपत्तियों को दी गई प्रतिरक्षा आवंटनकर्ताओं/लेनदारों के हितों को और खतरे में डालती है-आयोजित: एस को अमान्य करने की मांग करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। 32 ए-इसकी सीमाएँ

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है-कानून का विवेक न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है-संहिता के उद्देश्य, संहिता के काम करने के अनुभव, सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से समाधान आवेदकों को आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता शामिल है, जो समाधान योजना के हिस्से के रूप में उचित और उचित मूल्य की पेशकश करने से नहीं कतराते हैं यदि विधायिका सोचती है कि निगमित देनदार के साथ-साथ उसकी संपत्ति को भी प्रतिरक्षा दी जानी चाहिए, तो यह शायद ही इस न्यायालय के लिए कोई आधार प्रदान करता है।

हस्तक्षेप-प्रावधान पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है-ऐसा नहीं है कि गलत करने वालों को भागने की अनुमति दी जाती है-वे उत्तरदायी रहते हैं-कॉर्पोरेट देनदार के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन है स्पष्ट रूप से नए प्रबंधन के लिए एक क्लीन ब्रेक बनाना महत्वपूर्ण है

अतीत के साथ और एक साफ स्लेट पर शुरू करें-प्रतिरक्षा विभिन्न शर्तों को पूरा करने पर आधारित है-एक समाधान योजना होनी चाहिए-इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए-कॉर्पोरेट देनदार के नियंत्रण में बदलाव होना चाहिए-नया प्रबंधन मनीष कुमार बनाम नहीं हो सकता है।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

पुराने प्रबंधन का प्रच्छन्न अवतार-यह कॉर्पोरेट देनदार का संबंधित पक्ष भी नहीं हो सकता है-नया प्रबंधन जांच का विषय नहीं हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप अपराध के लिए उकसाने या साजिश दिखाने वाली सामग्री और रिपोर्ट या शिकायत दर्ज की गई है-इन तत्वों पर संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई से बार की छूट का दावा करने के लिए भी जोर दिया जाता है।

निगमित देनदार के साथ किसी भी तरह से संबद्ध और जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के संदर्भ में अपराध करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, उस पर निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना और दंडित किया जाना जारी है। निगमित देनदार और संहिता की योजना के संदर्भ में उसकी संपत्ति एक अलग विषय वस्तु है जो उन्हें दिए गए विशेष व्यवहार को उचित ठहराती है-आपराधिक अपराध का निर्माण और आपराधिक दायित्व को समाप्त करना भी आम तौर पर विधायिका के

निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए-लोक कल्याण प्राप्त करने के लिए अक्सर परस्पर विरोधी हितों के नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है क्योंकि कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए।

किस ब्याज को विधायी मूल्य निर्णय बना रहना चाहिए और यदि प्रतीत होता है कि विधायिका अधिक से अधिक अच्छे के लिए अपनी खोज में कुछ लोगों के हितों को समाप्त करती प्रतीत होती है, तो यह तब तक अमान्य नहीं हो सकती जब तक कि यह कुछ संवैधानिक जनादेश के साथ आश्चर्यजनक रूप से बीमार न हो।

इस आधार पर धारा को लागू करने का कोई आधार नहीं है कि यह अनुच्छेद 19,21 या 300 ए-दिवाला और दिवालियापन संहिता का उल्लंघन करता है।

2016 एस. 32 ए.

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020। 3 -एस. 3 आक्षेपित संशोधन, संशोधित एस। 7 (1) में से

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-एस द्वारा संशोधन। 3 आक्षेपित संशोधन में एस के लिए तीन प्रावधान शामिल किए गए। 7 (1) - तीसरे परंतुक में प्रावधान किया गया है कि जहां किसी निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन पहले और दूसरे परंतुकों में संदर्भित वित्तीय लेनदार द्वारा दायर किया गया है और दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसे आवेदन को उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर पहले या दूसरे परंतुक की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए संशोधित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर आवेदन को इसके प्रवेश से पहले वापस लिया गया माना जाएगा-आयोजितः तीसरा परंतुक एक बार का मामला है-इसका उद्देश्य केवल उन आवेदनों से निपटना है,

एस. 7, जो

[2021] 14 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28.12.2019 से पहले दाखिल किया गया था, जब, आक्षेपित अध्यादेश के माध्यम से, शुरू में, सीमा आवश्यकताओं को पहले और दूसरे आक्षेपित प्रावधानों द्वारा पेश किया गया था-दूसरे शब्दों में, विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी आवेदन यू / एस. 7 को 28.12.2019 के बाद दाखिल किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसका पालन करने पर

पहले और दूसरे प्रावधानों में आवश्यकताएं-विधानमंडल यहीं नहीं रुका-इसका स्पष्ट रूप से इरादा है कि उसके द्वारा लगाई गई सीमा आवश्यकता उन सभी आवेदनों पर लागू होगी, जो 28.12.2019 से पहले भी दायर किए गए थे, इस अपवाद के अधीन कि इस तरह से दायर किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं

किया गया था। धारा 7 (5)-दूसरे शब्दों में, विधानमंडल का इरादा था कि प्रत्येक आवेदन में, धारा 7 के तहत दायर किया जाए। 7 , पहले परंतुक द्वारा कवर किए गए लेनदारों और दूसरे परंतुक द्वारा शासित आबंटियों द्वारा भी, द्वारा अपनाया जाना चाहिए

पूर्वव्यापी कानून-पूर्वव्यापी कानून बनाते समय निहित अधिकारों को छीनना विधानमंडल के लिए खुला है-यदि किसी निहित अधिकार को पूर्वव्यापी कानून द्वारा छीन लिया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि विधानमंडल निहित अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकता है-एक सीमा आवश्यकता का अधिरोपण एक अनिवार्य और अपरिवर्तनीय न्यूनतम है, भले ही इसे संशोधन की तारीख के रूप में और उसके बाद प्राप्त किया जाना हो। व्यक्तिगत लेनदार में निहित कार्रवाई के मूल अधिकार में घुसपैठ का गठन करता है-लेनदार की कार्रवाई एक पूर्ण लेनदेन नहीं थी-जहां तक अतीत में उसके आचरण का संबंध है, अर्थात। , यू/ले जा रहा है एस. 7, यह अधूरा है लेकिन कार्रवाई शुरू की गई थी-लेकिन कानून (तीसरा परंतुक) अतीत की कार्रवाई को भविष्य के लिए बाधित करता है-मनीष कुमार बनाम।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

तीसरे परंतुक के तहत सीमा की आवश्यकता को लागू करना, केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है-यह निहित अधिकारों को बाधित करता है-लंबित आवेदनों के संबंध में एक समय सीमा निर्धारित करना, अपने आप में, मनमाना के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा, यह एक अंतहीन और अनिश्चित प्रक्रिया होगी-आवेदन दस्तावेज़ का हिस्सा बने रहेंगे और देनदार और अन्य हितधारकों को हानिकारक परिणामों के साथ लटकाने वाली डेमोक्लिस तलवार भी बन जाएगी।

संहिता के उद्देश्य-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 7 .

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की आवश्यकता-आयोजित: यह संहिता देश के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थी कि वह बाकी दुनिया के साथ बराबरी करने का प्रयास करे, चाहे वह व्यापार करने में आसानी, ऋण की वसूली की दर बढ़ाने, परिसंपत्तियों को अधिकतम करने के मामले में हो।

बीमार चिंताओं और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना।

संशोधन-स्पष्टीकरणात्मक संशोधन-में पूर्वव्यापी है

प्रकृति।

विधान-पूर्ण विधान-आधारों के लिए चुनौती

चर्चा की।

विधान-पूर्ण विधान-द्वेष के आधार पर चुनौती-आयोजित: जबकि द्वेष एक आधार प्रदान कर सकता है

प्रशासनिक कार्रवाई को वीटो करने के लिए उपयुक्त मामले में, द्वेष एक पूर्ण कानून पर हमला करने का आधार नहीं देता है।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए और मामले को स्थानांतरित करते हुए, अदालत ने

पकड़ना: 1.1 . पूर्ण विधि किन आधारों पर हो सकती है -

चुनौती अच्छी तरह से स्थापित हैं। एक कानून सफल हो सकता है

चुनौती दी जाती है यदि शक्तियों के विभाजन के विपरीत, या तो संसद या राज्य विधानमंडल शक्ति हड़प लेता है जो नहीं करता है

इस प्रकार यह इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे यह ऐसा कानून बनाने में अक्षम हो जाता है। दूसरा, भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिकता के साथ देखा जाएगा और इस हद तक अमान्य घोषित किया जाएगा उसका उल्लंघन। कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्थ के भीतर एक कानून एक गैर-नागरिक के लिए वैध रहेगा। तीसरा, मौलिक अधिकारों के अलावा, [2021] 14 एस. सी. आर. की सर्वोच्चता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान बनाम साधारण विधान, भले ही कानून पूर्ण विधान हो, इस दृष्टिकोण से संरक्षित है कि विधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

संविधान। [पैरा 47] [955-सी-एफ]

1.2 . एक पूर्ण कानून यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना पाया जाता है तो यह असुरक्षित हो जाता है। [पैरा 50] [958-सी]

दबाव बनाकर या अपने निहित स्वार्थों को शांत करने के लिए। इस तरह की तर्क और कुछ नहीं बल्कि द्वेष के आधार पर विधानमंडल के कानून पर सवाल उठाने का एक छोटा सा प्रच्छन्न प्रयास है। जबकि द्वेष एक उपयुक्त मामले में प्रशासनिक कार्रवाई पर वीटो करने के लिए एक आधार प्रदान कर सकता है, यह सामान्य बात है कि द्वेष एक पूर्ण कानून पर हमला करने का आधार प्रदान नहीं करता है। [पैरा 52] [958-जी; 959-ए, बी-सी]

1.5 . एक सर्वोच्च विधायिका को प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार या बहिष्कार के सिद्धांत द्वारा सीमित, सीमित या सीमित नहीं किया जा सकता है। यह.

एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करता है। प्रतिज्ञात्मक रोक-थाम के सिद्धांत ने, एक ओर, विकास का एक अविश्वसनीय प्रक्षेपवक्र देखा है, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह सरकार या उसकी एजेंसियों से अन्याय को रोकने के लिए एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करता है जो चाहते हैं।

बिना किसी उचित कारण के उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन से पुनः प्राप्त करने के लिए। [पैरा 54] [959-ई-जी]

1.6 . केवल समावेशिता के तहत या अति समावेशिता का आरोप जिसे मुश्किल से पर्याप्त बनाना मुश्किल नहीं है

अदालत को एक कानून को रद्द करने के लिए राजी करें। इन मामलों में विधायिका में एक व्यापक अक्षांश की अनुमति है। यह पता लगाने के लिए परीक्षा का विस्तार नहीं किया जा सकता है कि क्या गणितीय परिशुद्धता या लकड़ी की समानता स्थापित है। का कार्य कानून आगे के मुद्दों को उत्पन्न कर सकता है, यह सब पूरी तरह से नहीं माना जा सकता है जो कानून देने वाले द्वारा पूरी तरह से पूर्वानुमेय नहीं किया जा सकता है। प्रयोग करने की स्वतंत्रता विधायिका को दी जानी चाहिए, विशेष रूप से आर्थिक कानूनों में। यदि कार्यशील मनीष कुमार v में समस्याएं सामने आती हैं।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

कानून और जिसके लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, न्यायालय कदम उठाकर जवाब देने की विधायी की शक्ति से अनजान नहीं हो सकता है।

आवश्यक संशोधन के साथ। एक पूर्ण कानून जैसा कुछ भी नहीं है और सभी मानव संस्थानों की तरह इसमें भी खामियां होना तय है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संवैधानिकता पर अदालत के फैसले के लिए, कानून को संवैधानिक सीमाओं से स्पष्ट विचलन प्रस्तुत करना चाहिए। [पैरा 121] [1005-ई-एच]

1.7 . किसी कानून का पालन करने के लिए दिए गए मामलों में केवल कठिनाइयाँ शायद ही इसे रद्द करने का आधार प्रदान कर सकती हैं। क्या होगा इसके बारे में अचल संपत्ति परियोजना का गठन करने के लिए, यह किसी विशेष अचल संपत्ति परियोजना के नियमों और शर्तों और दायरे पर निर्भर होना चाहिए जिसमें आवंटनकर्ता एक हिस्सा हैं। ये प्रत्येक मामले के तथ्यों में विचार किए जाने वाले तथ्यात्मक मामले हैं। [पैरा 124] [1006-जी-एच]

2. आबंटियों को एक ही अचल संपत्ति परियोजना तक सीमित रखने के पीछे का तर्क संहिता के उद्देश्य को बढ़ावा देना है। एक बार

जब अनुच्छेद 14,19 और 21 पर आधारित किसी चुनौती के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है, तो सीमा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, फिर, विधायी मूल्य निर्णय के पीछे तर्क और कारण दोनों हैं कि

आबंटित व्यक्ति, जिन्हें विवादित प्रावधानों के तहत आवेदन में शामिल होना चाहिए, उन्हें उसी अचल संपत्ति परियोजना से संबंधित होना चाहिए। एक ही अचल संपत्ति परियोजना के साथ संबंध महत्वपूर्ण है

महत्वपूर्ण जनसमूह का निर्धारण, जिसे विधानमंडल ने अपनी योजना के एक भाग के रूप में, संहिता के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए ध्यान में रखा है। यदि सभी परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं की कुल संख्या को शामिल करना है, जो एक अचल संपत्ति परियोजना के प्रवर्तक के पास एक अर्थ में हो सकता है,

यह स्वयं आवेदक के कार्य को और अधिक बोझिल बना देगा। यह एक तलवार बन जाती है, जो दोनों रास्तों को काट देगी। यही कारण है कि विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं -

अलग-अलग। अचल संपत्ति परियोजना के प्रवर्तक की एक परियोजना के संबंध में, शायद, उन्नत चरण में, किसी विशेष परियोजना में आवंटनकर्ताओं को ज्यादा शिकायत नहीं हो सकती है। एक अन्य परियोजना के संबंध में शिकायत अधिक गंभीर हो सकती है। अगर उत्तरार्द्ध के संबंध में शिकायत, एक आलोचनात्मक का ध्यान आकर्षित करती है

आबंटितों का समूह, और प्रस्तावित आवेदक उक्त परियोजना में उस परियोजना का हिस्सा है, तो, आबंटितों के लिए समान विचारधारा वाले आत्माओं के संगम के साथ, विवादित प्रावधानों में वैधानिक मंत्र को पूरा करना आसान हो सकता है। यदि, दूसरी ओर, आवश्यकता [2021] 14 एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभिन्न परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं की खोज करना, जैसा कि मामला होगा, यदि विभिन्न परियोजनाओं के तहत आवंटनकर्ताओं की संपूर्णता की गणना की जाती, तो कार्य बहुत अधिक होता।

बोझिल है। आबंटितों की आवश्यकता, एक ही परियोजना से ली जा रही है, तर्कसंगत है और किसी भी संवैधानिक दोष से पीड़ित नहीं है। [पैरा 140] [1013-एच; 1014-ए-ई]

आवेदन जमा करने की तारीख को। [पैरा 141] [1014-जी-एच] 4. धारा 7 के तहत एक आवेदन की प्रस्तुति के मामले में, यदि सीमा की आवश्यकता है, तो आक्षेप के तहत

प्रावधान, पूरा होने पर, कानून की आवश्यकता को पूरा माना जाना चाहिए। अस्पष्टता और परिणामी अव्यवहार्यता और परिणामी मनमानेपन से संबंधित विवाद है -

स्पष्ट रूप से असमर्थनीय। यदि कोई आबंटित व्यक्ति, दूसरे शब्दों में, प्रस्तुति की तारीख के अनुसार, आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, तो विवादित कानून की आवश्यकता पूरी की जाती है। [पैरा 143] [1016-ए बी]

5. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के पास एक या अधिक है।

उसके नाम पर या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर आवंटन। जब तक उसे या उसके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्र आबंटन किए जाते हैं, वे सभी अलग-अलग आबंटनकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे और वे कुल आबंटन की गणना में, साथ ही सौ आबंटनकर्ताओं या आबंटनकर्ताओं के दसवें हिस्से, जो भी कम हो, दोनों की गणना करेंगे। [पैरा 146] [1017-एफ-जी]

6. क़ानून का उद्देश्य, निश्चित रूप से, यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों (आवंटनकर्ताओं) का एक महत्वपूर्ण समूह है, जो इस बात से सहमत हैं कि संहिता को लागू करने और संहिता के तहत सभी जोखिमों के साथ अपरिहार्य प्रक्रियाओं के अधीन होने का समय आ गया है। सी. आई. आर. पी. में गति बनाए रखने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन के उद्देश्य को इस दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा कि कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के मामले में, धारा 7 (1) में विवादित प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से, जबकि आबंटित व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो सकता है, जो मनीष कुमार v को पूरा करता है।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

आर. ई. आर. ए. की धारा 2 (डी) में एक आवंटी के विवरण, एक एकल अपार्टमेंट के संयुक्त आवंटी को केवल एक आवंटी के रूप में माना जाएगा। किसी भी अन्य दृष्टिकोण से स्पष्ट दुरुपयोग और उद्देश्य की हार हो सकती है

कोड। उदाहरण के लिए, यदि एक एकल अपार्टमेंट सौ व्यक्तियों के नाम पर लिया जाता है, तो एक एकल आवंटी, जिसमें बदले में रिश्तेदार या परिवार के सदस्य या दोस्त शामिल होते हैं, एक आवेदन दायर कर सकते हैं, भले ही पूर्व स्थिति बहाल की जाएगी, जिसका अर्थ है कि केवल एक अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के लिए आवंटी प्राधिकरण के समक्ष है और यह वास्तव में संबंधित अचल संपत्ति परियोजना में आवंटी के एक महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। [पैरा 147] [1018

बी-ई]

7. केंद्र सरकार, कंपनी अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, के साथ जटिल रूप से परस्पर जुड़ी हुई है

कम्पनियों का प्रबंधन। उसके पास धारा 235 और धारा 237 के तहत कंपनियों के मामलों की जांच करने की शक्तियां थीं। धारा 397 और 398 के उद्देश्य में कंपनी के कार्यों का संचालन किसी भी तरह से लोक हित के लिए प्रतिकूल या निस्संदेह, सदस्य या सदस्यों के लिए प्रतिकूल है। ऐसी परिस्थितियों में, केंद्र सरकार को आवश्यकता को माफ करने और एक भी सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देने की शक्ति कंपनी अधिनियम की योजना के अनुरूप है। संहिता के तहत केंद्र सरकार की भूमिका अलग है। वास्तव में, संहिता के तहत केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह संहिता के तहत केवल नामित

प्राधिकरणों के माध्यम से कार्य करता है। संहिता दिवाला समाधान और विफलता परिसमापन के बारे में है। संहिता की योजना अद्वितीय है और इसके उद्देश्य कंपनी अधिनियम से स्पष्ट रूप से अलग हैं। नतीजतन, यदि विधानमंडल ने महसूस किया कि आवंटनकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली सीमा आवश्यकता, अकेले धारा 7 के तहत एक आवेदन की वैध संस्था की आवश्यकता को पूरा करेगी, तो इसे भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 151] [1019-डी-जी]

8. एक सक्षम विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य करना,

एक बेहतर व्यवस्था या एक अधिक बुद्धिमान और इससे भी अधिक निष्पक्ष प्रणाली के रूप में न्यायालय को जो निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसका आधार संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। यदि, विवादित प्रावधान अन्यथा कमजोर नहीं हैं, तो उन्हें पारित करना होगा। [पैरा 157] [1023-ई] [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. कानून प्रदाता ने एक तंत्र बनाया है, जिसका नाम है, आबंटियों का संगठन जिसके माध्यम से आबंटियों की अपेक्षा की जाती है।

आबंटितों के नाम और पते सहित आबंटन की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना। कोई भी ऐसे मामले के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है जिसमें एक क़ानून को चुनौती दी गई है कि क़ानून के तहत एकत्र की जाने वाली जानकारी नहीं होगी यह इस आधार पर उपलब्ध है कि कानून देने वाले द्वारा विचार के अनुसार कार्य नहीं किया जाएगा। [पैरा 163] [1030-सी-डी]

10. कानून एक वर्ग के भीतर एक वर्ग के निर्माण को पूरी तरह से बाधित नहीं करता है। क्या एक बनाने के लिए एक तर्कसंगत आधार होना चाहिए

एक वर्ग के भीतर उप-वर्ग, तो, यह अस्वीकार्य नहीं है। एक उप-वर्ग के भीतर एक वर्ग, वास्तव में अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी के विरोधी नहीं है। [पैरा 188] [1046-जी-एच; 1047-बी]
11. वास्तव में, आवंटनकर्ता वित्तीय ऋणदाता होते हैं। हालाँकि, उनकी कुछ विशेषताएँ हैं, जो उन्हें वित्तीय लेनदारों की व्यापकता से अलग करने के लिए विधानमंडल से अपील करती प्रतीत होती हैं। ये विशेषताएं, जो उन्हें अलग करती हैं, संघ के रुख में स्पष्ट रूप से इंगित की गई हैं। वे इस प्रकार हैं: ((i) संख्या; (ii) विषमता; और (iii) निर्णय लेने में व्यक्तित्व। [पैरा 189] [1047-बी-डी]

12. किसी अचल संपत्ति परियोजना के आवंटनकर्ताओं के मामले में, यह विधानमंडल का दृष्टिकोण है कि किसी अचल संपत्ति परियोजना में

आबंटितों की बड़ी संख्या होगी। एक परियोजना में सैकड़ों या हजारों आवंटी भी हो सकते हैं। यदि एक एकल आवंटी को, एक वित्तीय लेनदार के रूप में, इसके तहत आवेदन करने की अनुमति है

धारा 7, अन्य सभी आबंटियों के हितों को शामिल किया जा सकता है।

खतरे में। यह इस कारण से है कि अचल संपत्ति परियोजना में हितधारकों के रूप में, धन और समय का निवेश करने और फ्लैट या अपार्टमेंट का कब्जा प्राप्त करने के लिए तत्पर होने और आवंटनकर्ता के समान स्थिति का सामना करने के लिए, जो संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करता है, अन्य आवंटनकर्ताओं के पास एक हो सकता है

पूरे परिदृश्य का अलग दृष्टिकोण। उनमें से कुछ संपर्क कर सकते हैं

रेरा के तहत प्राधिकरण। अन्य, इसके बजाय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपाय का सहारा ले सकते हैं, हालांकि, उपाय

इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीवानी मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर, आबंटित व्यक्ति के पास रेरा या उपभोक्ता मनीष कुमार बनाम के तहत उपलब्ध उपचार होंगे।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

संरक्षण अधिनियम, अधिक प्रभावी विकल्प के रूप में। ऐसे में परिस्थितियों, यदि विधानमंडल, लेनदारों के एक समूह की सरासर संख्या को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्। , अचल संपत्ति परियोजनाओं के आबंटियों को यह एक बोधगम्य अंतर लगता है, जो आबंटियों को अन्य वित्तीय लेनदारों से अलग करता है, जिनके पास संख्यात्मकता की विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं, तो, इस न्यायालय के लिए इस तरह के उपाय के विवेक पर निर्णय लेना उचित नहीं है। [पैरा 192] [1049-बी-ई]

13. जाँच का अंत यह पता लगाने के साथ नहीं होना चाहिए कि आबंटियों की संख्या, विविधता और निर्णय लेने में व्यक्तित्व में एक बोधगम्य अंतर पाया जा सकता है। कानून आगे यह अपेक्षा करता है कि भेद का कानून के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। [पैरा 193] [1049-एफ]

14. कानून का उद्देश्य स्पष्ट है। पूर्ववर्ती शासन से एक कट्टरपंथी प्रस्थान पर विचार किया गया था, जो अनिवार्य रूप से था

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में निहित, और जिसने एक गहरी अस्वस्थता को प्रकट किया, जिसने अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित किया। संक्षेप में कहें तो अधिनियम के तहत शामिल प्रक्रियाओं का मतलब केवल उन मामलों में विलंब करना था, जहां गति और गतिशील निर्णय समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। संकट में कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य, समय के अपरिहार्य और तेजी से बीतने और धीमी दर दोनों के कारण बर्बाद हो गया, जिस पर मंचों ने वित्तीय संकट की समस्या का जवाब दिया। यह संहिता राष्ट्र के लिए प्रयास करने की एक अनिवार्य आवश्यकता थी

और बाकी दुनिया के साथ बराबरी करें, चाहे वह व्यापार करने में आसानी का मामला हो, ऋण की वसूली की दर को बढ़ाना हो,

बीमार चिंताओं की परिसंपत्तियों का अधिकतमकरण और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना। संहिता का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उन निगमित निकायों की परिसंपत्तियों के अधिकतमकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना है जो दिवालिया हो गए हैं। एक डिफ़ॉल्ट प्रस्तुत करें, जो निस्संदेह समय द्वारा वर्जित नहीं है (सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राधिकरण की शक्ति के अधीन), दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। [पैरा 194] [1049-जी-एच; 1050-ए-सी]

15. एक समाधान योजना का उद्देश्य एक बीमार व्यक्ति को पुनर्जीवित करना है।

निगमित देनदार और इसे एक चालू चिंता के रूप में जारी रखें।

निवेश के रूप में बीमार व्यवसायों को बचाने का महत्व

अन्य उद्यमियों को उधार दिए जाने के लिए पुनर्प्राप्त पूंजी की उपलब्धता, और यह एक ऐसा पहलू है, जो मामले की जड़ तक जाता है। हर गुजरते घंटे के साथ, अस्वाभाविक रूप से नहीं, मूल्यह्रास संपत्ति के मूल्य में कमी के रूप में अपने शिकार का दावा करेगा। यदि दिवालियापन परिसमापन के चरण में चला जाता है, तो नुकसान न केवल संबंधित व्यवसायों का है, बल्कि यह राष्ट्र के लिए भी नुकसान का प्रतिनिधित्व करेगा। निस्संदेह, यह सभी हितधारकों के हितों के नुकसान के अलावा है। हितधारकों में वित्तीय ऋणदाता और परिचालन ऋणदाता शामिल होंगे। साथ ही। असफल व्यवसाय के कर्मचारियों को सीधा झटका लगेगा। इसलिए, संहिता दिवाला प्रक्रिया से गुजरने के मामले में तेजी लाने को सबसे अधिक महत्व देती है। [पैरा 194] [1050-एफ-एच; 1051-ए-बी]

16. प्रक्रियाएँ जिस गति से संचालित की जा सकती हैं और पूरी की जा सकती हैं, वह मुकदमे की मात्रा पर आधारित है। द.

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय निकाय, अर्थात। , N.C.L.A.T., अन्य अधिनियमों के तहत भी प्राधिकरण हैं। वे समय के लिए कठोर दबाव में हैं। संहिता के अंतर्गत आने वाले मामले जटिल तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्याएँ उलझ सकती हैं।

जटिलताओं के साथ, कानून के बिंदुओं और तथ्यों दोनों में। यदि, एक उप-समूह से संबंधित वित्तीय लेनदारों के एक बड़े निकाय में से, उदाहरण के लिए एक अचल संपत्ति परियोजना के आवंटनकर्ताओं को संहिता को सक्रिय करने की स्वतंत्रता दी जानी थी, तो, कई संभावनाएँ थीं

व्यक्तिगत कार्य एक भूत है, जिसके बारे में विधानमंडल को पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल संहिता के पूरे उद्देश्य के खतरे के लिए जीवित हो गया, संहिता के तहत अधिकारियों के डॉकेट में व्यक्तिगत खिलाड़ियों को भीड़ लगाने की अनुमति देकर पटरी से उतार दिया गया, और परिणामस्वरूप, संहिता को पुनर्जीवित किया गया।

स्थिति, जिसने विधानमंडल को कानून के इस क्षेत्र में एक नई सुबह लिखने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय, संख्या को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने मनीष कुमार बनाम द्वारा एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना उचित समझा है।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

आबंटित व्यक्ति को वित्तीय लेनदारों के दायरे से पूरी तरह से बाहर नहीं निकालना। आबंटित व्यक्ति एक वित्तीय लेनदार बना हुआ है। सभी

जिसकी परिकल्पना की गई है वह विधायी मूल्य निर्णय है कि संविधि के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक महत्वपूर्ण जन अनिवार्य है, जिसे सक्रिय किया जा सकता है। आवेदकों के महत्वपूर्ण समूह का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों की एक उचित संख्या, यह विचार बनाती है कि रेरा या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या दीवानी मुकदमे के तहत उपलब्ध उपचारों के बावजूद, किसी विशेष मामले में संहिता का आह्वान ही एकमात्र रास्ता है। [पैरा 196] [1051-डी-एच; 1052-ए-बी]

17. उद्देश्यों में से एक सभी हितधारकों के हितों का संतुलन है। सौ में से किसी एक की सीमा लागू करके

आबंटितों की संख्या या यदि आबंटितों की संख्या मानदंडों के अनुसार है आबंटितों का दसवां हिस्सा सौ से भी कम है, तो आबंटितों की उक्त संख्या को संहिता लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए। यह फिर से, विषमता के बोधगम्य अंतर पर आधारित है। विषमता का अर्थ है, एक प्रतीत होने वाले सजातीय समूह के बीच अंतर। एक अचल संपत्ति परियोजना के सभी आवंटी एक बनाते हैं

वर्ग। अचल संपत्ति परियोजना को शीघ्र और प्रभावी ढंग से पूरा करने में इन सभी की हिस्सेदारी है। उपचारों की एक बहुलता है, जो कानून प्रदान करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संहिता को सक्रिय करने का परिणाम लगभग एक अनिश्चित दांव की तरह है। अलग-अलग आबंटियों द्वारा संहिता लागू करने का परिणाम न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के कार्यों में बाधा डालने के अलावा होगा। इससे भी अधिक बड़ी फाइलों के कारण अधिक देरी होती है, जिससे ऐसे व्यक्तिगत आबंटियों के कहने पर, जिसे एक परिहार्य आपदा के रूप में माना जाएगा, उसे कायम रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, जबकि अधिकांश आवंटी या तो समय देने और अचल संपत्ति परियोजना के मौजूदा प्रबंधन में विश्वास रखने या उनके लिए उपलब्ध अन्य उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने में कारण देख सकते हैं,

विजातीय समूह में से एक अलग आबंटित व्यक्ति फेंक देगा

कार्यों में खर्च करना और पूरी अचल संपत्ति परियोजना को एक संभावित विनाश में लाना। [पैरा 196] [1052-डी-एच; 1053-ए-बी]

18. उच्च स्तर की व्यक्तिपरकता के साथ व्यक्तिगत आबंटित व्यक्ति

निर्णय लेने में, परिणामों के बारे में अधिक वैश्विक दृष्टिकोण के बिना, संहिता को लागू करने में गिरावट आ सकती है, जो आगे आएगी। इस तरह के किसी भी प्रयास को केवल तुच्छ ही कहा जाएगा।

व्यक्तिगत आबंटियों द्वारा किए गए इस प्रयास में निम्नलिखित शामिल होंगे:

परिणाम:

आई. यह पहले से ही भारी डाकेट को भीड़ देगा;

ii. परिणामस्वरूप यह संहिता के तहत प्रक्रियाओं को धीमा कर देगा, यहां तक कि मामलों के संबंध में भी, जो अधिक हो सकते हैं।

वास्तविक और अधिक और अधिक समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है; iii. यह सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा। [पैरा 197] [1053-ई-जी]

19. जांच के तहत कानून एक आर्थिक उपाय है। अनुच्छेद 14 की चुनौती से निपटने में, न्यायालय एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। एक कानून शून्य में काम नहीं कर सकता है। ठोस दुनिया में, जब व्यावहारिक अनुभवों में कानून को लागू किया जाता है, तो बाधाएं जो इसके कारण उत्पन्न होती हैं

आवेदन, कानून दाताओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिकल्पित हैं। समाधान

अनुभव के माध्यम से प्रकट की गई परेशान करने वाली समस्याओं को वास्तव में प्रयोग के एक अच्छे सौदे की आवश्यकता होगी, जब तक कि यह गुजर जाता है। कानून में इकट्ठा। यह जांच करना अदालत के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है जिसे वह किसी समस्या से निपटने के लिए अधिक बुद्धिमान या बेहतर तरीका मानता है। आर्थिक मामलों में, कानून देने वाले को दिया गया व्यापक अक्षांश समय के साथ ठोस सिद्धांत और परखे गए तर्क पर आधारित होता है। [पैरा 199] [1054-जी-एच; 1055-ए-बी]

20. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि आंतरिक रूप से एक वित्तीय लेनदार और एक परिचालन लेनदार अलग-अलग होते हैं। एक कार्यात्मक

लेनदार वह होता है जिसे देनदार को आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के कारण धन देय होता है। दूसरी ओर, वित्तीय लेनदार का वर्णन इस प्रकार किया गया है, क्योंकि इसमें उधार लेने का तत्व होता है। यह भेद निर्विवाद है। परिचालन ऋणों की तुलना में अचल संपत्ति विकासकर्ता के लिए जो अनूठी बात है, वह यह है कि विकासकर्ता देनदार होता है क्योंकि एक आबंटित व्यक्ति अग्रिम राशि का भुगतान करके अपने अपार्टमेंट को धन देता है। दूसरी ओर, परिचालन ऋण के मामले में, जिस व्यक्ति ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की है, वह लेनदार बन जाता है और कॉर्पोरेट देनदार वह होता है जिसने ऐसी सेवाओं का लाभ उठाया हो। एक अन्य अंतर यह है कि एक परिचालन लेनदार का कॉर्पोरेट देनदार में कोई हित या हिस्सेदारी नहीं होती है। दूसरी ओर, आबंटित व्यक्ति निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत चिंतित होता है। यदि वित्तीय बर्बादी होती है, तो अचल संपत्ति परियोजना बेकार हो जाएगी।

क्या ऐसा मनीष कुमार बनाम होना चाहिए? भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

एक घटना भी होती है, आवंटनकर्ता या तो दावा करने या मुआवजा प्राप्त करने या ब्याज के साथ धनवापसी करने की स्थिति में नहीं होगा। तीसरा, परिचालन ऋण में धन के समय मूल्य पर कोई विचार नहीं किया जाता है। आबंटित व्यक्ति के मामले में ऐसा नहीं है। [पैरा 212] [1065-एफ-एच; 1066-ए-सी]

21. संहिता के तहत एक आवेदन के माध्यम से एक कार्रवाई

धारा 7 रेम में एक कार्रवाई है। भुगतान की गई राशि की वसूली पर मुख्य रूप से संहिता के तहत विचार नहीं किया गया है। विवादित प्रावधानों के अधिकारों को एक ओर न्यायिक जांच से मुक्त होने के पीछे के विवेक और विधायी मूल्य निर्णय और दूसरी ओर अनुच्छेद 14 के तहत समानता के जनादेश की अवहेलना करने वाले शत्रुतापूर्ण भेदभाव के बीच के अंतर पर आंखें मूंद लिए बिना आंका जाना चाहिए, जो क़ानून के लिए घातक है। इस मामले में, हालांकि यह सच हो सकता है कि आवंटनकर्ता असुरक्षित लेनदार हैं और इस संबंध में, वे परिचालन लेनदारों के समान हैं और यह भी सच हो सकता है कि अचल संपत्ति परियोजनाओं के तहत कई अनुबंधों में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम के विषय के रूप में बड़ी राशि शामिल नहीं हो सकती है।

संस्थानों, दोनों के बीच समानता वहाँ समाप्त होती है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह भेद और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो उन्हें अलग करता है, धारा 7 के तहत परंतुकों के अधिकारों पर उच्चारण करने के मामले में आबंटियों की संख्या है, और जो एक विशेष स्थिति में वे क्या चाहते हैं, उसमें सजातीय नहीं है, क्योंकि कानून ने वास्तव में आबंटियों को संपन्न किया है। अलग-अलग उपायों के साथ, अलग-अलग निहितार्थ, चाहे वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हो या रेरा के तहत। यदि विधानमंडल को लगता है कि संहिता के तहत किसी आवेदन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, जब व्यक्तियों का इतना बड़ा समूह एक-दूसरे पर हमला करता है, तो धारा 7 के तहत अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अतिरिक्त सीमा स्थापित की जानी चाहिए, निश्चित रूप से, यह कानून की न्यायिक समीक्षा का प्रयोग

करने वाले न्यायालय के हाथों संवैधानिक वीटो का सामना नहीं कर सकता है। [पैरा 212] [1066-एफ; 1067-बी-एफ]

22. यह ऐसा मामला नहीं है जहां आबंटित व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया जाता है। जो कुछ भी हुआ है वह यह है कि एक आधे रास्ते का घर चरम स्थितियों के बीच बनाया गया है, अर्थात। , अधिकार से इनकार करना

आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से आबंटित व्यक्ति को

संहिता की धारा 7 और अचल संपत्ति परियोजना और सभी हितधारकों को रखने के लिए एक व्यक्ति को बेलगाम लाइसेंस देना [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके तहत संहिता के तहत एक कार्यवाही के लिए बंधक, जो निश्चित रूप से एक निर्धारित अवधि के भीतर अपरिहार्य रूप से पारित होनी चाहिए, यदि धारा 33 के तहत परिस्थितियां सभी आबंटियों के अपरिहार्य परिणाम के साथ कॉर्पोरेट मृत्यु में मौजूद हैं और न कि केवल धारा 7 के तहत आवेदक को परिसमापन मूल्य से भुगतान के साथ देखा जा रहा है, जो राशि केवल असुरक्षित लेनदार को देय है। इस मामले में एक वित्तीय लेनदार के बीच अंतर का बिंदु, एक ओर धारा 7 में निहित अचल संपत्ति परियोजना के आवंटनकर्ताओं और परिचालन लेनदारों और दूसरी ओर धारा 8 और 9 को संरक्षित किया गया है। दूसरे शब्दों में, परिचालन लेनदार को अभी भी बंद नहीं होने की सीमा को पार करना पड़ता है एक परिचालन लेनदार के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार को अनुमति दी गई है कि बचाव पक्ष के हाथों में संसाधित नहीं किया जा रहा है। सभी

जो हुआ है वह यह है कि विधानमंडल ने अपने विवेक में पाया है कि अधिक अच्छा एक पूर्ण अधिकार की शर्त में निहित है जो आवश्यकताओं के अनुसार एक आबंटित के पक्ष में मौजूद था जो आबंटियों के बीच सहमति के कुछ निश्चित तत्व को सुनिश्चित करेगा। आवश्यकता आबंटितों का केवल दसवां हिस्सा है। यह एक ऐसी संख्या है जो नीति में जाती है और विशेष रूप से नीति के अंतर्गत आती है।

विधानमंडल का विवेक। [पैरा 214] [1067-जी-एच; 1068-ए-डी]

गोली मारते हैं। दूसरे शब्दों में, इसका दृष्टिकोण हावी रहेगा। यह अन्यथा संहिता के अधीन है। विधायी समझ स्पष्ट है। कि बड़ी संख्या की पहचान रखने वाले ऐसे लेनदारों के संबंध में उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना आवश्यक है। यदि उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है तो यह अराजकता पैदा करेगा और संहिता के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाएगा। यह इस मूल सिद्धांत का विस्तार है जिसके कारण विवादित परंतुक को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के लेनदारों के संबंध में एक सीमा पर जोर देने से अंधाधुंध मुकदमेबाजी पर रोक लग जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप जहां तक संहिता का काम करने

वाले अधिकारियों का संबंध है, एक अनियंत्रित डॉकेट विस्फोट होगा। ऋणी जो स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त है, ऊंट के मनीष कुमार बनाम पर अंतिम पुआल से मुक्त हो जाता है।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

वापस, जैसा कि यह था, व्यक्तिगत लेनदारों को रोककर, जिनके विचार आवेदनों के साथ दौड़ने वाले अपने साथियों की एक उचित संख्या द्वारा भी साझा नहीं किए जाते हैं। पुनः, जैसा कि आबंटियों के मामले में है, यह ऐसी स्थिति नहीं है जब उन्हें वित्तीय लेनदार के रूप में मानते हुए वे विधायी योजना के हिस्से के रूप में धारा 7 के तहत आवेदन करने के अधिकार से पूरी तरह से वंचित हैं। विधायी नीति निगमित ऋणी को उस चीज़ से बचाने के प्रयास को दर्शाती है जिसे वह तुच्छ या टालने योग्य अनुप्रयोगों के लिए मानता है। परिहार्य आवेदनों से हमारा मतलब एक ऐसा निर्णय है जो परिणामों को ध्यान में रखते हुए समान रूप से रखे गए लेनदारों द्वारा नहीं लिया जाएगा।

यह न केवल एक ही श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के संबंध में बल्कि लेनदारों और अन्य लोगों की व्यापकता के संबंध में भी होगा।

हितधारक। संशोधन से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि आवेदन दाखिल करने से पहले कम से कम समान रूप से रखे गए लेनदारों के एक छोटे से प्रतिशत के लिए आम सहमति हो कि एक कानूनी विवाद शुरू करने का समय आ गया है जो दूसरों के अलावा आवेदकों के लिए स्वयं खतरों से घिरा हुआ है। जहां तक परंतुक के तहत विचार किए गए आवेदकों का प्रतिशत है, यह स्पष्ट है कि इसे मनमाना या मनमौजी नहीं कहा जा सकता है

24. विधानमंडल का इरादा हमेशा कॉर्पोरेट देनदार को केवल उस हद तक लक्षित करना था जब तक कि वह इसे प्रतिबंधित करना चाहता था। संहिता के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगमित देनदार द्वारा अपने खिलाफ आवेदन। यह कभी नहीं हो सकता था

निगमित ऋणी के मार्ग में किसी भी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करने का विधानमंडल का इरादा धारा 11, दूसरों से देय देनदारियों की वसूली करने का प्रयास करके अपनी परिसंपत्तियों को अधिकतम करने से। यह न केवल [2021] 14 एस. सी. आर. के खिलाफ जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बुनियादी सामान्य दृष्टिकोण लेकिन यह संहिता के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, यदि किसी निगमित देनदार को या तो स्वयं या अपने समाधान पेशेवर के माध्यम से संहिता के प्रावधानों को लागू करने से रोका जाता है, जो बाद के चरण में, संहिता के प्रावधानों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

परिसमापक। इस प्रकार, विवादित स्पष्टीकरण के प्रावधान स्पष्ट रूप से एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन के बराबर हैं। एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन, जो विवाद में भी नहीं है, प्रकृति में पूर्वव्यापी है। स्पष्टीकरण केवल विधानमंडल के इरादे को संदेह से परे स्पष्ट करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क कि संशोधन केवल 28.12.2019 पर लागू हुआ और इसलिए, धारा 7,9 के तहत दायर आवेदनों के संबंध में या

10 , इसका कोई असर नहीं होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन मामलों के तथ्यों में स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है और यह निश्चित रूप से सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा। [पैरा 243] [1084-ई-एच; 1085-ए] 25. धारा 32 ए को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। इस न्यायालय की अधिकारिता की सीमाएँ स्पष्ट हैं।

कानून का विवेक न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। संहिता के उद्देश्य, संहिता के काम करने के अनुभव, सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समाधान आवेदकों को आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता भी शामिल है, जो समाधान योजना के हिस्से के रूप में उचित और उचित मूल्य की पेशकश करने से पीछे नहीं हटेंगे, यदि विधायिका सोचती है कि निगमित ऋणी को उसकी संपत्ति के साथ-साथ छूट दी जाए, तो यह शायद ही इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार प्रदान करता है। प्रावधान पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत करने वालों को भागने दिया जाता है। वे उत्तरदायी बने रहते हैं। कॉर्पोरेट देनदार के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन स्पष्ट रूप से है

नए प्रबंधन के लिए एक साफ ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है

अतीत और एक साफ स्लेट पर शुरू करें। इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विवादित प्रावधान एक आर्थिक उपाय का हिस्सा है। जहाँ तक संपत्ति को दी गई सुरक्षा का संबंध है, इसके पीछे स्पष्ट रूप से एक तर्क है। कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में शायद ही कोई स्पष्ट मनमानेपन दिखाई देता है। [पैरा 257] [1098-बी-डी, एफ]

27. प्रतिरक्षा विभिन्न स्थितियों को पूरा करने पर आधारित होती है। एक समाधान योजना होनी चाहिए। इसे मंजूरी मिलनी चाहिए।

निगमित देनदार के नियंत्रण में बदलाव होना चाहिए।

मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

प्रबंधन। यह कॉर्पोरेट देनदार का संबंधित पक्ष भी नहीं हो सकता है। नया प्रबंधन जांच का विषय नहीं हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी सामग्री सामने आई हो जो उकसाने वाली हो। या अपराध के लिए साजिश और उस पर दर्ज रिपोर्ट या शिकायत। इन सामग्रियों पर भी जोर दिया जाता है

संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई से बार की छूट का दावा करने के लिए। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी तरह से निगमित देनदार के साथ जुड़ा हुआ था और जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के संदर्भ में अपराध करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, उस पर मुकदमा चलाया जाना और दंडित किया जाना जारी है। निगमित देनदार द्वारा किया गया अपराध। संहिता की योजना के संदर्भ में निगमित देनदार और उसकी संपत्ति एक अलग विषय वस्तु है जो उन्हें दिए गए विशेष व्यवहार को उचित ठहराती है। आपराधिक अपराध के सृजन के साथ-साथ आपराधिक दायित्व को समाप्त करना भी आम तौर पर विधायिका के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, जब उन उद्देश्यों के व्यापक संदर्भ में देखा जाए जिन्हें प्राप्त करने की मांग की गई है, जिसमें परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण शामिल है, जिसे फिर से जल्द से जल्द प्राप्त किया जाना है, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक वीटो का विषय नहीं बन सकता है। लोक कल्याण को प्राप्त करना बहुत

अक्सर परस्पर विरोधी हितों के नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। किस प्राथमिकता को दिया जाना चाहिए, किस पर ब्याज होना चाहिए

विधायी मूल्य निर्णय और यदि प्रतीत होता है कि विधायिका में अधिक से अधिक अच्छे के लिए इसकी खोज कुछ लोगों के हितों को समाप्त करती प्रतीत होती है जो यह तब तक नहीं कर सकती जब तक कि यह कुछ लोगों के साथ आश्चर्यजनक रूप से खराब न हो।

संवैधानिक जनादेश अमान्य हो जाता है। इस आधार पर धारा को लागू करने का कोई आधार नहीं है कि यह अनुच्छेद 19,21 या 300ए का उल्लंघन करती है। [पैरा 258,259] [1098-एफ-एच; 1099-ए-ई] 28. तीसरा प्रावधान एक बार का मामला है। इसका उद्देश्य केवल धारा 7 के तहत उन आवेदनों से निपटना है, जो 28.12.2019 से पहले दायर किए गए थे, जब, आक्षेपित के माध्यम से

अध्यादेश, शुरू में, सीमा आवश्यकताओं को पहले और दूसरे विवादित प्रावधानों द्वारा पेश किया गया था। दूसरे शब्दों में, विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना था कि धारा 7 के तहत कोई भी आवेदन 28.12.2019 के बाद दायर नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि

पहले और दूसरे प्रावधानों में आवश्यकताओं का पालन करना।

विधानमंडल यहीं नहीं रुका। इसने स्पष्ट रूप से इरादा किया है कि इसके द्वारा लगाई गई सीमा आवश्यकता, उन सभी आवेदनों पर लागू होगी, जो 28.12.2019 से पहले भी दायर किए गए थे, इस अपवाद के अधीन कि इस तरह से दायर किए गए आवेदनों को धारा 7 (5) के तहत स्वीकार नहीं किया

गया था। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल का इरादा था कि धारा 7 के तहत दायर प्रत्येक आवेदन में, पहले परंतुक के दायरे में आने वाले लेनदारों और आबंटियों द्वारा दूसरे परंतुक द्वारा शासित, नई अधिरोपित सीमा आवश्यकता द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए, जिसके लिए इसका इरादा था, अध्यादेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुपालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह प्रतिबंध उन आवेदनों पर लागू नहीं था जो अध्यादेश की तारीख तक स्वीकार किए गए थे। यह भी स्पष्ट है कि दायर किए गए आवेदनों के संबंध में सीमा आवश्यकता का पालन करने में विफलता का परिणाम

पहले यह था कि वे पीछे हट जाएँगे। [पैरा 261] [1100-बी ई]

29. प्रत्येक संप्रभु विधानमंडल पूर्वव्यापी कानून बनाने की क्षमता रखता है। यह विधानमंडल के लिए खुला है, जबकि

निहित अधिकारों को छीनने के लिए पूर्वव्यापी कानून बनाना। यदि एक निहित अधिकार को पूर्वव्यापी कानून द्वारा छीन लिया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि विधानमंडल निहित अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकता है। [पैरा 333] [1145-जी-एच; 1146-ए]

30. तीसरे परंतुक द्वारा कवर किए गए वित्तीय लेनदार थे

धारा 7 के तहत एक वैधानिक अधिकार के साथ पहने हुए। यह अधिकार एक व्यक्तिगत लेनदार द्वारा स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग करने के लिए उपलब्ध था। एक सीमा आवश्यकता का अधिरोपण एक अनिवार्य और अपरिवर्तनीय न्यूनतम होने के नाते, भले ही इसे संशोधन की तारीख के रूप में और उसके बाद प्राप्त किया जाना हो, इसमें निहित कार्रवाई के मूल अधिकार में घुसपैठ का गठन करता है

व्यक्तिगत लेनदार। लेनदार की कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी।

लेन-देन। अतीत में उनके आचरण के संबंध में, अर्थात। , धारा 7 के तहत, यह अधूरा है लेकिन कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन कानून (तीसरा परंतुक) अतीत की कार्रवाई और भविष्य को बाधित करता है। तीसरे परंतुक के तहत सीमा आवश्यकता को लागू करना, केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है। यह निहित अधिकारों को बाधित करता है। इसने इसके बजाय पहले और दूसरे परंतुक में दिए गए तरीके से अधिकार की शर्त रखी है। इस न्यायालय ने पहले और दूसरे परंतुक को पहले ही बरकरार रखा है, जो वास्तव में केवल भविष्य में ही काम करता है।

मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

इस अर्थ में, विधानमंडल ने उन व्यक्तियों की बराबरी करने का इरादा किया है जिन्होंने याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों के साथ आवेदन दायर नहीं किए थे जिन्होंने अपरिवर्तित कानून के तहत आवेदन दायर किए थे। [पैरा 346] [1149-एफ-एच; 1150-ए-बी]

31. पहले और दूसरे परंतुक के तहत सीमा संख्यात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता है

तीसरे परंतुक का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। [पैरा 347] [पैरा 328] [1150-ई]

32. जनहित के दृष्टिकोण से, एक एकल आवेदक द्वारा रखे गए प्रत्येक आवेदन को एक वास्तविक खतरे के रूप में माना जाता है

संहिता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इसलिए आवेदनों को जारी रखना जनहित में नहीं हो सकता है। यह, मानो, विधानमंडल का इरादा आवेदनों को आगे संसाधित करने से पहले, आवेदकों को न्यूनतम संख्या में समान हितधारकों की सहमति प्राप्त करने के लिए कहने के रूप में अपने ब्रेक लगाने का है। [पैरा 359] [1154-डी-ई]

33. विचाराधीन कानून एक आर्थिक उपाय है। यह एक ऐसा मामला है जहां कानून देने वाले ने अटकलों या अटकलों पर कुछ नहीं छोड़ा है।

सन्देह हो रहा है। [पैरा 360] [1155-बी]

34. विधायिका के पास निहित अधिकारों को कम करने और छीनने की शक्ति है। हालाँकि, जो सीमाएँ हैं, वे अनुच्छेद 21 के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 19 दोनों से हैं। यह सिद्धांत से प्रवाहित होता है कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। पूर्वव्यापी कानून की वैधता के बारे में सवाल, तथ्यों, समय की अवधि, जिस पर पूर्वव्यापी कानून संचालित होता है, निहित अधिकारों पर कानून का प्रभाव, सार्वजनिक हित, अधिकार की प्रकृति, जो कानून का विषय है और कानून की शर्तों पर विचार करने पर निर्णय लिया जाना है। [पैरा 361] [1155-डी-एफ]

35. इस मामले में शामिल अधिकार की प्रकृति, वित्तीय लेनदारों का अधिकार है कि वे इसके तहत आवेदन दायर करें।

धारा 7. हालांकि, धारा 7 वित्तीय लेनदार को आवेदन दायर करने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन कार्यवाही एक समान होती है। विधानमंडल को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां उसने महसूस किया कि धारा 7 के तहत आवेदन की रखरखाव के रूप में आवश्यकता, लंबित आवेदनों के संबंध में, किए गए तरीके में संशोधित किया जाना चाहिए। एक निर्धारक सिद्धांत है, अर्थात्, [2021] 14 एस. सी. आर.।

अनुभव से धारणा कि कैसे पूरी वस्तु संहिता खतरे में पड़ जाएगी यदि पहले से दायर आवेदन तब भी जारी रह सकते हैं जब इसका समर्थन करने के लिए उचित और उचित संख्या में रिश्तेदार उपलब्ध नहीं

हैं। एक बार जब कोई सिद्धांत हो जाता है, तो यह समय के बिना मज़बूत, अत्यधिक या असमान नहीं हो सकता है।

परंतुक के तहत दिया गया स्पष्ट रूप से मनमाना है। किसी कानून के तहत निहित अधिकार को पूर्वव्यापी कानून द्वारा छीन लिया जा सकता है। एक क़ानून के तहत दिए गए अधिकार को दूसरे क़ानून द्वारा छीन लिया जा सकता है। इस तरह के कानून के पीछे काफी जनहित था। सरासर संख्या, जिसमें आवेदनों का प्रसार हुआ, इसके परिणाम के साथ संयुक्त रूप से, कानून बनाने में एक तर्कहीन या मज़बूत पहलू के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। एक आर्थिक उपाय होने के नाते, कानून देने वाले के लिए उपलब्ध व्यापक अक्षांश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 362] [1155-एफ-एच; 1156-ए सी]

विधानमंडल का इरादा था कि लंबित आवेदनों को सीमा आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने के लिए परिणाम प्रदान किए जाने चाहिए। अन्यथा, इसने पूरी तरह से अनिश्चितता पैदा कर दी होती और आवेदक से निपटा जाता। स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से। प्रवेश से पहले निकासी के परिणाम के लिए प्रावधान करना नए सिरे से फाइलिंग को रोकने का परिणाम नहीं है, यहां तक कि प्रवेश के संबंध में भी

समान चूक, पालन करने के बाद, निस्संदेह, पहले या दूसरे परन्तुक की आवश्यकता के साथ, मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान में इस संबंध में स्पष्टता की कमी है, लेकिन कानून की समझ पर, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, प्रावधान को किए गए तरीके से समझने में सक्षम था। [पैरा 365] [1156 जी-एच; 1157-ए-बी]

37. पहले और दूसरे प्रावधानों के संबंध में, उनके पास केवल संभावित संचालन है। इनके अंतर्गत आने वाले लेनदार

प्रावधान, अपेक्षित समर्थन प्राप्त करने के मामले में किसी भी समय सीमा (निस्संदेह, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंध को छोड़कर) के अधीन नहीं हैं। हालांकि, लंबित आवेदनों के संबंध में एक समय सीमा निर्धारित करना, अपने आप में, मनमाना नहीं हो सकता है, अन्यथा, यह एक अंतहीन और अनिश्चित प्रक्रिया होगी। अनुप्रयोग डॉकेट और मनीष कुमार v का हिस्सा बने रहेंगे।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

यह भी एक डेमोक्लिस तलवार बन जाती है जो देनदार और अन्य हितधारकों को हानिकारक परिणामों के साथ लटकाती है

संहिता की वस्तुएँ। यह अवधि लंबी होने से याचिकाकर्ताओं के लिए अधिक उचित हो सकती थी, लेकिन यही वह जगह है जहाँ किसी को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय कहाँ रेखा खींचेगा? यह मानना मुश्किल है कि 30 दिनों की समय सीमा के भीतर आवश्यकताओं का पालन करना असंभव है। [पैरा 366 और

369] [1157 - बी-डी; 1158-सी] 38. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए निर्देशों के अधीन, विवादित संशोधनों को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 372] [1159-डी]

गुजरात राज्य और अन्य बनाम। श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और अन्य (1974) 4 एस. सी. सी. 656: [1974]

3 एस. सी. आर. 760; पश्चिम राज्य-बंगाल बनाम। अनवर अली एयर 1952 एससी 75: [1952] एससीआर 284; ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और एक अन्य (1974) 4 एस. सी. सी. 3: [1974] 2 एस. सी. आर. 328; शायरा बानो बनाम। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1:

[2017] 9 एससीआर 797; नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2018) 10 एससीसी 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 379; जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ (2019) 3 एससीसी 39 [2018] 11 एससीआर 765; न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टुस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एस. सी. आर. 569; हिन्दुस्तान निर्माण

कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य एआईआर 2020 एससी 122; श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1: [2015] 5 एस. सी. आर. 963; के. नागराज और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 523: [1985] 2 एस. सी. आर. 579; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह (2009) 13 एससीसी 165: [2009]

[10] एस. सी. आर. 821-निर्भर।

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और

एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2019) 8 एस. सी. सी. 416 [2019] 10 एस. सी. आर. 381; चित्रा शर्मा और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2018) 18 एस. सी. सी. 575: [2018] 12 एस. सी. आर. 1044; मोतीलाल पदमपत चीनी मिल

कं. लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 2 एस. सी. सी. 409: [1979] 2 एस. सी. आर. 641; नागपुर निवेश न्यास और अन्य बनाम।

विठ्ठल [2021] 14 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राव और अन्य (1973) 1 एस. सी. सी. 500: [1973] 3 एससीआर 39; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता और

एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633 [2018] 12 एससीआर 794; स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी ए. आई. आर 1957 एस. सी 540:

[1957] एससीआर 488; तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य (2011) 6 एस. सी. सी. 739: [2011] 4 एस. सी. आर. 838; दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड बनाम तरुण पाल सिंह और अन्य (2018) 14 एस. सी. सी. 161: [2017] 14 एस. सी. आर. 202; कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम द.

कर्नाटक प्यादा दलाल संघ और अन्य (2018) 6 एस. सी. सी. 363: [2018] 10 एस. सी. आर. 409; एल. आर. और अन्य द्वारा वसंत गणपत पडववे (डी)। वी. अनंत महादेव सावंत (डी) एल. आर. के माध्यम से। & ओआरएस। 2019 (12) स्केल 572; अमीरुन्निसा बेगम और अन्य बनाम। महबूब बेगम और अन्य [1953] एससीआर 404; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 19: [1974] 1 एससीआर 771; मूर्ति मैच वर्क्स और अन्य बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर और एक अन्य (1974) 4 एस. सी. सी. 428: [1974] 3 एससीआर 121; अजय कुमार बनर्जी और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (1984) 3 एस. सी. सी. 127: [1984] 3 एससीआर 252; आशुतोष गुप्ता बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 34 [2002] 2 एस. सी. आर. 649; इंद्र साहनी और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (1992) 3 पूरक। एससीसी 217: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454; लॉर्ड कृष्णा शुगर मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य [1960] 1 एस. सी. आर. 39; केरल राज्य और एक अन्य v. एन. एम. थॉमस और अन्य (1976) 2 एस. सी. सी. 310: [1976] 1 एस. सी. आर. 906; पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य v. रास बिहारी सरकार एंड अदर (1993) 1 एस. सी. सी. 479: [1992] 3 पूरक। एस. सी. आर. 351; केरल राज्य बनाम। अरविंद रमाकांत मोदावदाकर और अन्य (1999) 7 एस. सी. सी. 400; संसार चंद अत्रि बनाम। पंजाब राज्य और एक अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 154 [2002] 2 एस. सी. आर. 881; भारत संघ और

अन्य वी। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (1985) 4 एस. सी. सी. 369: [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 123; के. नागराज और अन्य बनाम ए. पी. और एक अन्य राज्य (1985) 1 एस. सी. सी. 523:

[1985] मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ओ. टी. ई. आई. का संघ

2 एस. सी. आर. 579; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह (2009) 13 एससीसी 165: [2009] 10 एससीआर 821; गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड बनाम। नगर निगम

अहमदाबाद और अन्य (1999) 4 एस. सी. सी. 468: [1999] 2 एस. सी. आर. 895; हावड़ा नगर निगम और

निगम और अन्य (1980) 1 एस. सी. सी. 149: [1980] 1 एस. सी. आर. 684; लालजी राजा एंड संस बनाम। हंसराज नाथुराम (1971) 1 एस. सी. सी. 721: [1971] 3 एस. सी. आर. 815; कनाया राम और अन्य बनाम। राजेंद्र कुमार और अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 436; जे. पी. श्रीवास्तव एंड संस (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम। ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 172: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 648; अंजुम हुसैन और अन्य बनाम। इंटेलिसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2019) 6 एससीसी 519: [2019] 7 एस. सी. आर. 1036; भारत संघ और अन्य बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (1985) 4 एस. सी. सी. 369 [1985] 3 पूरक। एससीआर 123; बी. के.

एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड v. पराग गुप्ता

& एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एस. सी. आर. 794; राजमुंदरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड बनाम।

ए. नागेश्वर राव और अन्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 212:

[1955] एस. सी. आर. 1066; अध्यक्ष, तमिलनाडु आवास बोर्ड बनाम। टी. एन. गणपति (1990) 1 एससीसी 608: [1990] 1 एससीआर 272; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2019) 8

एस. सी. सी. 416 [2019] 10 एस. सी. आर. 381; भारत संघ बनाम तारसेम सिंह (2019) 9 एस. सी. सी. 304; गुजरात राज्य और एक अन्य वी. श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड (1974) 4 एस. सी. सी. 656: [1974] 3 एस. सी. आर. 760; विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 (1979) 1 [2021] 14 एस.

एस. सी. सी. 380 [1979] 2 एस. सी. आर. 476; अजय कुमार बनर्जी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1984) 3 एससीसी 127: [1984] 3 एस. सी. आर. 252; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। निदेशक, सी. बी. आई और अन्य। (2014) 8 एससीसी 682: [2014] 6 एससीआर 873; इंदिरा सॉनी बनाम। भारत संघ (1992) 3 पूरक। एससीसी 217: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। वी. रास बिहारी सरकार और ओआरएस। (1993) 1 एस. सी. सी. 479 [1992] 3 पूरक। एस. सी. आर. 351; केरल राज्य बनाम। अरविंद रमाकांत मोदावदाकर और अन्य। (1999) 7 एस. सी. सी. 400; संसार चंद अत्री बनाम। पंजाब राज्य और दूसरा (2002) 4 एस. सी. सी. 154: [2002] 2 एस. सी. आर. 881; परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। राज्य

केरल और एक अन्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225: [1973] 0 पूरक। एस. सी. आर. 1; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य (2018) 1 एससीसी 407 [2017] 8 एस. सी. आर. 33; वसंत गणपत पदवे (डी) एल. आर. और ओआरएस। वी. एलआर के माध्यम से अनंत महादेव सावंत (डी)। और ओआरएस। (2019) 12 स्केल 579; शायरा बानो बनाम। भारत संघ और अन्य (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 9 एस. सी. आर. 797; एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम आर. पट्टाबिरमन और अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एससीआर 643; सोनिया भाटिया बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 585: [1981] 3 एस. सी. आर. 239; वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड बनाम

आयकर आयुक्त, दिल्ली-I (2007) 9 एस. सी. सी. 665: [2007] 2 एस. सी. आर. 289; हीरालाल रतनलाल और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (1973) 1 एस. सी. सी. 216: [1973] 2

एससीआर 502; हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1994) 4 एससीसी 602: [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 360; अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम। अमृत लाल एंड कंपनी एंड अदर (2001) 8 एस. सी. सी. 397: [2001] 2 पूरक। एससीआर 195; बी. के. शैक्षिक सेवाएँ

प्राइवेट लिमिटेड v. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एस. सी. सी. 633 [2018] 12 एस. सी. आर. 794; लालजी राजा एंड संस बनाम। हंसराज नाथुराम (1971) 1 एस. सी. सी. 721: [1971] 3 एससीआर 815; ईशा वलीमोहम्मद बनाम। हाजी गुलाम मोहम्मद और हाजी दादा ट्रस्ट (1974) 2 एससीसी 484: [1975] 1 एस. सी. आर. 720; बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाम। वीएस. कंडलगांवकर (2015) 2 एस. सी. सी. 1 [2014] 14 एस. सी. आर. 409; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। शांति मिश्रा (1975) 2 एस. सी. सी. 840:

[1976] मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ओ. टी. ई. आई. का संघ

2 एस. सी. आर. 266; विनोद गुरुदास रायकर बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य। (1991) 4 एससीसी 333: [1991] 3 एस. सी. आर. 912; भारत संघ बनाम। हरनाम सिंह (1993) 2 एससीसी 162: [1993] 1 एससीआर 862; वी. धनपाल चेट्टियार बनाम। यशोदाई अम्मल (1979) 4 एस. सी. सी. 214: [1980] 1 एससीआर 334; डी. सी. भाटिया बनाम। भारत संघ (1995) 1 एससीसी 104:

[1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 539; एम. बीबी सईदा और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य (1996) 9 एससीसी 516: एयर

1996 एस. सी. 1936: [1996] 1 पूरक। एससीआर 799; एम. एस. शिवानंदा बनाम कर्नाटक एस. आर. टी. सी. (1980) 1 एस. सी. सी. 149: [1980] 1 एस. सी. आर. 684; रामेश्वर और अन्य बनाम जोट राम

और दूसरा (1976) 1 एस. सी. सी. 194: [1976] 1 एस. सी. आर. 847; बंशीधर बनाम। राजस्थान राज्य (1989) 2 एससीसी 557: [1989] 2 एससीआर 152; मोहिंदर कुमार और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और एक अन्य (1985) 4 एस. सी. सी. 221: [1985] 2 पूरक। एससीआर 859; डी. सी. भाटिया और अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (1995) 1 एस. सी. सी. 104: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 539; हावड़ा नगर निगम और अन्य बनाम गंगा रोप कंपनी लिमिटेड और अन्य (2004) 1 एस. सी. सी. 663 [2003] 6 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 1212; आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2019) 2 एस. सी. सी. 1: [2018] 12 एससीआर 362; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एससीआर 794; एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 7 एस. सी. सी. 58; मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2004) 4 एस. सी. सी. 311 [2004]

3 एससीआर 982; पी. डी. अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1987) 3 एस. सी. सी. 622: [1987] 3 एस. सी. आर. 427; दर्शन सिंह बनाम राम पाल सिंह और अन्य। (1992) 1 पूरक। एस. सी. सी. 191 [1990] 3 पूरक। एससीआर 212; के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य (1994) 5 एससीसी 593: [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 405; स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) v. भारत संघ और अन्य एआईआर 2005 एससी 3446 (2005) 7 एससीसी 584: [2005] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 200; दिल्ली परिवहन निगम। वी. डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस (1991) 1 पूरक। एससीसी 600: [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 142 और विजय बनाम. महाराष्ट्र राज्य (2006) 6 एस. सी. सी. 289 [2006] 4 पूरक। एस. सी. आर. 81-संदर्भित।

गोपेशुर पाल बनाम। जीवन चंद्र चंद्र और अन्य

ए. आई. आर. 1914 कलकत्ता 806-संदर्भित।

वेस्ट वी. ग्वेनी (1910) डब्ल्यू. एल. आर. 976; पुनः: पुलबोरो पैरिश स्कूल बोर्ड चुनाव, बोर्के बनाम। नट (1894) 1

क्यू. बी. 725; एबॉट और भूमि मंत्री (1895) एसी 425;

हैमिल्टन गेल बनाम। सफेद (1922) 2 के. बी. 422; ऑडजेन

इंडस्ट्रीज पीटीवाई। लिमिटेड वी. हैदर डोरीन लुकास 3 डब्ल्यूएलआर 75 /

(1969) (1) ऑल इंग्लैंड 121 रिपोर्ट करता है; सार्वजनिक निदेशक

काम करता है और एक अन्य वी। हो पो सांग और अन्य [1961] 3

डब्ल्यू. एल. आर. 39 और एल 'ऑफिस चेरिफियन डेस फॉस्फेट और एक और और यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड।

(1994) 1 सभी ईआर 20 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 10 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2018] 12 एससीआर 1044

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1979] 2 एससीआर 641

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1973] 3 एससीआर 39

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2018] 12 एससीआर 794

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[1957] एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2011] 4 एससीआर 838

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2017] 14 एससीआर 202

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2018] 10 एससीआर 409

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

2019 (12) स्केल 572

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[1953] एससीआर 404

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

[1974] 1 एससीआर 771

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1974] 3 एससीआर 121

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

[1984] 3 एससीआर 252

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[2002] 2 एससीआर 649

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

पैरा 36

मनीष कुमार बनाम को संदर्भित किया गया। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[1960] 1 एससीआर 39

संदर्भित किया गया

पैरा 36

[1976] 1 एससीआर 906

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

[1992] 3 पूरक। एससीआर 351

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

(1999) 7 एससीसी 400

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2002] 2 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[1985] 3 पूरक। एससीआर 123

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 एससीआर 579

पैरा 38

[2009] 10 एससीआर 821

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 एससीआर 895

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1212

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[2018] 12 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

(2015) 3 एससीसी 206

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर 684

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

[1971] 3 एससीआर 815

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

(1985) 1 एस. सी. सी. 436

पैरा 40

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एससीआर 648

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[2019] 7 एससीआर 1036

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[1974] 3 एससीआर 760

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[1952] एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पैरा 48

[1974] 2 एससीआर 348

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

[2017] 9 एससीआर 797

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

[2018] 7 एससीआर 379

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

[2018] 11 एससीआर 765

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

[2017] 10 एससीआर 569

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

उस पर भरोसा करें

आकाशवाणी 2020 एससी 122

पैरा 50

[2015] 5 एससीआर 963

उस पर भरोसा करें

पैरा 51

[2021] 14

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1985] 2 एससीआर 579

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2009] 10 एससीआर 821

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1985] 3 पूरक। एससीआर 123

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2018] 12 एससीआर 794

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1955] एससीआर 1066

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1990] 1 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2019] 10 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2019) 9 एससीसी 304

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1974] 3 एससीआर 760

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1979] 2 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1984] 3 एससीआर 252

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2014] 6 एससीआर 873

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1992] 3 पूरक। एससीआर 351

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1999) 7 एससीसी 400

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2002] 2 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1973] 0 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2019) 12 स्केल 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2017] 9 एससीआर 797

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1981] 3 एससीआर 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2007] 2 एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1973] 2 एससीआर 502

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1994] 1 पूरक। एससीआर 360

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2001] 2 पूरक। एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2018] 12 एससीआर 794

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1971] 3 एससीआर 815

संदर्भित किया गया है

पैरा 2 मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[1975] 1 एससीआर 720

संदर्भित किया गया है

पैरा 281

[2014] 14 एससीआर 409

संदर्भित किया गया है

पैरा 287

[1976] 2 एससीआर 266

संदर्भित किया गया है

पैरा 288

[1991] 3 एससीआर 912

संदर्भित किया गया है

पैरा 291

[1993] 1 एससीआर 862

संदर्भित किया गया है

पैरा 291

[1980] 1 एससीआर 334

पैरा 292

संदर्भित किया गया है

[1994] 4 पूरक। एससीआर 539

संदर्भित किया गया है

पैरा 293

[1996] 1 पूरक। एससीआर 799

पैरा 295

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर 684

पैरा 296

निर्दिष्ट 28 को संदर्भित 29 को संदर्भित 3

[1976] 1 एससीआर 847

पैरा 297

[1989] 2 एससीआर 152

पैरा 298

[1985] 2 पूरक। एससीआर 859

पैरा302

[1994] 4 पूरक। एससीआर 539

पैरा302

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1212

संदर्भित किया गया है

पैरा 303

[2018] 12 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 304

[2018] 12 एससीआर 794

संदर्भित किया गया है

पैरा 308

(2015) 7 एससीसी 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 308

[2004] 3 एससीआर 982

संदर्भित किया गया है

पैरा 312

[1987] 3 एससीआर 427

संदर्भित किया गया है

पैरा 317

[1990] 3 पूरक। एससीआर 212

संदर्भित किया गया है

पैरा 319

[1994] 3 पूरक। एससीआर 405

संदर्भित किया गया है

पैरा 322

[2005] 3 पूरक। एससीआर 200

संदर्भित किया गया है

पैरा 323

[1990] 1 पूरक। एससीआर 142

संदर्भित किया गया है

पैरा 326

[2006] 4 पूरक। एससीआर 81

पैरा 328

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सिविल)

26 2020 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

[2021] 14

एस. सी. आर. के साथ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिका (सी) संख्या 53,28,47,27,73,328,210,191,164,163,

166 , 173 , 182 , 176 , 177 , 257 , 341 , 267 , 333 , 337 , 388 , 402 , 390 , 393 , 783 , 579 , 806 , 714 , 642 , 805 , 19 , 33 , 75 , 165 , 850 , 374 , 229 , 228 , 209 2020 का और हस्तांतरित मामला (ग) सं. 228/2020

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, तुषार मेहता, एसजी, साजन पूवय्या,

राणा मुखर्जी, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कृष्णमोहन के. मेनन, चैतन्यशील प्रियदर्शी, सुश्री दानिया नय्यर, सुश्री पारुल सचदेवा, आकाश वाजपेयी, वैभव मनु श्रीवास्तव, भानु पंत, नमित सक्सेना, पीयूष सिंह, आदित्य पारोलिया, अक्षय श्रीवास्तव, नितिन

चंद्रन, राजेश कुमार, गौरव गोयल, सृजन सिन्हा, हिमांशु चौबे, ऐश्वर्या सिन्हा, संतोष कुमार, आयुष्मान वात्स्यायन, सुश्री हेमलता रावत, दीपक आनंद, मारीश प्रवीर सहाय, सुश्री ताशीम अहमदी, सुधीर कुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता, शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, सुश्री मधु सूरी, सुश्री शिल्पा सैनी, सुश्री निकिता थापर, सुश्री विनीश्मा कौल, सुश्री प्रियांजली सिंह, सुश्री राशी बंसल, दिनेश चंद्र पांडे, ध्रुव गुप्ता, हर्षिल गुप्ता, अर्जुन सिंह भाटी, अन्नम डी. एन. राव, अन्नम वेंकटेश, राहुल मिश्रा, सिद्धार्थ जोशी, गोपाल सिंह चौहान,

जॉर्ज, सुश्री ट्विशा इस्सार, सुश्री देवल सिंह, ओम नारायण, पल्लव मोंगिया, कानू अग्रवाल, सुश्री सुनीता शर्मा, राजीव रंजन, सुश्री संसृति पाठक, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री चारू अंबवानी, हिरेंद्रनाथ, शांतनम स्वामीनाथन, सुश्री प्रकृति गोलेचा, सुश्री अभिलाषा श्रवण, श्रीमती आरती राजन, अमर गुप्ता, दिव्यम अग्रवाल, दक्ष अहलूवालिया, सुश्री पल्लवी कुमार, अधिराज गुप्ता, प्रतिभा सिंह, शिखर मनियार, सुश्री रक्षा अग्रवाल, केशव मोहन, आर. के. अवस्थी, प्रशांत कुमार, पीयूष वत्स, सुश्री रितु अरोड़ा, संतोष कुमार-आई, राजेश पी., करण राजपुरोहित, कृष्ण देव जगरलामुदी, विक्रम हेगड़े, राहुल कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

प्रत्यर्थी-व्यक्तिगत मनीष कुमार बनाम।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वे दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 3,4 और 10 (इसके बाद संक्षेप में 'विवादित संशोधन' के रूप में संदर्भित) पर सवाल उठाते हैं। विवादित संशोधन की धारा 3, दिवाला की धारा 7 (1) में संशोधन करती है और

दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद संक्षेप में 'संहिता' के रूप में संदर्भित)। आक्षेपित संशोधन की धारा 4 में एक अतिरिक्त प्रावधान शामिल है

संहिता की धारा 11 में स्पष्टीकरण। आक्षेपित संशोधन की धारा 10 संहिता में धारा 32 ए को सम्मिलित करती है।

2. संशोधन से पहले संहिता की धारा 7 (1) इस प्रकार है:
" 7. वित्तीय व्यवस्था द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

लेनदार: (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति,

जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।
जब एक डिफ़ॉल्ट हुआ है "।

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बल्कि निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

विवादित की धारा 3 द्वारा उसी में संशोधन

संशोधन में धारा 7 (1) के 3 प्रावधान शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं:

" बशर्ते कि धारा 21 की उप-धारा (6 ए) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए एक आवेदन -

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करना निगमित देनदार को एक ही वर्ग के कम से कम सौ ऐसे लेनदारों द्वारा या दस प्रतिशत से कम नहीं, संयुक्त रूप से दाखिल किया जाएगा। एक ही वर्ग में ऐसे लेनदारों की कुल संख्या में से जो भी कम हो:

बशर्ते कि वित्तीय लेनदारों के लिए जो इसके तहत आबंटित हैं

एक अचल संपत्ति परियोजना, कॉर्पोरेट [2021] 14 एस. सी. आर. शुरू करने के लिए एक आवेदन।

जो भी कम हो: बशर्ते कि जहां निगमित शुरू करने के लिए एक आवेदन हो

एक निगमित देनदार के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया पहले और दूसरे परंतुकों में संदर्भित एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर की गई है और जिसे दिवाला और दिवालिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसे आवेदन को उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर पहले या दूसरे परंतुक की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए संशोधित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर

आवेदन को इससे पहले वापस लिया गया माना जाएगा

प्रवेश "। 3. संशोधन से पहले की धारा 11 इस प्रकार है:

" 11. वे लोग जो आवेदन करने के हकदार नहीं हैं। निम्नलिखित व्यक्ति आरंभ करने के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं होंगे।

इस अध्याय के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया,

प्रक्रिया; या (ख) एक निगमित देनदार जिसने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी की हो, जो बनाने की तारीख से बारह महीने पहले की हो।

आवेदन का; या

(ग) एक निगमित देनदार या एक वित्तीय लेनदार जिसने समाधान योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है जिसे इस अध्याय के तहत आवेदन करने की तारीख से बारह महीने पहले अनुमोदित किया गया था; या

बनाया गया है। स्पष्टीकरण 1 [I]। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक निगमित देनदार में ऐसे निगमित देनदार के संबंध में एक निगमित आवेदक शामिल है। स्पष्टीकरण जो आक्षेपित के माध्यम से डाला गया था

डिमेंट इस प्रकार है:

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

" स्पष्टीकरण II-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट निगमित देनदार को निगमित दिवालियापन शुरू करने से नहीं रोकेगी। एक अन्य निगमित देनदार के खिलाफ समाधान प्रक्रिया।"

4. विवादित संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा 32 ए निम्न स्तरों को पढ़ती है:

" 32 ए. (1) इस संहिता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इससे पहले किए गए अपराध के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

बंद हो जाएगा, और कॉर्पोरेट देनदार पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा

समाधान योजना की तारीख से ऐसा अपराध किया गया है।

(क) ऐसे व्यक्ति का प्रवर्तक या निगमित देनदार या संबंधित पक्ष के प्रबंधन या नियंत्रण में; या (ख) एक व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित जांच

प्राधिकरण के पास अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध करने के लिए उकसाया या साजिश रची थी, और उसके पास एक रिपोर्ट या शिकायत प्रस्तुत या दायर की है।

संबंधित सांविधिक प्राधिकारी या न्यायालय:

बशर्ते कि यदि इस दौरान अभियोजन शुरू किया गया था

ऐसे निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, इस उप-धारा की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक "नामित भागीदार" था

सीमित देयता की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित के रूप में

साझेदारी अधिनियम, 2008 या "चूक करने वाला अधिकारी", जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में परिभाषित किया गया है, या किसी भी तरह से अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कॉर्पोरेट देनदार का प्रभारी या जिम्मेदार था या किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ा हुआ था और जो जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या शिकायत के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपराध में शामिल था, उस पर [2021] 14 एस. सी. आर. द्वारा किए गए ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार द्वारा इसके बावजूद कि निगमित देनदार का दायित्व इस उप-धारा के तहत समाप्त हो गया है।

(2) निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ इससे पहले किए गए अपराध के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत, जहां ऐसी संपत्ति एक के तहत आती है

धारा 31, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को निगमित देनदार के नियंत्रण में परिवर्तन होता है, या इस संहिता के भाग II के अध्याय III के प्रावधानों के तहत परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री किसी ऐसे व्यक्ति को की जाती है, जो ((i) ऐसे व्यक्ति का प्रवर्तक या निगमित देनदार या संबंधित पक्ष के प्रबंधन या नियंत्रण में; या

((ख) एक व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित जांच प्राधिकरण के पास अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध करने के लिए उकसाया या साजिश रची थी, और संबंधित वैधानिक प्राधिकरण या न्यायालय को एक रिपोर्ट या शिकायत प्रस्तुत या दायर की है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(i) किसी अपराध के संबंध में निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई में ऐसी कानून के तहत ऐसी संपत्ति की कुर्की, जब्ती, प्रतिधारण या जब्ती शामिल होगी जो -

निगमित देनदार पर लागू हो सकता है;

((ii) इस उप-धारा की किसी भी बात का अर्थ किसी भी व्यक्ति की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय कॉर्पोरेट देनदार या उस व्यक्ति के जिसने इस तरह की संपत्ति का अधिग्रहण किया है।

इस संहिता के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया और इस धारा में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसा कानून जो लागू हो।

(3) उप-धारा (1) और (2) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और इस धारा में दी गई प्रतिरक्षा के बावजूद, निगमित ऋणी और कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसी कानून के तहत सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है जो ऐसे निगमित ऋणी या व्यक्ति पर लागू हो, किसी अपराध की जांच करने वाले किसी भी प्राधिकरण को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

निगम की शुरुआत से पहले की गई प्रतिबद्धता दिवाला समाधान प्रक्रिया "।

याचिकाकर्ता कौन हैं?

विवादित प्रांतों में संवैधानिक बंदूक को प्रशिक्षित किया। 6. दूसरे परंतुक के तहत, धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए एक आवंटी के लिए एक नई सीमा घोषित की गई है।

संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया। सीमा यह है कि

आवश्यकता है कि आवेदन का समर्थन करने के लिए कम से कम 100 आबंटियों या कुल आबंटियों का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उसी परियोजना से संबंधित होना चाहिए। लगभग सभी (दो याचिकाओं को छोड़कर), याचिकाकर्ताओं ने पूर्ववर्ती शासन के तहत भी अनुमति दी थी धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए एकल आवंटी ने अकेले या परंतुक के तहत आवश्यक संख्या से कम के साथ याचिकाएं दायर कीं और उन्हें तीसरे परंतुक के प्रावधानों के साथ देखा जाता है, जिसके अनुसार धारा 7 के तहत ऐसे आवेदन जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था, 30 दिनों के भीतर वापस ले लिए जाएंगे, यदि 100 आवंटी की नई घोषित सीमा या आवंटी का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, आवेदक/आवेदक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

7. कुछ याचिकाओं में याचिकाकर्ता साहूकार हैं, यानी उन्होंने अचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के लिए कदम उठाया है। उन्हें उस आवश्यकता के साथ भी देखा जाता है जो पहले आक्षेपित परंतुक के तहत उन पर लगाई जाती है जो दूसरे परंतुक में शामिल लोगों के समान है।

8. फिर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 32 ए है, जो लेनदारों और आबंटियों द्वारा विवादित है।

कोड

9. यह संहिता वर्ष 2016 में लागू की गई थी। यह रोकथाम के लिए राज्य द्वारा विचार किए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपायों में से एक है।

दिवाला, बीमार व्यवसायों को पुनर्जीवित करने, उद्यमियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने और यहां तक कि सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम को बदलने के लिए अंतिम छोर तक धन प्रदान करना। संहिता को पाँच भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग सबसे छोटा भाग है। भाग II इस बात से संबंधित है कि हम इन मामलों में क्या चिंतित हैं और इसका उद्देश्य दिवाला समाधान और परिसमापन [2021] 14 एस. सी. आर. से निपटना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित व्यक्तियों के लिए '। निगमित व्यक्ति 'को अनुभाग में परिभाषित किया गया है।

3 (7) इस प्रकार है:

" 3 (7) . " निगमित व्यक्ति "से खंड में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत एक सीमित देयता भागीदारी, जिसे सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एन) में परिभाषित किया गया है, या कोई अन्य व्यक्ति

तत्काल प्रभाव से लागू किसी भी कानून के तहत सीमित दायित्व के साथ निगमित, लेकिन इसमें कोई भी वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल नहीं होगा।

10. धारा 3 (8) 'निगमित देनदार' को परिभाषित करती है जो यह प्रावधान करती है कि निगमित देनदार का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी व्यक्ति पर ऋण है।

11. हम देख सकते हैं कि भाग II का अध्याय II जिसमें धारा 6 से 32 शामिल हैं, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित है। अध्याय III निगमित व्यक्ति के संबंध में सामान्य परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित है। भाग II का अध्याय IV जिसमें चार खंड शामिल हैं, उपवास से संबंधित है दिवाला समाधान प्रक्रिया को ट्रैक करें। अध्याय 5, जिसमें धारा 59 शामिल है, केवल निगमित व्यक्ति के स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित है। अध्याय VI विविध पहलुओं से संबंधित है। अध्याय VII भाग II दंड से संबंधित है।

12. भाग III व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन संहिता से संबंधित है। यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में परिभाषित सीमित देयता वाली साझेदारी फर्म 'कॉर्पोरेट व्यक्ति' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं और इसके संबंध में दिवाला और परिसमापन प्रक्रिया संहिता के भाग II में पाई जाती है। यह अन्य साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन के संबंध में है जिसे भाग III के प्रावधानों पर ध्यान देना होगा। भाग III धारा 78 से शुरू होता है और धारा 187 के साथ समाप्त होता है। आगे के प्रावधान दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के विनियमन से संबंधित हैं। वे सभी प्रमुख हैं।

संहिता के प्रभावी संचालन के लिए उपकरण। समान रूप से, धारा 238 ए को ध्यान में रखना उचित हो सकता है। वह इस प्रकार है:

“ 238 ए. सीमा-सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।

वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो "।

13. कुछ याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं (आवंटनकर्ताओं) के विद्वान वकील श्री कृष्ण मोहन मेनन ने हमारे समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित किया है:

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

विवादित संशोधन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी), 21 और 300 ए के अधिदेश के खिलाफ है। द.

संशोधन अधिनियम की धारा 3 के आधार पर संशोधन संहिता की धारा 7 (1) में दूसरा प्रावधान पेश करने से वित्तीय लेनदारों, उस श्रेणी, जिससे याचिकाकर्ता संबंधित हैं और अन्य वित्तीय लेनदारों के बीच प्रतिकूल भेदभाव होता है। दूसरा, यह तर्क दिया जाता है कि एक सीमा लागू करने वाला संशोधन

प्रतिबंध स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण के दुष्प्रभाव से पीड़ित है

परिचालन ऋणदाताओं के बीच भेदभाव। रियल एस्टेट डेवलपर को दिया जाने वाला कथित संरक्षण, अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए आधार नहीं बन सकता है, जितना कि यह समानता के भव्य जनादेश पर एक असहनीय आक्रमण भी है। इसके बाद, वह प्रस्तुत करेगा कि विवादित में अंतर्निहित रिसाव हैं प्रावधान जो इसे अव्यवहारिक बना देंगे। इसके बाद, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि विवादित संशोधन भी कानून में गलत है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है। विद्वान वकील, श्री कृष्ण मोहन मेनन द्वारा संबोधित एक अन्य तर्क यह है कि संशोधन का एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने का कानूनी रूप से हानिकारक प्रभाव है, जिसका परिणाम है, जिसे कानून द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

14. विद्वान वकील निर्वासित करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि संहिता के तहत, कानून न्यायनिर्णायक के लिए 14 दिनों की अवधि प्रदान करता है।

यह तय करने का अधिकार कि धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। धारा 12 दिवाला समाधान प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए एक लचीली समय सीमा घोषित करती है। संहिता के प्रावधानों का पूरा उद्देश्य और जिस तरीके से इसकी संरचना की गई है, वह एक प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। संहिता का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है। यह एक ऐसा आर्थिक उपाय है जिसका उद्देश्य भारत को एक ऐसे देश में बदलना है जो पूंजी को आकर्षित करेगा। और निवेश। संहिता ने वास्तव में एक परिवर्तन किया है

प्रमुख खिलाड़ियों का दृष्टिकोण, कि यह न केवल कागज पर बल्कि एक कानून के रूप में माना जाने लगा है। वह इंगित करेंगे कि इस न्यायालय ने पायनियर केस पायनियर अर्बन लैंड में अपने फैसले में और

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 1

इस आशंका को विस्तार से दूर किया कि बिल्डर की गतिविधियों को वित्तपोषित करने वाले याचिकाकर्ताओं जैसे घर खरीदारों को सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया को लागू करने की अनुमति देने से प्रावधानों का दुरुपयोग होगा और निराधार प्रावधानों को दूर किया जाएगा।

डर लगता है। फिर भी विधायिका ने अनुचित अवरोधों को रखने का साहस किया है

केवल एक श्रेणी के वित्तीय लेनदारों का अधिकार जो अनुज्ञेय नहीं है। एक सट्टा निवेशक के दंगा करने और तबाही मचाने के भूत को इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। घर खरीदारों द्वारा दुरुपयोग की कोई सार्थक जानकारी नहीं है। वे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित निर्णयों की ओर इशारा करते हैं जहां वित्तीय लेनदार, जो घर खरीदार हैं, न्यायाधिकरण से संपर्क करते हैं और मामले लगभग पांच वर्षों की सकल और अत्यधिक देरी को दर्शाते हैं।

संहिता के तहत घर खरीदारों द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण को उचित ठहराना। दूसरे शब्दों में, ऐसे वास्तविक मामले थे जहां देनदार दिवालिया हो गया था और इसलिए घर खरीदार के पास दस्तक देने का पूरा औचित्य था

संहिता के तहत सक्षम न्यायाधिकरण के दरवाजे पर। उन्होंने हमें संसदीय समिति की रिपोर्टों के माध्यम से ले जाया और शिकायत की कि संशोधनों को सही ठहराने के लिए कोई कारण स्पष्ट नहीं हैं। समान रूप से, उन्होंने असहमति टिप्पणियों में टिप्पणियों को हमारी स्वीकृति के लिए सराहना की और तर्क दिया कि वे प्रस्तुतियों को मजबूत करते हैं।

15. तुलना के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 के साथ पठित धारा 397,398 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 244 में समान आवश्यकताओं के साथ, वह प्रस्तुत करेंगे कि महत्वपूर्ण अंतर हैं।

16. सबसे पहले, वह प्रस्तुत करेंगे कि कंपनी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे शेयरधारिता के बारे में विवरण से लैस होंगे जो कंपनी अधिनियम की योजना के संबंध में हमेशा उपलब्ध होते हैं। दूसरी ओर, वे बताते हैं कि घर खरीदारों के संबंध में जिन्होंने अचल संपत्ति परियोजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई को डुबो दिया है, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके तहत वे कर सकते हैं।

समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बारे में डेटा या जानकारी प्राप्त करें और संहिता को सक्रिय करने के लिए विवादित संशोधन के तहत जिनका सहयोग और समर्थन आवश्यक है। 17. दूसरा, वह प्रस्तुत करेंगे कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 में स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, इसमें स्पष्टता आती है।

उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाँ एक संयुक्त होल्डिंग है। संहिता की धारा 7 में इस तरह के किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति पर अदालत को कानून को पलटने के लिए मनाने के प्रयास में जोर दिया गया है। वह आगे संशोधित कानून के काम करने में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा करेंगे। वह प्रस्तुत करता है कि विभिन्न घर खरीदारों की चूक की तारीख अलग-अलग हो सकती है। इसलिए, घर खरीदारों के एक समूह को एक साथ आने के लिए प्रेरित करने वाली एक आम शिकायत करना अव्यवहारिक है और व्यवहार्य नहीं है। वह प्रस्तुत करेगा।

कि विधायिका को एक हाथ से वह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उसने दूसरे हाथ से दिया है।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

18. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि जहां तक तीसरे परंतुक का संबंध है, इस स्थिति को स्वीकार करते हुए कि संहिता के तहत मामले के निपटारे के लिए 14 दिनों की अवधि को निर्देशिका माना गया है और अनिवार्य नहीं है, साथ ही यह कानून नहीं हो सकता है कि किसी मामले को अंतहीन रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और कभी भी अंत नहीं होना चाहिए और पूर्वव्यापीता जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है वह इसे मनमाना बनाती है।

20. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, श्री पीयूष सिंह प्रस्तुत करेंगे कि एक बार आवेदन करने का अधिकार प्रदान किए जाने के बाद, यह सीमा के साथ नहीं आ सकता है जैसा कि विवादित प्रावधानों में प्रदान किया गया है। दूसरा, वह बताएगा कि स्पष्ट मनमानेपन है। इसके अलावा, वह यह भी तर्क देंगे कि अन्य कॉर्पोरेट देनदार के साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है। बिल्डर जो एक कॉर्पोरेट देनदार है, दूसरे शब्दों में, अन्य कॉर्पोरेट देनदारों की तुलना में अधिक अनुकूल व्यवहार दिया जाता है जो शत्रुतापूर्ण भेदभाव से पीड़ित है। वह भी।

विवादित [2021] 14 एस. सी. आर. में कम और अधिक समावेशिता दोनों की शिकायत की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो अधिक है वह निर्णय से बाध्य होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12, जो आदेश 1 नियम 8 के सिद्धांत को भी ग्रहण करती है और मूर्त रूप देती है, वर्ग हित की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और आक्षेपित संशोधन द्वारा की गई सीमा के रूप में कठोर बाधाओं को बनाए बिना वर्ग हित की रक्षा भी करती है। उन्होंने बताया कि अचल संपत्ति के मालिक वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लेते हैं। वे वस्तुतः विशेष रूप से आबंटियों से पूंजी जुटाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, इस सीमा को स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम में न्यायालय के फैसले की ओर हमारा

ध्यान आकर्षित किया। यू. पी. राज्य 3. , वचन के सिद्धांतों की उपलब्धता के संबंध में अपने समर्पण को बढ़ावा देना रुक जाता है। प्रावधानों में स्पष्ट मनमानेपन है। उन्होंने शिकायत की कि सभी राज्यों में रेरा का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने इस धारणा को इंगित करने का भी प्रयास किया कि संशोधन प्रदान करने के लिए है।

बिल्डर पर एक अपरिवर्तित लाभ। ऐसा वह एक समाचार पत्र में एक लेख की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके करना चाहते थे। उन्होंने अनिवार्य रूप से इस तर्क को कानून देने वाले के खिलाफ द्वेष के एक छोटे से प्रच्छन्न तर्क के रूप में पेश किया।

उन्होंने नागपुर निवेश न्यास और अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त करने की भी मांग की। विठ्ठल राव और अन्य। उन्होंने शत्रुतापूर्ण भेदभाव के सिद्धांत को दोहराया। उन्होंने हमारा ध्यान खींचा।

2 (2018) 18 एस. सी. सी. 575

3 (1979) 2 एस. सी. सी. 409 4 (1973) 1 एस. सी. सी. 500 मनीष कुमार बनाम।

रेरा में 'आबंटित' शब्द की परिभाषा के लिए। यहीं पर उन्होंने प्रावधान के समावेशी और अति समावेशी होने की शिकायत की।

उन्होंने कहा कि विधायिका को इंतजार करना चाहिए था और अगर घर खरीदार के निहित अधिकार में इस तरह की कठोर घुसपैठ की गारंटी देने वाले महाभियोग और अनुभवजन्य सबूत हैं तो वह कार्रवाई कर सकती थी। वह इस पर भी प्रकाश डालते हैं

कि कानून में केवल एक डिफ़ॉल्ट हो सकता है। एक घर खरीदार जो संशोधन से पहले स्वयं कानून को लागू कर सकता था, अब उसी तरह के परिस्थिति वाले व्यक्तियों की दया पर छोड़ दिया जाता है जो स्वयं प्रस्तुत किया जाता है।

एक सूचना उत्पन्न करने वाले तंत्र की अनुपस्थिति से असंभव है जो सुलभ है। वह यह भी बताएगा कि अलग-अलग घर खरीदारों के समझौतों की तारीखें अलग-अलग होंगी। समझौतों की तारीखों के अलग होने के आधार पर, यह निर्विवाद है, वह बताते हैं कि चूक की तारीख अलग होगी। वह यह सवाल उठाएंगे कि ऐसी परिस्थितियों में कानून कैसे घर खरीदार पर दबाव डाल सकता है।

21. याचिकाकर्ताओं के वकील श्री राहुल राठौर ने कुछ रिट याचिकाओं में दलीलों को स्वीकार करने के अलावा तर्क दिया कि दिवालियापन को परियोजना के आधार पर निर्धारित किया गया है। वह प्रस्तुत करेगा कि इसके तहत

विवादित संशोधन में, आबंटियों को किसी विशेष परियोजना से निकाला जाना है। दूसरे शब्दों में, प्रावधान के तहत आवश्यकता यह है कि आवेदक 100 आवंटी या किसी विशेष अचल संपत्ति परियोजना के आवंटी का दसवां हिस्सा होना चाहिए। वह इंगित करेंगे कि एक कॉर्पोरेट निकाय की अलग-अलग परियोजनाएं हो सकती हैं। यदि ऐसा है, तो इस बात पर जोर देने में कोई तर्क नहीं है कि उक्त निगमित निकाय दिवालिया हो गया है, क्योंकि वह विशेष परियोजना है जिसमें आवेदक रुचि रखते हैं। दूसरे शब्दों में, दिवालियापन एक वित्तीय अस्वस्थता होगी, जो अपनी सभी परियोजनाओं के कारण समग्र रूप से निगमित निकाय को पीड़ित करती है। यदि आबंटियों को लिया जा सकता है कंपनी द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाएं तब हो सकता है कि इसने प्रावधानों को अधिक उचित बना दिया हो।

याचिकाकर्ता। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रावधान अतार्किक हैं। घर खरीदार वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवनकाल की बचत का निवेश करता है। वह कमजोर है। पहले से ही स्थिति। उसे सुरक्षा प्रदान करने के बजाय, घर खरीदार को अधिक दमनकारी और बोझिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। विवरण के साथ जानकारी के आदान-प्रदान और उपलब्धता के लिए कोई मंच नहीं है

आबंटियों के बारे में। सीमा अधिनियम लागू होता है जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एकल डिफ़ॉल्ट के सिद्धांत पर भी भरोसा करते हैं।

शर्तों को पूरा करना असंभव है। घर खरीदार को बहुत हद तक बंद कर दिया जा रहा है।

अनुप्रयोग। 23. श्री ध्रुव गुप्ता, डब्ल्यू. पी. में उपस्थित विद्वान वकील। (सी) 2020 के No.177 ने पूर्वव्यापीता के खिलाफ शिकायत की

विवादित प्रावधान। जो अधिकार एक निहित अधिकार था, वह मूल प्रकृति का था। कानून केवल संभावित हो सकता है। वे बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स 3. वह निर्धारित सिद्धांतों को भी ध्यान में रखते हैं।

इस न्यायालय द्वारा स्विस रिबन प्राइवेट में। लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ & Ors.6 और द पायनियर (ऊपर) में भी।

24. सुश्री पूर्ति मारवाह गुप्ता, डब्ल्यू. पी. में विद्वान वकील (ग) 2020 की सं. 75 ने श्री कृष्ण मोहन मेनन की दलीलों को अपनाया।

विद्वान वकील धारा 32 ए के तहत प्रस्तुतियाँ करेंगे जो अभी तक एक और प्रावधान है जिसे चुनौती दी गई है। उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2 (यू) और 20 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वह प्रस्तुत करेगी लेकिन धारा 32 ए के लिए, जो संपत्तियां अधिग्रहित की जाती हैं संलग्न किया जा सकता है लेकिन वह धारा 32 ए द्वारा पूर्व-खाली है। अपराध के कृत्यों के संबंध में खुले नागरिक उपायों को हटा दिया जाता है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख किया गया है जो अधिस्थगन से संबंधित है।

25. विद्वान वकील श्री ए. डी. एन. राव प्रस्तुत करेंगे कि एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता द्वारा एक मूल अधिकार को नहीं खोया जा सकता है।

प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने गारिकापति वीराया बनाम में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। एन. सुब्बैया चौधरी '। वह प्रस्तुत करेगा कि दीक्षा की तारीख को कानून प्रबल होना चाहिए और इसे बाद में किए गए संशोधन द्वारा नहीं लिया जा सकता है। जाहिरा तौर पर, विद्वान वकील अपनी प्रस्तुति को संहिता की धारा 7 (1) में अंत:स्थापित तीसरा परंतुक बना रहा है। वह निर्णय से समर्थन प्राप्त करना चाहता है तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का। भारत संघ और

5 (2019) 11 एससीसी 633 '6 (2019) 4 एससीसी 17

7 ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 540/1957 एस. सी. आर. 488 मनीष कुमार बनाम

अन्य। वह यह भी तर्क देता है कि एक परंतुक मुख्य पर हावी नहीं हो सकता है।

प्रावधान। इस संबंध में, उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। तरुण पाल सिंह और अन्य '। वह वास्तव में तथ्यों के संदर्भ में इंगित करेंगे कि नवंबर, 2019 में धारा 7 के तहत आवेदन में आदेश सुरक्षित रखे गए थे। यह प्रावधान 28 दिसंबर 2019 को जोड़ा गया था। नतीजतन, जब धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार करने के संबंध में आदेश सुनाया गया, तो अधिकारी संशोधन से आगे निकल गए। यह सब वादी की कोई गलती नहीं है, जो उस समय एक अलग शासन द्वारा शासित था जब आवेदन दायर किया गया था जिसमें कठोर और मनमाने प्रावधान नहीं थे। वह अन्य आबंटियों को खोजने में व्यावहारिक कठिनाई की ओर भी इशारा करेंगे।

26. श्रीमती. विद्वान वकील तसलीम अहमदी प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले में आक्षेप के रूप में एक संशोधन शून्य होने का प्रभाव डालता है

इस न्यायालय के निर्देश और निर्णय। वह शिकायत करेगी कि पायनियर का निर्णय जिस आधार पर किया गया था, उसे हटाए बिना एक संशोधन किया गया है। उन्होंने कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। कर्नाटक का प्यादा

28. विद्वान वकील, श्री पल्लव मोंगिया इंगित करेंगे कि घर खरीदार वित्तीय लेनदार बने रहेंगे। परंतुक नहीं ले सकता कहा गया सही दूर करें। असमानताओं को बराबर किया जा रहा है। आबंटितों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे संसद की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं।

8 (2011) 6 एससीसी 739 9 9 (2018) 14 एससीसी 161

10 1 0 (2018) 6 एससीसी 363 [2021] 14 एस. सी. आर.

समिति। वह निर्विवाद दस्तावेजों के न होने की भी शिकायत करता है। जहां तक आबंटियों से संबंधित जानकारी का संबंध है, वह इस बात पर जोर देंगे कि संहिता स्वयं घर खरीदार को जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान नहीं करती है। उन्हें रेरा नामक एक अन्य अधिनियम के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा जा रहा है। इसे विवादित लोगों की संवैधानिकता के लिए घातक माना जाना चाहिए।

संशोधन। वह आगे कहेंगे कि प्रावधान अस्पष्ट होने के कारण खराब है। अस्पष्टता के तर्क को संदर्भ के साथ संबोधित किया जाता है

निम्नलिखित:

1. पूर्वनिर्धारित तिथि।

2. एक से अधिक आवेदक होने पर देय न्यायालय शुल्क।

3. धारा 4 के तहत निर्धारित चूक की सीमा राशि अर्थात् रु। वर्तमान में एक करोड़।

4. वह इसमें शामिल पूर्वव्यापीता के खिलाफ भी शिकायत करेगा।

29. श्री राणा मुखर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील रिट याचिका में उपस्थित होते हैं जहां पहले परंतुक पर सवाल उठाया जाता है, वह साहूकारों के कारण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने पायनियर (ऊपर) के पैराग्राफ-43 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि यह आवश्यकता कि आवेदक एक ही वर्ग के होने चाहिए और उनमें से 100 होने चाहिए, प्रावधानों को असंभव बना देता है। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 और 245 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि उक्त के तहत सीमा अधिनियम में ढील दी जा सकती है, जबकि संहिता के तहत कानून देने वाले ने एक लचीले जनादेश के रूप में आवश्यकता को लागू किया है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि 10 प्रतिशत की आवश्यकता के लिए कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने नियम 8ए की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वे कहेंगे कि वास्तव में संसद ने घर खरीदार को ध्यान में रखा था। पहले परंतुक को सम्मिलित करना उसके ग्राहकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लेनदारों की श्रेणी में गलती से शामिल होने

को दर्शाता है। उन्होंने एल. आर. और अन्य द्वारा वसंत गणपत पडववे (डी) में इस न्यायालय के फैसले से काफी समर्थन प्राप्त करने की मांग की। वी. अनंत महादेव सावंत (डी) एल. आर. के माध्यम से। & उनके संकलन का Ors.[11]। उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए सराहना की कि कानून को उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए माना जाना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत बर्दाश्त कर सकती है

इस आवश्यकता को ध्यान में रखें कि कानून को अपने अनुप्रयोग में उचित परिणाम देना चाहिए।

11 2019 (12) स्केल 572 मनीष कुमार बनाम।

30. इसके विपरीत, संघ का रुख, जैसा कि श्रीमती के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है। माधवी दीवान, ए. एस. जी. सीखी और लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रस्तुत, संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है:

विवादित संशोधन पूरी तरह से वैध हैं। ये संशोधन एक आर्थिक उपाय का हिस्सा हैं। वहाँ एक था

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। विशेषज्ञ समिति

वित्तीय लेनदारों के कुछ वर्गों के संबंध में एक सीमा संशोधन लागू करने की सिफारिश की गई। इस पर मॉडल किया गया है

जहां तक विवादित प्रावधानों का संबंध है, संशोधन अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 21 (6ए) और धारा 25ए का विस्तार है, जिसके तहत एक ओर डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों और दूसरी ओर आवंटनकर्ताओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाने नहीं हैं, वे वास्तव में हैं, काम
करने योग्य। धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए चूक, भले ही वह एक आवेदक न हो, अन्य आबंटियों या डिबेंचर धारकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है और

सुरक्षा धारक।

31. यह आगे बताया गया है कि संहिता की धारा 21 (6ए) और 25ए की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा पायनियर (उपरोक्त) मामले में बरकरार रखा गया था। इस संबंध में पायनियर (ऊपर) के पैराग्राफ-43 में इस न्यायालय की टिप्पणियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। उक्त के बल पर

यह तर्क दिया जाता है कि इस अदालत ने मान्यता दी है कि आवंटनकर्ता/घर खरीदार एक समरूप समूह नहीं हैं। इस न्यायालय ने यह भी माना कि जमा-धारक और प्रतिभूति-धारक वित्तीय लेनदारों का एक

उपवर्ग/वर्ग बनाते हैं, जिनके साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ऐसे लेनदारों की भारी संख्या के साथ-साथ

समूह के भीतर विषमता जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का कारण बन सकती है। इस्त्री के लिए प्रावधान पेश किए गए थे तार्किक/प्रक्रियात्मक जटिलताएँ जो इन समूहों की विशिष्ट प्रकृति के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। वर्तमान मुकदमे में आक्षेपित प्रावधान केवल [2021] 14 एस. सी. आर. की धारा 21 (6ए) और धारा 25ए के पूरक हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोड। उक्त निर्णय के तर्क को इस मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। यह आगे बताया गया है कि पायनियर (सुप्रा) में चुनौती डेवलपर्स द्वारा स्थापित की गई थी और घर खरीदारों ने प्रावधानों को स्वीकार किया, क्योंकि यह दरार को दूर करने के लिए आवश्यक था। ए. एस. जी. ने इस न्यायालय के निर्णयों से समर्थन प्राप्त किया जो इस प्रकार हैं:

अमीरुन्निसा बेगम और अन्य बनाम। महबूब बेगम और

आई.

अन्य 1 2।

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। त्रिलोकी नाथ खोसा और

ii.

अन्य 1 3।

iii. मूर्ति मैच वर्क्स और अन्य बनाम। सहायक कलेक्टर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य 1 4;

iv. अजय कुमार बनर्जी और अन्य बनाम। भारत संघ और

अन्य 1 5:

वी. आशुतोष गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1 6;

32. यह तर्क दिया जाता है कि वस्तुओं के साथ एक तर्कसंगत संबंध है

जहां तक आक्षेपित प्रावधानों का संबंध है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत वर्गीकरण की अनुमति है। उन्होंने संहिता, 2019 में संशोधन विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के बयानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसने धारा 25ए में उप-धारा 3ए पेश की। वह इस प्रकार है:

" [...]

2. संहिता की प्रस्तावना के उद्देश्यों को नीचे रखा गया है

सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से "दिवाला समाधान" को शामिल करने के लिए संहिता। इस बात पर चिंता जताई गई है कि कुछ मामलों में व्यापक मुकदमेबाजी अनुचित देरी का कारण बन रही है, जिससे मूल्य अधिकतमकरण में बाधा आ सकती है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी लेनदारों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, बिना किसी अनावश्यक बोझ के।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी जिसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि समाधान योजना संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करती है। विभिन्न हितधारक सुझाव दिया है कि यदि लेनदारों के साथ समान व्यवहार किया गया था

12 (1953) एससीआर 404

13 (1974) 1 एससीसी 19

14 (1974) 4 एस. सी. सी. 428

15 (1984) 3 एससीसी 127

16 (2002) 4 एस. सी. सी. 34 मनीष कुमार बनाम

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

आधार पर, जब उनके पास अलग-अलग पूर्व-दिवालिया अधिकार होते हैं, तो यह ऋण की लागत और उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसके अलावा, मतदान पर स्पष्टता लाने के लिए भी विचार प्राप्त किए गए हैं

अधिकृत द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वित्तीय लेनदारों का स्वरूप प्रतिनिधि।

[.....]

(घ) संहिता की धारा 25ए में उप-धारा (3ए) अंत:स्थापित करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 21 की उप-धारा (6ए) के तहत एक अधिकृत प्रतिनिधि उन सभी वित्तीय लेनदारों के लिए मतदान करेगा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है।

पचास से अधिक मतों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार

प्रतिशत। लेनदारों की समिति में निर्णय लेने की सुविधा के लिए, विशेष रूप से जब वित्तीय लेनदार बड़े और विषम समूह होते हैं, तो उन वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने अपना वोट डाला है;

33. इस प्रकार, उद्देश्यों और कारणों का विवरण वर्ग के भीतर विषमता और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, सुचारू और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को पहचानता है ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके। यह भी बताया गया है कि व्यापक मुकदमेबाजी के कारण देरी और मूल्य के अधिकतमकरण में बाधा के बारे में भी चिंता है। ऐसे वर्ग में वित्तीय लेनदारों के इस बड़े वर्ग के सदस्यों द्वारा किए गए कई आवेदन भी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के बोझ को बढ़ाएंगे, इसकी प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देंगे और प्रक्रिया में देरी करेंगे। यह संहिता के उद्देश्य के विपरीत होगा जो परिसंपत्तियों के कुल मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहता है। फरवरी, 2020 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है, जिसमें एक वर्ग में न्यूनतम संख्या में वित्तीय लेनदारों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। वह इस प्रकार है:

" ii. लेनदारों के वर्ग द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन-चूंकि सी. आई. आर. पी. एक एकल वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू किया जा सकता है, जैसे कि घर खरीदार या जमा धारक, जो एक छोटे से विवाद के बाद लेनदारों के एक निश्चित वर्ग से संबंधित है, यह कॉर्पोरेट देनदार पर अनुचित दबाव डाल सकता है और ऋणदाता के हितों को खतरे में डाल सकता है। वर्ग के अन्य लेनदार जो इस तरह की दीक्षा के पक्ष में नहीं हैं। यह सिफारिश की जा रही है कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक वर्ग में कुछ वित्तीय लेनदारों की न्यूनतम सीमा संख्या की आवश्यकता होनी चाहिए। अतः खंड (ए) या (बी) के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के एक वर्ग के लिए धारा 7 (1) में संशोधन।

धारा 21 (6 ए) के अनुसार, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत कम से कम ऐसे सौ लेनदारों या किसी वर्ग में ऐसे लेनदारों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत ही कर सकता है।

4. ऋणदाताओं के वर्गों द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन

4.1 . संहिता की धारा 7 एक वित्तीय लेनदार को अपने आप या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से चूक की घटना पर एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की अनुमति देती है।

4.2 . यह समिति के समक्ष लाया गया था कि वित्तीय वर्गों के लिए संहिता की धारा 21 (6ए) के उपखंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट लेनदारों-जैसे कि जमा धारक, बांड धारक और घर खरीदार-को इस बात की चिंता थी कि मामूली विवादों के बाद केवल एक या कुछ ऐसे वित्तीय लेनदारों द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू किया जा सकता है। यह हो सकता है

निगमित देनदार पर अनुचित दबाव डालना, और वर्ग के अन्य लेनदारों के हितों को खतरे में डालने की क्षमता रखता है जो सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के पक्ष में नहीं हैं। इससे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर सुनवाई करने का अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है।

भारी विवादित आवेदनों पर आपत्तियाँ। समिति ने नोट किया

कि यह एक समयबद्ध समाधान प्रक्रिया के मूल्य के लिए विरोधी हो सकता है, क्योंकि पहले से ही अत्यधिक बोझ वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

अपने समक्ष दायर किए गए ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध करने और स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

4.3 . समिति ने चर्चा की कि घर खरीदारों और जमा धारकों जैसे लेनदारों के वर्गों को वित्तीय लेनदारों के रूप में एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने का पूरा अधिकार है जिसने अपने बकाया के पुनर्भुगतान में चूक की है। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि समान वर्गों द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत

स्थित लेनदारों को इस तरह से किया जाना चाहिए जो उनका प्रतिनिधित्व करता है

सामूहिक हित। यह महसूस किया गया कि सी. आई. आर. पी. केवल तभी शुरू की जानी चाहिए जब किसी वर्ग में ऐसे लेनदारों की पर्याप्त संख्या हो।

एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान का गठन करना जो इंगित करता है कि वास्तव में बड़े पैमाने पर समझौता है कि एक कॉर्पोरेट इकाई के खिलाफ मुद्दों को संहिता के तहत सी. आई. आर. पी. के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है। यह ऋणदाताओं के एक सुव्यवस्थित वर्ग को समाधान की सामूहिक प्रक्रिया शुरू करने पर सहमत होने की अनुमति देने का एक अधिक सुव्यवस्थित तरीका हो सकता है।

संहिता के तहत।

4.4 . इस संबंध में, और विशेष रूप से घर खरीदारों के हितों के लिए, समिति ने यह भी नोट किया कि ऐसे मामलों में जहां घर खरीदार मनीश कुमार बनाम नहीं कर सकता है।

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक आवेदन दायर करें क्योंकि वह उपरोक्त महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचने में विफल रही है, फिर भी उसके पास रेरा के तहत और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के

तहत वैकल्पिक मंचों तक पहुंच होगी। के लिए उदाहरण के लिए, पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त। v भारत संघ, संहिता के तहत और रेरा के तहत उपचार पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। संहिता से संबंधित है

आर. ई. एम. में कार्यवाही, जिसके तहत घर खरीदार चाहते हैं कि निगमित देनदार के प्रबंधन को हटा दिया जाए और बदल दिया जाए ताकि निगमित देनदार का पुनर्वास किया जा सके। दूसरी ओर, आर. ई. आर. ए. यह सुनिश्चित करके अचल संपत्ति परियोजनाओं में व्यक्तिगत निवेशक के हितों की रक्षा करता है कि घर खरीदार संकट में न रहें, और उन्हें अपने घरों का मुआवजा या वितरण प्राप्त हो। इस प्रकार, यदि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचने में विफलता है, तो यह संकेत दे सकता है कि ऐसे मामलों में एक और उपाय अधिक उपयुक्त हो सकता है। 4.5 . तदनुसार, यह सहमति हुई कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक वर्ग में वित्तीय लेनदारों की एक सीमा संख्या का समर्थन होना आवश्यक है।

4.6 . इस संबंध में समिति ने विचार किया कि क्या कोई संकेत हो सकता है

4.7 . समिति ने यह भी नोट किया कि सामूहिक संख्या घर खरीदार जो सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए सीमा राशि बनाते हैं, उन्हें उसी अचल संपत्ति परियोजना से संबंधित होना चाहिए।

यह [2021] 14

एस. सी. आर. की अनुमति देगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिन घर खरीदारों के हितों में समानता है, अर्थात जिनके अंतर्गत आबंटित किए गए हैं

एक ही अचल संपत्ति परियोजना, कार्रवाई करने के लिए एक साथ आने के लिए एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करना। अतः ऐसे मामलों में,

सी. आई. आर. पी. कम से कम सौ ऐसे आबंटियों द्वारा शुरू किया जा सकता है या

ऐसे आबंटियों की कुल संख्या का दस प्रतिशत

एक ही अचल संपत्ति परियोजना।

4.8 . हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हितों के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो

ऐसे वर्ग के किसी भी लेनदार का, जिसका आवेदन पहले ही किया जा चुका हो।

हालाँकि, यदि लेनदार सीमा आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है प्रदत्त अनुग्रह अवधि के भीतर इस तरह के संशोधित आवेदन को दाखिल करने के लिए,

ऐसे लेनदार द्वारा दायर आवेदन को वापस लिया गया माना जाएगा।

(जोर दिया गया)

34. दूसरे के उद्देश्यों और कारणों के कथन में

संशोधन विधेयक, 2019, जिसे एक अध्यादेश के रूप में घोषित किया गया था, और उसके बाद, विवादित अधिनियम के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि कुछ वर्गों द्वारा संहिता के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक था

लेनदार, अन्य बातों के साथ। यह समयबद्ध सी. आई. आर. पी. के पटरी से उतरने को रोकने के लिए आवश्यक था, जिसे परिसंपत्तियों के मूल्य के अधिकतमकरण को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। यह प्रावधान केवल संहिता की धारा 65 और 75 के तहत सुरक्षा का पूरक है। बोधगम्य अंतर का अनुमान लगाया गया है इस प्रकार है:

आई. संख्यात्मकता;

ii. विषमता;

iii. निर्णय लेने में विशेष विशेषज्ञता और व्यक्तित्व की कमी।

इसे संस्थागत निर्णय लेने के विपरीत माना जाता है।

जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़ा हुआ है;

iv. डिफ़ॉल्ट के निर्धारण में विशिष्टता। दूसरे शब्दों में, में

बैंकों और वित्तीय संस्थानों का मामला, सार्वजनिक उपयोगिताओं के रिकॉर्ड,

एक डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। आबंटियों के मामले में, अभिलेख होना चाहिए

आर. ई. आर. ए. के तहत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के माध्यम से पहुँचा जा सकता है;

35. विवादित प्रावधानों का उद्देश्य और औचित्य बताया गया है।

इस प्रकार होना चाहिए:

आई. कई अलग-अलग अनुप्रयोगों को रोकना, जिसका प्रभाव पड़ता है

न केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के दस्तावेजों पर भीड़ लगाना और एक ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जिसमें समय का निर्धारण किया जाता है

सार;

ii. सैकड़ों या हजारों आबंटियों के हितों की रक्षा करना जो एक ही घर के आवेदन का विरोध कर सकते हैं

खरीदार;

iii. उसी उपवर्ग के सदस्यों के साथ-साथ अन्य वित्तीय लेनदारों और अन्य परिचालन लेनदारों के हितों को संतुलित करना। आबंटियों के मामले में रेरा के तहत उप-वर्ग के सदस्यों को उपचार की उपलब्धता;

iv. अंत में, प्रक्रिया सहज और लागत प्रभावी हो जाती है।

निगमित देनदार का अनावश्यक वित्तीय रक्तस्राव जो

पहले से ही कठिनाई में है, टाल दिया जाता है।

36. समय संहिता का सार है। कार्यवाही आर. ई. एम. में कार्यवाही की प्रकृति में होती है। यह लेनदारों के अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसमें समान रूप से रखे गए लेनदार भी शामिल हैं। इसलिए, सीमा निर्धारित करना उचित और तार्किक है। न्यूनतम सीमा एक न्यूनतम आवश्यकता है। सीमा को कम और उचित रखा जाता है। इस अदालत ने बरकरार रखा है

उपवर्गीकरण बशर्ते कि एक तर्कसंगत आधार हो। उन्होंने समर्थन प्राप्त किया निम्नलिखित निर्णयों से;

आई. इंद्र साहनी और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 1 7;

ii. लॉर्ड कृष्णा शुगर मिल्स लिमिटेड और एक अन्य v. संघ

भारत और अन्य 1 8;

iii. केरल राज्य और एक अन्य वी। एन. एम. थॉमस और अन्य ";

iv. पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य v. रास बिहारी सरकार

और एक और 20।

केरल राज्य बनाम। अरविंद रमाकांत मोदावदाकर और

वी.

अन्य 2 1.

17 1992 सप. (3) एससीसी 217 18 (1960) 1 एससीआर 39

19 (1976) 2 एससीसी 310 20 (1993) 1 एससीसी 479 21 (1999) 7 एससीसी 400 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. उन्होंने संसार चंद अत्रि बनाम में इस न्यायालय के फैसले में अंतर करने की मांग की। पंजाब राज्य और अन्य 2 2, जिन पर निर्भर था

याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर कि उक्त मामले में इस न्यायालय ने केवल तर्कसंगत आधार के बिना एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने पर नाराजगी जताई। इस मामले में, एक उप-वर्ग बनाने के लिए एक तर्कसंगत आधार था। UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड के तहत विभेदक उपचार पर भी विचार किया जाता है और

दिशानिर्देश। 38. इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि संशोधन पायनियर (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के खिलाफ हैं। उक्त मामले में शामिल सवाल यह नहीं था कि क्या सी. आई. आर. पी. शुरू करने के उद्देश्य से अचल संपत्ति आवंटनकर्ताओं के साथ अलग व्यवहार किया जा सकता है। दूसरा यह है कि

उन्होंने कहा कि विधायिका अनुभव के साथ प्रकट होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। संख्यात्मक सीमा को आवश्यक महसूस किया गया था एक विशेषज्ञ समिति के अनुभव और सिफारिशों के साथ। एकल या मुट्ठी भर आबंटियों द्वारा दायर दावा याचिकाओं में कई गुना वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही अत्यधिक बोझ वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों पर ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। संशोधन पायनियर (उपरोक्त) निर्णय के अनुरूप है। वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग के रूप में आबंटियों की विशिष्टता को पायनियर (उपरोक्त) में मान्यता दी गई है। यह तथ्य कि वे विशिष्ट व्यवहार के योग्य वित्तीय लेनदारों के एक विशिष्ट और अलग वर्ग का गठन करते थे, पायनियर (उपरोक्त) में अनुमोदित किया गया है। न्यूनतम सीमा आवश्यकता एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। वहाँ है।

पायनियर (ऊपर) से इस तरह से कोई विचलन नहीं जो इसके साथ अपरिवर्तनीय हो। कानून, एक आर्थिक उपाय होने के नाते, जोड़ों में स्वतंत्र खेल, विधानमंडल को दिया जाना चाहिए। विवादित संशोधन उचित, न्यूनतम और आनुपातिक है। प्रत्यर्थी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जून, 2016 और 5 जून, 2018 के बीच, आवंटनकर्ताओं द्वारा 253 मामले दायर किए गए थे। हालाँकि, 6 जून, 2018 और 28 दिसंबर, 2019 के बीच आवंटनकर्ताओं द्वारा 2201 मामले दायर किए गए थे। इसके बाद, दोनों के बीच अध्यादेश के अनुसार

29 दिसंबर, 2019 और 26 अगस्त, 2020 को भारी गिरावट आई है।

लगभग आठ महीनों में केवल 130 मामले दर्ज किए गए। यह इंगित किया गया है कि विधानमंडल के खिलाफ विरोध और द्वेष पर आधारित तर्क असमर्थनीय है। भारत संघ और अन्य बनाम में विधानमंडल और इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। गॉडफ्रे फिलिप्स

भारत Ltd.2[3], पर निर्भर है। स्थानांतरित द्वेष की अवधारणा कानून के क्षेत्र में विदेशी है। इस संबंध में, निर्णयों पर संदर्भ रखा जाता है -

22 (2002) 4 एससीसी 154 23 23 (1985) 4 एस. सी. सी. 369 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

इस न्यायालय ने के. नागराज और अन्य बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 24 और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। नारायण सिंह 2 5.

गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड बनाम अहमदाबाद शहर का नगर निगम और अन्य 26. कोई अंतर्निहित या निरपेक्ष नहीं है संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार। विधानमंडल इस तरह के प्रयोग के लिए शर्तें लागू करने की अपनी शक्ति के भीतर है।

वैधानिक अधिकार। यह आगे तर्क दिया जाता है कि धारा 7 (1) में डाला गया तीसरा परंतुक उन लेनदारों के किसी भी निहित अधिकार को प्रभावित नहीं करता है जिन्होंने पहले ही सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर दिए हैं। एक निहित अधिकार कई निर्णयों का विषय रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है:

आई. हावड़ा नगर निगम और अन्य बनाम। गंगा

रोप कं. लिमिटेड और अन्य 2 7;

ii. आर्सेलरमिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता

और अन्य 28।

iii. स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। संघ का

भारत और अन्य 29;

iv. करनैल कौर और अन्य बनाम। पंजाब राज्य और अन्य 3 0

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति

वी.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से v. सतीश कुमार गुप्ता और

अन्य 3 1

40. किसी कानून का लाभ उठाने का केवल अधिकार निहित अधिकार नहीं है। इस संबंध में, निम्नलिखित मामले कानून पर भरोसा किया जाता है:

लोक निर्माण निदेशक और एक अन्य वी। हो पो सांग

आई.

और अन्य 3 2।

25 27 28 24 26 आई. एल. (((2009 2019 2004 1999 1985))) 2 4 13 1 एस. सी. सी. एस. सी. सी. एस. सी. सी. एस. सी. सी. 468 1 523 663 165 29 (2019) 4 एस. सी. सी. 17 30 (2015) 3 एस. सी. सी. 206

31 (2019) एससीसीओएनएलआईएनई एससी 1478 32 [1961] 3 डब्ल्यूएलआर 39 [2021] 14 एस. सी. आर.

ii. एम. एस. शिवानंदा बनाम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन

निगम और अन्य 3 3;

iii. लालजी राजा एंड संस बनाम। हंसराज नाथूराम 3 4;

iv. कनाया राम और अन्य बनाम। राजेंद्र कुमार और अन्य 3 5;

41. तीसरा प्रावधान लेनदारों के एक वर्ग में दूसरों के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। आवेदन स्वीकार करने से पहले

दिवाला, आबंटित व्यक्ति के पक्ष में कोई निहित अधिकार अर्जित नहीं होता है। द.

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधन का इस तरह से पूर्वव्यापी अनुप्रयोग है जो निहित अधिकारों को बाधित करता है। प्रवेश से पहले कोई निहित अधिकार नहीं होता है। नए प्रावधानों के अनुपालन पर जोर देने को निहित अधिकारों को छीनने वाले पूर्वव्यापी संचालन के रूप में नहीं माना जा

सकता है। यह अनावश्यक बहुलता से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी आवंटनकर्ता अपने हमवतन लोगों की सीमा के बिना प्रवेश और इसके परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।

35 (1985) 1 एस. सी. सी. 436 36 (2005) 1 एस. सी. सी 172

37 (2019) 6 एस. सी. सी. 519 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियमित, धारा 7 ने वित्तीय लेनदारों द्वारा संयुक्त फाइलिंग पर विचार किया। संहिता की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि वित्तीय लेनदार तीसरे पक्ष के वित्तीय लेनदार के संबंध में हुई चूक के आधार पर एक आवेदन दायर कर सकते हैं, जो स्वयं आवेदन दायर नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। आरंभ करने वाले चरण में, धारा 7 के तहत एक आवेदन व्यक्तिगत कार्यवाही के बजाय आर. ई. एम. कार्यवाही में एक आवेदन के चरित्र को भाग लेता है। विवादित संशोधन केवल उसी तर्क का विस्तार करता है। 43. यह भी बताया गया है कि डिबेंचर न्यासियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड डिबेंचर न्यासी विनियम, 1993 की धारा 2 (बी. बी.) में किसी निकाय के डिबेंचरों के किसी भी मुद्दे को सुरक्षित करने के लिए न्यास विलेख के न्यासी के रूप में परिभाषित किया गया है। डिबेंचर एक कंपनी द्वारा जारी एक दीर्घकालिक बांड या एक असुरक्षित ऋण है जिसे एक कंपनी परिसंपत्तियों की गिरवी के बिना जारी करती है, उदाहरण के लिए, ब्याज वाले बांड। डिबेंचर न्यासी उक्त विनियमों के अध्याय 2 के तहत पंजीकृत हैं। विनियम डिबेंचर न्यासियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का प्रावधान करते हैं। डिबेंचर धारक और अन्य प्रतिभूति धारक के मामले में, SEBI के तहत स्थापना से ही उनके हितों की रक्षा के लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी होता है।

44. जहाँ तक सूचना के अभाव की बात है, जहाँ तक डिबेंचर धारकों का संबंध है, उनके बारे में आवश्यक जानकारी में उपलब्ध है

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88 (1) (बी) और धारा 88 (1) (सी) के तहत सार्वजनिक डोमेन, जो प्रत्येक कंपनी को अपने डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों का एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। गैर के लिए दंड

धारा 88 (5) के तहत अनुपालन पर विचार किया जाता है। की धारा 95

कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान है कि कंपनी द्वारा धारा 88 के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक रजिस्टरों को पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा। शुल्क के भुगतान के बिना, रजिस्टर किसी भी सदस्य, डिबेंचर धारक या अन्य प्रतिभूति धारक द्वारा निरीक्षण के लिए खुला है। इस तरह के उद्धरण और प्रतियां पंजीकृत किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 4 का भी उल्लेख किया गया है।

डिबेंचर धारकों के लिए फॉर्म-एफएमजी-II में एक अलग रजिस्टर पर विचार किया गया है।

इसमें डिबेंचर धारक के सभी विवरण शामिल हैं, जिसमें ई-मेल आईडी, पता आदि शामिल हैं। इसलिए, पहले परंतुक के तहत आवश्यकता का पालन करने के लिए जानकारी का एक भंडार उपलब्ध है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. जहां तक आबंटियों का संबंध है, निवेदन इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

आर. ई. आर. ए. की धारा 19 का संदर्भ दिया गया है। इसके तहत, धारा 19 (9) एक अचल संपत्ति परियोजना के प्रत्येक आवंटनकर्ता को आवंटनकर्ताओं के संघ में भाग लेने के लिए बाध्य करती है। रेरा की धारा 11 (4) (ई) भी प्रवर्तक को इसके गठन को सक्षम करने के लिए बाध्य करती है

ऐसी संस्था। आर. ई. आर. ए. आवंटन से पहले इस तरह के संघ के गठन के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि परियोजना के विकास के दौरान एक संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इंगित किया गया है कि रेरा की धारा 8 के तहत, पंजीकरण समाप्त होने या रद्द होने पर, प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, जो वह उचित समझे, जिसमें शेष विकास कार्यों को पूरा करना भी शामिल है। द एसोसिएशन ऑफ अलाटीज शेष
विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पहले इनकार करने का अधिकार दिया गया है। धारा 11 (4) में विचार किया गया है -

प्रवर्तक द्वारा निर्वहन किए जाने वाले दायित्व

एसोसिएशन। रेरा की धारा 4 (2) (सी) का भी संदर्भ दिया गया है। आर. ई. आर. ए. की धारा 17 के तहत, प्रवर्तक को एक

सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित आनुपातिक स्वामित्व के संबंध में आबंटियों के संघ को पंजीकृत हस्तांतरण। सामान्य क्षेत्रों का भौतिक कब्जा एसोसिएशन ऑफ द अलाटीज को सौंपा जाना है। आर. ई. आर. ए. की धारा 31 के तहत एसोसिएशन प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि धारा 11 (1) (बी) के तहत प्रवर्तक रेरा प्राधिकरण की वेबसाइट पर एक वेबपेज बनाने के लिए बाध्य है।

और उस पर संख्या की तिमाही अद्यतन सूची दर्ज करें और

भूखंडों/अपार्टमेंटों के प्रकार जो बुक किए जा सकते हैं।

46. श्री साजन पूवय्या, विद्वान वरिष्ठ वकील जो पेश होते हैं

प्रत्यर्थी की ओर से सं। 4 2020 की रिट याचिका संख्या 191 में, जो एक बिल्डर है, ने भी संघ का समर्थन किया। उनका कहना है कि दूसरा प्रावधान सभी के बीच उचित संतुलन बनाने का एक तार्किक और वैध तरीका है।

हितधारक। यह कोड को व्यवहार्य बनाता है। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य एक बाहरी उद्देश्य के लिए संहिता के उपयोग को रोकना है न कि एक त्रुटिपूर्ण अचल संपत्ति डेवलपर को बचाना और उसकी रक्षा करना। उन्होंने अपने मुवक्किल से संबंधित तथ्यों का उल्लेख पिछले शासन के दौरान हुए दुरुपयोग के उदाहरण के रूप में किया है।

उन्होंने पायनियर (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ-41 से समर्थन प्राप्त किया। दूसरा परंतुक संहिता को मनीष कुमार बनाम बनाने के लिए एक स्वतंत्र प्रावधान है।

काम करने योग्य। उन्होंने 1985 में इस न्यायालय के अनुच्छेद-43 1 एस. सी. सी. 591 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जानकारी के संबंध में, उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी की ओर इशारा करते हुए रेरा की धारा 11 की ओर भी इशारा किया। सचित्र रूप से, उन्होंने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, (गुरुग्राम, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट विनियम), 2018 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके तहत प्रारूप विभिन्न विवरण प्रदान करता है जिसमें आवंटनकर्ताओं के नाम और बुकिंग की तारीख शामिल है। वह यह भी बताते हैं कि कोई अनुचित भेदभाव नहीं है।

पूर्ण कानून के लिए चुनौती;

मैदान 47. जिन आधारों पर पूर्ण कानून को चुनौती दी जा सकती है, वे अच्छी तरह से स्थापित हैं। इस न्यायालय के पहले दो दशकों के फैसलों में बेमतलब

तीन आधारों की ओर इशारा करें जो कानून को असुरक्षित बनाते हैं। किसी कानून को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है यदि शक्तियों के विभाजन के विपरीत, या तो संसद या राज्य विधानमंडल उस शक्ति को हड़प लेता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, जिससे वह ऐसा कानून बनाने में अक्षम हो जाता है। दूसरा, भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून।

भारत के संविधान को असंवैधानिकता के साथ देखा जाएगा और इसके उल्लंघन की सीमा तक अमान्य घोषित किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्थ के भीतर एक कानून वैध रहेगा। (इस संबंध में देखें गुजरात राज्य और अन्य बनाम। श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और अन्य 3 8)। तीसरा, इसके अलावा

मौलिक अधिकार, सामान्य विधान की तुलना में संविधान की सर्वोच्चता, भले ही कानून पूर्ण विधान हो, इस दृष्टिकोण से संरक्षित है कि विधान संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

48. जबकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, एक प्रस्तुत करना

पूर्ण कानून के खिलाफ हमले का मुद्दा, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के लिए एक चुनौती पर ध्यान देना आवश्यक है, अनिवार्य रूप से कानून तक ही सीमित था, क्योंकि यह वर्ग कानून था। दूसरे शब्दों में, एक कानून, यदि यह उचित वर्गीकरण को प्रकट करता है

अलग-अलग व्यक्तियों या चीजों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के लिए, कानून पारित होगा। दिलचस्प बात यह है कि भले ही उचित वर्गीकरण का सिद्धांत

गणराज्य के पहले वर्ष में घोषित किया गया था, और पश्चिम राज्य में जिसका अधिक पालन किया जाता है-बंगाल बनाम। अनवर अली 3 9, न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा निम्नलिखित संदेह व्यक्त किए गए:

38 (1974) 4 एससीसी 656 39 एआईआर 1952 एससी 75 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 82. मैं ऐसे मामलों की कल्पना कर सकता हूं जहां अत्यधिक सद्भावना है और जहां वर्गीकरण वैज्ञानिक और तर्कसंगत है और फिर भी जो इस कानून का उल्लंघन करेगा। आइए हम एक काल्पनिक मामले को लें जिसमें एक राज्य विधायिका यह मानती है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति जिनकी खोपड़ी की माप एक निश्चित मानक से कम है, या जो खुफिया परीक्षणों की एक दी गई श्रृंखला में उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं, उन पर संक्षेप में मुकदमा चलाया जाएगा, चाहे अपराध कुछ भी हो, इस आधार पर कि मुकदमा जितना कम जटिल होगा, उनके खुफिया उप-मानक के लिए उतना ही निष्पक्ष होगा। यहाँ वर्गीकरण है। यह वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। इरादा और मकसद अच्छे हैं। पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं है, और फिर भी मैं शायद ही विश्वास कर सकता हूं कि इस तरह के कानून को बने रहने दिया जाएगा। लेकिन निर्णय का सही आधार क्या होगा? निश्चित रूप से केवल यह कि न्यायाधीश इसे निष्पक्ष और उचित नहीं मानेंगे। भले ही निर्णय का वास्तविक आधार 'उचित', 'पर्याप्त', 'तर्कसंगत' और 'मनमाना' जैसे शब्दों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ हो, लेकिन यह तथ्य बना रहेगा कि न्यायाधीश अपने शब्दों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। विधायिका के लिए क्या सही और उचित और उचित है और इस बारे में निर्णय; और इस बिंदु तक कि, मुझे लगता है, अपरिहार्य है जब एक न्यायाधीश को अनुच्छेद 14 जैसी अस्पष्ट व्यापकता को एक ठोस अवधारणा में स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। इंग्लैंड में भी, जहाँ

संसद सर्वोच्च है, जो अपरिहार्य है, क्योंकि जैसा कि डाइसी ने अपने संविधान के कानून में हमें बताया है:

" संसद सर्वोच्च विधायक होती है, लेकिन जिस क्षण से संसद ने कानून देने वाले के रूप में अपनी इच्छा व्यक्त की है, वह देश के न्यायाधीशों द्वारा उस पर रखी गई व्याख्या के अधीन हो जाएगी, और न्यायाधीश, जो मजिस्ट्रेटों की भावनाओं से कम से कम सामान्य कानून की सामान्य भावना से प्रभावित होते हैं, सामान्य कानून के सिद्धांतों के वैधानिक अपवादों का अर्थ लगाने के लिए तैयार होते हैं। यदि सदनों को अपने स्वयं के अधिनियमों की व्याख्या करने के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसा तरीका जो अधिकारियों के एक निकाय या संसद के सदनों के लिए स्वयं की प्रशंसा नहीं करेगा।

लेकिन विद्वान न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित चेतावनी ध्यान देने योग्य है:

" 83. हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीशों को यह निर्धारित करना है कि लोगों की भलाई के लिए क्या है और अपनी व्यक्तिगत और व्यक्तिगत राय को उस समय की सरकार के स्थान पर रखना है, या वे विधायिका के कार्यों को हड़प सकते हैं। कि यह उनका प्रांत नहीं है और हालांकि हमेशा एक संकीर्ण अंतर होना चाहिए जिसके भीतर न्यायाधीश, जो मानव हैं, हमेशा मनीष कुमार बनाम होंगे।

व्यक्तिपरक कारकों, उनके प्रशिक्षण और उनकी परंपरा से प्रभावित

उनके निर्णयों का मुख्य भाग एक ही आवाज से बोलता है

या उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि। यह विधायिका का कार्य है। अकेले, उस समय की सरकार के नेतृत्व में, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या है,

और जो नहीं है, वह देश के लोगों के लिए अच्छा और उचित है और

उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए सबसे व्यापक अक्षांश दिया जाना चाहिए। उनकी शक्तियों के दायरे में, अन्यथा हम सभी की प्रगति बाधित हो जाती है। लेकिन,

संविधान के कारण, ऐसी सीमाएँ हैं जिनसे आगे वे

जा नहीं सकता और भले ही यह निर्धारित करने के लिए बहुत सारे न्यायाधीशों पर पड़ता है

जहाँ वे सीमाएँ निहित हैं, उनके निर्णय का आधार यह नहीं हो सकता है कि क्या

न्यायालय सोचता है कि कानून लोगों के लाभ के लिए है।

इस प्रकार के मामलों का निर्णय केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या

संविधान इसकी मनाही करता है।

(जोर दिया गया)

49. इस विचार के बीज में एक मौन वृद्धि हुई। यह निर्णय में था

ई. पी. रोयप्पा बनाम में इस न्यायालय का। तमिलनाडु राज्य और अन्य 40 कि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के राजसी प्रावधानों में एक नए आयाम को उजागर किया। इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि मनमानेपन और निष्पक्षता कट्टर दुश्मन हैं। अनुच्छेद 14 की गारंटी दूसरे शब्दों में यह सीमित नहीं है कि यह समान लोगों के साथ भेदभाव या असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किए जाने के खिलाफ निषेध है। राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और मनमाना नहीं होनी चाहिए यदि इसे अदालत में पारित किया जाना है। यह अनिवार्य रूप से ऊपर बताए गए आदेश का पालन कर रहा है कि शायरा के मामले में यह न्यायालय बानो वी. भारत संघ 1 1, जिसमें हम में से एक (न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन) ने बहुमत के लिए बोलते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 101. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। संघ का इंडिया [इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। संघ

भारत सरकार, (1985) 1 एस. सी. सी. 641: 1985 एस. सी. सी. (कर) 121] ने कहा कि यह

ऐसा कानून स्थापित किया गया था जिस पर अधीनस्थ कानून को चुनौती दी जा सकती है

पूर्ण अधिवेशन के खिलाफ चुनौती के लिए उपलब्ध आधारों में से कोई भी

जब इस आधार पर बात आती है तो दो प्रकार के कानूनों के बीच अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती। स्पष्ट मनमानेपन की परीक्षा,

इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, इसके लिए लागू होगा

40 (1974) 4 एससीसी 3

41 41 (2017) 9 एससीसी 1 [2021] 14 एस. सी. आर.

अनुच्छेद के तहत विधान के साथ-साथ अधीनस्थ विधान को अमान्य करना।

14. इसलिए, स्पष्ट मनमानेपन द्वारा कुछ किया जाना चाहिए

विधायिका मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या पर्याप्त के बिना

सिद्धान्त निर्धारित करना। इसके अलावा, जब कुछ किया जाता है जो है

अत्यधिक और असमान, इस तरह के कानून स्पष्ट रूप से होगा

मनमाना। इसलिए, हमारा विचार है कि मनमानेपन में

जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा बताया गया है, स्पष्ट मनमानेपन की भावना अनुच्छेद 14 के तहत अस्वीकार करने वाले कानून पर भी लागू होता है।

(जोर दिया गया)

50. यह दृष्टिकोण, अर्थात्, कि यह एक पूर्ण कानून हो यदि यह पाया जाता है

स्पष्ट रूप से मनमाना यह कमजोर हो गया है में पालन किया गया है

अन्य निर्णयों के अलावा निम्नलिखित निर्णय:

(2) जोसेफ शाइन वी। भारत संघ 1 3; (3) न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टुस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य 44।

(4) हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम। संघ भारत और अन्य 45.

51. फिर भी इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक और आधार यह है कि एक कानून, चाहे वह हो

यदि यह अस्पष्ट पाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है-(इस संबंध में देखें श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ)। यह.

विस्तार से बताया जाना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए को उलटना शामिल था, जो एक आपराधिक अपराध पैदा करने के लिए कथित था, जिसके तत्व अस्पष्ट पाए गए थे।

52. जबकि, आधार पर, कानून के तहत प्रस्तुत, आरोप लगाने के लिए

पूर्ण विधान, हम दो आधारों पर ध्यान दे सकते हैं, जिन पर कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा हमारे समक्ष आग्रह किया गया है। यह आग्रह किया गया है कि यह कानून रियल एस्टेट लॉबी को भड़काने और उनके दबाव के आगे झुकने या उनके निहित स्वार्थों को शांत करने के माध्यम से बनाया गया था। इस तरह की

43 (2019) 3 एससीसी 39

44 (2017) 10 एससीसी 1 45 आकाशवाणी 2020 एससी 122

46 (2015) 5 एस. सी. सी. 1 मनीष कुमार बनाम।

तर्क और कुछ नहीं बल्कि द्वेष के आधार पर विधानमंडल के कानून पर सवाल उठाने का एक छोटा सा प्रच्छन्न प्रयास है। कानून जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक निकाय द्वारा बनाया जाता है। जब वे अपनी विधायी क्षमता में कार्य करते हैं, तो जो लागू किया जा रहा है वह सामान्य कानून है। यदि वही विधायक संविधान में संशोधन करने के लिए बैठते हैं, तो वे इसके सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

53. इन मामलों में एक और आधार जिस पर जोर दिया गया है, वह यह है कि जब इस न्यायालय ने पायनियर (ऊपर) का फैसला किया तो भारत संघ ने संहिता में संशोधन का बचाव किया जिसमें संहिता की धारा 5 (8) (च) में स्पष्टीकरण को सम्मिलित करना शामिल था। यह वह व्याख्या थी जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि घर खरीदार वित्तीय लेनदार होंगे। वित्तीय लेनदारों द्वारा आग्रह किए गए सभी आधारों का उसी ने जोरदार विरोध किया। भारत संघ ने यह तर्क देते हुए कि घर खरीदार वित्तीय लेनदार हैं और इसके अलावा, व्यक्तिगत घर खरीदारों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा हमारे समक्ष जो तर्क दिया गया है, वह यह है कि ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च विधायिका को प्रतिज्ञापत्र के सिद्धांत द्वारा विवादित अधिनियम को लागू करने से रोका जाता है।

54. एक सर्वोच्च विधायिका को न तो घेर लिया जा सकता है, न ही सीमित किया जा सकता है।

प्रोमिसरी एस्टोपेल या एस्टोपेल के सिद्धांत द्वारा। यह एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करता है। एक ओर, वचननिरोध के सिद्धांत ने विकास का एक अविश्वसनीय प्रक्षेपवक्र देखा है, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह सरकार या उसकी एजेंसियों से अन्याय को रोकने के लिए एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करता है जो बिना किसी उचित कारण के उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन से पीछे हटना चाहते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया Ltd.4⁹ 49-पैराग्राफ-13]।

47 (1985) 1 एससीसी 523 48 (2009) 13 एससीसी 165 49 (1985) 4 एससीसी 369 [2021] 14 एस. सी. आर.

कोड के काम को आगे बढ़ाना

रेगार्ड्स कॉरपोरेट ऋणदाता

55. संहिता को संसद द्वारा वर्ष 2016 में पारित किया गया था, हालांकि, धारा 1 (3) के प्रावधानों के तहत ऐसे दिन लागू होना था जब

केंद्र सरकार को नियुक्त करना था। संहिता के प्रावधान 2017 से लागू हैं।

56. संहिता का भाग II निगमित ऋणदाताओं की दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होता है, जहां न्यूनतम राशि

डिफ़ॉल्ट एक करोड़ रुपये है जैसा कि यह है [धारा 4]। संहिता की धारा 6 के तहत जब कोई कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है, तो एक वित्तीय

लेनदार, एक परिचालन लेनदार या स्वयं निगमित देनदार को अध्याय II के तहत प्रदान किए गए तरीके से निगमित देनदार के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (इसके बाद सी. आई. आर. पी. के रूप में संदर्भित) शुरू करने की अनुमति है। अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर धारा 32 ए तक शामिल हैं। धारा 7 (1) में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय लेनदार की ओर से एक वित्तीय लेनदार स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर धारा 7 के तहत निर्णय प्राधिकरण के समक्ष सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है, जब कोई चूक हुई हो। संहिता की धारा 5 (1) में परिभाषित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत गठित एन. सी. एल. टी. है। असंशोधित धारा 7 (1) इस प्रकार है:

" 7. (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से कॉर्पोरेट शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

जब कोई चूक हुई हो तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक निगमित देनदार के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया।
स्पष्टीकरण इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार बल्कि किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

निगमित देनदार का "।

57. जिन तीन विवादित प्रावधानों का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं और जिन्हें विवादित संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, उन्हें उप-धारा (1) और उप-धारा (1) के प्रावधानों के बीच जोड़ दिया गया है। व्याख्या करें। धारा 7 की उप-धारा 2 में प्रावधान है कि वित्तीय लेनदार आवेदन करेगा जो उस तरीके और रूप में और उस शुल्क के साथ होगा जो निर्धारित किया जाए।

58. धारा 3 (26) 'विहित' शब्द को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित अर्थ के रूप में परिभाषित करती है। धारा 239, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार को संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। तदनुसार, दिवाला और मनीश कुमार v.

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]टूटना (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016 लागू हुए और 1.12.2016 से लागू किए गए। नियम 4 इस प्रकार है:

" 4. वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन। (1) एक वित्तीय लेनदार, या तो स्वयं या संयुक्त रूप से, शुरू करने के लिए एक आवेदन करेगा

निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रपत्र 1 में संहिता की धारा 7 के तहत,

दस्तावेज़ और रिकॉर्ड जिनमें आवश्यक हैं और जैसा कि इसमें निर्दिष्ट किया गया है

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (दिवाला समाधान)

निगमित व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2016। (2) जहाँ उप-नियम (1) के तहत आवेदक एक समनुदेशिती है या

वित्तीय अनुबंध के हस्तांतरणकर्ता, आवेदन होगा

असाइनमेंट या हस्तांतरण समझौते की एक प्रति के साथ

कार्य को प्रदर्शित करने के लिए और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

या स्थानांतरण। (3) आवेदक आवेदन की एक प्रति तुरंत भेजेगा।

पंजीकृत डाक या गति द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास दाखिल किया गया

निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय में भेजें।

(4) यदि आवेदन वित्तीय लेनदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है,

वे अपनी ओर से कार्य करने के लिए उनमें से किसी एक को नामित कर सकते हैं।

59. नियम 8 आवेदन वापस लेने पर विचार करता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

वीएस:

" 8. आवेदन वापस लेना

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इसे वापस लेने की अनुमति दे सकता है नियम 4,6 या 7, जैसा भी मामला हो, के तहत किया गया आवेदन

इसके प्रवेश से पहले आवेदक द्वारा किया गया अनुरोध। 60. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 6 और 7 आवेदनों से संबंधित हैं -

क्रमशः राष्ट्रीय लेनदार और निगमित आवेदक। नियम 10 (1)

nd (3) निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है:

" 10. आवेदन जमा करना और आवेदन शुल्क -

(1) उस समय तक कार्यवाही के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम

संहिता के तहत धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 9 की उप-धारा (1) या धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत किया गया आवेदन अधिसूचित किया जाता है।

संहिता की धारा 10 न्यायनिर्णायक के समक्ष दायर की जाएगी।

प्राधिकरण के नियम 20,21,22,23,24 और 26 के अनुसार

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 का भाग III।

(2) इन नियमों के तहत एक आवेदक बनने के तुरंत बाद होगा

सचेत रहें, किसी भी समापन याचिका के बारे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करें निगमित देनदार के खिलाफ प्रस्तुत किया गया।

(3) आवेदन के साथ ऐसा शुल्क होगा जो निर्दिष्ट किया गया हो।

अनुसूची में "।

61. फॉर्म 1 एक आवेदन के संबंध में निर्धारित आवेदन है।

वित्तीय लेनदार द्वारा दायर। वह इस प्रकार है:

" फॉर्म 1

(नियम 4 का उप-नियम (1) देखें)

वित्तीय ऋणदाता (एस) द्वारा आवेदन

नीतिगत निगमित दिवालिया समाधानभाग-2 के अध्याय-2 के तहत प्रक्रिया

कोड के भाग II का अध्याय IV।

[* जो भी लागू न हो उसे हटा दें]

2016 दिवाला और दिवालियापन के नियम 4 के साथ पढ़ें (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016)

[तिथि]

को,

से, [पंजीकृत अधिकारियों के नाम और पते

वित्तीय लेनदार]

[निगमित देनदार के नाम] के मामले में विषय: निगमित दिवाला समाधान शुरू करने के लिए आवेदन

[निगमित देनदार के नाम] के मामले में प्रक्रिया दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।

महोदया/महोदय,

[वित्तीय लेनदार के नाम], इसके द्वारा प्रस्तुत करें

मनीष कुमार बनाम में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

[निगमित देनदार का नाम] का मामला। इसके लिए विवरण

इस आवेदन का उद्देश्य नीचे दिया गया है:

भाग-I

आवेदन के भागीदार (आवेदन करने वाले प्रत्येक वित्तीय ऋणदाता के लिए कृपया प्रावधान)
1 . वित्तीय ऋणदाता का नाम

2. वित्तीय ऋणदाता के निगम की तिथि

3 . वित्तीय ऋण की पहचान संख्या 4. पंजीकृत कार्यालय का पता

वित्तीय ऋणदाता

5 . व्यक्ति प्राधिकारी का नाम और पता

अपने आप पर विषय आवेदन (बंद करें)

प्राधिकरण)

6 . भारत में व्यक्ति निवास का नाम और पता

प्रक्रिया की सेवा को स्वीकार करने के लिए अधिकृत यह स्वयं है (बंद प्राधिकरण)

भाग-II

निगम ऋणदाता के सदस्य

1. | निगम ऋणदाता का नाम

2 . निगम की पहचान संख्या

ऋणदाता

3. निगम के निगमन की तिथि

ऋणदाता

4. नॉमिनल शेयर कैपिटल एंड द पेड-यूपी

निगम ऋणदाता की साझा पूंजी प्रति गारंटी श्रेणी के विवरण और/या विवरण

समाज का (ए. एस.)

स्मारक स्वीकार्य)

5. पंजीकृत कार्यालय का पता

निगम ऋणदाता

6. | निगम ऋणदाता का विवरण

धारा 55 (2) के तहत अधिसूचना

कोड

(i) आकलन और आय

((ii) ऋणदाताओं का वर्ग या ऋण राशि

((ग) निगमित व्यक्ति की श्रेणी

(जहाँ आवेदन के अध्याय IV के तहत है

कोड का भाग II)

भाग-III

प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर के प्रतिभागी

1 . नाम, पता, ईमेल पता और

प्रस्तावित की पंजीकरण संख्या

अंतरिम समाधान पेशेवर

भाग-IV

वित्तीय ऋण के सहभागी

1 . ऋण की कुल राशि देने की तिथि (एस)

अस्वीकृति

2 . ए. एम. ओ. एन. टी. पर चूक और तिथि होने का दावा किया गया

जिस पर दुश्मन ने हमला किया (Attach the DeFALT OCCURD)

आय-व्यय और आय-व्यय के दिनों की गणना के लिए कार्य

टैबलर फॉर्म में गलती)

भाग-V

वित्तीय ऋण के हिस्सेदार [दस्तावेज़, रिकॉर्ड और धोखाधड़ी के प्रमाण]

1 . सुरक्षा के भागीदार, यदि कोई हो, तो इसके निर्माण की तारीख, यह है

क्रेडिटर के अनुसार निर्धारित मूल्य। कंपनियों के पंजीयक द्वारा जारी शुल्क के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति (यदि निगम ऋणदाता एक कंपनी है)

2 . अदालत, ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रल पैनल के किसी आदेश के भागीदार, यदि कोई हो (आदेश की एक प्रति पर हमला करें)

3 . सूचना उपयोगिता के साथ चूक का रिकॉर्ड, यदि कोई हो (ए.

इस तरह के रिकॉर्ड की प्रति)

4 . भारतीय सफलता अधिनियम, 1925 (1925 का 10) (एटैच ए कॉपी) के तहत सफलता प्रमाण पत्र, या किसी वसीयत का प्रावधान, या प्रशासन पत्र, या अदालत का आदेश (जैसा लागू हो सकता है)

5 . वित्तीय अनुबंध की नवीनतम और पूर्ण प्रति जो सभी सुधारों और तारीख की प्रतीक्षाओं को दर्शाती है (एक प्रति संलग्न करें) 6 . किसी भी क्रेडिट जानकारी के साथ उपलब्ध चूक का रिकॉर्ड

कंपनी (एटैच ए कॉपी)

7 . बैंकर पुस्तक प्रमाण अधिनियम, 1891 (1891 का 18) के अनुरूप एक बैंकर पुस्तक में प्रविष्टियों की प्रतियां (एक प्रति संलग्न करें)

8 . वित्तीय ऋण के अस्तित्व को साबित करने के आदेश में इस आवेदन के लिए संलग्न अन्य दस्तावेजों की सूची, भुगतान की राशि और तिथि

मैं, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, जहाँ तक मेरी जानकारी है, [नाम ओ. जे.]

प्रस्तावित दिवाला पेशेवर], पूरी तरह से योग्य है और मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

[वित्तीय लेनदार के नाम ने [तिथि] को [भुगतान के राज्य साधन] के माध्यम से इस आवेदन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया है। आपकी ईमानदारी से,

वित्तीय लेनदार की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

ब्लॉक अक्षरों में नाम

वित्तीय लेनदार के साथ या उसके संबंध में स्थिति हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

निर्देश

अनुलग्नक I इस आवेदन में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की प्रतियां। अनुलग्नक II प्रस्तावित अंतरिम प्रस्ताव द्वारा लिखित संचार

फॉर्म 2 में दिए गए अनुसार पेशेवर।

अनुलग्नक III प्रमाण कि निर्दिष्ट आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। अनुलग्नक IV जहाँ आवेदन संयुक्त रूप से किया जाता है, इस प्रपत्र में निर्दिष्ट विवरण सभी संयुक्त आवेदकों के संबंध में वित्तीय लेनदार को सभी आवेदकों की ओर से इस आवेदन को दाखिल करने और उस पर कार्य करने के लिए प्राधिकरण की एक प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

62. अनुसूची उन शुल्कों को निर्धारित करती है जो नियम 10 (3) के तहत विचार किए गए हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एक वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन के लिए (चाहे केवल या संयुक्त रूप से बीस-पाँच हजार रुपये की राशि) का प्रावधान है। धारा 7 की उप-धारा 3 में प्रावधान है कि वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ सूचना उपयोगिता द्वारा दर्ज किए गए चूक या ऐसे सभी अन्य रिकॉर्ड या साक्ष्य का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा जो इससे पहले निर्दिष्ट किया जा सकता है। 'निर्दिष्ट' शब्द को धारा 3 (32) में बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है और 'निर्दिष्ट' शब्द का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाना है।

63. धारा 7 (3) (बी) प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करने वाले वित्तीय लेनदार की अपेक्षा करती है। एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में (इसके बाद क्रमशः "आरपी" और "आईआरपी" के रूप में संदर्भित)। धारा 5 (27) भाग 2 के उद्देश्य के लिए 'समाधान पेशेवर' शब्द को एक दिवाला पेशेवर [2021] 14 एस. सी. आर. के अर्थ में परिभाषित करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. आई. आर. पी. के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है और इसमें एक अंतरिम समाधान पेशेवर शामिल होता है। बदले में धारा 3 (19) 'दिवाला पेशेवर' को धारा 206 के तहत एक दिवाला पेशेवर एजेंसी के सदस्य के रूप में नामांकित व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है और बोर्ड के साथ एक दिवाला के रूप में पंजीकृत है।

धारा 207 के तहत पेशेवर। धारा 7 की उप-धारा (5) घोषणा करती है कि जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट होता है कि चूक हुई है और उप-धारा के तहत आवेदन पूरा हो गया है और प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। पेशेवर, यह आदेश द्वारा एक आवेदन स्वीकार कर सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि चूक नहीं हुई है, यह निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के लिए अस्वीकार करने के लिए खुला है

पेशेवर, आवेदन अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है) यह आवेदन के अन्यथा दोषपूर्ण होने के अलावा है। आवेदन में अन्य जानकारी होनी चाहिए जो संहिता द्वारा विनियमों के तहत निर्दिष्ट की जा सकती है। कानून के पत्र के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की आवश्यकता होती है और वास्तव में हम 14 दिनों के भीतर पता लगाने की भावना के अनुसार ऐसा कह सकते हैं। आवेदन की प्राप्ति की, यदि सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य साक्षय के आधार पर कोई चूक होती है, तो अवधि

निर्देशिका के रूप में समझा गया है] '। धारा 3 (21) में 'सूचना उपयोगिता' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो धारा 210 के तहत सूचना उपयोगिता के रूप में बोर्ड में पंजीकृत है। 'बोर्ड' शब्द को धारा 3 (1) में 'भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे धारा 188 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित किया गया है।

64. धारा 7 (6) घोषणा करती है कि सी. आई. आर. पी. उप-धारा (5) के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होगी।

65. धारा 9 के साथ पठित धारा 8 एक परिचालन लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन से संबंधित है। धारा 10 एक से संबंधित है

निगमित आवेदक द्वारा आवेदन। कॉर्पोरेट आवेदक शब्द को कॉर्पोरेट देनदार और उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं को संदर्भित करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके बाद कानून देने वाले ने धारा 11 में ऐसे आवेदनों को प्रतिबंधित किया है जो अन्यथा होने चाहिए - बनाए रखने योग्य। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें हम बाद में इस फैसले में अधिक समय देंगे। धारा 12 समय सीमा निर्धारित करती है। धारा 12 में एक सीमांत नोट है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[के. एम. जोसेफ, जे.]

" 12. दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा। (1) उप-धारा (2) के अधीन रहते हुए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ करोड़ की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

आरंभ करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से अस्सी दिन

ऐसी प्रक्रिया।

निगम की अवधि बढ़ाने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ अस्सी दिनों से आगे, यदि ऋणदाताओं की समिति की बैठक में पचहत्तर प्रतिशत के मत से पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। मतदान के अंश।

(3) उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि विषय वस्तु

मामला ऐसा है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ अस्सी दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, यह आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को एक सौ अस्सी दिनों से आगे की अवधि तक बढ़ा सकता है जो वह उचित समझता है, लेकिन नब्बे से अधिक नहीं। दिन:

बशर्ते कि निगमित दिवालियापन की अवधि का कोई विस्तार

इस धारा के तहत समाधान प्रक्रिया को और अधिक मंजूरी नहीं दी जाएगी। एक बार से अधिक।

अनिवार्य रूप से तीन सौ की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। और दिवाला शुरू होने की तारीख से तीस दिन, सहित

निगमित दिवाला समाधान की अवधि का कोई विस्तार

इस धारा के तहत दी गई प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया में लगने वाला समय निगम की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में कार्यवाही

कर्जदार:

बशर्ते कि जहां एक की दिवाला समाधान प्रक्रिया

निगमित देनदार लंबित है और इसके भीतर पूरा नहीं किया गया है। दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि, ऐसी समाधान प्रक्रिया की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा

दिवाला और दिवालियापन संहिता की शुरुआत

(संशोधन) अधिनियम, 2019 "।

66. उप-धारा 2 पर आते हुए, सी. आई. आर. पी. को [2021] 14 एस. सी. आर. शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से कुछ दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

प्रक्रिया। जहाँ तक वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन का संबंध है, प्रवेश की तारीख आवेदन स्वीकार करने के आदेश की तारीख है।

हालांकि उप-धारा (2) के तहत यदि लेनदारों की समिति मतदान हिस्सेदारी के 66 प्रतिशत के वोट से आर. पी. को सी. आई. आर. पी. की अवधि को 180 दिनों से आगे बढ़ाने का निर्देश देती है, तो आर. पी. एक आवेदन दायर करने के लिए बाध्य है। आवेदन की प्राप्ति पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी 180 दिनों की अवधि को अधिकतम 90 दिनों के लिए बढ़ा सकता है। इस तरह का विस्तार केवल एक बार दिया जा सकता है। 16.8.2019 के प्रभाव से, दो प्रावधान जोड़े गए हैं। इस न्यायालय द्वारा तय किए गए (2019) 2 एस. सी. सी. 1 में जो निर्धारित किया गया था, उस पर काबू पाने के लिए एस्सार स्टील (उपरोक्त) के पैराग्राफ-74 में उल्लिखित प्रावधानों को वास्तव में जोड़ा गया था। आर्सेलरमित्तल (ऊपर) में बाद के निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय को बाहर रखा जाना चाहिए। पहले परंतुक के तहत, सी. आई. आर. पी. को दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से 330 दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है। 330 दिनों की इस अवधि में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा उप-धारा (3) के तहत दिए गए किसी भी विस्तार और निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय भी शामिल है। हालाँकि, एस्सार स्टील के समिति लेनदारों (ऊपर) में, इस न्यायालय ने 'अनिवार्य रूप से' शब्द को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने के रूप में खारिज कर दिया और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

" ..... इस घोषणा का प्रभाव यह है कि आम तौर पर निगमित देनदार की निगमित समाधान प्रक्रिया के संबंध में लिया गया समय दिवाला शुरू होने की तारीख से 330 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें विस्तार और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय शामिल है। हालांकि, किसी मामले के तथ्यों पर, यदि संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण को यह दिखाया जा सकता है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया को 330 दिनों से आगे पूरा करने के लिए केवल एक छोटी अवधि बची है, और यह कि यह सभी हितधारकों के हित में होगा कि निगमित 10-12-2020 (85 का पृष्ठ 69) देनदार को परिसमापन में भेजे जाने के बजाय अपने पैरों पर वापस रखा जाए और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय काफी हद तक उन कारकों के कारण है जिनके कारण न्यायनिर्णायक के समक्ष वादियों को दोष नहीं दिया जा सकता है।

प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण, विलंब या उसका एक बड़ा हिस्सा स्वयं न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण की सुस्त प्रक्रिया के कारण होने के कारण, ऐसे मामलों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 330 दिनों से अधिक समय बढ़ाने के लिए खुला हो सकता है। इसी तरह, नए मनीष कुमार बनाम के तहत भी।

धारा 12 में जोड़ा गया परंतुक, यदि सभी उपरोक्त कारकों के कारण 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 90 दिनों की अनुग्रह अवधि पार हो जाती है, तो फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समय बढ़ाने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। केवल ऐसे असाधारण मामलों में ही समय बढ़ाया जा सकता है, सामान्य नियम यह है कि 330 दिन बाहरी सीमा है जिसके भीतर निगम की दबाव वाली परिसंपत्तियों का समाधान किया जाता है।

देनदार को ऐसा होना चाहिए जिसके आगे कॉर्पोरेट देनदार को होना चाहिए।

परिसमापन में चलाया जाए "।

67. इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 16.08.2019 के संशोधन द्वारा जोड़े गए पहले परंतुक के तहत, की अवधि का संदर्भ

330 दिवाला शुरू होने की तारीख के संबंध में दिन बनाए जाते हैं। दिवाला शुरू होने की तारीख को धारा 5 (12) में परिभाषित किया गया है। धारा 5 (12) इस प्रकार है:

" 5 (12) " दिवाला शुरू होने की तारीख का अर्थ है निगमित दिवाला शुरू करने के लिए आवेदन स्वीकार करने की तारीख। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, धारा 7,9 या धारा 10 के अधीन समाधान प्रक्रिया।

एक प्रावधान था लेकिन इसे अधिनियम 1/2020 (28/12/2019 से प्रभावी) द्वारा हटा दिया गया है।

68. इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि योजना यह प्रतीत होती है कि आई. आर. पी. के रूप में कार्य करने के लिए आर. पी. का नाम में इंगित किया जाना है

आवेदन। धारा 7 (5) के तहत आवेदन को स्वीकार करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण प्रस्तावित समाधान पेशेवर को नियुक्त करना है। वास्तव में, संहिता की धारा 16 (2) ऐसी नियुक्ति पर विचार करती है। हम धारा 12 ए का उल्लेख कर सकते हैं जिसे 6.6.2018 के प्रभाव से जोड़ा गया था। धारा 12 ए इस प्रकार है:

" 12 ए. धारा 7,9 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेना या

10. - न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इसे वापस लेने की अनुमति दे सकता है

लेनदारों की समिति के नब्बे प्रतिशत मतदान हिस्से के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत इस तरह से आवेदन स्वीकार किया जाता है।

जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है "।
69. उपरोक्त प्रावधान आवेदन वापस लेने से संबंधित है।

प्रवेश के बाद नियम (8) के विपरीत हो सकता है जो स्पष्ट रूप से प्रवेश से पहले निकासी से संबंधित है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

70. तथापि, संहिता की धारा 16 इंगित करती है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी 14 दिनों के भीतर एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति करेगा।

दिवाला प्रारम्भ होने की तिथि से। हम पहले ही 'दिवाला प्रारंभ तिथि' शब्दों की परिभाषा को प्रवेश की तारीख के रूप में नोट कर चुके हैं। धारा 13 अन्य बातों के साथ-साथ धारा 7 के तहत प्रवेश पर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करती है।

1. धारा 14 के तहत विचारित अधिस्थगन घोषित किया जाना है।

2. सी. आई. आर. पी. की शुरुआत और आमंत्रण की एक सार्वजनिक घोषणा

निगमित देनदार के खिलाफ दावा किया जाना है।

3. आई. आर. पी. की नियुक्ति-नियुक्ति धारा 16 में दिए गए तरीके से की जानी है। घोषणा यह है कि

संकल्प की नियुक्ति के तुरंत बाद किया जाए

पेशेवर।

71. धारा 14 अधिस्थगन से संबंधित है।

" 14. अधिस्थगन। - (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा इसके लिए स्थगन की घोषणा करेगा।
निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करना, अर्थात्: -

(क) निगमित ऋणी के खिलाफ किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित लंबित मुकदमों या कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता;

उसमें ब्याज;
(ग) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई; (घ) किसी मालिक द्वारा किसी भी संपत्ति की पुनर्प्राप्ति।

या पट्टेदार जहाँ ऐसी संपत्ति पर कब्जा है या

निगमित देनदार का अधिकार।

स्पष्टीकरण। - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अन्य निश कुमार v में कुछ भी निहित होने के बावजूद।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

उस समय लागू कानून, एक लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण,

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए कोटा, रियायत, मंजूरी या इसी तरह के अनुदान या अधिकार को दिवालिया होने के आधार पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत, मंजूरी या इसी तरह के अनुदान या अधिकार के उपयोग या निरंतरता के लिए उत्पन्न होने वाले वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक न हो।

अधिस्थगन अवधि।

(2) निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी।

अधिस्थगन की अवधि, सिवाय इसके कि जहां ऐसे निगमित देनदार ने इस अवधि के दौरान ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया का भुगतान नहीं किया है। स्थगन अवधि या ऐसी परिस्थितियों में जो निर्दिष्ट की जाए।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे -

(ख) किसी निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत। (4) स्थगन का आदेश इस तरह के आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवालियापन के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा।

समाधान प्रक्रिया:

बशर्ते कि जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है, स्थगन ऐसे अनुमोदन या परिसमापन आदेश की तारीख से प्रभावी नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। "[2021] 14 एस. सी. आर.

72. यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 7 के साथ पठित धारा 6 में विचार किया गया है कि एक वित्तीय लेनदार आवेदन दायर कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से, वह अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकता है। भले ही एक एकल वित्तीय लेनदार आवेदक होना था, अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति के बाद, आवेदक एल. आई. एस. में नहीं रहता है। धारा 17 के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वह इस प्रकार है:

" 17. निगमित देनदार के मामलों का अंतरिम प्रबंधन समाधान पेशेवर। - (1) अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से, -

(क) निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन

अंतरिम समाधान पेशेवर में निहित;

(ख) निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदारों की शक्तियां, जैसा भी मामला हो, निलंबित हो जाएंगी और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा;

(ग) निगमित देनदार के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान पेशेवर को रिपोर्ट करेंगे और निगमित देनदार के ऐसे दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करेंगे जो हो सके।

अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा आवश्यक;

(घ) निगमित देनदार के खातों का रखरखाव करने वाले वित्तीय संस्थान अंतरिम के निर्देशों पर कार्य करेंगे।

ऐसे खातों के संबंध में समाधान पेशेवर और कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करें

उन्हें अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर प्रबंधन के साथ निहित है

निगमित देनदार का,

(क) निगम के नाम से और उसकी ओर से कार्य करना और निष्पादित करना।

ऋणी सभी विलेख, रसीदें और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों;

(ख) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन ऐसी कार्रवाई करें;

(ग) निगमित देनदार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुँचने का अधिकार सूचना उपयोगिता से हो जिसके पास वित्तीय जानकारी हो। निगमित देनदार;

(घ) मनीष कुमार v. के पास उपलब्ध निगमित देनदार की लेखा पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुँचने का अधिकार है।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[के. एम. जोसेफ, जे.]

सरकारी प्राधिकरण, सांविधिक लेखा परीक्षक, लेखाकार और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(ई) 2 [निगम की ओर से कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार होना।

ऋणी "।

73. धारा 17 में विचार किया गया है कि निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन आई. आर. पी. के पास निहित होगा। इससे प्रभाव पड़ता है

अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तिथि।इसके अलावा, निदेशक मंडल की शक्तियां जो कॉर्पोरेट देनदारों के भागीदार हैं, निलंबित कर दी जाएंगी।

74. वस्तुतः, सभी सहित प्रबंधन का पूरा नियंत्रण

उप-धारा 2 में दर्शाए गए कार्य और अधिकार अंतरिम समाधान पेशेवर और उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकरण द्वारा किए जाने हैं। धारा 18 आई. आर. पी. के कर्तव्यों का विवरण देती है। वह इस प्रकार है:

" 18. अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य। - अंतरिम समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा:

कर्तव्य, अर्थात्: -

(क) वित्तीय निर्धारण के लिए निगमित देनदार की परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करें।

निगमित देनदार की स्थिति, जिसमें संबंधित जानकारी भी शामिल है

(i) पिछले दो वर्षों के लिए व्यावसायिक संचालन; ((ii) पिछले दो वर्षों के लिए वित्तीय और परिचालन भुगतान।

((ग) प्रारंभ की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची; और ((घ) ऐसे अन्य मामले जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख) धारा 13 और 15 के तहत की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्राप्त करें और उनका मिलान करें;

(ग) लेनदारों की एक समिति का गठन करना;

(घ) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की निगरानी करना और उनका प्रबंधन करना। लेनदारों की समिति द्वारा एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति होने तक संचालन; [2021] 14 एस. सी. आर.

(ई) सूचना उपयोगिता के साथ एकत्र की गई फ़ाइल जानकारी, यदि आवश्यक; और

(च) किसी भी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना जिस पर निगमित देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं जैसा कि निगमित देनदार की तुलनपत्र में दर्ज है, या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों के डिपॉजिटरी या किसी अन्य रजिस्ट्री के साथ जो इसके स्वामित्व को दर्ज करता है।

परिसंपत्तियाँ जिनमें शामिल हैं -

(i) ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन पर निगमित ऋणी का स्वामित्व अधिकार है।

जो किसी विदेशी देश में स्थित हो सकता है;

((ख) ऐसी परिसंपत्तियाँ जो निगमित देनदार के कब्जे में हों या न हों;

(vi) अदालत द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ। या प्राधिकार:

स्पष्टीकरण। - इस धारा 1 के प्रयोजनों के लिए, "परिसंपत्तियाँ" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्: - (क) न्यास के तहत या संविदात्मक व्यवस्थाओं के तहत निगमित ऋणी के कब्जे में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ, जिनमें शामिल हैं -

जमानत;

((ख) निगम की किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

ऋणी; और

(ग) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से।

75. यह ध्यान दिया जाएगा कि ऋणदाताओं की समिति का गठन करना उनके कर्तव्यों में से एक है। लेनदारों की समिति का गठन और मतदान की विधि और उसकी सीमा धारा 21 में विस्तृत रूप से पाई जाती है। चूँकि बहुत कुछ उक्त प्रावधान को चालू कर सकता है हम

उसी तरह:

" 21. ऋणदाताओं की समिति।

— मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

(1) अंतरिम समाधान पेशेवर निगमित देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति के निर्धारण के बाद, लेनदारों की एक समिति का गठन करेगा। (2) लेनदारों की समिति में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे:

बशर्ते कि कोई वित्तीय लेनदार या अधिकृत प्रतिनिधि

धारा 24 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6ए) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार का, यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, तो उसे प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं होगा।

ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भागीदारी या मतदान: बशर्ते कि पहला परंतुक किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है जो केवल ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय साधनों में परिवर्तित करने या प्रतिस्थापित करने या ऐसे लेनदेन को पूरा करने के कारण है जो दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले निर्धारित किया जा सकता है।

(3) उप-धारा (6) और (6ए) के अधीन रहते हुए, जहां निगमित देनदार पर दो या दो से अधिक वित्तीय ऋण बकाया हैं।

लेनदार एक संघ या समझौते के हिस्से के रूप में, ऐसा प्रत्येक वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का हिस्सा होगा और उनका मतदान हिस्सा उनके बकाया वित्तीय ऋणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(4) जहाँ कोई व्यक्ति वित्तीय लेनदार होने के साथ-साथ परिचालन लेनदार भी हो - ((क) ऐसा व्यक्ति वित्तीय लेनदार होगा।

निगमित देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण, और ऋणदाताओं की समिति में शामिल किया जाएगा, जिसके अनुपात में मतदान का हिस्सा होगा

(ख) ऐसे व्यक्ति को ऐसे लेनदार के लिए निगमित देनदार द्वारा देय परिचालन ऋण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा। (5) जहां एक परिचालन लेनदार ने किसी वित्तीय लेनदार को कोई परिचालन ऋण सौंपा है या कानूनी रूप से हस्तांतरित किया है, तो समनुदेशिती या हस्तांतरणकर्ता को ऐसे कार्य या कानूनी हस्तांतरण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा।

(6) जहां एक संघ व्यवस्था या सिंडिकेटेड सुविधा के हिस्से के रूप में विस्तारित वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने के लिए एक एकल ट्रस्टी या एजेंट प्रदान करती हैं, प्रत्येक वित्तीय लेनदार कर सकता है

(क) न्यासी या अभिकर्ता को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति;

(ख) अपने मतदान के हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करें;

(ग) अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने खर्च पर एक दिवालिया पेशेवर (समाधान पेशेवर के अलावा) नियुक्त करें; या

(घ) एक या अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग अपने मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करें।

(क) प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक ट्रस्टी या एजेंट की नियुक्ति के लिए प्रदान करती हैं, ऐसे ट्रस्टी या एजेंट ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेंगे; (ख) खंड (क) या उप-धारा (6) के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के अलावा, निर्दिष्ट संख्या से अधिक लेनदारों के एक वर्ग के लिए बकाया है, अंतरिम समाधान पेशेवर सभी की सूची के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन करेगा।

वित्तीय लेनदार, जिसमें अंतरिम समाधान पेशेवर के अलावा एक दिवालिया पेशेवर का नाम होता है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें लेनदारों की समिति की पहली बैठक से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा। (ग) जिनका प्रतिनिधित्व संरक्षक,

निष्पादक या प्रशासक द्वारा किया जाता है, वे व्यक्ति उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

वित्तीय लेनदार और खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) के तहत ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेंगे और प्रत्येक वित्तीय समिति की ओर से मतदान करेंगे।

अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदार। (6ख) अधिकृत प्रतिनिधि को देय पारिश्रमिक

(i) उप-धारा (6ए) के खंड (ए) और (सी) के तहत, यदि कोई हो, वित्तीय ऋण या प्रासंगिक प्रलेखन की शर्तों के अनुसार; और मनीष कुमार बनाम।

((ii) उप-धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत जैसा निर्दिष्ट किया गया है वैसा ही होगा जो दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का हिस्सा होगा। (7) बोर्ड उप-धारा (6) और (6ए) के तहत आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान का तरीका और मतदान के हिस्से का निर्धारण निर्दिष्ट कर सकता है।

(8) इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, लेनदारों की समिति के सभी निर्णय कम से कम मत से लिए जाएंगे।

पचास-एक प्रतिशत से अधिक। वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का:

बशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार के पास कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और इसमें ऐसे कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे।

जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निगमित देनदार से संबंध। (10) समाधान पेशेवर ऐसी मांग के सात दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा (9) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा आवश्यक कोई भी वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराएगा।

धारा 22 (1) और (2) निम्नानुसार है:

" 22. समाधान पेशेवर की नियुक्ति। -

(1) ऋणदाताओं की समिति की पहली बैठक होगी समिति के गठन के सात दिनों के भीतर आयोजित

लेनदार।

(2) लेनदारों की समिति, पहली बैठक में, वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत के बहुमत से, या तो अंतरिम समाधान पेशेवर को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने का संकल्प ले सकती है या अंतरिम समाधान पेशेवर को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए

समाधान पेशेवर "।

धारा 23 इस प्रकार है:

" 23. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए समाधान पेशेवर।

(1) धारा 27 के अधीन, समाधान पेशेवर पूरी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करेगा और [2021] 14 एस. सी. आर. का प्रबंधन करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित अवधि के दौरान निगमित देनदार का संचालन

दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि:

बशर्ते कि समाधान पेशेवर प्रबंधन करना जारी रखेगा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति के बाद निगमित देनदार का संचालन, जब तक कि धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने या धारा 34 के तहत परिसमापक नियुक्त करने का आदेश पारित नहीं किया जाता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

इस अध्याय के तहत पेशेवर। (3) धारा 22 की उप-धारा (4) के तहत समाधान पेशेवर की किसी भी नियुक्ति के मामले में, अंतरिम समाधान पेशेवर समाधान पेशेवर को अपने कब्जे और ज्ञान में कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित सभी जानकारी, दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रदान करेगा।

76. धारा 24 लेनदारों की समिति की बैठक से संबंधित है। अब उस समाधान पेशेवर को नियुक्त किया गया है, जैसा कि विचार किया गया है

धारा 22, धारा 24 (2) के तहत घोषणा की गई है कि ऋणदाताओं की समिति की सभी बैठकें समाधान पेशेवर द्वारा बुलाई जाएंगी। धारा 25 समाधान पेशेवर के कर्तव्यों के बारे में बात करती है। धारा 25 (2), (एच) और (आई) निम्नानुसार है:

" 25 (2) (ज) संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करें, जो ऐसे मानदंडों को पूरा करते हैं जो लेनदारों की समिति के अनुमोदन से उनके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय की जटिलता और संचालन के पैमाने और ऐसी अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं, एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए या

योजनाएं।

((i) समिति की बैठकों में सभी संकल्प योजनाओं को प्रस्तुत करना। लेनदार "।

77. धारा 25 ए, जिसे 06.06.2018 के प्रभाव से जोड़ा गया था, पर अलग से विचार किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 27 में विचार किया गया है कि ऋणदाताओं की एक समिति सी. आई. आर. पी. के दौरान किसी भी समय इसका स्थान ले सकती है।

समाधान पेशेवर जैसा कि अनुभाग में प्रदान किया गया है। धारा 28, निस्संदेह, समाधान पेशेवर को उसमें प्रदान किए गए मामलों के संबंध में बाधित करती है। ऐसे मनीष कुमार v में लेनदारों की समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

विषय हैं। इसमें निगम के प्रबंधन में कोई भी बदलाव करना शामिल है।

ऋणी और उसकी सहायक (धारा 28 (जे))। धारा 30 में विचार किया गया है कि समाधान आवेदक एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है। 'संकल्प' आवेदक 'को धारा 5 की उप-धारा 25 में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

" 5 (25) " समाधान आवेदक का अर्थ है एक व्यक्ति, जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से समाधान योजना प्रस्तुत करता है।

धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (एच) के तहत किए गए निमंत्रण के अनुसार समाधान पेशेवर।

समाधान योजना को धारा 5 (26) में परिभाषित किया गया है। वही नीचे पढ़ा गया है:

" 5 (26) " समाधान योजना "से निगमित देनदार के दिवालिया होने के समाधान के लिए समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित एक योजना अभिप्रेत है।

भाग II के अनुसार जा रहा है।

स्पष्टीकरण। - संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समाधान योजना में निगमित देनदार के पुनर्गठन के प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जिसमें विलय, समामेलन और विलयन शामिल हैं।

78. समाधान पेशेवर को धारा 25 (एच) के तहत समाधान पेशेवर द्वारा दिए गए निमंत्रण के आधार पर प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करनी होती है और यह पता लगाना होता है कि क्या योजना संहिता की धारा 30 (2) में उल्लिखित विभिन्न मानदंडों के अनुरूप है। इसके बाद इस मामले को समाधान पेशेवर द्वारा लेनदारों की समिति के समक्ष रखा जाता है। सभी समाधान योजनाएं जो अनुरूप हैं धारा 30 की उप-धारा (2) की शर्तों के साथ, वास्तव में, लेनदारों की समिति के समक्ष रखा जाना है। ऋणदाताओं की समिति इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है और

व्यवहार्यता, प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित बाधाओं, लेनदारों के बीच प्राथमिकता को ध्यान में रख सकता है, जिसमें सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य शामिल हैं।

सुरक्षित लेनदार और ऐसी अन्य आवश्यकताएँ जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं

बोर्ड। ऐसे अन्य विवरण हैं जिनसे हम धारा 30 में संबंधित नहीं हैं। धारा 31 में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अन्य बातों के साथ-साथ यह इस प्रकार है:

" 31. समाधान योजना की स्वीकृति।

(1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि संकल्प

धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगी जो निगमित देनदार और उसके लिए बाध्यकारी होगी। केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण सहित कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, जिन्हें किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण दिया गया है, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिन्हें वैधानिक बकाया है, गारंटर और समाधान में शामिल अन्य हितधारक।

योजना:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एक पारित करने से पहले इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश, संतुष्ट

कार्यान्वयन "। निर्णय में इन प्रावधानों के दायरे पर चर्चा की गई है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य मामले में इस न्यायालय के। और (2019) 2 एस. सी. सी. 1 हम में से एक (न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन) द्वारा लिखित अन्य निर्णयों के बीच।

79. धारा 31 की उप-धारा (2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सक्षम बनाती है।

समाधान योजना को अस्वीकार करना। धारा 31 (3) में विचार किया गया है कि समाधान योजना के अनुमोदन के बाद धारा 14 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अनुभाग

32 ए को अलग से निपटाया जाएगा।

80. धारा 33, जो भाग II के अध्याय III में है, मजबूर करती है

कॉर्पोरेट देनदार की मृत्यु की घोषणा करना। अर्थात्, यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति या धारा 12 के तहत सी. आई. आर. पी. की अनुमति प्राप्त अधिकतम अवधि से पहले, अन्य बातों के साथ-साथ, एक समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है या यद्यपि प्राप्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है, तो धारा 33 के तहत आदेश पारित किया जाना है। दिवाला समाधान प्रक्रिया पर पर्दा डाल दिया जाता है। कॉर्पोरेट ऋणी चला जाता है

परिसमापन में। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी एक आदेश पारित करने के लिए बाध्य है जिसमें कॉर्पोरेट देनदार को समाप्त करने की आवश्यकता होती है जैसा कि अध्याय III भाग II में प्रदान किया गया है। धारा 33 (2) में विचार किया गया है कि समाधान योजना की पुष्टि से पहले यदि कम से कम 66 प्रतिशत मतदान द्वारा अनुमोदित लेनदारों की समिति निगमित देनदार को समाप्त करने का निर्णय लेती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण परिसमापन आदेश पारित करेगा। इस स्तर पर धारा 33 (5) पर ध्यान दिया जा सकता है:

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 33 (5) धारा 52 के अधीन रहते हुए, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

निगमित देनदार के खिलाफ:

संहिता की धारा 33 (2) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। " स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लेनदारों की समिति निगमित देनदार को समाप्त करने का निर्णय, संविधान के बाद किसी भी समय ले सकती है।

धारा 21 की उप-धारा (1) और समाधान योजना की पुष्टि से पहले, जिसमें समाधान योजना की तैयारी से पहले किसी भी समय शामिल है।

सूचना ज्ञापन "। वास्तविक राज्य (विनियमन और

विकास) अधिनियम, 2016 और इसकी योजना (हेरिनाफ्टर को 'रेरा' के रूप में संदर्भित किया गया, के लिए

संक्षिप्त)। 81. अचल संपत्ति विनियमन और विकास विधेयक था

2013 में राज्यसभा में पेश किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 खरीदारों के लिए अचल संपत्ति बाजार में एक मंच के रूप में उपलब्ध है, यह उपाय केवल उपचारात्मक है और उक्त क्षेत्र में खरीदारों और प्रवर्तकों की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह महसूस किया गया कि अचल संपत्ति क्षेत्र में प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण, एकरूपता और व्यावसायिक प्रथाओं और लेनदेन के मानकीकरण के हित में एक केंद्रीय कानून होना चाहिए। विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और 25.03.2016 पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। 01.05.2017 द्वारा, अधिनियम के प्रावधान लागू हुए, हालाँकि, कुछ धाराएँ पहले 01.05.2016 पर लागू हुई हैं।

82. हम निम्नलिखित परिभाषा खंडों का विज्ञापन कर सकते हैं। धारा 2 (बी) 'विज्ञापन' को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" 2 (ख) "विज्ञापन" से कोई भी दस्तावेज अभिप्रेत है जिसे किसी भी माध्यम से विज्ञापन के रूप में वर्णित या जारी किया गया है और इसमें कोई भी सूचना, परिपत्र या अन्य दस्तावेज या किसी भी रूप में प्रचार शामिल है, जो व्यक्तियों को किसी अचल संपत्ति परियोजना के बारे में सूचित करता है, या किसी भूखंड, भवन या अपार्टमेंट की बिक्री के लिए प्रस्ताव देता है या किसी भी तरह से [2021] खरीदने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करता है।

ऐसा भूखंड, भवन या अपार्टमेंट या अग्रिम या जमा करने के लिए

ऐसे उद्देश्यों के लिए; "

83. धारा 2 (सी) 'बिक्री के लिए समझौते' को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" 2 (ग) "बिक्री के लिए समझौता" का अर्थ है प्रवर्तक और आवंटनकर्ता के बीच किया गया समझौता;

84. धारा 2 (घ), जो विवाद के केंद्र में है,

यह 'आबंटित' शब्द है, जो इस प्रकार है:

" 2 (घ) अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में "आबंटित" से व्यक्ति अभिप्रेत है।

जिसे कोई भूखंड, अपार्टमेंट या इमारत, जैसा भी मामला हो, आवंटित की गई है, बेची गई है (चाहे फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड के रूप में) या अन्यथा प्रवर्तक द्वारा हस्तांतरित की गई है, और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो

बाद में बिक्री, हस्तांतरण या हस्तांतरण के माध्यम से उक्त आवंटन प्राप्त करता है।

अन्यथा लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसके लिए ऐसी साजिश, अपार्टमेंट या इमारत, जैसा भी मामला हो, किराए पर दी जाती है।

85. जैसा कि देखा जा सकता है, 'आबंटित' शब्द में प्लॉट, अपार्टमेंट आइलिंग शामिल हैं। 'अपार्टमेंट' और 'बिल्डिंग' शब्दों को परिभाषित किया गया है। खंड 'अपार्टमेंट' शब्द को परिभाषित करता है और यह इस प्रकार है:

" 2 (ङ) "अपार्टमेंट" चाहे वह खंड, कक्ष, आवास इकाई, फ्लैट, कार्यालय, शोरूम, दुकान, गोदाम, परिसर, सूट, मकान, इकाई या किसी अन्य नाम से कहा जाए, का अर्थ है एक अलग और स्व-निहित।

किसी अचल संपत्ति का हिस्सा, जिसमें एक या अधिक कमरे या संलग्न स्थान शामिल हैं, जो एक या अधिक मंजिलों या उसके किसी हिस्से पर स्थित है, किसी भवन में या भूमि के भूखंड पर, जिसका उपयोग या उपयोग करने का इरादा है।

कोई आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग जैसे निवास, कार्यालय, दुकान, शोरूम या गोदाम या किसी भी व्यवसाय, व्यवसाय, पेशे या व्यापार को चलाने के लिए, या निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सहायक किसी अन्य प्रकार के उपयोग के लिए;

86. धारा 2 (जे) 'भवन' शब्द को परिभाषित करती है और यह इस प्रकार है:

वाणिज्यिक या किसी व्यवसाय, व्यवसाय के उद्देश्य के लिए, पेशा या व्यापार, या किसी अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए;

धारा 2 (ओं) 'विकास' को परिभाषित करती है और यह निम्नानुसार है: " 2 (एस) अपनी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञानात्मक के साथ "विकास"

अभिव्यक्तियों का अर्थ है अचल मनीष कुमार v का विकास करना।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

संपत्ति, इंजीनियरिंग या अन्य संचालन, पर, ऊपर या उसके तहत भूमि या किसी भी अचल संपत्ति में कोई भौतिक परिवर्तन करना।

संपत्ति या भूमि और इसमें पुनर्विकास शामिल है।

' विकास कार्यों को धारा 2 (टी) में परिभाषित किया गया है और यह इस प्रकार है

बनाम :

" 2 (टी) "विकास कार्य" का अर्थ है अचल संपत्ति पर बाहरी विकास कार्य और आंतरिक विकास कार्य; 'प्रवर्तक' शब्द को 2 (जेडके) में परिभाषित किया गया है और यह इस प्रकार है:

" 2 (जेडके) "प्रवर्तक" का अर्थ है -

एक व्यक्ति जो निर्माण करता है या निर्माण का कारण बनता है

((i)

अपार्टमेंट, सभी या कुछ अपार्टमेंटों को अन्य व्यक्तियों को बेचने के उद्देश्य से और इसमें उनके असाइनी भी शामिल हैं; या

((ख) एक व्यक्ति जो किसी परियोजना में भूमि का विकास करता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भूखंड पर संरचना का निर्माण करता है या नहीं, उक्त परियोजना में सभी या कुछ भूखंडों को अन्य व्यक्तियों को बेचने के उद्देश्य से, चाहे वह संरचना के साथ हो या उसके बिना; या (111) (क) भवनों या आवासों के आबंटियों के संबंध में कोई विकास प्राधिकरण या कोई अन्य सार्वजनिक निकाय,

मामला ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा उनके स्वामित्व वाली भूमि पर बनाया जा सकता है या उनके द्वारा उनके निपटान में रखा जा सकता है। सरकार; या (ख) ऐसे प्राधिकारी या निकाय के स्वामित्व वाले या सरकार द्वारा उनके निपटान में रखे गए भूखंड, सभी या कुछ अपार्टमेंट या भूखंडों को बेचने के उद्देश्य से; या

((iv) एक शीर्ष राज्य स्तरीय सहकारी आवास वित्त समिति और एक प्राथमिक सहकारी आवास समिति जो अपने सदस्यों के लिए या ऐसे आवास या भवनों के आवंटी के संबंध में आवास या भवनों का निर्माण करती है।

या कोई अन्य व्यक्ति जो खुद को एक बिल्डर, उपनिवेशवादी के रूप में कार्य करता है,

(v)

ठेकेदार, डेवलपर, एस्टेट डेवलपर या किसी अन्य [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस भूमि के मालिक से वकील जिस पर इमारत या अपार्टमेंट का निर्माण किया गया है या बिक्री के लिए भूखंड विकसित किया गया है; या

((vi) ऐसा अन्य व्यक्ति जो किसी भवन का निर्माण करता है या

आम जनता के लिए बिक्री के लिए अपार्टमेंट।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां

वह व्यक्ति जो किसी इमारत का निर्माण करता है या उसे अपार्टमेंट में परिवर्तित करता है या

बिक्री के लिए एक भूखंड विकसित करता है और वह व्यक्ति जो अपार्टमेंट बेचता है या

भूखंड अलग-अलग व्यक्ति होते हैं, दोनों को प्रवर्तक माना जाएगा और वे कार्यों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे और

इस अधिनियम या नियमों और विनियमों के तहत निर्दिष्ट जिम्मेदारियां

धारा 2 (जेडएन) 'अचल संपत्ति परियोजना' को परिभाषित करती है, यह निम्नानुसार है: " 2 ("अचल संपत्ति परियोजना" का अर्थ है किसी इमारत या अपार्टमेंट से युक्त इमारत का विकास, या किसी मौजूदा इमारत को परिवर्तित करना।

सभी या उक्त अपार्टमेंट या भूखंडों या भवनों में से कुछ को बेचना, जैसा भी मामला हो, और इसमें सामान्य क्षेत्र, विकास कार्य, सभी सुधार और संरचनाएं और सभी सुविधा शामिल हैं, उनसे संबंधित अधिकार और अनुबंध; "

87. धारा 3 किसी भी प्रवर्तक को विज्ञापन, विपणन, यहां तक कि किसी भी भूखंड, अपार्टमेंट या भवन या अचल संपत्ति परियोजना या उसके हिस्से को बिना पंजीकरण के खरीदने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने से प्रतिबंधित करती है।हालांकि, धारा (2) कुछ परियोजनाओं को आवश्यकता से छूट देती है।

सारांश और यह इस प्रकार है:

" 3 (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नहीं

अचल संपत्ति परियोजना का पंजीकरण आवश्यक होगा।

(क) जहाँ विकसित करने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल पाँच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं है या विकसित करने के लिए प्रस्तावित अपार्टमेंट की संख्या आठ से अधिक नहीं है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

सभी चरण:

बशर्ते कि, यदि उपयुक्त सरकार इसे आवश्यक समझती है, तो वह सीमा को पाँच सौ मनीष कुमार से कम कर सकती है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

वर्ग मीटर या आठ अपार्टमेंट, जैसा भी मामला हो, समावेशी इस अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट के लिए सभी चरणों में;

(ख) जहाँ प्रवर्तक ने शुरू होने से पहले एक अचल संपत्ति परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है

यह अधिनियम;

(ग) नवीनीकरण या मरम्मत या पुनर्विकास के उद्देश्य से जिसमें किसी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन का विपणन, विज्ञापन बिक्री या नया आवंटन शामिल नहीं है,

मामला अचल संपत्ति परियोजना के तहत हो सकता है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए, जहां अचल संपत्ति परियोजना को चरणों में विकसित किया जाना है, ऐसे प्रत्येक चरण को एकल अचल संपत्ति परियोजना माना जाएगा, और प्रवर्तक इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करेगा।

प्रत्येक चरण अलग से "।

धारा 7 पंजीकरण को निरस्त करने पर विचार करती है। यह धारा 7 (1) के अनुसार प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

" 7 (1) प्राधिकरण, इस ओर से शिकायत या स्वतः संज्ञान प्राप्त करने पर या सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर, धारा 5 के तहत दिए गए पंजीकरण को संतुष्ट होने के बाद रद्द कर दें।

कि

(क) प्रवर्तक इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उसके तहत आवश्यक कुछ भी करने में चूक करता है; (बी) प्रवर्तक के किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन करता है

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी;

(ग) प्रवर्तक किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार में शामिल है या

अनियमितताएँ।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुचित अभ्यास" शब्द का अर्थ है एक ऐसा अभ्यास जो,

किसी भी अचल संपत्ति परियोजना की बिक्री या विकास को बढ़ावा देना किसी भी अनुचित तरीके या अनुचित या भ्रामक प्रथा को अपनाता है जिसमें से कोई भी शामिल है - निम्नलिखित प्रथाएँ, अर्थात्:

(ए) कोई भी बयान देने की प्रथा, चाहे वह लिखित रूप में हो या

दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा जो,

यह गलत तरीके से दर्शाता है कि सेवाएँ किसी विशेष की हैं

((i)

मानक या ग्रेड; [2021] 14 एससीआर।

यह दर्शाता है कि प्रवर्तक के पास अनुमोदन या संबद्धता है जो

((ख)

ऐसे प्रवर्तक के पास नहीं है;

(iii)

के बारे में गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करता है

सेवाएँ;

(बी) प्रवर्तक किसी भी विज्ञापन या विवरण पत्रिका के प्रकाशन की अनुमति देता है, चाहे वह किसी भी समाचार पत्र में हो या सेवाओं के अन्य रूप में।

जिनका प्रस्ताव देने का इरादा नहीं है;

(घ) प्रवर्तक किसी भी धोखाधड़ी प्रथा में लिप्त होता है। हम आगे धारा 7 (3) पर भी ध्यान दे सकते हैं। वह इस प्रकार है:

" 7 (3) प्राधिकरण, उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण को निरस्त करने के बजाय, इसे ऐसे आगे के नियमों और शर्तों के अधीन रहने की अनुमति दे सकता है जो वह आबंटियों के हित में अधिरोपित करना उचित समझता है, और इस प्रकार लगाए गए ऐसे कोई भी नियम और शर्तें -

प्रवर्तक पर बाध्यकारी "।" "

हम आगे धारा 8 को ध्यान में रख सकते हैं और यह इस प्रकार है:

" 8. व्यपगत होने या समाप्त होने पर प्राधिकरण का दायित्व

पंजीकरण रद्द करना। पंजीकरण समाप्त होने पर या इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का निरसन, प्राधिकरण,

ऐसी कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त सरकार से परामर्श करें जो वह उचित समझे, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा या आबंटियों के संघ द्वारा या किसी अन्य तरीके से शेष विकास कार्यों को पूरा करना शामिल है, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि इस धारा के तहत प्राधिकरण का कोई निर्देश, निर्णय या आदेश अवधि की समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगा

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी गई अपील: बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत किसी परियोजना के पंजीकरण को रद्द करने के मामले में, आवंटनकर्ताओं के संघ के पास होगा -

शेष को पूरा करने के लिए इनकार करने का पहला अधिकार

विकास कार्य "।

88. धारा 11 एक प्रवर्तक के कार्यों और कर्तव्यों से संबंधित है।

एस का काफी महत्व है, और यह इस प्रकार है:

" 11. प्रवर्तक के कार्य और कर्तव्य (1) प्रवर्तक,

खंड (ए) के तहत अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने पर

उप-धारा (1) या धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत, जैसा कि मामला मनीष कुमार v.

प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपना वेब पेज बना सकते हैं और उप के तहत प्रस्तावित परियोजना के सभी विवरण दर्ज कर सकते हैं।

धारा 4 की धारा (2), सभी क्षेत्रों में, जैसा कि प्रदान किया गया है, जनता के देखने के लिए, सहित

प्राधिकरण द्वारा दिए गए पंजीकरण का विवरण;

(अ)

संख्या और प्रकारों की सूची तिमाही अद्यतन करें।

(ख)

अपार्टमेंट या भूखंड, जैसा भी मामला हो, बुक किए गए;

(ग) गैरेजों की संख्या की सूची तिमाही अद्यतन करें।

बुक किया गया;

लिए गए अनुमोदनों की सूची को तिमाही अद्यतन करें और

((घ)

अनुमोदन जो बाद में लंबित हैं

प्रारंभ प्रमाण पत्र; परियोजना की तिमाही अद्यतन स्थिति; और

(ई)

ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज जो हो सकते हैं

(च)

प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट।

(2) प्रवर्तक द्वारा जारी या प्रकाशित विज्ञापन या विवरण पत्रिका में प्रवर्तक के वेबसाइट पते का प्रमुखता से उल्लेख होगा। प्राधिकरण, जिसमें पंजीकृत परियोजना के सभी विवरण दर्ज किए गए हैं और प्राधिकरण से प्राप्त पंजीकरण संख्या और ऐसे अन्य प्रासंगिक मामले शामिल हैं।

(3) प्रवर्तक, आरक्षण और आवंटन जारी करने के समय

पत्र आवंटी को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात्:

((क) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर या ऐसे अन्य स्थान पर प्रदर्शित करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं, लेआउट योजनाओं, विनिर्देशों के साथ;

(ख) जल, स्वच्छता और बिजली जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे के प्रावधानों सहित परियोजना के पूरा होने की चरणबद्ध समय-सारणी।

(4) प्रवर्तक करेगा

(क) सभी दायित्वों, जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होना और

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत कार्य या [2021] 14 एस. सी. आर. के अनुसार आवंटनकर्ताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिक्री के लिए समझौता, या आबंटियों के संघ के रूप में

मामला तब तक हो सकता है जब तक कि सभी अपार्टमेंट, भूखंड या इमारतें, जैसा भी मामला हो, आबंटियों को, या सामान्य क्षेत्रों को आबंटियों के संघ या

सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो सकता है: बशर्ते कि

धारा 14 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के लिए संरचनात्मक दोष या किसी अन्य दोष के संबंध में प्रवर्तक की जिम्मेदारी, सभी अपार्टमेंट, भूखंडों या भवनों के हस्तांतरण विलेख के बाद भी जारी रहेगी। निष्पादित किया।

(बी) से पूर्णता प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र, या दोनों, जैसा लागू हो, प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हो।

स्थानीय कानूनों या अन्य कानूनों के अनुसार प्रासंगिक सक्षम प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त विधियां और इसे आबंटियों को व्यक्तिगत रूप से या आबंटियों के संघ को उपलब्ध कराने के लिए,

जैसा भी मामला हो;

(ग) पट्टा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होना, जहाँ

अचल संपत्ति परियोजना को पट्टे वाली भूमि पर विकसित किया जाता है, जिसमें पट्टे की अवधि निर्दिष्ट की जाती है, और यह प्रमाणित किया जाता है कि पट्टे वाली भूमि के संबंध में सभी बकाया और शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, और पट्टे का प्रमाण पत्र संघ को उपलब्ध कराया जाता है। आबंटितों का;

(घ) उचित शुल्क पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना, जब तक कि

संघ द्वारा परियोजना का रखरखाव आवंटन करने वाले;

(ई) लागू कानूनों के तहत, आवंटनकर्ताओं या उनके संघ के एक संघ या समाज या सहकारी समिति, जैसा भी मामला हो, के गठन को सक्षम बनाना: बशर्ते कि स्थानीय कानूनों के अभाव में, आबंटियों का संघ, चाहे जो भी नाम से जाना जाए, का गठन तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा, जब अधिकांश आबंटियों ने अपना भूखंड या अपार्टमेंट या भवन, जैसा भी मामला हो, बुक कर लिया होगा।

परियोजना;

(च) आबंटित व्यक्ति मनीष कुमार बनाम के पक्ष में अपार्टमेंट, भूखंड या भवन, जैसा भी मामला हो, का एक पंजीकृत वाहन विलेख निष्पादित करें।

सामान्य क्षेत्रों में आबंटियों या सक्षम प्राधिकारी के संघ के लिए अविभाजित आनुपातिक अधिकार के साथ, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान किया गया है।

अधिनियम;

(छ) सभी खर्चों का भुगतान तब तक करें जब तक कि वह अचल संपत्ति परियोजना के भौतिक कब्जे को आवंटनकर्ता या आवंटनकर्ताओं के संघों को हस्तांतरित नहीं कर देता है, जो उसने आवंटनकर्ताओं से एकत्र किया है, खर्चों के भुगतान के लिए (जिसमें शामिल हैं)

भूमि लागत, भूमि किराया, नगरपालिका या अन्य स्थानीय कर, पानी या बिजली के लिए शुल्क, रखरखाव शुल्क, जिसमें बंधक ऋण और बंधक या अन्य बोझों पर ब्याज और ऐसी अन्य देनदारियां शामिल हैं जो उन्हें देय हैं।

परियोजना से संबंधित सक्षम प्राधिकारी, बैंक और वित्तीय संस्थान):

बशर्ते कि जहां कोई प्रवर्तक सभी या किसी का भुगतान करने में विफल रहता है

यथा स्थिति, आबंटियों या आबंटियों के संघ को अचल संपत्ति परियोजना हस्तांतरित करने से पहले आबंटियों से उसके द्वारा एकत्र किए गए खर्च या कोई दायित्व, बंधक ऋण और उस पर ब्याज, प्रवर्तक संपत्ति के हस्तांतरण के बाद भी, ऐसे खर्च और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

उस प्राधिकारी या व्यक्ति के लिए शुल्क, यदि कोई हो, जिसके लिए वे देय हैं और किसी भी कानूनी कार्यवाही की लागत के लिए उत्तरदायी होंगे जो ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा इसके लिए ली जा सकती है;

(ज) किसी भी अपार्टमेंट के लिए बिक्री के लिए एक समझौते को निष्पादित करने के बाद,

भूखंड या भवन, जैसा भी मामला हो, ऐसे अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन पर गिरवी नहीं रखता है या कोई शुल्क नहीं लगाता है, और यदि ऐसा कोई गिरवी या शुल्क लगाया जाता है या बनाया जाता है, तो उस समय के लिए किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह आवंटी के अधिकार और हित को प्रभावित नहीं करेगा जिसने ऐसा अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन लिया है या लेने के लिए सहमत हुआ है, जैसा भी मामला हो;

(5) प्रवर्तक केवल बिक्री के लिए समझौते के संदर्भ में आवंटन रद्द कर सकता है: बशर्ते कि आबंटित व्यक्ति राहत के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है, यदि वह इस तरह के रद्द होने से व्यथित है और ऐसा रद्द करना एकतरफा और बिना किसी पर्याप्त कारण के बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं है।

(6) प्रवर्तक ऐसे अन्य सभी कार्यों को तैयार करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले विवरण।

89. धारा 14 घोषित करती है कि प्रस्तावित परियोजना

प्रवर्तक द्वारा उसके अनुसार पूरा किया गया और

आयन योजनाएँ, लेआउट योजनाएँ और विनिर्देश, जैसा कि द्वारा अनुमोदित

अच्छे अधिकारी।

90. धारा 14 की उप-धारा (2) इस प्रकार है: " 14. (2) किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अनुबंध

या समझौता, स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं के बाद और फिक्स्चर, फिटिंग, सुविधाओं के विनिर्देश और प्रकृति

और 16 अपार्टमेंट, भूखंड या भवन, जैसा भी मामला हो, के सामान्य क्षेत्रों का खुलासा किया जाता है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

या उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है जो एक या अधिक लेने के लिए सहमत होता है कहा गया अपार्टमेंट, प्लॉट या इमारत, जैसा भी मामला हो, प्रवर्तक

नहीं करेंगे।

((i) स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों में कोई परिवर्धन और परिवर्तन और अपार्टमेंट, प्लॉट या उसके संबंध में उसमें वर्णित फिक्स्चर, फिटिंग और सुविधाओं की प्रकृति।

इमारत, जैसा भी मामला हो, जो उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना लेने के लिए सहमत हैं:

बशर्ते कि प्रवर्तक ऐसे मामूली परिवर्धन या परिवर्तन कर सकता है जो आबंटित व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो, या ऐसे छोटे परिवर्तन या परिवर्तन जो निम्नलिखित के कारण आवश्यक हो सकते हैं - वास्तुशिल्प और संरचनात्मक कारणों की विधिवत अनुशंसा की जाती है और

किसी अधिकृत वास्तुकार या इंजीनियर द्वारा उचित होने के बाद सत्यापित किया गया

आबंटित व्यक्ति को घोषणा और सूचना।

स्पष्टीकरण। इस खंड के उद्देश्य के लिए, "मामूली परिवर्धन या परिवर्तन" संरचनात्मक परिवर्तन को शामिल नहीं करता है जिसमें शामिल हैं -

क्षेत्र या ऊँचाई में परिवर्तन, या किसी भवन के हिस्से को हटाना, या संरचना में कोई परिवर्तन, जैसे कि किसी दीवार या दीवार के किसी हिस्से का निर्माण या हटाना या काटना, विभाजन, स्तंभ, बीम, जॉइस्ट, फर्श जिसमें एक मेजेनाइन फर्श या अन्य सहारा शामिल है, या प्रवेश या निकास के किसी भी आवश्यक साधन में परिवर्तन या बंद करना या फिक्स्चर या उपकरण में परिवर्तन, आदि।

((ख) स्वीकृत योजनाओं में कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन,

प्रवर्तक के अलावा कम से कम दो-तिहाई आवंटनकर्ताओं की पूर्व लिखित सहमति के बिना परियोजना के भीतर भवनों या सामान्य क्षेत्रों की रूपरेखा योजनाएँ और विनिर्देश, जो ऐसी इमारत में अपार्टमेंट लेने के लिए सहमत हुए हैं।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए, आवंटी, चाहे अपार्टमेंट या भूखंडों की संख्या कुछ भी हो,

हो सकता है, उसके द्वारा दर्ज किया गया हो या उसके परिवार के नाम पर दर्ज किया गया हो, या

अन्य व्यक्तियों का मामला जैसे कि कंपनियाँ या फर्म या कोई

व्यक्तियों के संघ, आदि को, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, उसके नाम पर दर्ज किया गया हो या उसकी संबद्ध संस्थाओं या संबंधित उद्यमों के नाम पर दर्ज किया गया हो, केवल एक आबंटित व्यक्ति माना जाएगा।

91. एक समान स्पष्टीकरण, जैसा कि धारा 14 में पाया गया है, कि धारा 15 के उद्देश्य के लिए आवंटी का क्या अर्थ है, धारा 15 में पाया गया है जो हस्तांतरण के मामले में प्रवर्तक के दायित्वों से संबंधित है। किसी तीसरे पक्ष को ईएल एस्टेट परियोजना और धारा 15 (1) इस प्रकार है:

" 15. अचल संपत्ति परियोजना के किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरण के मामले में प्रवर्तक के दायित्व। — (1) प्रवर्तक अचल संपत्ति के संबंध में अपने अधिकांश अधिकारों और देनदारियों को हस्तांतरित या निर्दिष्ट नहीं करेगा। पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किसी तीसरे पक्ष को परियोजना

प्रवर्तक को छोड़कर और प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना दो-तिहाई आबंटियों से: बशर्ते कि इस तरह के हस्तांतरण या असाइनमेंट से अचल संपत्ति परियोजना में अपार्टमेंट, भूखंड या भवनों के आवंटन या बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पूर्व प्रवर्तक द्वारा बनाया गया। .....

रेरा की धारा 17 (1) इस प्रकार है:

" 17. शीर्षक का हस्तांतरण। (1) प्रवर्तक आबंटित व्यक्ति के पक्ष में एक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख के साथ-साथ सामान्य क्षेत्रों में संघ के लिए अविभाजित आनुपातिक स्वामित्व का निष्पादन करेगा।

आवंटी या सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, भूखंड, भवन के अपार्टमेंट, जैसा भी मामला हो, के भौतिक कब्जे को आवंटी और सामान्य क्षेत्रों को आवंटी या सक्षम प्राधिकारी के संघ को सौंप देते हैं, जैसा भी मामला हो, एक अचल संपत्ति परियोजना में, और अन्य स्वामित्व दस्तावेज।

स्वीकृत योजनाओं के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर उससे संबंधित

स्थानीय कानूनों के तहत प्रदान किया गया:

बशर्ते कि, किसी भी स्थानीय कानून के अभाव में, परिवहन

इस धारा के तहत, यथास्थिति, आवंटी या आवंटी संघ या सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में विलेख

प्रवर्तक द्वारा तीन महीने के भीतर किया जाएगा

अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि "

92. धारा 18 आबंटित व्यक्ति द्वारा दिए गए एन. टी. को प्राप्त करने के आबंटित व्यक्ति के अधिकार और यहाँ तक कि मुआवजे से भी संबंधित है। वह इस प्रकार है:

" 18. राशि और मुआवजे की वापसी। — (1) यदि प्रवर्तक पूरा करने में विफल रहता है या अधिकार देने में असमर्थ है

अपार्टमेंट, प्लॉट या इमारत, (क) बिक्री के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उसमें निर्दिष्ट तिथि तक विधिवत पूरा किया गया;

या

(ख) इसके तहत पंजीकरण के निलंबन या निरसन के कारण एक डेवलपर के रूप में उसका व्यवसाय बंद होने के कारण

अधिनियम या किसी अन्य कारण से, वह मांग पर उत्तरदायी होगा

आबंटित व्यक्ति, यदि आबंटित व्यक्ति परियोजना से हटना चाहता है,

बशर्ते कि जहां कोई आबंटित व्यक्ति परियोजना से हटने का इरादा नहीं रखता है, उसे प्रवर्तक द्वारा इसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक माह विलम्ब से, कब्जा सौंपने तक, ऐसी दर से जो निर्धारित की जाए।

(2) भूमि, जिस पर परियोजना विकसित की जा रही है या विकसित की गई है, के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण हुए किसी भी नुकसान के मामले में प्रवर्तक आबंटियों को इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से और मुआवजे के दावे के तहत क्षतिपूर्ति करेगा। इस उप-धारा को इसके तहत दी गई सीमा से बाधित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि प्रवर्तक इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत उस पर लगाए गए किसी अन्य दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। इसके तहत या बिक्री समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, वह इस तरह के मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

आबंटियों को, इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से। मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]अंत में, धारा 19 एक आवंटी के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित है जो इस प्रकार है:

" 19. आबंटियों के अधिकार और कर्तव्य। (1) आबंटित व्यक्ति स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या बिक्री के लिए समझौते में प्रदान की गई ऐसी अन्य जानकारी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का हकदार होगा।

प्रवर्तक के साथ हस्ताक्षर किए।

(2) आबंटित व्यक्ति परियोजना के पूरा होने की चरण-वार समय-सारणी जानने का हकदार होगा, जिसमें पानी, स्वच्छता, बिजली और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान शामिल हैं, जैसा कि प्रवर्तक और आबंटित व्यक्ति के बीच समझौते के अनुसार किया गया है।

बिक्री के लिए समझौते के नियम और शर्तें। (3) आवंटी, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के कब्जे का दावा करने का हकदार होगा और धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (1) के उपखंड (सी) के तहत प्रवर्तक द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार, आवंटी संघ सामान्य क्षेत्रों के कब्जे का दावा करने का हकदार होगा।

(4) यदि प्रवर्तक बिक्री के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार या देय संपत्ति, भूखंड या भवन का कब्जा देने में विफल रहता है या देने में असमर्थ रहता है, तो आबंटित व्यक्ति प्रवर्तक से इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई दर पर ब्याज और मुआवजे के साथ भुगतान की गई राशि की वापसी का दावा करने का हकदार होगा।

एक विकासकर्ता के रूप में अपने व्यवसाय को बंद करने के कारण

प्रावधानों के तहत उसके पंजीकरण का निलंबन या निरसन

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के।

(5) आबंटित व्यक्ति अपार्टमेंट या भूखंड या भवन के भौतिक कब्जे को सौंपने के बाद सामान्य क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और योजनाएं रखने का हकदार होगा।

मामला प्रवर्तक द्वारा हो सकता है।

(6) प्रत्येक आवंटी, जिसने धारा 13 के तहत, यथास्थिति, एक अपार्टमेंट, भूखंड या भवन लेने के लिए बिक्री के लिए समझौता किया है, आवश्यक भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

उक्त समझौते में निर्दिष्ट तरीके और समय के भीतर

बिक्री के लिए और उचित समय और स्थान पर भुगतान करेगा, पंजीकरण शुल्क, नगरपालिका कर, पानी और बिजली [2021] 14 एस. सी. आर.

प्रभार, रखरखाव शुल्क, भूमि किराया और अन्य शुल्क, यदि कोई भी।

(7) आबंटित व्यक्ति किसी भी राशि या राशि के भुगतान में किसी भी देरी के लिए, निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उप-धारा (6) के तहत भुगतान किए जाने वाले शुल्क।

(8) उप-धारा (6) के तहत आबंटित व्यक्ति के दायित्वों और उप-धारा (7) के तहत ब्याज के प्रति दायित्व को कम किया जा सकता है जब प्रवर्तक और ऐसे आबंटित व्यक्ति के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो। (9) अपार्टमेंट, भूखंड या भवन, जैसा भी मामला हो, का प्रत्येक आवंटी, आवंटी के एक संघ या सोसायटी या सहकारी समिति, या एक संघ के गठन में भाग लेगा।

उसी से।

(10) प्रत्येक आबंटित व्यक्ति, यथास्थिति, उक्त अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन के लिए जारी अधिभोग प्रमाण पत्र के दो महीने की अवधि के भीतर, अपार्टमेंट, भूखंड या भवन का भौतिक कब्जा ले लेगा।

(11) प्रत्येक आबंटित व्यक्ति, यथास्थिति, अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के परिवहन विलेख के पंजीकरण में भाग लेगा, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान किया गया है।

अधिनियम "।

93. इस अधिनियम में एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, एक केंद्रीय सलाहकार परिषद और रियल एस्टेट अपीलीय की स्थापना पर विचार किया गया है।

न्यायाधिकरण। अधिनियम को बल देने के लिए अपराध और दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 71 मुआवजे के निर्णय की शक्ति प्रदान करती है। धारा 72 में धारा 71 के तहत मुआवजे या ब्याज की मात्रा का निर्णय लेने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारकों का प्रावधान है। धारा 79

किसी भी मामले के संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का एक बार अधिनियमित करता है जिसमें प्राधिकरण, न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिनियम द्वारा निर्धारित करने का अधिकार है। रेरा के तहत अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने

वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

94. धारा 85 विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। धारा 85 (2) अन्य बातों के साथ इस प्रकार है:

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 85 (2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे विनियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं

निम्नलिखित मामले, अर्थात्

XXX

XXX

(ग) धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत आवश्यक ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज;

(घ) स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं का प्रदर्शन प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विनिर्देश

धारा 11 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत; (ई) उप-धारा के तहत अन्य विवरणों की तैयारी और रखरखाव

(6) धारा 11;

" 88. अन्य कानूनों का प्रयोग वर्जित नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधान प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अपमान में। उस समय लागू किसी अन्य कानून का।

धारा 89 पर तुरंत ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है और यह इस प्रकार है -

कमियाँ:

" 89. अधिनियम का प्रबल प्रभाव-इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत है।

उस समय लागू किसी अन्य कानून का उल्लंघन। साथ ही, धारा 89 में यह प्रावधान है कि आर. ई. आर. ए. किसी भी अन्य असंगत डब्ल्यू. पर प्रबल होगा। परिणाम यह है कि जबकि सभी संज्ञानात्मक कानून, जो आर. ई. आर. ए. से असंगत नहीं हैं, अपने क्षेत्र के भीतर काम करना जारी रखेंगे, प्रावधान,हालाँकि, जो आर. ई. आर. ए. के साथ असंगत हैं, वे आर. ई. आर. ए. के लागू होने के बाद जीवित नहीं रहेंगे।

97. इस संबंध में, हम दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप 1986 को देख सकते हैं। धारा 2 अधिनियम के अनुप्रयोग से संबंधित है और यह इस प्रकार हैबनाम -

" 2. अनुप्रयोग-इस अधिनियम के प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे।

मुख्य रूप से आवासीय या वाणिज्यिक या ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

((ख) कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में और किसी मुक्त भूमि पर, या पट्टे पर ली गई भूमि पर, यदि ऐसी भूमि के लिए पट्टा एक अवधि के लिए है।

तीस वर्ष या उससे अधिक: बशर्ते कि, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में किसी भूमि पर निर्मित भवन में केवल

दो या तीन अपार्टमेंट, ऐसे भवन का मालिक, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत विधिवत निष्पादित और पंजीकृत घोषणा द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे भवन पर लागू करने के अपने इरादे का संकेत दे सकता है, और ऐसी घोषणा किए जाने पर, ऐसा मालिक इसके प्रावधानों के अनुसार एक अपार्टमेंट विलेख का निष्पादन और पंजीकरण करेगा।

अधिनियम, जैसे कि ऐसा मालिक ऐसे संबंध में प्रवर्तक था

इमारत "। 98. धारा 3 (बी) 'आबंटित' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" 3 (ख) किसी अपार्टमेंट के संबंध में "आवंटी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसा अपार्टमेंट आवंटित किया गया है, बेचा गया है या अन्यथा किया गया है। प्रवर्तक द्वारा हस्तांतरित; "

99. धारा 3 (सी) अपार्टमेंट को परिभाषित करती है और यह निम्नानुसार है:

" 3 (ग) "अपार्टमेंट" से किसी भी संपत्ति का एक हिस्सा अभिप्रेत है, जो किसी भी प्रकार के स्वतंत्र उपयोग के लिए अभिप्रेत है, जिसमें एक या अधिक कमरे या संलग्न हैं।

एक या अधिक मंजिलों या उसके किसी भाग या भागों पर स्थित स्थान, एक बहुमंजिला इमारत में जिसका उपयोग निवास या कार्यालय के लिए किया जाना है या किसी भी पेशे के अभ्यास के लिए, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए या ऐसे अन्य प्रकार के स्वतंत्र उपयोग के लिए जो

निर्धारित किया जाए, और किसी सार्वजनिक सड़क, सड़क या राजमार्ग से सीधे निकास के साथ, या ऐसी सड़क, सड़क की ओर जाने वाले सामान्य क्षेत्र में, मनीष कुमार v.

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

या राजमार्ग, और इसमें कोई भी गैराज या कमरा (चाहे वह बहुमंजिला इमारत से सटा हो या न हो जिसमें ऐसा अपार्टमेंट स्थित हो) शामिल है जो प्रवर्तक द्वारा ऐसे अपार्टमेंट के 4 मालिक द्वारा किसी भी वाहन को पार्क करने के लिए या, जैसा भी मामला हो, ऐसे अपार्टमेंट में कार्यरत किसी घरेलू सहायक के निवास के लिए प्रदान किया जाता है।

100. धारा 3 (ई) 'अपार्टमेंट मालिक' को परिभाषित करती है और यह इस प्रकार है

बनाम ः

" 3 (घ) "आवास संख्या" का अर्थ है संख्या, अक्षर या संयोजन।

वहाँ से, एक अपार्टमेंट नामित करना;

101. धारा 3 (च) 'अपार्टमेंट मालिकों के संगठन' को इस प्रकार परिभाषित करती है -

वीएसः

" 3 (ङ) "अपार्टमेंट मालिक" से वह व्यक्ति या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास एक अपार्टमेंट है और सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित हित है और अपार्टमेंट के विलेख में निर्दिष्ट प्रतिशत में ऐसे अपार्टमेंट के लिए प्रासंगिक सुविधाएं;

102. धारा 4,4 (1), (2) और (3) निम्नानुसार हैः

" 4. अपार्टमेंट का स्वामित्व। — (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद प्रवर्तक द्वारा कोई अपार्टमेंट आवंटित, बेचा या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है, धारा 6 में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के अनन्य स्वामित्व और कब्जे का हकदार होगा।

इस प्रकार आवंटित, बेचा गया या अन्यथा उसे हस्तांतरित किया गया अपार्टमेंट।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रवर्तक द्वारा कोई अपार्टमेंट आवंटित, बेचा या अन्यथा हस्तांतरित किया गया था, धारा 6 के तहत अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस तरह से आवंटित, बेचे गए या अन्यथा उसे हस्तांतरित किए गए अपार्टमेंट के अनन्य स्वामित्व और कब्जे का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा के तहत किसी अपार्टमेंट के अनन्य स्वामित्व और कब्जे का हकदार हो जाता है। धारा (2) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित ब्याज के ऐसे प्रतिशत का हकदार होगा जो इसमें निर्दिष्ट किया जाए -

आवास विलेख और ऐसे प्रतिशत की गणना इस प्रकार की जाएगी - एक आधार के रूप में, संपत्ति के मूल्य के संबंध में अपार्टमेंट का मूल्य लेना।

XXX XXX "

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

103. धारा 5 में प्रावधान है कि धारा 6 के प्रावधानों के अधीन, अपार्टमेंट का मालिक अपने अपार्टमेंट को स्थानांतरित कर सकता है और उसका अधिकार वंशानुगत है।

104. धारा 14 अपार्टमेंट विलेख के लिए पंजीकरण का प्रावधान करती है, जिसे धारा 13 के तहत निष्पादित किया जाना है।

105. धारा 15 घोषणा करती है कि अपार्टमेंट और उससे संबंधित संपत्ति के संबंध में और सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के प्रबंधन के लिए अपार्टमेंट मालिकों का एक संघ होगा। मॉडल उपनियम प्रशासक द्वारा बनाए जाने हैं और अपार्टमेंट मालिकों का संघ केवल प्रशासक की पूर्व मंजूरी के साथ ही मॉडल उपनियमों से अलग हो सकता है।

106. राज्यों में ऐसे ही कानून बनाए गए हैं जो अपार्टमेंट मालिकों के अधिकार से संबंधित हैं। हम विशिष्ट पर वापस लौटेंगे।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्न।

सामग्री

107. जो तर्क उठाया गया है वह यह है कि विवादित के तहत

संहिता की धारा 7 (1) में अंत:स्थापित प्रावधान, एक आवंटी द्वारा एक आवेदन, केवल तभी किया जा सकता है जब सौ आवंटी या प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या हो।

आबंटितों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा, जो भी कम हो, एक और शर्त के साथ कि आबंटितों को उसी अचल संपत्ति परियोजना का हिस्सा होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि 'आबंटित' शब्द को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसे रेरा में परिभाषित किया गया है। यदि ऐसा है, तो यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित संशोधन के साथ निहित किया जाएगा

अस्पष्टता और यह मनमाना है।

108. 'आबंटित' शब्द का क्या अर्थ है? निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं:

आई. आबंटितों की कुल संख्या है, जिसकी गणना की जानी है

इकाइयों का वादा किया गया?

या

ii. क्या यह निर्मित इकाइयों की संख्या पर आधारित है या यह आवंटित इकाइयों की संख्या या इकाइयों पर आधारित है जहां समझौता किया गया है?

बेचने के लिए प्रवेश किया गया है?

109. एक सूचना विषमता है। कोई प्रकाशित नहीं है

आवंटित इकाइयों की स्थिति की उपलब्ध जानकारी। कोई भी बिल्डर जानकारी साझा नहीं करता है। खरीदारों के लिए जानकारी प्राप्त करना असंभव है। दस प्रतिशत आबंटित इकाइयाँ, यहाँ तक कि इसे आबंटन पत्र भी माना जाता है, एक गतिशील मनीष कुमार v है।

आकृति और बदलती रहती है। एक खरीदार सुबह तक आवंटित सौ इकाइयों में से दस प्रतिशत की गणना कर सकता है और रात तक यह 110 हो सकता है। फाइलिंग को असंभव बनाना।

110. इसके अलावा, यह शिकायत की जाती है कि यह स्पष्ट नहीं है कि आबंटियों का निर्धारण करने में, एक अचल संपत्ति परियोजना में, क्या यह एक टावर है? पूरा उपनिवेशवाद? या एस. पी. वी.? अचल संपत्ति आबंटितों के दस प्रतिशत का अर्थ आवंटित इकाइयों का दस प्रतिशत या कुल कानूनी व्यक्तियों का दस प्रतिशत हो सकता है, जिन्होंने परियोजना में खरीदारी की है, विशेष रूप से, एक ही संपत्ति के कई स्वामित्व के मामलों में। वास्तव में, यह प्रावधान समूह के सदस्यों को बिल्डर द्वारा नकद निपटान द्वारा भ्रष्टाचार का शिकार बनाता है।

यदि एक या दो सदस्यों को खरीदा जाता है या कानूनी रूप से बसाया जाता है तो कोरम बाधित हो जाएगा। इसके लिए नए सिरे से फाइलिंग की आवश्यकता होगी।

अंतरण

111. हमने आबंटित और अचल संपत्ति परियोजना शब्द की परिभाषा और अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख किया है जिसके लिए पूर्व की आवश्यकता है।

पंजीकरण। हमने अचल संपत्ति परियोजना की परिभाषा का भी उल्लेख किया है। इन सभी परिभाषा खंडों में, 'जैसा भी मामला हो' शब्द प्लॉट, अपार्टमेंट या इमारत शब्दों के बाद पाए जाते हैं। इस प्रकार, यह अधिनियम भूखंडों, अपार्टमेंटों और भवनों में लेन-देन को विनियमित करने के लिए है। एक अचल संपत्ति परियोजना, दूसरे शब्दों में, जैसा कि परिभाषित किया गया है, एक इमारत या अपार्टमेंट का विकास या भूखंड या अपार्टमेंट में भूमि का विकास है। विकास को अपार्टमेंट, भूखंड या इमारतों को बेचने की दिशा में माना जाता है। इसमें अनिवार्य रूप से सामान्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। द.

अभिव्यक्ति 'अपार्टमेंट', जैसा कि रेरा में परिभाषित किया गया है, एक बहुत ही व्यापक है। इसमें ब्लॉक, कक्ष, आवास इकाई, फ्लैट, कार्यालय, शोरूम, दुकान, गोदाम, परिसर, सुइट, मकान, इकाई या कोई अन्य नाम शामिल है और जो किसी भी अचल संपत्ति का एक अलग और स्व-निहित हिस्सा है। इसमें एक या अधिक मंजिलों पर या उसके किसी भी हिस्से में, किसी इमारत में या भूमि के भूखंड पर स्थित कोई भी एक या अधिक कमरे या संलग्न स्थान शामिल हैं। इसका उपयोग किसी भी आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग जैसे निवास, कार्यालय, दुकान, शोरूम या गोदाम के लिए या किसी भी व्यवसाय, व्यवसाय, पेशे, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग के लिए किया जा सकता है, जो उसका सहायक है।

112. ' 'भवन' को किसी भी संरचना या निर्माण या किसी भी संरचना के हिस्से को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाना है। इस प्रकार, रेरा के तहत एक आवंटन यह एक भूखंड, एक अपार्टमेंट या एक इमारत के संबंध में हो सकता है। दूसरे शब्दों में, एक [2021] 14 एस. सी. आर.

परियोजना, भूखंडों, आवासों या भवनों के संबंध में होगी। यह भूखंडों और अपार्टमेंटों के लिए या भूखंडों और इमारतों के लिए भी हो सकता है। हमने अपार्टमेंट शब्द की विस्तृत परिभाषा पर ध्यान दिया है। और फ्लैटों को अपार्टमेंट शब्द की परिभाषा के भीतर समझा जाता है। हमने इस संबंध में दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 में अपार्टमेंट शब्द की परिभाषा पर भी ध्यान दिया है। हमने यह भी देखा है कि दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के तहत, आवंटी को एक अपार्टमेंट के संबंध में उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे ऐसा अपार्टमेंट आवंटित किया गया है, बेचा गया है या प्रमोटर द्वारा अन्यथा स्थानांतरित किया गया है।

113. 'आबंटित' शब्द के अर्थ की सराहना करने के लिए,

संहिता के उद्देश्य के लिए, निस्संदेह, रेरा की धारा 2 (डी) और 2 (जेडएन) का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि संहिता की धारा 5 (8) (एफ) में 2018 के अधिनियम 26 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किया गया था।

06.06.2018 . पायनियर (ऊपर) मामले में इस न्यायालय द्वारा इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है।

" 5 (8) (च) XXX

XXX

XXX

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

(i) किसी अचल संपत्ति परियोजना के तहत किसी आबंटित व्यक्ति से जुटाई गई कोई भी राशि।

वाणिज्यिक प्रभाव वाली राशि मानी जाएगी -

ऋण लेना; और

((ii) "आबंटित" और "अचल संपत्ति परियोजना" की अभिव्यक्तियाँ होंगी -

(अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) की धारा 2 अधिनियम, 2016; "

114. अचल संपत्ति परियोजना भूखंड, अपार्टमेंट या इमारतों से संबंधित हो सकती है।

या भूखंड/अपार्टमेंट और भूखंड/इमारतें। जहाँ तक 'आबंटित' अभिव्यक्ति का संबंध है, चूंकि धारा 5 (8) (च) के स्पष्टीकरण में संहिता, रेरा में 'आबंटित' शब्द की परिभाषा को शामिल करती है, इसलिए विचाराधीन प्रावधानों के उद्देश्य से, हमें अनिवार्य रूप से रेरा की धारा 2 (घ) में परिभाषित 'आबंटित' अभिव्यक्ति से ही प्रकाश प्राप्त करना चाहिए।

115. यदि हम धारा 2 (डी) को तोड़ते हैं, तो यह निम्नलिखित परिणाम देता है:

घटक भागें:

आई. आबंटित व्यक्ति किसी भूखंड या अपार्टमेंट का आबंटित व्यक्ति हो सकता है।

इमारत। एक अचल संपत्ति परियोजना भूखंड या अपार्टमेंट से संबंधित हो सकती है।

या इमारतें; या भूखंड/इमारतें या भूखंड/अपार्टमेंट।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

ii. एक आबंटित व्यक्ति, एक अपार्टमेंट के मामले में, जिसमें अन्य संरचनाओं के साथ फ्लैट शामिल हैं, में निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति शामिल होंगे। इसमें वह व्यक्ति शामिल होगा जिसे अपार्टमेंट आवंटित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति भी शामिल होगा।

जिसे अपार्टमेंट बेचा जाता है, चाहे वह फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड के रूप में हो।

iii. तीसरा, इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जिसे प्रमोटर ने बिक्री के अलावा अपार्टमेंट हस्तांतरित किया है।

iv. अंत में, इसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्होंने बिक्री, हस्तांतरण या अन्यथा के माध्यम से आवंटन प्राप्त किया है, इस चेतावनी के साथ कि इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसे अपार्टमेंट दिया गया है।

किराए पर दिया जाता है। अपार्टमेंट के बारे में हमने जो कुछ भी उल्लेख किया है,

भूखंडों या भवनों का आवंटन भी उतना ही सही है।

संबंधित सामग्री की एक गलती

ए. एल. ओ. टी. ई.

116. आर. ई. आर. ए. में 'प्रवर्तक' शब्द की परिभाषा इस संबंध में देखी जा सकती है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो एक स्वतंत्र इमारत या अपार्टमेंट का निर्माण करता है या उसका निर्माण कराता है या किसी मौजूदा इमारत या उसके एक हिस्से को बेचने के उद्देश्य से अपार्टमेंट में परिवर्तित करता है या कुछ अपार्टमेंट को अन्य व्यक्तियों को देता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध में, यह स्पष्ट है कि इस तरह के किसी भी भूखंड का आवंटन नहीं है। यह हो सकता है एक अन्य बात यह है कि अनुबंध उस भूमि में अविभाजित हित के आवंटन पर विचार कर सकता है जिस पर आवंटनकर्ता को निर्माण किया जाता है, लेकिन आवंटनकर्ता अधिनियम में परिभाषित भवन या अपार्टमेंट का आवंटनकर्ता है। धारा 2 (जेडके) के खंड (ii) में 'प्रवर्तक' को परिभाषित करते हुए, यह एक ऐसे विकासकर्ता पर विचार करता है जो भूमि को एक परियोजना के रूप में विकसित करता है। ऐसे मामले में प्रवर्तक किसी भी भूखंड पर संरचना के साथ या उसके बिना बिक्री के उद्देश्य से निर्माण भी कर सकता है। इसलिए, प्रवर्तक की यह श्रेणी और इसलिए अचल संपत्ति परियोजना एक संकर परियोजना होगी जिसमें निर्माण के साथ भूखंड के विकास या बिक्री के बाद अकेले भूखंडों की बिक्री में भूमि का विकास शामिल है। "प्रवर्तक" की परिभाषा के खंड (iii) पर आते हुए इसमें कोई भी सार्वजनिक निकाय या विकास प्राधिकरण शामिल है जो ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा उनके स्वामित्व वाली या सरकार द्वारा उनके निपटान में रखी गई भूमि पर निर्मित भवन या अपार्टमेंट के आवंटनकर्ताओं के संबंध में है। ऐसे प्रवर्तक हो सकते हैं जो विकास प्राधिकरण या सार्वजनिक निकाय हैं, यदि उनके पास भूखंड हैं या सरकार द्वारा उनके निपटान में भूखंड हैं जो [2021] 14 एस. सी. आर.

तब, आवंटित किया जाता है। आवंटन बिक्री के उद्देश्य से होना चाहिए। द.

प्लॉट और अपार्टमेंट बिक्री के लिए होने चाहिए। एपेक्स लेवल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या प्राइमरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के संबंध में, उन्हें अपार्टमेंट या भवनों के संबंध में या आवंटनकर्ताओं, अपार्टमेंट या भवनों के संबंध में प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि ऐसी समितियों के संबंध में आवंटी हो सकते हैं - सदस्य या गैर-सदस्य। खंड V में वह व्यक्ति भी शामिल है जो बिल्डर, उपनिवेशकर्ता, ठेकेदार, डेवलपर, एस्टेट डेवलपर या किसी अन्य नाम के रूप में कार्य करता है या उस भूमि के धारक का पावर ऑफ अटॉर्नी होने का दावा करता है जिस पर इमारत, अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था या बिक्री के लिए भूखंड विकसित किया गया था। इसे धारा 2 (जेडएन) में अचल संपत्ति परियोजना की परिभाषा के आलोक में आगे समझा जाना चाहिए। यह विभिन्न गतिविधियों के अर्थ के रूप में परिभाषित करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भवन का विकास

2. एक इमारत जिसमें अपार्टमेंट होते हैं

3. किसी मौजूदा इमारत या उसके एक हिस्से को अपार्टमेंट में बदलना

4. भूखंडों या अपार्टमेंटों में भूमि का विकास

हो सकता है।

117. उपरोक्त गतिविधियाँ सभी की बिक्री के उद्देश्य से होनी चाहिए।

या कुछ अपार्टमेंट, भूखंड या इमारत के साथ-साथ सामान्य क्षेत्र और अन्य काम और अधिकार। यह पता लगाने का कार्य कि आबंटितों की कुल संख्या क्या होगी और इसलिए आबंटितों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा क्या होगा, यह भी विचाराधीन अचल संपत्ति परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि परियोजना के तहत प्रवर्तक द्वारा क्या पेशकश की जाती है। यह अचल संपत्ति परियोजना हो सकती है जो भवन का विकास और बिक्री करना चाहती है। यह भूमि के अविभाजित हित को भी व्यक्त करने के लिए समझौतों के साथ अपार्टमेंट के निर्माण के लिए एक परियोजना हो सकती है। यह एक हो सकता है

ऐसी परियोजना जिसमें किसी मौजूदा भवन या किसी हिस्से को अपार्टमेंट में बदलने की परिकल्पना की गई हो। यह केवल भूखंडों में भूमि के विकास और भूखंडित भूमि की बिक्री के लिए एक परियोजना हो सकती है। यह भी हो सकता है कि वही व्यक्ति बेचने के लिए अपार्टमेंट या इमारत भी विकसित कर सकता है। इस संबंध में हम धारा 2 (जेडके) (vi) में 'प्रवर्तक' शब्द को परिभाषित करने वाले स्पष्टीकरण को याद रख सकते हैं। उक्त खंड निम्नानुसार है:

" (जेडके) "प्रवर्तक" का अर्थ है -

((i) XXX

XXX

XXX मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

((ii) XXX

XXX

XXX

(iii) XXX

XXX

XXX

(iv) XXX

XXX

XXX

(v) XXX

XXX

XXX

((vi) ऐसा अन्य व्यक्ति जो किसी भवन या अपार्टमेंट का निर्माण करता है।

आम जनता को बेचने के लिए।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां व्यक्ति

जो किसी इमारत का निर्माण करता है या उसे अपार्टमेंट में परिवर्तित करता है या विकसित करता है बिक्री के लिए एक भूखंड और वह व्यक्ति जो अपार्टमेंट या भूखंड बेचता है

अलग-अलग व्यक्ति, उन दोनों को प्रवर्तक माना जाएगा और कार्यों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा और

इस अधिनियम या नियमों और विनियमों के तहत निर्दिष्ट जिम्मेदारियां

इसके तहत बनाया गया; "

118. इसलिए, प्रावधानों का एक अवलोकन यह दिखाएगा कि

विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए 'आबंटियों' शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 2 (डी) को निस्संदेह मुख्य रूप से अपनी शर्तों पर समझा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही अन्य प्रावधान जो अधिनियम का हिस्सा हैं और इसलिए योजना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह तर्क कि 'आबंटित' की परिभाषा से ग्रस्त है

समावेशिता और कम समावेशिता पर विचार करने की आवश्यकता है। समावेशन के तहत और अति समावेशिता अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी के पहलू हैं। समान व्यवहार किया जाना चाहिए। असमानताओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उचित वर्गीकरण किस पर निर्भर करता है

प्रत्येक मामले के तथ्य, कानून द्वारा प्रदान किया गया संदर्भ, बोधगम्य अंतर का अस्तित्व जिसके कारण व्यक्तियों या चीजों को एक वर्ग के रूप में समूहीकृत किया गया है और उन लोगों को छोड़ दिया गया है जो बोधगम्य अंतर को साझा नहीं करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे प्राप्त करने के उद्देश्यों के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

119. 'आबंटित' शब्द की परिभाषा पर आते हुए ऐसा प्रतीत होता है

मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाए, वे हैं-भूखंड, अपार्टमेंट और इमारतें। आक्षेपित परंतुक के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि यदि कोई आवेदक 100 आबंटियों का जादुई आंकड़ा प्राप्त करने में सक्षम है, तो वह संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यह है।

इस कारण से कि कुल आबंटियों की संख्या के दसवें हिस्से की आवश्यकता केवल उस स्थिति में लागू होती है जब आबंटियों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा 100 से कम हो। यही कारण है कि शब्द [2021] 14 एस. सी. आर.

' जो भी 'का उपयोग किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आबंटियों के एक-दसवें हिस्से के संदर्भ में, आबंटियों की कुल संख्या जितनी अधिक होगी, एक-दसवें हिस्से की संख्या उतनी ही अधिक होगी। दूसरे शब्दों में, यदि आबंटियों की कुल संख्या कम है, तो कुल संख्या का दसवां हिस्सा कम होगा, और यदि ऐसी परिस्थितियों में, यह सौ से कम है, तो आबंटियों की ऐसी संख्या विवादित प्रावधानों के तहत धारा 7 के तहत आवेदन कर सकती है। इसलिए, एक अर्थ में आबंटियों की कुल संख्या की गणना करने में एक

दोधारी तलवार है क्योंकि अंश जितना अधिक होगा, परंतुक के तहत परिणामी आंकड़ा उतना ही अधिक होगा।

120. जो भी हो, जैसा कि हमने देखा है कि इस प्रश्न का निर्णय अचल संपत्ति परियोजना की वास्तविक प्रकृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक एक आबंटित व्यक्ति है। यदि यह एक अपार्टमेंट के मामले में है, तो आवश्यक रूप से सभी व्यक्ति जिन्हें आवंटन किया गया था

आक्षेपित परंतुक में उल्लिखित संख्या की गणना के लिए आबंटियों के रूप में माना जाता है। 'आबंटन' शब्द का अर्थ प्रलेखित आरक्षण के अर्थ में आबंटन है जैसा कि धारा 11 (1) (बी) में अपार्टमेंट या भूखंड के संबंध में उल्लेख किया गया है जिससे हम काफी हद तक संबंधित हैं। इस तरह के विवरण

या तो बिक्री, हस्तांतरण या अन्यथा के माध्यम से आवंटन। आबंटन के हस्तांतरणकर्ता पर विचार किया जाता है। आबंटन के ऐसे समनुदेशक के साथ-साथ आबंटन के उद्देश्य के लिए आबंटनकर्ता को भी शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है आक्षेपित परंतुक के तहत सीमा आवश्यकता का अनुपालन करना। इस प्रकार, सभी आबंटियों और आबंटन के सभी समनुदेशकों को आबंटियों की कुल संख्या की गणना करने के उद्देश्य से विचार करने के लिए अर्हता प्राप्त होगी, लेकिन विशेष अचल संपत्ति परियोजना तक सीमित और इसलिए 100 आबंटियों या आबंटियों के दसवें हिस्से के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, जैसा भी मामला हो। फिर, एक तीसरी श्रेणी है, जिसे 'बेचा' अभिव्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है (चाहे वह 'लीजहोल्ड' के रूप में हो या 'फ्रीहोल्ड' या अन्यथा प्रमोटर द्वारा हस्तांतरित)। यहाँ एक सवाल उठ सकता है, यदि 'बेचा' शब्द 'प्लॉट' अभिव्यक्ति पर लागू किया जाता है, तो निस्संदेह हस्तांतरणकर्ता एक आबंटित व्यक्ति होगा। यदि बिक्री किसी अचल संपत्ति परियोजना में आबंटित व्यक्ति को की जाती है, जो एक संकर परियोजना है जिसमें भूखंडों में भूमि का विकास और भवनों का विकास भी शामिल है, जैसा कि धारा 2 (जेडके) के तहत विचार किया गया है, तो भूखंड का हस्तांतरणकर्ता निस्संदेह एक आबंटित व्यक्ति होगा। उसे मनीष कुमार बनाम के मामले में प्रवर्तक द्वारा चूक के संबंध में शिकायत हो सकती है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

संकर परियोजना के तहत भूखंड का विकास। जहां तक किसी अपार्टमेंट या इमारत की 'फ्रीहोल्ड' या 'लीजहोल्ड' की बिक्री का संबंध है, एक बार अपार्टमेंट या इमारत बेचे जाने के बाद, यह अनुमान लगाया जाता है कि

इमारत या अपार्टमेंट का निर्माण सामान्य रूप से पूरा हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे प्रवर्तक के खिलाफ भी शिकायतें हो सकती हैं जिन्हें रेरा के तहत संबोधित किया जा सकता है। विचाराधीन परंतुक के उद्देश्य के लिए, परिभाषा के अनुसार, निस्संदेह, किसी अपार्टमेंट या भवन के ऐसे हस्तांतरणकर्ता को आबंटित व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक प्रवर्तक कई आवासों का निर्माण करता है। एक अपार्टमेंट को इस तरह परिभाषित किया गया है कि इसमें 'फ्लैट' शामिल हो। यह आवासीय या वाणिज्यिक हो सकता है। मान लीजिए कि प्रवर्तक ने

पंद्रह मंजिलों में से पाँच का निर्माण और निर्माण पूरा किया गया (जो परियोजना का गठन करता है), व्यवसाय प्रमाण पत्र के आधार पर, पूर्णता प्रमाण पत्र से अलग, क्योंकि बाद वाला प्रमाण पत्र केवल परियोजना के पूरा होने पर दिया जाता है। वह अपार्टमेंट को उन अलाटियों को सौंपता है और स्थानांतरित करता है जिन्हें उसने निर्माण पूरा करने के बाद अपार्टमेंट आवंटित किया था। ऐसे हस्तांतरणकर्ता आर. ई. आर. ए. के तहत आबंटित होंगे। हालाँकि, यह प्रश्न विवादित परंतुक के दृष्टिकोण से उत्पन्न हो सकता है कि ऐसे आवंटी के बीच क्या सामान्य विशेषता है जिसे निर्मित अपार्टमेंट पहले ही बिक्री के बाद सौंप दिया गया है और शेष मंजिलों के आवंटी के बीच क्या सामान्य विशेषता है जहां कोई निर्माण नहीं है या केवल निर्माण है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित समय से पीछे है। सवाल उठ सकता है कि क्या परिभाषा खंड के तहत ऐसे आबंटियों को एक साथ जोड़ना अति समावेशी वर्गीकरण का मामला बनाता है। क्या असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है?

121. या तो समावेशिता के तहत या अति समावेशिता का एक मात्र आरोप, जिसे अदालत को किसी कानून को रद्द करने के लिए मनाने के लिए शायद ही पर्याप्त बनाना मुश्किल है। इन मामलों में विधायिका में एक व्यापक अक्षांश की अनुमति है। परीक्षा को यह पता लगाने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है कि क्या गणितीय परिशुद्धता है या लकड़ी की समानता है। स्थापित किया गया। कानून के काम करने से आगे के मुद्दे पैदा हो सकते हैं, इन सभी को पूरी तरह से नहीं माना जा सकता है जो कानून देने वाले द्वारा पूरी तरह से पूर्वानुमेय नहीं किया जा सकता है। प्रयोग करने की स्वतंत्रता विधायिका को दी जानी चाहिए, विशेष रूप से आर्थिक कानूनों में। यदि कानून के कामकाज में समस्याएं सामने आती हैं और जिनके लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो अदालत आवश्यक संशोधन के साथ कदम उठाकर जवाब देने की विधायी की शक्ति से अनजान नहीं हो सकती है। एक पूर्ण कानून जैसा कुछ भी नहीं है और सभी मानव संस्थानों की तरह इसमें भी खामियां होना तय है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संवैधानिकता पर अदालत के फैसले के लिए, कानून को संवैधानिक सीमाओं से स्पष्ट विचलन प्रस्तुत करना चाहिए।

122. एक अपार्टमेंट के उदाहरण में जिसे बेचा जाता है जहां परियोजना पूरी नहीं हुई है, हम निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं: ऐसे मामलों में अगर दिवालिया हो जाता है तो परियोजना अधूरी रह जाएगी। सामान्य क्षेत्र/सामान्य सुविधाएं नहीं बनेंगी

उपलब्ध है। खरीदार को आकर्षित करने वाली विशेषता पूरी परियोजना है जो पूरी हो जाती है। अपार्टमेंट का मालिक डिलीवरी स्वीकार करने से बहुत अच्छी तरह से इनकार कर सकता है क्योंकि वह परियोजना को उसकी सभी वादा की गई सुविधाओं के साथ पूरा करने पर जोर दे सकता है। आर. ई. आर. ए. की धारा 17 आबंटियों के संघ को सामान्य क्षेत्रों में स्वामित्व के हस्तांतरण पर विचार करती है। जाहिर है, ऐसी चीज

सामान्य रूप से तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि निर्माण नहीं किया जाता है पूर्ण। दूसरे शब्दों में, एक ही प्रवर्तक के तहत एक अलग परियोजना के आवंटनकर्ता के विपरीत परिभाषा में निहित विभिन्न आवंटनकर्ता

'आबंटित' शब्द में आम शिकायतों के लिए जगह होगी। एक यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण को त्यागना या छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार, हम विवाद में योग्यता नहीं देख सकते। 123. हमने रेरा की धारा 11 (1) (बी) पर ध्यान दिया है। यह आवास और भूखंडों की बुकिंग के विवरण पर विचार करता है। यह अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है।

यह तर्क कि यह वादा की गई इकाइयों की कुल संख्या पर आधारित हो सकता है। एक विवरणिका के अनुसार जो आवश्यक है वह आवंटन है न कि वादा किए गए फ्लैट। यह कुल निर्मित इकाइयाँ भी नहीं हैं। यह धारा 5 (8) (च) स्पष्टीकरण और धारा 11 (1) (ख) के साथ पठित रेरा की धारा 2 (घ) के साथ पठित आक्षेपित प्रावधानों के तहत प्रासंगिक है और इसके तहत बनाए गए नियम अपार्टमेंट या भूखंडों की 'बुकिंग' है। जो आवंटित या बुक किया गया है वह निर्मित से अधिक हो सकता है यदि किसी भी मामले में कोई बेमेल है। समय का बिंदु। यह आवंटित इकाइयों की संख्या है। आब, आबंटन आ बेचबाक समझौता एक दोसराक सङ्ग अपरिवर्तनीय नहि अछि आ एकर अर्थ भऽ सकैत अछि।

124. आगे यह तर्क कि 10 प्रतिशत गतिशील है और यदि अधिक आवंटन किया जाता है तो सुबह जो 1/10 है वह रात तक कम हो सकता है, कानून में असमर्थनीय है। कंपनी अधिनियम, 1913 (धारा 153-सी), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के प्रावधानों में इसी तरह के प्रावधान हैं। किसी कानून का पालन करने के लिए दिए गए मामलों में केवल कठिनाइयाँ शायद ही इसे रद्द करने का आधार प्रदान कर सकती हैं। जहाँ तक अचल संपत्ति परियोजना का गठन करने का सवाल है, यह किसी विशेष अचल संपत्ति परियोजना के नियमों और शर्तों और दायरे पर निर्भर होना चाहिए जिसमें आवंटनकर्ता एक हिस्सा हैं। ये प्रत्येक मामले के तथ्यों में विचार किए जाने वाले तथ्यात्मक मामले हैं।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

क्षति और सीमा की समस्या

125. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि प्रावधान

एक सौ व्यक्तियों या आबंटियों के दसवें हिस्से के समर्थन की आवश्यकता,

संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो भी कम हो, वह अव्यवहारिक और मनमाना है। यह तर्क दिया जाता है कि शिकायत में केवल एक चूक हो सकती है। जब आबंटियों की आवश्यक संख्या उन आबंटियों से लेनी पड़ सकती है जिन्होंने बिल्डर के साथ अलग-अलग तारीखों पर समझौते किए होंगे, तो

चूक की तारीख अलग होगी। यह उस पूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो अन्यथा संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए एक आवंटी के पास मौजूद है।

126. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल करेंगे

धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें। वह आगे तर्क देगी कि जब तक कोई चूक है जो आवेदक या आवेदकों के लिए आवश्यक नहीं है, एक आवेदन बनाए रखने योग्य होगा और इसमें कोई योग्यता नहीं है। यह विवाद।

127. इस संदर्भ में, धारा 4 को पुनः प्राप्त करना आवश्यक है।

कोड। वह इस प्रकार है:

" 4. (1) यह भाग दिवाला से संबंधित मामलों पर लागू होगा।

और निगमित देनदारियों का परिसमापन जहां न्यूनतम राशि

बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है उच्च मूल्य की चूक की न्यूनतम राशि जो नहीं होगी

एक करोड़ रुपये से अधिक "।

यह राशि अब 1 करोड़ रुपये तय की गई है।

128. इसके बाद धारा 6 घोषित करती है कि जहां कोई

निगमित देनदार चूक करता है, एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या एक निगमित देनदार स्वयं अध्याय 2 में दिए गए तरीके से सी. आई. आर. पी. शुरू कर सकता है।

129. धारा 7 यह घोषणा करना जारी रखती है कि एक वित्तीय लेनदार या तो

स्वयं या अन्य लेनदारों या किसी अन्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से, जब कोई चूक हुई हो, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करें। इसके बाद, संशोधन के बाद, निस्संदेह, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है:

" 7. (1) XXX

XXX

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक डिफ़ॉल्ट

इसमें न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार बल्कि किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

निगमित देनदार का "।

130. स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि एक वित्तीय ऋण, जो निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार पर बकाया है, पर्याप्त होगा।

इस आधार पर आवेदन करना कि डिफ़ॉल्ट हुआ है। संहिता की धारा 3 (12) में चूक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 3 (12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय हो गया हो और

देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा चुकाया नहीं जाता है, जैसे

मामला हो सकता है; "

131. इन प्रावधानों और नियमों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनव (ऊपर) में निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 28. जब प्रक्रिया को गति देने वाले वित्तीय लेनदार की बात आती है, धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। खंड के स्पष्टीकरण के तहत

7 (1) , एक चूक कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में है-यह बकाया ऋण होने की आवश्यकता नहीं है

आवेदक वित्तीय लेनदार। धारा 7 (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से किया जाना है जो निर्धारित किया गया है, जो हमें दिवाला और दिवालियापन की ओर ले जाता है। (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016। नियम 4 के तहत, आवेदन फॉर्म 1 में एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाता है।

उसमें आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ। फॉर्म 1

5 भागों में एक विस्तृत प्रपत्र है, जिसमें भाग I में आवेदक का विवरण, भाग II में निगमित देनदार का विवरण, भाग III में प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और भाग V में चूक के दस्तावेज, रिकॉर्ड और साक्षय की आवश्यकता होती है। नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को भाग I में आवेदक का विवरण, भाग II में निगमित देनदार का विवरण, भाग III में

प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और भाग V में चूक के दस्तावेज, रिकॉर्ड और साक्षय की आवश्यकता होती है। निगमित ऋणी के पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्राधिकरण का निर्णय लेना। वह गति, जिसके भीतर निर्णय देने वाला प्राधिकारी किसी चूक के अस्तित्व का पता लगाना है

सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्षय के आधार पर, महत्वपूर्ण है। यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह धारा 7 (5) के चरण में है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट किया जाना है मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि एक चूक हुई है, कि कॉर्पोरेट देनदार का हकदार है इंगित करें कि एक डिफ़ॉल्ट इस अर्थ में नहीं हुआ है कि

" ऋण, जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ए.

ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। द.

जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि एक चूक है

आवेदन तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह अधूरा न हो,

न्यायनिर्णायकसँ सूचना भेटलाक 7 दिनक भीतर दोष प्राधिकरण। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

फिर वित्तीय लेनदार को पारित आदेश के बारे में सूचित करें और

निगमित देनदार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर आवेदन, जैसा भी मामला हो "।

(जोर दिया गया)

132. यह सच है कि धारा 238 ए (से प्रभाव के साथ अंत:स्थापित)

06.06.2018) संहिता में यह प्रावधान है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान कार्यवाही या अपील पर लागू होंगे।

अन्य बातों के साथ-साथ, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष। इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, अन्य बातों के साथ, इस न्यायालय ने बी. के.

एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची I में अनुच्छेद 137 लागू होगा। संहिता की धारा 7 और 9 के तहत आवेदन। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम लागू होता है

संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर किए गए आवेदन संहिता की शुरुआत, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को प्राप्त होता है

होता है। यदि चूक तीन साल से अधिक समय पहले हुई है आवेदन दाखिल करने की तिथि, आवेदन पर रोक लगा दी जाएगी

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत, उन्हें छोड़कर

ऐसे मामले जहां मामले के तथ्यों में, सीमा की धारा 5 इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अधिनियम लागू किया जा सकता है।

133. वास्तव में, न्यायालय, उक्त मामले में, अपने पाठ्यक्रम में

निर्णय, एक ऐसे ऋण का उदाहरण देता है जो 1990 से देय है और जो

यह वर्जित हो गया है लेकिन जिसे संहिता की धारा 7 के माध्यम से पुनर्जीवित करने की मांग की गई है जो कानून 2016 में अस्तित्व में आया था। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए इस न्यायालय ने कहा कि भले ही धारा 238ए को मूल अधिनियम के बाद जोड़ा गया हो, लेकिन सीमा अधिनियम, 1963, [2021] 14 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में संहिता की शुरुआत से ही लागू होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 137 को लागू किया है, और साथ ही, सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को स्वीकार करते हुए, उपयुक्त मामलों में देरी को माफ करने का प्रावधान किया।

134. इसलिए, यह स्पष्ट है कि वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन के संबंध में संहिता की आवश्यकता यह अनिवार्य नहीं करती है कि वित्तीय ऋण स्पष्टीकरण के संदर्भ में आवेदक पर बकाया है। यह जाहिरा तौर पर यह कारण है कि सी. आई. आर. पी. और जिसका असफल होने पर परिसमापन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, सभी कार्यवाही में है। कानून देने वाले ने संहिता में एक कार्रवाई की परिकल्पना की है, जो केवल प्रक्रिया को शुरू करने के लिए है। लिटमस टेस्ट, जिसके आधार पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण मामले की जांच करेगा, केवल डिफ़ॉल्ट का अस्तित्व है, जैसा कि संहिता की धारा 4 में

परिभाषित किया गया है। आज की तारीख में, चूक की राशि 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। एक वित्तीय ऋण प्रस्तुत करें जिसका भुगतान नहीं किया गया है, संहिता के तहत प्रक्रियाओं के प्रवाह के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कॉर्पोरेट देनदार को अभिभूत कर देते हैं। आगे की बाधा सीमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम में देखा गया है। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स 5 ओ। जीवन में किसी भी चीज़ की तरह, न केवल खामियां सामने आएंगी और गणितीय अच्छाई की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, बल्कि एक नियम कुछ या कई लोगों के हितों को रौंद सकता है। चूंकि, संहिता निस्संदेह एक आर्थिक ब्रांड का प्रतीक है।

इसके चेहरे पर माप, और सच्ची भावना में, सबसे महत्वपूर्ण में से एक है

और कानून देने वाले द्वारा किए गए गतिशील आर्थिक प्रयोग, संसद के दास बनने से नहीं, बल्कि समय के साथ ऐसे मामलों में प्रयोग करने वाले संप्रभु निकाय के प्रति पवित्र सम्मान से, यह न्यायालय इस तरह के कानून के पक्ष में बहुत अधिक झुक जाएगा। याचिकाकर्ताओं की शिकायत कि आवेदकों की आवश्यक संख्या में वृद्धि, कानूनी गांठें बनाएगी जो समाधान को स्वीकार नहीं करती हैं, हमें आकर्षित नहीं करती हैं और हम चाहते हैं कि कानून को वास्तव में कैसे काम किया जा सकता है, यहां तक कि अतिरिक्त बोझ के साथ भी जो प्रावधानों द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों पर डाला जाता है। 135. यह निर्विवाद है कि धारा 7 के तहत एक आवेदन को सफलतापूर्वक दायर करने के लिए एक चूक होनी चाहिए जो 1 करोड़ रुपये की राशि में होनी चाहिए। यह समान रूप से स्पष्ट है कि 1 करोड़ रुपये की राशि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा आवेदक के पक्ष में देय होने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्पष्टीकरण प्रावधानों को शामिल करने से पहले भी मौजूद था। यह एक वित्तीय लेनदार के लिए किसी अन्य वित्तीय लेनदार की कंपनी में या एक से अधिक अन्य वित्तीय लेनदारों की कंपनी में आवेदन करने के लिए खुला है।

50 (2019) 11 एस. सी. सी. 633 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

लेनदार। वास्तव में, नियमों का अवलोकन, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, यह इंगित करेगा कि आवेदकों की संख्या के बावजूद न्यायालय शुल्क रुपये रहेगा। 25,000 / - . यह कथित अस्पष्टता का जवाब देता है।

अदालती शुल्क के बारे में जहां परंतुक लागू किए जाते हैं। इस प्रकार, उप-धारा 7 (1) में स्पष्टीकरण के संदर्भ में विवादित प्रावधानों का खंडन करते हुए, आवेदक को वित्तीय ऋण देने की आवश्यकता नहीं है और संयुक्त आवेदन के रूप में

एक से अधिक आवेदक द्वारा विचार किया गया था और किया जाता है, परिणामी स्थिति यह होगी कि किसी भी संख्या में आवेदक, बिना किसी राशि के, धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर कर सकते हैं, बशर्ते कि वे वित्तीय लेनदार हों और 1 करोड़ रुपये की राशि में चूक हो, भले ही उक्त राशि किसी भी आवेदक के

लिए नहीं बल्कि किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया हो। प्रावधानों को शामिल करने के बाद भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरे शब्दों में, भले ही प्रावधानों की आवश्यकता होती है कि एक अचल संपत्ति परियोजना के मामले में, जो एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा संचालित की जा रही है, एक सौ आबंटियों या आबंटियों द्वारा एक आवेदन दायर किया जा सकता है, जो आबंटियों का दसवां हिस्सा है, जो भी कम हो, अगर वे एक वित्तीय लेनदार के संबंध में चूक स्थापित करने में सक्षम हैं और यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी आवेदक के लिए चूक होनी चाहिए। हमने यह स्पष्ट करने के लिए एक चरम उदाहरण लिया है कि कोड कैसे कर सकता है।

शायद काम करते हैं।

136. व्यवहार में, हालांकि, यह संभावना नहीं हो सकती है कि व्यक्ति संहिता के तहत आवेदकों के रूप में एक साथ आएंगे, अगर वे अचल संपत्ति हैं।

आबंटित व्यक्ति, विशेष रूप से यह जानते हुए कि धारा 7 के तहत आवेदन के प्रवेश में क्या शामिल है, और एक आवेदन की नियति जो धारा 33 के तहत अनिवार्य समापन के चरण तक पहुंच गई है। हालांकि, एक अधिक संभावित उदाहरण लेते हुए, अर्थात। , अचल संपत्ति क्षेत्र में काम करने वाले निगमित देनदार का और उस पर आवेदन करने वाला एक आबंटित व्यक्ति

परंतुक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित संख्या द्वारा समर्थित आवेदन। चूंकि, डिफ़ॉल्ट किसी भी आवेदक के लिए हो सकता है, और यहां तक कि एक व्यक्ति, जो एक आवेदक नहीं है, और कार्रवाई वह है, जिसे माना जाता है रीम, उस में, प्रक्रियाएं, संहिता के तहत, के पूरे सेट को बाध्य करेंगी

पूरे आबंटियों सहित हितधारकों को, हम चूक के सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क में कोई योग्यता नहीं देख सकते हैं, जिससे प्रावधानों को अव्यवहारिक और मनमाना बना दिया जाता है।

137. इस संबंध में, प्रपत्र 1 को नोटिस करना आवश्यक है, जिसमें संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन रखा जाना है।

नियमों का नियम 4। उक्त प्रपत्र में, भाग IV में, दो स्तंभ हैं। पहला कॉलम स्वीकृत ऋण की कुल राशि, संवितरण की तिथियां है। भाग IV में दूसरे कॉलम के तहत, आवेदक को डिफ़ॉल्ट होने का दावा की गई राशि और उस तारीख को दिखाना होगा जिस पर डिफ़ॉल्ट हुआ था (आवेदक को सारणीबद्ध रूप में डिफ़ॉल्ट की राशि और दिनों की गणना के लिए कार्यप्रणाली संलग्न करने की आवश्यकता होती है)। भाग 5 वित्तीय ऋण (दस्तावेज, अभिलेख और चूक के साक्षय) के विवरण से संबंधित है। आवेदक से सूचना उपयोगिता, यदि कोई हो, के साथ चूक के रिकॉर्ड की प्रति संलग्न करने के लिए कहा जाता है। आवेदक

चूक के अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी अन्य दस्तावेज़ की सूची संलग्न कर सकता है, जैसा कि भाग V के खंड 8 से देखा जा सकता है।

138. इस संबंध में, सवाल उठ सकता है कि आवेदन को कैसे भरना होगा, यदि किसी दिए गए मामले में परंतुक की आवश्यकता का पालन करने के लिए सौ आवंटी हैं। सबसे पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक ऐसी स्थिति में इस प्रावधान की व्यवहार्यता को देखा जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए सवाल नहीं उठाया जा सकता है: विशेष रूप से एक पहलू। संशोधन से पहले भी, और इससे भी अधिक, संशोधन के बाद, वित्तीय लेनदारों के सभी वर्गों के संबंध में एक संयुक्त आवेदन की अनुमति है (हालांकि अनिवार्य नहीं है)। इसका मतलब है, एक से अधिक आवेदक द्वारा दायर किसी भी आवेदन के मामले में भी, यदि संहिता की आवश्यकताओं को अन्यथा पूरा किया जाता है, तो ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आवेदक उन विवरणों को देकर एक ही आवेदन दायर कर सकते हैं जो हमने दिए हैं। दूसरा, हमें फिर से ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन को आरईएम में एक आवेदन माना जाता है। एक या एक से अधिक वित्तीय लेनदार एक करोड़ रुपये की सीमा के संदर्भ में संहिता को सक्रिय करते हैं, जो चूक में है। प्राधिकरण को सतर्क किया जाता है। वह इस पहलू की पुष्टि करता है, यह पाते हुए कि ऋण धारा 7 (5) के तहत स्थापित किया गया है, और

किसी भी वित्तीय लेनदार का ऋण। यह पर्याप्त है कि उक्त राशि को धारा 7 (1) में स्पष्टीकरण के संदर्भ में डिफ़ॉल्ट राशि के रूप में दावा किया जा सकता है। निस्संदेह, डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड, जैसा कि कोड में विचार किया गया है, जिसे केवल सूचना उपयोगिता के साथ डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड होने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि डिफ़ॉल्ट सभी आवेदकों के लिए है, तो भी, जब तक

राशि के संबंध में वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, और यह वर्जित नहीं है, यह आवेदकों के लिए अनुरोध करने के लिए खुला होगा।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

निस्संदेह, यदि एक करोड़ रुपये की राशि का ऋण निर्धारित किया जाता है, जो वर्जित है, तो जब तक सीमा अधिनियम की धारा 5 को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जाता है, तब तक आवेदक आवेदन को अस्वीकार करने का जोखिम उठाएंगे, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह कानून के अनुसार है। हम जो संकेत दे रहे हैं वह यह है कि धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण में निहित विशेष प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, तर्क दूरगामी प्रतीत होते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम यथोचित रूप से विचार करते हैं, तो एक स्थिति दिवाला, जबकि कानून में, कॉर्पोरेट देनदार, रुपये की राशि में एक एकल वित्तीय लेनदार के लिए चूक में है। 1 करोड़, पर्याप्त है, इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है

कि निगमित देनदार अन्य लेनदारों (आबंटियों) के प्रति समान रूप से वित्तीय रूप से गंभीर संकट में नहीं होगा। एक अन्य पहलू, जो उठाया जाता है, वह यह है कि सौ आबंटियों के उदाहरण में, यदि उनके पास समझौते हैं,

जिसके तहत, डिफ़ॉल्ट की तारीख अलग है, आवेदन का मसौदा तैयार और संसाधित कैसे किया जाता है? क्या होगा, यदि कुछ आवेदकों के लिए ऋण वर्जित है, जबकि अन्य आवेदकों के संबंध में ऐसा नहीं है। स्पष्टीकरण से धारा 7 (1) तक संकेत लेते हुए, केवल रुपये की राशि में चूक का अनुरोध करने की आवश्यकता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 करोड़, जो कार्रवाई के कारण के रूप में वर्जित नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई कानून मानता है कि रुपये की राशि में चूक। 1 करोड़ रुपये किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए हो सकते हैं, भले ही वह एक आवेदक न हो, यह तथ्य कि ऋण कुछ वित्तीय लेनदारों के खिलाफ वर्जित है, जो आवेदक हैं, जबकि, कुछ अन्य लोगों द्वारा आवेदन, या यहां तक कि एक जो संयुक्त रूप से स्थानांतरित हो गया है, डिफ़ॉल्ट की आवश्यकता को पूरा करता है, दोनों राशि के संदर्भ में और यह वर्जित नहीं है, आवेदन अभी भी झूठ होगा।

एक ही रियल एस्टेट से होने वाले आवंटन

परियोजना: क्या यह असंवैधानिक है?

139. हमने रेरा की धारा 2 (डी) में 'अलाटी' शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया है। एक अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में, सभी व्यक्ति,

जिन्हें आबंटियों के रूप में माना जाता है, आबंटियों की परिभाषा के अनुसार, धारा 5 (8) (च) (स्पष्टीकरण) के उद्देश्य के लिए और विवादित प्रावधानों के उद्देश्य के लिए भी आबंटियों के रूप में माने जाने का हकदार होगा। बस इतना ही आवश्यक है कि आवंटनकर्ताओं को उसी अचल संपत्ति परियोजना से संबंधित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी प्रवर्तक की एक अलग अचल संपत्ति परियोजना है, चाहे वह अपार्टमेंट के संबंध में हो, धारा 7 के तहत एक आवेदन के मामले में, उनकी गणना कुल आवंटन के साथ-साथ दसवें हिस्से की गणना में नहीं की जाएगी।

140. आबंटियों को एक ही अचल संपत्ति परियोजना तक सीमित रखने के पीछे का तर्क संहिता के उद्देश्य को बढ़ावा देना है। एक बार सीमा [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक चुनौती के रूप में परीक्षण करने पर आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है

अनुच्छेद 14,19 और 21 के आधार पर, विधायी मूल्य निर्णय के पीछे तर्क और कारण दोनों हैं कि आवंटनकर्ता, जिन्हें विवादित प्रावधानों के तहत आवेदन में शामिल होना चाहिए, उन्हें उसी अचल

संपत्ति परियोजना से संबंधित होना चाहिए। एक ही अचल संपत्ति परियोजना के साथ संबंध महत्वपूर्ण द्रव्यमान के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, जो विधानमंडल में है।

अपनी योजना के एक भाग के रूप में, संहिता के कामकाज को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दें। यदि सभी परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं की कुल संख्या को शामिल करना है, जो एक अचल संपत्ति परियोजना के प्रवर्तक के पास हो सकती है, तो एक मायने में, यह स्वयं आवेदक के कार्य को और अधिक बोझिल बना देगा। यह एक तलवार बन जाती है, जो दोनों रास्तों को काट देगी। यही कारण है कि विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें अलग-अलग हो सकती हैं। अचल संपत्ति परियोजना के प्रवर्तक की एक परियोजना के संबंध में, शायद, उन्नत चरण में, किसी विशेष परियोजना में आवंटनकर्ताओं को ज्यादा शिकायत नहीं हो सकती है। एक अन्य परियोजना के संबंध में शिकायत अधिक गंभीर हो सकती है। यदि बाद वाले के संबंध में शिकायत, एक महत्वपूर्ण जनसमूह का ध्यान आकर्षित करती है

आबंटितों की संख्या, और प्रस्तावित आवेदक उक्त परियोजना में उस परियोजना का हिस्सा है, तो, आबंटितों के लिए समान विचारधारा वाले आत्माओं के संगम के साथ, विवादित प्रावधानों में वैधानिक मंत्र को पूरा करना आसान हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आवश्यकता विभिन्न परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं की खोज करने की होती, जैसा कि मामला होता, यदि विभिन्न परियोजनाओं के तहत आवंटनकर्ताओं की संपूर्णता की गणना की जाती, तो कार्य बहुत अधिक बोझिल होता। आबंटियों की आवश्यकता, एक ही परियोजना से ली जा रही है, तर्कसंगत है और किसी भी संवैधानिक दोष से पीड़ित नहीं है, जैसा कि बताया गया है।

के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय का बिंदु

तीन विश्व आवश्यकताएँ

141. फिर सवाल यह उठता है कि समय के बारे में स्पष्टता की कथित कमी, जिस पर विवादित लोगों की आवश्यकताएँ हैं।

प्रावधानों को पूरा किया जाना है। क्या यह पर्याप्त है, यदि आवंटी की आवश्यक संख्या एक साथ जुड़ती है और धारा 7 के तहत आवेदन दायर करती है और आवेदन को पूरा करती है।

प्रस्तुतिकरण के समय आवश्यकताएँ? या, क्या यह आवश्यक है कि आवेदन को नए परंतुक के तहत, आवेदन दाखिल करने के बाद भी, संख्यात्मक संख्या के अनुरूप होना चाहिए, और उस तारीख तक, आवेदन है धारा 7 (5) के तहत भर्ती? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 7 (1) में आक्षेपित परंतुक के तहत एक सीमा की आवश्यकता को आवेदन दाखिल करने की तारीख को पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, हमें इस न्यायालय के एक प्रारंभिक निर्णय से समर्थन मिलता है, जिसे मनीष कुमार बनाम कहा गया था।

कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153-सी के तहत। धारा 153-सी, धारा 399 के साथ पठित धारा 397 और 398 की पूर्ववर्ती है। कंपनी अधिनियम, 1956। इसका सबसे हालिया अवतार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के साथ धारा 241 और 242 में निहित है। वास्तव में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 (3) निम्नानुसार है:

" 399 (3) जहाँ किसी कंपनी का कोई भी सदस्य ऐसा करने का हकदार है -

उप-धारा (1) के आधार पर कोई एक या अधिक आवेदन बाकी की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद, वे कर सकते हैं

उन सभी की ओर से और उनके लाभ के लिए आवेदन।

142. राजमुंदरी विद्युत आपूर्ति मामले में इस न्यायालय के फैसले में

निगम लिमिटेड बनाम। ए. नागेश्वर राव और अन्य 5 1, विचाराधीन प्रावधान, अर्थात। , कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153-सी अदालत की अधिनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, जब कंपनी पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य करती है या अपने सदस्यों के किसी भी हिस्से पर अत्याचार करती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि शेयर पूंजी वाली कंपनी के मामले में किसी भी सदस्य द्वारा तब तक कोई आवेदन नहीं किया जा सकता जब तक कि सदस्य ने लिखित रूप में सहमति प्राप्त नहीं की हो कि कंपनी के सदस्यों की संख्या कम से कम सौ या सदस्यों की संख्या में कम से कम दसवां हिस्सा, जो भी कम हो। एक वैकल्पिक आवश्यकता भी थी, जिसके लिए कंपनी के संबंध में सहारा लिया जा सकता था, जिसमें शेयर पूंजी नहीं थी। एक और तरीका था

सीमा आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उक्त मामले के तथ्यों में, कंपनी के सदस्यों की संख्या 603 थी। पैंसठ सदस्यों ने आवेदन पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि जिन 13 सदस्यों ने सहमति दी थी, उन्होंने आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपनी सहमति वापस ले ली थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 5

XXX

XXX

XXX

हमें इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। द.

याचिका की वैधता का निर्णय तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए जैसा कि वे थे

इसकी प्रस्तुति का समय, और एक याचिका जो कब वैध थी प्रस्तुत किया जा सकता है, उस प्रभाव के लिए एक प्रावधान के अभाव में

क़ानून, घटनाओं के कारण बनाए रखने योग्य नहीं है इसकी प्रस्तुति के बाद। हमारी राय में, की वापसी

13 सदस्यों की सहमति, भले ही सही हो, दोनों में से किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकती है।

आवेदन के साथ आगे बढ़ने का आवेदक का अधिकार या

न्यायालय की अपनी योग्यता के आधार पर इसका निपटान करने की अधिकारिता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

143. धारा 7 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के मामले में, यदि आक्षेपित प्रावधानों के तहत सीमा की आवश्यकता है कानून की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। अस्पष्टता और परिणामी अक्षमता से संबंधित विवाद और

परिणामी मनमानेपन, स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और हमें आकर्षित नहीं करता है। यदि कोई आबंटित व्यक्ति, दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत करने की तारीख के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, तो विवादित कानून की आवश्यकता को पूरा किया जाता है।

परिवार के सदस्यों द्वारा ई. टी. सी. और जॉइन करें

एक इकाई का स्थान: सिंगल अलाटी?

144. एक तर्क, जो उठाया गया है, वह यह है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 (2) में यह प्रावधान किया गया था कि

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 के अनुरूप है। धारा 241 (1) के स्पष्टीकरण में धारा 399 (2) के समान प्रावधान हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह इंगित किया गया है कि आवंटन के मामले में, इससे अधिक किया जा रहा है एक व्यक्ति, एक अपार्टमेंट या अन्य अचल संपत्ति का, यह निर्धारित नहीं किया गया है कि मामले से कैसे निपटा जाए। यह अस्पष्ट है। यह मनमाना है। यह सच है कि धारा 7 (1) में प्रस्तुत किए गए आक्षेपित परंतुक में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि एक से अधिक व्यक्तियों के मामले में आबंटियों की संख्या की गणना कैसे की जानी है। यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि आर. ई. आर. ए. की धारा 14 में, प्रवर्तक को स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं में कोई भी वृद्धि और परिवर्तन करने से मना किया गया है।

विनिर्देश, फिक्स्चर, फिटिंग और सुविधाओं की प्रकृति, जो उस व्यक्ति की सहमति के बिना किए जाने के लिए सहमत हैं। बेशक, परंतुक में दी गई परिस्थितियों में मामूली परिवर्धन या परिवर्तन किए जा सकते हैं।

परियोजना के भीतर सामान्य क्षेत्र, कम से कम दो-तिहाई आवंटनकर्ताओं की पूर्व लिखित सहमति के अलावा नहीं किया जा सकता है, अन्य प्रवर्तक की तुलना में, जो ऐसी इमारत में अपार्टमेंट लेने के लिए सहमत हो गया था। इस संदर्भ में एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य है -

घोषणा करें कि यदि किसी आवंटी ने एक से अधिक अपार्टमेंट या भूखंड लिया है

उसके नाम या उसके परिवार के नाम पर, इसे एकल आवंटन के रूप में माना जाएगा।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

व्यक्तियों के मामले में, जैसे कि कंपनियाँ या फर्म या संघ व्यक्तियों, उनके नाम पर या संबद्ध संस्थाओं या संबंधित उद्यमों के नाम पर आरक्षण को एकल आवंटन के रूप में माना जाना चाहिए।

146. इसी तरह, आर. ई. आर. ए. की धारा 15 अपने बहुसंख्यक अधिकारों और देनदारियों को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने या सौंपने पर रोक लगाती है।

आबंटितों में से दो-तिहाई की पूर्व लिखित सहमति और प्राधिकरण की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना भी। एक समान स्पष्टीकरण, जैसा कि धारा 14 में पाया जाता है, जिसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं, धारा 15 में पाया जाता है। हालाँकि, इस तरह का स्पष्टीकरण रेरा की धारा 2 (डी) में 'आवंटनकर्ता' की परिभाषा में नहीं मिलता है। धारा 14 और 15 दोनों में स्पष्टीकरण का उद्देश्य स्पष्ट है। यह उद्देश्य को पराजित करने से बचने के लिए है, जो तब होता है, जब एक ही परिवार के सदस्य, किसी परियोजना या किसी कंपनी, फर्म या संघ से संबंधित और संबंधित चिंताओं पर एकाधिकार रखते हैं,

आबंटन। यह भी संभव है कि वे प्रवर्तक के साथ हाथ मिलाएँ, जिसके परिणामस्वरूप अन्य आबंटियों के अधिकार समाप्त हो जाएँ, क्योंकि दो-तिहाई का आंकड़ा वास्तविक दो-तिहाई बहुमत के हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देगा, जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत है, चाहे वह किसी मामले में हो या स्वीकृत योजनाओं या लेआउट योजनाओं में परिवर्तन या परिवर्धन, आदि में, या प्रवर्तक के अपने बहुमत के अधिकारों के संबंध में परियोजना से बाहर निकलने के मामले में, हस्तांतरण या असाइनमेंट द्वारा। इन स्पष्टीकरणों का उद्देश्य प्रवर्तक को स्वीकृत योजनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराना है और प्रवर्तक को वास्तविक बहुमत के बिना अपने बहुमत के अधिकारों से बाहर निकलने से रोकना है, जैसा कि दो-तिहाई अलग-अलग आवंटनकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जो उसी पर सहमत होंगे। हम धारा 14 और 15 के स्पष्टीकरणों को धारा 2 (डी) में 'अलाटी' की परिभाषा में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि धारा 14 और 15 में स्पष्टीकरणों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वे क्रमशः धारा 14 और 15 के उद्देश्य के लिए अधिनियमित किए गए हैं। हमें धारा 2 (डी) से 'आबंटित' की परिभाषा को लेना होगा, जैसा कि है। इसलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के पास एक या अधिक है। उसके नाम पर या

उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर आवंटन। जब तक उसे या उसके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्र आबंटन किए जाते हैं, वे सभी अलग-अलग आबंटनकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे और वे कुल आबंटन की गणना में, साथ ही सौ आबंटनकर्ताओं या आबंटनकर्ताओं के दसवें हिस्से, जो भी कम हो, दोनों की गणना करेंगे।

147. जहां तक स्थिति का अनुमान है, कोई स्पष्टता नहीं है

इस संबंध में कि क्या, यदि एक से अधिक व्यक्तियों को एक अपार्टमेंट का संयुक्त आवंटन किया जाता है, तो क्या इसे केवल एक आवंटनकर्ता के रूप में लिया जाना है या जितने संयुक्त आवंटनकर्ता हैं, उतना ही आवंटनकर्ता के रूप में लिया जाना है, यह हमें एक उचित समझ [2021] 14 एस. सी. आर. पर दिखाई देगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 2 (घ) में 'आबंटित' शब्द की परिभाषा और वह उद्देश्य, जिसके लिए सौ या दसवें आबंटियों की आवश्यकता रखी गई है, और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 (2) के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 (1) में स्पष्टीकरण से भी अनजान होने के कारण, एक से अधिक व्यक्तियों को एक अपार्टमेंट, भूखंड या एक भवन के संयुक्त आवंटन के मामले में, आबंटन को केवल एक एकल आबंटन के रूप में माना जा सकता है। आवंटन। यह इस कारण से है कि क़ानून का उद्देश्य, निश्चित रूप से, यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों (आवंटनकर्ताओं) का एक महत्वपूर्ण समूह है, जो इस बात से सहमत हैं कि संहिता को लागू करने और संहिता के तहत अपरिहार्य प्रक्रियाओं के अधीन होने का समय आ गया है, जिसमें इसके सभी परिचर खतरे हैं। सी. आई. आर. पी. में गति बनाए रखने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन के उद्देश्य को इस दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा कि कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के मामले की तरह, धारा 7 (1) में विवादित प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से, जबकि आबंटित व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो सकता है, जो रेरा की धारा 2 (डी) में आबंटित व्यक्ति के विवरण को पूरा करता है, जैसा कि हम पहले एक ही अपार्टमेंट के संयुक्त आबंटितों द्वारा व्याख्या की गई थी, उसे केवल एक आबंटित व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। किसी भी अन्य दृष्टिकोण से संहिता के उद्देश्य का स्पष्ट दुरुपयोग और पराजय हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक एकल अपार्टमेंट सौ व्यक्तियों के नाम पर लिया जाता है, तो एक एकल आवंटी, जिसमें रिश्तेदार या परिवार के सदस्य या दोस्त शामिल होते हैं, कर सकते हैं।

एक आवेदन को स्थानांतरित करें, भले ही पूर्व स्थिति को बहाल किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि केवल एक अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के लिए आबंटित व्यक्ति है

प्राधिकरण के समक्ष और यह वास्तव में संबंधित अचल संपत्ति परियोजना में आबंटियों के एक महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। इसलिए, हमें उक्त व्याख्या करने पर याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।

द पावर ऑफ वेवर, अस्वीकार किया जा रहा है, समान नहीं

कंपनी अधिनियम

148. एक और तर्क है, जिसे हमारे सामने एक के रूप में दबाया जाता है, जो विवादित प्रावधानों को निहित प्रावधानों से अलग करता है।

कंपनी अधिनियम में। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 (4) निम्नानुसार है:

" 399. (4) केंद्र सरकार, यदि अपनी राय में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो इसे न्यायसंगत और न्यायसंगत बनाती हैं, तो कंपनी के किसी भी सदस्य या सदस्य को धारा 397 या 398 के तहत न्यायाधिकरण में आवेदन करने के लिए अधिकृत कर सकती है, इसके बावजूद कि - यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) की अपेक्षाएँ -

उप-धारा (1) पूरी नहीं होती है।"

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

149. इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि उक्त प्रावधान ने धारा 399 (1) में सीमा की आवश्यकता को उचित बना दिया है। यही कारण है कि जहां इसे केंद्र द्वारा न्यायसंगत और न्यायसंगत पाया गया था सरकार, वह किसी भी सदस्य या सदस्य को धारा 397 या धारा 398 के तहत आवेदन करने के लिए अधिकृत कर सकती है, भले ही धारा 399 (1) में आवश्यक सदस्यों की संख्यात्मक संख्या आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आगे नहीं आई हो।

150. हमें कानून की संवैधानिकता पर घोषणा करने के लिए कहा जाता है। हितकारी उद्देश्य और विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जो स्पष्ट रूप से आबंटियों और पहले परंतुक में आने वाले लेनदारों को अन्य लेनदारों से अलग करते हैं, वित्तीय और परिचालन दोनों, हम विवाद में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। यह एक और बात है कि हम इस विश्वास को स्वीकार कर सकते हैं कि यह विधानमंडल की ओर से अधिक बुद्धिमान होता।

ऐसी स्थितियों के लिए प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व को शामिल करना जहां सीमा आवश्यकता का पालन किए बिना, एक एकल आवंटी आवेदन को स्थानांतरित कर सकता है। इस संबंध में, हमें धारा 397 और 398 के तहत आवेदन के दायरे को भी ध्यान में रखना चाहिए।

151. केंद्र सरकार, कंपनी अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, के प्रबंधन के साथ जटिल रूप से परस्पर जुड़ी हुई है

कंपनियाँ। उसके पास धारा 235 और धारा 237 के तहत कंपनियों के मामलों की जांच करने की शक्तियां थीं। धारा 397 और 398 के उद्देश्य में किसी भी मामले में कंपनी के मामलों का संचालन शामिल है। लोक हित के लिए प्रतिकूल या निस्संदेह सदस्य या सदस्यों के लिए भी प्रतिकूल। ऐसी परिस्थितियों में, केंद्र सरकार को आवश्यकता को माफ करने और एक भी सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देने की शक्ति कंपनी अधिनियम की योजना के अनुरूप है। संहिता के तहत केंद्र सरकार की भूमिका अलग है। वास्तव में, संहिता के तहत केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह संहिता के तहत केवल नामित प्राधिकरणों के माध्यम से कार्य करता है। यह संहिता दिवाला समाधान के बारे में है

और विफलता परिसमापन पर। संहिता की योजना अद्वितीय है और इसके उद्देश्य कंपनी अधिनियम से स्पष्ट रूप से अलग हैं। नतीजतन, यदि विधानमंडल ने महसूस किया कि आबंटियों के एक महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली सीमा आवश्यकता, अकेले ही संतुष्ट करेगी

धारा 7 के तहत किसी आवेदन की वैध संस्था की आवश्यकता, इसे भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

नागरिक संहिता के आदेश I नियम 8 पर एक नज़र

प्रक्रिया, 1908 (सी. पी. सी.) और [2021] 14 एस. सी. आर. की धारा 12।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसी पर आधारित विवाद।

152. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सी. पी. सी. के आदेश I नियम 8 के तहत, जहां समान हित रखने वाले कई व्यक्ति हैं

एक मुकदमे में, एक या अधिक ऐसे व्यक्ति, अदालत की अनुमति से, मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है या उनकी ओर से या उनके लिए ऐसे मुकदमे का बचाव कर सकते हैं।

इस तरह से रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों का लाभ, एक ही व्यक्ति के कहने पर जिसके साथ कई व्यक्ति समान हित साझा करते हैं। अदालत, अनुमति देने के बाद, दिए गए प्रावधान के अनुसार मुकदमे की स्थापना की सूचना देगी। इसके बाद, कोई भी व्यक्ति, जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए मुकदमा दायर किया गया है या बचाव किया गया है, अदालत में एक पक्ष बनाने के लिए आवेदन कर सकता है। अंत में,

आदेश I नियम 8 के उप-नियम (6) में घोषणा की गई है कि आदेश I नियम 8 के तहत मुकदमे में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगी, जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए मुकदमा

दायर किया गया है या बचाव किया गया है। सी. पी. सी. के आदेश I नियम 8 में स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

" स्पष्टीकरण। — यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या मुकदमा करने वाले या मुकदमा किए जाने वाले या बचाव करने वाले व्यक्तियों का एक मुकदमे में समान हित है, यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का कार्रवाई का कारण वही है जो उन व्यक्तियों का है जिनकी ओर से, या जिनके लाभ के लिए, वे मुकदमा करते हैं या मुकदमा किया जाता है, या वाद का बचाव करते हैं, जैसा भी मामला हो।

बनो "।

153. इस प्रावधान की तुलना विवादित संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधानों से करने की कोशिश की गई है। यह प्रतिवाद करने की मांग की गई थी

कि आदेश I नियम 8 में विचार की गई प्रक्रिया, एक ओर, एक एकल व्यक्ति द्वारा दीवानी मुकदमे के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, नहीं

न्यायालय की अनुमति से संदेह और एक सूचना दिए जाने के बाद, जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है, कोई भी व्यक्ति, जिसका समान हित है, आगे आ सकता है और एक पक्ष बनाने की मांग कर सकता है। आदेश I नियम 8 में अंतर्निहित उपकरण द्वारा, सभी व्यक्तियों के हितों की, जिनके समान हित हैं, सबसे अच्छी तरह से रक्षा की जाती है। यदि वह आवेदक का विरोध करना चाहता है,

वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर, यदि वह वादी का समर्थन करना चाहता है, तो इस तरह का रास्ता अपनाना उसके लिए भी उतना ही खुला है। कार्यवाहियों के अंत में, जब फरमान पारित किया जाता है, तो यह उन सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा, जिनके लाभ के लिए या जिनकी ओर से मुकदमा दायर किया जाता है, यहां तक कि एक भी व्यक्ति द्वारा। दूसरी ओर, कारणों के लिए, जो पूरी तरह से मनमाने हैं, यह बताया गया है कि एक सबसे बोझिल और असंभव सीमा

आवश्यकता केवल वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग पर जोर देती है, यह आवश्यक करके कि यदि कोई आवंटनकर्ता संहिता की धारा 7 को लागू करना चाहता है, तो वह मनीष कुमार बनाम।

कम से कम 99 अन्य आबंटियों या आबंटियों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा, जो भी कम हो, उनका समर्थन जुटाना चाहिए। एक बार फिर, इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस बात पर जोर देने से मामले और बिगड़ जाते हैं कि आबंटियों को उसी परियोजना से लिया जाना चाहिए। इसी तरह, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने भी सी. पी. सी. के आदेश I नियम 8 के सिद्धांत को अपनाया है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 से देखा जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (बी) (iv) में 'शिकायतकर्ता' शब्द की परिभाषा में एक या अधिक

उपभोक्ता शामिल हैं, जहां समान हित रखने वाले कई व्यक्ति हैं। धारा 12 में शिकायत करने के तरीके का प्रावधान है। धारा 12 (1) (सी) इस प्रकार है:

" 12 (1) (सी)। एक या अधिक उपभोक्ता, जहां सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए जिला मंच की अनुमति से समान रुचि रखने वाले कई उपभोक्ता हैं।

इतनी दिलचस्पी है; या

154. अंतिम प्रावधान, प्रावधानों की एक श्रृंखला में, जो आदेश 1 नियम 8 के मॉडल पर एक कार्रवाई के संबंध में योजना प्रदान करता है

सी. पी. सी. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 (6) में पाया जाता है। वह इस प्रकार है:

" 13 (6) जहां शिकायतकर्ता धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश I के नियम 8 के प्रावधान इस संशोधन के अधीन लागू होंगे कि उसमें किसी वाद या डिक्री के प्रत्येक संदर्भ को शिकायत के संदर्भ या उस पर जिला मंच के आदेश के रूप में माना जाएगा।

155. इस प्रकार, आदेश I नियम 8 के तहत प्रक्रिया को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही पर पूरी तरह से लागू किया गया है। स्थिति, जहाँ, एक से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनके पास एक ही है

इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या दीवानी मुकदमे के अर्थ के भीतर सभी असंख्य व्यक्तियों को यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि उनके पास कार्रवाई का एक ही कारण है। जरूरी बात यह है कि उनका हित समान हो। "समान हित" शब्दों की व्याख्या करते हुए, यह अभी भी सच है कि यह न्यायालय, अध्यक्ष, तमिलनाडु आवास बोर्ड बनाम. टी. एन. गणपति ने माना है कि केवल समुदाय की आवश्यकता है 52 (1990) 1 एससीसी 608 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्याज। यह एक ऐसा मामला था जिसमें कम आय वाले समूहों के भूखंडों के आवंटनकर्ताओं द्वारा अपीलकर्ता-आवास बोर्ड के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें किसी भी अतिरिक्त मूल्य की मांग करने और एकत्र करने से निषेधाज्ञा की मांग की गई थी और मुकदमे को आदेश I नियम 8 के तहत बनाए रखने योग्य माना गया था, भले ही अलग-अलग।

प्रत्येक आबंटियों को मांग नोटिस जारी किए गए।

156. इस तर्क की सराहना करते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि संहिता की योजना से अनजान न रहें और इसे एक दीवानी मुकदमे से अलग करें।

आदेश I नियम 8 या एक उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता शिकायत का आह्वान करते हुए, कई अन्य लोगों के साथ समान हित साझा करते हुए, फिर से आदेश I नियम 8 का आह्वान करते हुए। यह सच है कि एक बार आदेश I नियम 8 लागू हो जाने के बाद, एक एकल वादी या एक उपभोक्ता, क्रमशः एक दीवानी मुकदमे या उपभोक्ता शिकायत में, गेंद को घुमा सकता है। समान हित रखने वाले सभी व्यक्ति कार्यवाही में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे वे शामिल हों या न हों, एक फरमान या आदेश, जिसका उच्चारण किया जाता है, समान हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को बाध्य करेगा। आदेश I नियम 8 के तहत प्रक्रिया,

यदि इसे किसी अचल संपत्ति परियोजना के आवंटनकर्ता द्वारा आवेदन के संबंध में लागू किया गया होता, तो वास्तव में एक व्यक्ति के लिए यह बहुत आसान हो जाता।

संहिता की धारा 7 को लागू करने के लिए आबंटित व्यक्ति और उसके पास भी होगा

अन्य आबंटियों की भागीदारी को स्वीकार किया, यदि वे आदेश I नियम 8 (2) में अनुध्यात सूचना के प्रकाशन पर पक्षकार बनाना चाहते हैं।

157. अब तक बहुत अच्छा है। अब, हम कहानी के दूसरे पक्ष की जांच करेंगे और यही संहिता और संहिता की योजना का उद्देश्य है।

संहिता के तहत, एक बार आवेदन भेजे जाने और धारा 7 के तहत स्वीकार किए जाने के बाद, दिवाला को हल करने के लिए चरण निर्धारित किया जाता है। दिवाला का समाधान मौजूदा प्रबंधन को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। कानून दाता ने अंतिम छोर तक वित्त पोषण पर विचार किया है। हालाँकि, इसने एक समय सीमा तय की है, जैसा कि संहिता की धारा 12 में विचार किया गया है, निस्संदेह जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है। एक बार जब धारा 7 (5) के तहत आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो शुरुआत में अंतरिम समाधान पेशा (आई. आर. पी.) प्रबंधन की शक्तियों के निलंबन के आधार पर प्रबंधन का स्थान ले लेगा, जैसा कि संहिता में विचार किया गया है। आई. आर. पी. समाधान पेशेवर (आर. पी.) के रूप में जारी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, लेकिन निस्संदेह, एक आर. पी. को संहिता की योजना के तहत नियुक्त किया जाना है। प्रबंधन आरपी के हाथों में चला जाता है। इसके बाद, प्राप्ति के आधार पर

समाधान योजना और ऋणदाताओं की समिति के लिए इसकी स्वीकार्यता और अंत में समाधान योजना के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, मनीष कुमार बनाम द्वारा अनुमोदन।

जिसे ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, वह दिवाला के संकल्प पर निर्भर करता है। यह सब 330 दिनों की अवधि के भीतर फिर से पूरा किया जाना है, बशर्ते कि सीमा 'अनिवार्य' न हो, जैसा कि एस्सार स्टील (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, धारा 33 के तहत, निगमित ऋणदाता को समाप्त करने के लिए एक आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। धारा 53 परिसमापन मूल्य के रूप में एकत्र की जाने वाली राशियों के भुगतान के मामले में प्राथमिकता प्रदान करती है। आबंटित व्यक्ति असुरक्षित लेनदार के रूप में रैंक करेंगे। अपरिहार्य

संहिता की धारा 33 के चरण तक पहुँचने वाला आवेदन। धारा 33 (4) के तहत परिसमापन पहले भी हो सकता था। इस बारे में कि क्या आदेश I नियम 8 में विचार की गई प्रक्रिया उपयुक्त, अधिक उपयुक्त और इससे भी अधिक निष्पक्ष है, यह पूरी तरह से विधायी चयन और नीति के दायरे में आता है। संहिता की योजना को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे पास है ऊपर विस्तार से, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता हमें यह मानने के लिए राजी करना चाहते हैं, वह विधायी मूल्य निर्णय के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना है। यह तब और भी अधिक होता है जब आदेश I नियम 8 को दिए जाने के लिए पूरे खेल के पीछे छिपे खतरे दिखाई देते हैं

काफी स्पष्ट रहें। इसलिए, हमें इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, जो निस्संदेह, पहली नज़र में आकर्षक लग सकता है। हमें केवल यह जोड़ने की आवश्यकता है कि एक सक्षम विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य करना, जिसके आधार पर न्यायालय को एक बेहतर व्यवस्था या अधिक बुद्धिमान और निष्पक्ष प्रणाली के रूप में निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। यदि, विवादित प्रावधान अन्यथा कमजोर नहीं हैं, तो उन्हें पारित करना होगा।

चुनौती दिए गए प्रावधानों में धारा 5 (8) (च) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण शामिल था। 159. यह चुनौती रियल एस्टेट डेवलपर्स के एक समूह द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक समूह में दी गई थी। इस न्यायालय को निर्णय लेने के लिए आमंत्रित किया गया था

अनेक आधारों पर संवैधानिकता पर। न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में दिए गए निष्कर्षों को निकालना महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्णय पर अधिक निर्भरता रखी गई है:

संहिता एक विधान है जो आर्थिक मामलों से संबंधित है।

आई.

और इसलिए, विधानमंडल को स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जोड़ों; आर्थिक विकल्पों में विधायी निर्णय दिया जाना चाहिए।

ii.

न्यायालयों द्वारा कुछ हद तक सम्मान;

वह संशोधन जिसके द्वारा स्पष्टीकरण जोड़ा गया था

iii.

धारा 5 (8) स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की थी और आबंटियों/घर खरीदारों को मुख्य प्रावधान, यानी धारा में शामिल किया गया था।

5 (8) (च) संहिता की शुरुआत से;

iv.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) या 300ए के साथ; आर. ई. आर. ए. और संहिता को सह-अस्तित्व में रखा जाना चाहिए और

वी.

टकराव की स्थिति में, आर. ई. आर. ए. को संहिता को रास्ता देना चाहिए। संहिता और रेरा पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। पैराग्राग्राफ-पायनियर अर्बन लैंड में निर्णय का 30

vi.

और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ऊपर) इस प्रकार है:

" 30. वास्तव में, संहिता और रेरा पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। संहिता आर. ई. एम. में एक कार्यवाही से संबंधित है जिसमें ध्यान कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्वास पर है। यह निगमित देनदार के प्रबंधन को एक समाधान योजना के माध्यम से प्रतिस्थापित करके किया जाना है जिसे निगमित देनदार के भाग्य का निर्णय लेने में लेनदारों की समिति के 66 प्रतिशत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसे अब मामलों के शीर्ष पर रखा गया है। इस तरह की समाधान योजना तब उसी या किसी अन्य प्रबंधन को संहिता के प्रावधानों के अधीन रखती है, ताकि कॉर्पोरेट ऋणी को जंगल से बाहर निकाला जा सके और एक चालू चिंता के रूप में जारी रखा जा सके, इस प्रकार इसमें शामिल सभी हितधारकों को लाभ हो। यह केवल एक अंतिम उपाय के रूप में है कि निगमित देनदार को समाप्त करने का सहारा लिया जाता है, ताकि उसकी परिसंपत्तियों का परिसमापन किया जा सके और संहिता की धारा 53 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से भुगतान किया जा सके। दूसरी ओर, रेरा अचल संपत्ति में व्यक्तिगत निवेशक के हितों की रक्षा करता है। परियोजनाओं में प्रवर्तक को इसके प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता होती है। रेरा का

उद्देश्य यह देखना है कि अचल संपत्ति परियोजनाएं निर्धारित अवधि के भीतर पूरी हों और यह देखना है कि ऐसी परियोजनाओं के आवंटी संकट में न रहें और अंततः अपने घर के सपने को साकार करने में सक्षम हों, या यदि ऐसा सपना टूट जाता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाए, या कम से कम उस पैसे को वापस प्राप्त करें जो उन्होंने मनीष कुमार बनाम को अग्रिम रूप से दिया था।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

ब्याज के साथ परियोजना की ओर। साथ ही, अवज्ञाकारी आबंटियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सौदे के अपने हिस्से का भी पालन करना चाहिए, अर्थात् जब भी वे देय और देय हों, किश्तों का भुगतान करना चाहिए। अलग-अलग क्षेत्रों को देखते हुए जिनके भीतर ये दोनों अधिनियम काम करते हैं, रेरा के तहत आबंटियों को अलग-अलग समानांतर उपाय दिए जाते हैं ताकि यह देखा जा सके कि उनका फ्लैट/अपार्टमेंट है या नहीं।

निर्माण किया गया और समय पर उन्हें दिया गया, सिवाय इसके कि

उसी के लिए मुआवजा और/या ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि की वापसी कम से कम उनके रास्ते में आती है। यदि, तथापि, आबंटित व्यक्ति चाहता है कि निगमित देनदार के प्रबंधन को ही हटा दिया जाए और बदल दिया जाए, ताकि निगमित देनदार का पुनर्वास किया जा सके, तो वह संहिता के तहत धारा 7 आवेदन को प्राथमिकता दे सकता है। आर. ई. आर. ए. द्वारा मान्यता दी गई है कि एक अन्य समानांतर उपचार उपलब्ध है।

उपभोक्ता संरक्षण मंच के समक्ष पहले से दायर एक आवेदन के साथ जारी रखें, उसे ऐसी शिकायत वापस लेने और धारा 88 के साथ पठित रेरा के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर करने का विकल्प दिया जा रहा है। इसी तरह की परिस्थितियों में, यह न्यायालय स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड [स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (2019) 3 एस. सी. सी. 620: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 136] ने अभिनिर्धारित किया है कि वसूली के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण की कार्यवाही

बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋण और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समापन कार्यवाही समानांतर धाराओं में जारी रह सकती है (उसमें पैरा 21 और 22 देखें)।

[पैरा 30]

vii. पैराग्राफ-41 में विज्ञापन देना उचित है।

इस मामले में विवाद उठाए गए। उद्धृत करने के लिए:

" 41. यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता ऋण वसूली तंत्र के लिए नहीं है (स्विस का पैरा 28 देखें।

रिबन [स्विस रिबन (पी) लिमिटेड v. भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17])। यह आर. ई. एम. में एक कार्यवाही है, जो शुरू होने के बाद, पूरी तरह से आवंटनकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो जाती है जो इसे शुरू करता है। इस प्रकार, कोई भी आवंटी/घर खरीदार जो संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करना पसंद करता है, अपने फ्लैट/अपार्टमेंट का जोखिम लेता है।

विकासकर्ता की ओर से उल्लंघन होने की स्थिति में निकट भविष्य में पूरा किया जा रहा है। संहिता के तहत, वह कर सकता है ब्याज की तो बात ही छोड़िए, कभी भी पूरे मूलधन की वापसी न करें।

यह [2021] 14 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्योंकि, जिस क्षण धारा 7 के तहत एक याचिका स्वीकार की जाती है, समाधान पेशेवर को पहले किसी के लिए विज्ञापन देना चाहिए और समाधान योजना खोजना चाहिए, आमतौर पर किसी अन्य विकासकर्ता द्वारा, जिसे तब संहिता के तहत पास मस्टर अर्थात इसे ऋणदाताओं की समिति के कम से कम 66 प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और नए प्रबंधन को संभालने और या तो निर्माण पूरा करने, या भुगतान करने या राशि वापस करने से पहले एनसीएलटी और एनसीएलएटी के समक्ष चुनौतियों से गुजरना चाहिए। संकल्प के प्रकार के आधार पर

जो योजना स्वीकृत हो जाती है, ऐसे घर खरीदार/आवंटनकर्ता को परियोजना के सफल समापन के लिए बहुत लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ सकता है। यदि कोई उपयुक्त समाधान योजना आने वाली नहीं है तो हो सकता है कि उसे ब्याज के साथ अपना पूरा पैसा कभी वापस न मिले, इस स्थिति में अकेले कॉर्पोरेट देनदार को बंद कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, यदि ऐसा आबंटित व्यक्ति रेरा के तहत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से संपर्क करता है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि परियोजना को उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, और/या मुआवजे और जुर्माने, यदि कोई हो, के साथ धनवापसी और ब्याज की पूरी राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, आबंटित व्यक्ति की ईमानदारी को देखते हुए जो एक आवेदन प्रस्तुत करता है

संहिता की धारा 7, यह केवल ऐसा आबंटित व्यक्ति है जिसने अचल संपत्ति विकासकर्ता के प्रबंधन में पूरी तरह से विश्वास खो दिया है जो संहिता के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष इस उम्मीद में आएगा कि कोई अन्य विकासकर्ता इस परियोजना को संभाल लेगा और पूरा करेगा, जबकि हमेशा यह जोखिम उठाता है कि अगर कोई आगे नहीं आता है, तो कॉर्पोरेट

मृत्यु अवश्य होनी चाहिए और फिर आबंटित व्यक्ति को समाप्त करने में उसे जो कुछ भी दिया जाता है उसे प्राप्त करने के लिए कतार में खड़ा होना चाहिए। दिवाला समिति की रिपोर्ट के कारणों को देखते हुए, जो दर्शाता है कि इस देश में अचल संपत्ति क्षेत्र का अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा है, जिसमें आम लोगों द्वारा आवास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बड़ी राशि दी जाती है, जो डेवलपर की ओर से भारी देरी

में समाप्त होती है या इससे भी बदतर परियोजना की विफलता होती है, और उन तथ्यों की स्थिति को देखते हुए जो कानून के समय मौजूद थे, जैसा कि दिवाला समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, यह स्पष्ट है कि किसी भी कथित भेदभाव को राम कृष्ण डालमिया [राम कृष्ण डालमिया बनाम। एस. आर. तेंदुलकर, 1959 एस. सी. आर. 279: ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538], वी. सी. शुक्ला [वी. सी. शुक्ला बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन), 1980 पूरक एस. सी. सी. 249: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 849], श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड [गुजरात राज्य बनाम। श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, (1974) 4 एस. सी. सी. 656: 1974 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 381] मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

, वेंकटेश्वर थिएटर [वेंकटेश्वर थिएटर बनाम। ए. पी. राज्य, (1993) 3 एस. सी. सी. 677] और मार्डिया केमिकल्स [मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (2004) 4 एस. सी. सी. 311] "।

[पैरा 41]

viii. एकल द्वारा संहिता के दुरुपयोग की संभावना पर

अन्यथा, हम निम्नलिखित पर ध्यान दे सकते हैं:

" 51. याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से एक अन्य तर्क यह है कि फ्लैटों/अपार्टमेंटों के आवंटनकर्ता जो धनवापसी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो अपने फ्लैट/अपार्टमेंट चाहते हैं ऐसा निर्माण किया गया है ताकि वे अपने फ्लैटों/अपार्टमेंटों में रह सकें और रह सकें, एक एकल आवंटी के रूप में, जो ऐसा नहीं करता है, खतरे में पड़ जाएगा।

फ्लैट/अपार्टमेंट चाहते हैं, लेकिन उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए भुगतान की गई राशि की वापसी चाहते हैं, संहिता को ट्रिगर कर सकते हैं और ऐसे फ्लैटों/अपार्टमेंटों के निर्माण को परेशान कर सकते हैं और एक परियोजना के आवंटनकर्ताओं के विशाल समूह को सौंप सकते हैं जो वास्तविक खरीदार हो सकते हैं जो अपने सिर पर छत के रूप में ऐसे फ्लैटों/अपार्टमेंटों पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तर्क का एक अन्य पहलू यह है कि ऐसे व्यक्तियों का बड़ा हिस्सा कभी भी लेनदारों की समिति में नहीं होगा, क्योंकि वे नहीं भी हो सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति जो कोड को बिल्कुल भी ट्रिगर करते हैं। इन तर्कों को इस तथ्य से पूरा किया जाता है कि विचाराधीन परियोजना के सभी आवंटी या तो संहिता की धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण के तहत एक साथ शामिल हो सकते हैं, या एकल आवंटी द्वारा संहिता लागू होने के बाद अपनी व्यक्तिगत याचिकाएं दायर कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके निर्माण के अलावा

फ्लैट/अपार्टमेंट, वे आर. ई. आर. ए. के तहत और/या सामान्य कानून के तहत मुआवजे के भी हकदार हैं, और इस प्रकार वे व्यक्ति होंगे जिनके पास "दावा" यानी अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार है जो मुआवजे के अधिकार को जन्म देता है, चाहे वह अधिकार निर्णय में कम हो या नहीं, और इसलिए वे

व्यक्ति होंगे जिनके लिए "दावे" के संबंध में दायित्व या दायित्व देय है। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की परियोजना को पूरा करने के लिए भविष्य की योजनाओं और फ्लैट/अपार्टमेंट की देरी से डिलीवरी के लिए मुआवजे के बारे में लेनदारों की समिति में आवाज होगी। इसलिए, इस विवाद का भी कोई आधार नहीं है।

ix. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पूर्ववर्ती प्रबंधन धारा 7 के तहत एक आवेदन की स्थिति में एक समाधान योजना की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे संहिता की धारा 29 (ए) के अधीन, एक आवंटनकर्ता के पक्ष में स्वीकार किया जा रहा है, जिसे स्वीकार किया जा सकता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

160. यह स्पष्ट है कि विवादित प्रावधान शून्य पर निर्धारित नहीं होते हैं

पायनियर (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय। रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा एक चुनौती में प्रावधानों को बनाए रखने के तरीके सहित

धारा 5 (8) (च) में स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत अलाटियों द्वारा दुरुपयोग के बारे में आशंका को दूर करना कानून देने वाले को संशोधन करने से विचलित नहीं कर सकता है। आवेदकों के कुछ समूहों के कहने पर संहिता के काम करने की अपनी समझ और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और कानून के उदात्त लक्षयों की हताशा पर कानून।

सूचना सममिति

161. के संबंध में याचिकाकर्ता दोनों की ओर से तर्क

डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों के साथ-साथ आबंटियों का भी कहना है कि प्रावधान काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अचल संपत्ति परियोजनाओं और डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों के संबंध में आवंटनकर्ताओं से संबंधित जानकारी पहले परंतुक के संबंध में उपलब्ध नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के संबंध में शेयरधारकों के संबंध में यह बताया गया है कि कानून में उपलब्ध शेयरधारिता के संबंध में प्रलेखित जानकारी को ध्यान में रखते हुए सीमा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। प्रावधान एक और दो द्वारा कवर की गई श्रेणियों के संबंध में यह स्थिति नहीं है। यह प्रावधानों को स्पष्ट रूप से मनमाना बनाता है। 162. इसके विपरीत, संघ का रुख इस प्रकार है। जहाँ तक अचल संपत्ति परियोजना में आबंटियों का संबंध है, वहाँ अचल संपत्ति विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जानकारी उपलब्ध है। सबसे पहले, यह बताया गया है कि उक्त अधिनियम आबंटियों के एक संघ का विचार करता है। संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघ के गठन में प्रवर्तक को नेतृत्व करना होता है। आबंटित व्यक्ति भी संघ के गठन में रुचि लेने के लिए बाध्य हैं। एक बार संघ है

गठित होने पर, कानून देने वाला स्वाभाविक रूप से विचार करता है कि आवंटन से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अधिनियम के जिन प्रावधानों का हमने पहले उल्लेख किया है, उन पर जोर दिया जाता है। दूसरा, यह बताया गया है कि अधिनियम की धारा 11 के साथ-साथ नियमों के तहत प्रवर्तक एक वेबपेज खोलने और आवंटन से संबंधित जानकारी पोस्ट करने के लिए बाध्य है। यह होना ही है

अद्यतन किया गया। इसलिए, विवाद में कोई योग्यता नहीं है। डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों के संबंध में भी इसी तरह की दलीलें दी जाती हैं। यह है। प्रस्तुत किया कि जानकारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88 के संदर्भ में उपलब्ध है। यह किसी भी प्रतिभूति धारक या ऋणपत्र धारक के लिए रजिस्टरों का निरीक्षण करने और प्रतिभूति धारकों और ऋणपत्र धारकों के बारे में पता लगाने के लिए खुला है।

मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[के. एम. जोसेफ, जे.]

163. जहाँ तक आबंटियों का संबंध अपार्टमेंटों के संबंध में है

आर. ई. आर. ए. की धारा 11 (1) (बी) प्रवर्तक के लिए आरक्षण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाती है। हमने आरक्षण को आवंटन के साथ मिला दिया है। हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि विवादित प्रावधान हैं

इस आधार पर अव्यवहारिक और मनमाना कि अदालत को 'वास्तविकता' पर ध्यान देना चाहिए जो यह है कि प्रवर्तक अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। कानून को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए सभी तथ्यों को साबित करने का बोझ हमेशा याचिकाकर्ता पर होता है। एक प्राथमिक तर्क नहीं हो सकता है, और राज्य पर कोई बोझ नहीं है। यदि प्रवर्तकों द्वारा कानून की अवहेलना की जाती है, तो आवंटनकर्ता असहाय नहीं होते हैं। वे हमेशा उपयुक्त मंच पर उचित निवारण की मांग कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम यह भी देखेंगे कि यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों का कर्तव्य बन जाता है कि प्रवर्तक अपने कर्तव्यों का सख्ती से पालन करेंगे।

अभिनय करें। रेरा की धारा 11 (1) (बी) बुकिंग के संबंध में उपलब्ध कराई जा रही जानकारी के बारे में बताती है जिसे 'आवंटन' के रूप में समझा जा सकता है। धारा 2 (घ) में परिभाषित 'आबंटित' शब्द भी एक व्यक्ति को लेता है।

जो बाद में बिक्री, हस्तांतरण या अन्यथा के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है। धारा 11 (1) (बी) में आरक्षण का संदर्भ है। यदि जानकारी मूल बुकिंग तक सीमित होनी है तो अभी उल्लिखित कार्य के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस संबंध में हम हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम (तिमाही प्रगति रिपोर्ट) विनियम 2018 देख सकते हैं। विनियम 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि प्रवर्तक प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर परियोजना के

लिए बनाए जाने वाले वेबपेज पर अपलोड करेगा, अर्थात्, बुक किए गए अपार्टमेंट/भूखंडों की संख्या और प्रकार की सूची। तिमाही प्रगति के प्रारूप की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है हरियाणा विनियमों के तहत प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट। रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रवर्तक आवंटनकर्ताओं के नाम प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। जाहिर है, यदि आवंटन में बदलाव होता है तो बदला हुआ नाम रिपोर्ट में दिखाई देना चाहिए। यह निस्संदेह अधिकारियों द्वारा सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम संघ के इस तर्क में भी योग्यता पाते हैं कि आवंटी संघ का गठन कानून के अधिदेश के तहत किया जाना है जिससे यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। आबंटितों के होने पर आबंटन के संबंध में जानकारी निश्चित रूप से सामने आएगी।

आवश्यकतानुसार संघ के सदस्य। हम अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर पहले इनकार के अधिकार के साथ पहने जाने और [2021] 14 एस. सी. आर. के तहत अन्यथा शिकायत करने के अधिकार के साथ सामान्य क्षेत्रों का हस्तांतरणकर्ता बनने के मामले में संघ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक्ट करें। आबंटियों के संगठन का यह पहलू केवल मामूली बात नहीं है। आबंटित व्यक्ति वास्तव में अपनी संपत्तियों का स्वामित्व और आनंद नहीं ले सकते हैं, चाहे वह एक अपार्टमेंट हो या इमारत, बिना उनके सामान्य क्षेत्रों के अधिकार के। प्रवर्तक धारा 17 के तहत संघ को सामान्य क्षेत्रों में स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए बाध्य है। आर. ई. आर. ए. की धारा 19 (9) आवंटी की ओर से यह कर्तव्य बनाती है कि वह संघ या सहकारी समिति या उसके संघ के गठन में भाग ले। सामान्य क्षेत्रों का कब्जा भी आबंटियों के संघ को सौंप दिया जाना है। इसलिए कानून प्रदाता ने एक तंत्र बनाया है, जिसका नाम है आबंटियों का संघ, जिसके माध्यम से आबंटियों से आबंटियों के नाम और पते सहित आबंटन की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने की अपेक्षा की जाती है। हम किसी मामले के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते।

जिसमें किसी कानून को चुनौती देना शामिल है कि कानून के तहत एकत्र की जाने वाली जानकारी इस आधार पर उपलब्ध नहीं होगी कि कानून देने वाले द्वारा विचार के अनुसार काम नहीं किया जाएगा। इसलिए, हम आबंटियों की दलीलों को खारिज करते हैं। 164. डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों के संबंध में भी हम दलीलों में कोई योग्यता नहीं देखेंगे। एक वैधानिक तंत्र है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों में शामिल है, अर्थात् धारा (88)। धारा 88 (1) इस प्रकार है:

" 88. सदस्यों का रजिस्टर, आदि

(1) प्रत्येक कंपनी निम्नलिखित रजिस्टरों को ऐसे रूप में और ऐसी तरीके से रखेगी और बनाए रखेगी जो निर्धारित की जाए:

अर्थात्:

(क) प्रत्येक वर्ग की इक्विटी के लिए अलग से संकेत देने वाले सदस्यों का रजिस्टर और रहने वाले प्रत्येक सदस्य द्वारा रखे गए तरजीही शेयर

भारत में या उसके बाहर;

(ख) डिबेंचर धारकों का रजिस्टर; और

(ग) किसी भी अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर।

165. धारा 88 (1) का उल्लंघन धारा के तहत दंडनीय है।

88 (3) .

166. ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है कि रजिस्टरों में निहित जानकारी की उपलब्धता के बारे में संघ का संस्करण, जिसे पढ़ा जा सकता है, सही नहीं है। पुनः, भार याचिकाकर्ताओं पर है और उन्होंने अपना भार नहीं उठाया है।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रथम और द्वितीय प्रावधान वर्गीकरण

डाउन मेमोरी लेन: अनुच्छेद 14 14 और

तर्कसंगत वर्गीकरण

167. दोनों पक्षों ने बड़ी संख्या में निर्भरता रखी है

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के संबंध में निर्णय। गणराज्य के पहले दशक में भी, इस न्यायालय ने, बड़ी संख्या में मामलों में, किस संबंध में सिद्धांतों का निपटारा किया है

शत्रुतापूर्ण भेदभाव का गठन करता है और उचित वर्गीकरण क्या है। चूँकि हम तुच्छता के क्षेत्र में होंगे, यदि हम उन मामलों में से प्रत्येक में निर्धारित सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि केवल इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त है।

168. अमीरुन्निसा बेगम (ऊपर) में, जिसमें निजाम द्वारा पूर्व राज्य के राज प्रमुख के रूप में बनाए गए कानून को चुनौती दी गई थी

हैदराबाद, हमें निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

" 11. गारंटी की प्रकृति और दायरा जो निहित है

इस न्यायालय के एक से अधिक निर्णयों में समझाया और चर्चा की गई है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक विधायिका जिसे मानव संबंधों की अनंत विविधता से उत्पन्न होने वाली विविध समस्याओं से निपटना है, उसके पास आवश्यक रूप से विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष कानून बनाना; और उस उद्देश्य के लिए उसके पास व्यक्तियों और चीजों के चयन या वर्गीकरण की बड़ी शक्तियां होनी चाहिए जिन पर ऐसे कानून काम करते हैं। केवल भेदभाव या व्यवहार की असमानता अपने आप में समान संरक्षण खंड के निषेध के भीतर भेदभाव के बराबर नहीं है।

खंड के संचालन को आकर्षित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि चयन या विभेदन अनुचित मनमाना है; कि यह वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तर्कसंगत आधार पर नहीं है।

जिसे विधायिका ने ध्यान में रखा है।

169. नागपुर सुधार न्यास (ऊपर) में, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए भेदभावपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बजाय सुधार न्यास अधिनियम के तहत। इस न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए और उच्च न्यायालय के इस विचार की पुष्टि करते हुए कि शत्रुतापूर्ण भेदभाव था, निम्नानुसार निर्धारित किया:

" 26. अब यह तय हो गया है कि राज्य विधान के उद्देश्य के लिए एक उचित वर्गीकरण कर सकता है। यह समान रूप से व्यवस्थित [2021] 14 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि वर्गीकरण को उचित होने के लिए दो को संतुष्ट करना होगा

परीक्षण: (i) वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए और (ii) अंतर का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्नगत विधान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें

इस संबंध में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वस्तु स्वयं वैध होनी चाहिए। उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता है, अन्यथा, उदाहरण के लिए, यदि उद्देश्य अल्पसंख्यक के एक वर्ग के खिलाफ भेदभाव करना है तो भेदभाव को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि एक उचित वर्गीकरण है क्योंकि इसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत संबंध है।

XXX

XXX

XXX

28. यह विवादित नहीं होगा कि अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांतों को इस आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता है कि मालिक बूढ़ा या जवान, स्वस्थ या बीमार, लंबा या छोटा है, या क्या मालिक को संपत्ति विरासत में मिली है या उसने अपने प्रयासों से इसका निर्माण किया है, या क्या मालिक राजनेता है या वकील है। इस तरह का वर्गीकरण टिकाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि उद्देश्य है

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहण, उद्देश्य समान रूप से है यह हासिल किया गया कि क्या भूमि एक प्रकार के मालिक की है या किसी अन्य प्रकार की

प्रकार।

29. क्या सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है?

मुआवजे के उद्देश्य से किस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? दूसरे शब्दों में, क्या विधायिका अधिग्रहित भूमि जैसे अस्पताल या स्कूल या सरकारी भवन के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांत निर्धारित कर सकती है? क्या विधानमंडल यह कह सकता है कि अस्पताल के लिए बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर, स्कूल के लिए बाजार मूल्य के 60 प्रतिशत पर और सरकारी भवन के लिए बाजार मूल्य के 70 प्रतिशत पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा? तीनों उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य हैं और जहाँ तक मालिक चिंतित है कि उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य है या दूसरा। अनुच्छेद 14 व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है।

और एक वर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस व्यक्तिगत अधिकार के लिए एक अलग उपचार को उचित ठहराए। हमें ऐसा लगता है कि आम तौर पर सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित एक वर्गीकरण है

क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 14 के तहत अनुमति नहीं है। स्थिति तब अलग होती है जब भूमि का मालिक स्वयं सुधार से लाभ प्राप्त करता है।

योजना, और उसे मिलने वाले लाभ को मुआवजा तय करने में ध्यान में रखा जाता है। क्या वर्गीकरण मनीष कुमार v के आधार पर किया जा सकता है।

भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार? दूसरे शब्दों में मुआवजे के विभिन्न सिद्धांत रखे जा सकते हैं यदि भूमि का अधिग्रहण किसी के लिए या उसके द्वारा किया जाता है।

सुधार न्यास या नगर निगम या सरकार? हमें ऐसा लगता है कि इसका उत्तर नकारात्मक है क्योंकि जहां तक मालिक का संबंध है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूमि एक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है या दूसरे द्वारा।

170. यह भी सही है कि इस निर्णय पर भरोसा किया जा रहा है।

इस न्यायालय द्वारा हाल ही में भारत संघ बनाम तारसेम सिंह 54 मामले में। 171. याचिकाकर्ताओं द्वारा हमारे सामने जिस सिद्धांत पर जोर दिया गया है वह यह है कि उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता है। यह बताया गया है कि

वित्तीय लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच विवादित प्रावधानों के मामले में इस तरह का भेदभाव उद्देश्य है। इसके अलावा निगमित देनदारों के साथ फिर से भेदभाव किया जाता है कि बिल्डरों को अन्य निगमित देनदारों की तुलना में विशेष व्यवहार दिया जाता है।

172. त्रिलोकी नाथ खोसा (ऊपर) में, इस न्यायालय को बुलाया गया था

अधीनस्थ विधान पर निर्णय लें जो रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें अनुच्छेद 14 की गारंटी से वंचित करता है। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 18. यह प्रस्तुतिकरण प्रमाण की जिम्मेदारी को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रस्ताव के निर्माण में त्रुटिपूर्ण है और इसमें अन्यायपूर्ण है

आरोप लगाएँ कि अभिलेख नए नियम की आवश्यकता को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं देता है। किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और उस पर बोझ होता है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। [राम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538: 1959 एस. सी. आर. 279,297 (बी): 1959 एस. सी. जे. 147] एक नियम को किसी भी प्राथमिक तर्क पर भेदभावपूर्ण के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। जहाँ कोई पक्ष इस आधार पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम की वैधता पर महाभियोग चलाना चाहता है कि नियम अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। 14 दलील देने और साबित करने का भार उस पर है

दुर्बलता बहुत अच्छी तरह से स्थापित है जिसे विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उत्तरदाताओं पर यह बोझ है कि वे भेदभाव की दलील को बनाए रखने के लिए आवश्यक तथ्यों को निर्धारित करें और "ठोस और आश्वस्त" करने का प्रयास करें। साक्षय "उन तथ्यों को साबित करने के लिए" एक धारणा है कि प्रत्येक कारक जो प्रासंगिक या सामग्री है, वर्गीकरण तैयार करने में ध्यान में रखा गया है "। [यू. पी. राज्य बनाम कर्तार

54 (2019) 9 एससीसी 304 [2021] 14 एस. सी. आर.

सिंह एयर 1964 एससी 1135: (1964) 6 एस. सी. आर. 679,687: (1964) 2 एससीजे

666.] जी. डी. केलकर बनाम आयात के मुख्य नियंत्रक और

निर्यात [ए. आई. आर 1967 एस. सी. 839: (1967) 2 एससीआर 29,34: (1967) 2 एससीजे

182] अदालत की ओर से बोलते हुए सी. जे. सुब्बा राव ने तीन अन्य लोगों का हवाला दिया है।

इसके बावजूद वर्गीकरण अन्यायपूर्ण है, इसकी जिम्मेदारी है आवश्यक अनुरोध करके दिखाने के लिए वर्गीकरण पर हमला करने वाला पक्ष

न्यायालय के समक्ष सामग्री कि उक्त वर्गीकरण अनुचित है

और संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन "।

19. इस प्रकार, यह अपीलार्थियों के बोझ का हिस्सा नहीं है कि वे

भेदभाव वर्गीकरण का सार है और हिंसा करता है। समानता की संवैधानिक गारंटी के लिए केवल तभी जब यह एक

अनुचित आधार।

31. वर्गीकरण, हालांकि, इस खतरे से भरा है कि यह हो सकता है

कृत्रिम असमानताएँ उत्पन्न करते हैं और इसलिए, वर्गीकृत करने का अधिकार है

मुख्य प्रतिबंधों के साथ घेर लिया गया; या फिर, समानता की गारंटी वर्ग कानून में डूबा हुआ होगा जो कानूनों के रूप में निहित है

विभिन्न और विशिष्टता वाले अच्छी तरह से चिह्नित वर्गों को नियंत्रित करने के लिए

विशिष्ट उपलब्धियाँ। इसलिए वर्गीकरण को सही मायने में स्थापित किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण मतभेदों पर जो व्यक्तियों के समूह को अलग करते हैं

समूह से बाहर रह गए लोगों से एक साथ और इस तरह के अंतर गुणों का वांछित उद्देश्य के साथ एक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

हासिल करने के लिए।

क्या वर्गीकरण उचित आधार पर आधारित है और क्या यह दृश्य वस्तु के साथ संबंध रखता है। यह आरोहण तक विस्तारित नहीं हो सकता है।

वर्गीकरण के आधार के अच्छे या गणितीय मूल्यांकन पर,

वर्गीकरण या वांछनीयता की आवश्यकता पर नियम बनाने का अधिकार किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना। ”

(जोर दिया गया)

173. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अपने सहमति वाले फैसले में कहा

अन्य इस प्रकार है:

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

" सूक्ष्म-भेद पर आधारित लघु-वर्गीकरण हमारे लिए गलत हैं।

स्पष्ट रूप से प्रासंगिक लक्षयों को बढ़ावा देने वाले वर्गीकरण हो सकते हैं संवैधानिक वैधता। अधिक वर्गीकरण करना समानता को पूर्ववत करना है।"

174. मूर्ति मैच वर्क्स (उपरोक्त) के मामले में, मध्यम आकार के तथ्य निर्माताओं के खिलाफ निर्देशित माचिस के डिब्बे पर उत्पाद शुल्क के एक चुनौती शुल्क शामिल था और इसे भेदभावपूर्ण होने के रूप में आरोपित किया गया था। इस न्यायालय के प्रयोग उपयुक्त हैं और इस प्रकार हैं:

" के अग्रभाग को बनाए रखते हुए शत्रुतापूर्ण भेदभाव हो सकता है

समानता।

13. ठीक दहलीज पर हमें खुद को सीमाओं के बारे में सचेत करना चाहिए

इस अधिकार क्षेत्र में न्यायिक शक्ति। मिस्टर जस्टिस स्टोन ऑफ द

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सीमाओं को रेखांकित किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। बटलर [(1936) 297 यूएस 1: ट्रेसोलिनी और शापिरो:

अमेरिकी संवैधानिक कानून, तीसरा संस्करण।] इस प्रकार: " किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की अदालतों की शक्ति निर्णय के दो मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन है जो कभी नहीं होनी चाहिए।

न्यायिक चेतना से अनुपस्थित होना। एक यह है कि न्यायालयों का संबंध केवल कानूनों को लागू करने की शक्ति से है, न कि उनके विवेक से। दूसरा यह है कि सरकार की कार्यपालिका और विधायी शाखाओं द्वारा शक्ति का असंवैधानिक प्रयोग न्यायिक संयम के अधीन है, लेकिन हमारी शक्ति के प्रयोग पर एकमात्र रोक हमारी खुद की आत्म-संयम की भावना है कि विधियों की पुस्तकों से मूर्खतापूर्ण कानूनों को हटाने की अपील अदालतों के लिए नहीं बल्कि मतपत्र और लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रियाओं के लिए है।

14. संक्षेप में, असंवैधानिकता और किसी कानून की अज्ञानता नहीं

न्यायिक समीक्षा का संकीर्ण क्षेत्र है। वर्तमान मामले में

मैच निर्माताओं की दो भिन्न श्रेणियों को एक साथ जोड़ने से असंवैधानिकता पैदा होने का आरोप लगाया जाता है। समान उपचार के लिए डिब्बे।

15. वर्गीकरण पर आधारित कुछ सिद्धांत हो सकते हैं -

यहाँ उल्लेख किया गया है। यह सच है कि कोई राज्य व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है और

राजस्व या अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाने और कानून पारित करने के उद्देश्य। हर भेदभाव नहीं है

भेदभाव। लेकिन वर्गीकरण को केवल यह बनाए रखा जा सकता है कि [2021] 14 एस. सी. आर. से अलग प्रासंगिक और वास्तविक मतभेदों पर स्थापित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रासंगिक और कृत्रिम। संवैधानिक मानक जिसके द्वारा

भिन्नता की पर्याप्तता जो एक वैध आधार बनाती है

वर्गीकरण को मापा जा सकता है, बार-बार कहा गया है

अदालतें। यदि यह किसी ऐसे अंतर पर निर्भर करता है जो उचित और न्यायपूर्ण हो।

जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है, उसके संबंध में यह संवैधानिक है।

इसे अलग तरह से कहने के लिए, साधनों का सिरों के साथ संबंध होना चाहिए।

फिर भी, राज्य को वर्गीकरण के लिए एक बड़े अक्षांश की अनुमति है।

एक उचित आधार पर और जो उचित है वह एक सवाल है

व्यावहारिक विवरण और विभिन्न कारक जो न्यायालय करेगा

अनिच्छुक और शायद जाँच करने के लिए तैयार नहीं। इस अपूर्णता में

समूहीकरण में भी विश्व पूर्णता एक महत्वाकांक्षा है जो शायद ही कभी हो। पूरा किया। इस संदर्भ में हमें संबंधों को याद रखना होगा

सरकार के विधायी और न्यायिक विभागों के बीच

वर्गीकरण की वैधता के निर्धारण में। बेशक, में

अंतिम विश्लेषण न्यायालयों के पास इस पर निर्णय देने की शक्ति है

यह न्यायिक प्रश्न नहीं बनता है। अस्तित्व को वर्गीकृत करने की शक्ति अत्यधिक व्यापक और कार्यपालिका के विविध विचारों पर आधारित

व्यावहारिकता, न्यायपालिका वहाँ भी जल्दबाजी नहीं कर सकती जहाँ

विधायिका युद्धरत तरीके से चलती है। न्यायपालिका पर ये सभी परिचालन प्रतिबंध

जहां कर लगाने का विषय है, वहां शक्ति का अधिक जोर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

18. एक और प्रस्ताव जो समान रूप से तय किया गया है वह यह है कि केवल

क्योंकि वर्गीकरण के लिए जगह है यह इसका पालन नहीं करता है

बिना वर्गीकरण के कानून बनाना हमेशा असंवैधानिक होता है। द.

न्यायालय किसी कानून को निरस्त नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया है - वर्गीकरण जो न्यायालय को उचित मानता है। न ही कर सकते हैं।

विधायी शक्ति को असंवैधानिक कहा जा सकता है

प्रयोग किया गया क्योंकि वर्ग के भीतर एक उप-वर्गीकरण था उचित है लेकिन नहीं बनाया गया है। "

(जोर दिया गया)

175. गुजरात राज्य में और एक अन्य v. श्री अम्बिका मिल्स

, इस न्यायालय ने समावेशी से संबंधित कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं

समावेशी वर्गीकरण करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह धारण करने के अलावा है।

एक कानून जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है

4) 4 एस. सी. सी. 656 मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]गैर-नागरिकों के संबंध में वैध होना। जहां तक समावेशी और अति समावेशी वर्गीकरण के तहत वर्गीकरण के संबंध में हम कानून का निम्नलिखित कथन दे सकते हैं:

तब यह है: "समान रूप से स्थित" वाक्यांश का क्या अर्थ है? इस सवाल का जवाब यह है कि हमें वर्गीकरण से परे कानून के उद्देश्य को देखना चाहिए। एक उचित वर्गीकरण वह है जो इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो कानून के उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित हैं। किसी कानून का उद्देश्य या तो हो सकता है -

सार्वजनिक शरारत का उन्मूलन या कुछ सकारात्मक उपलब्धि

समान रूप से स्थित अन्य लोगों पर समान बोझ। एक वर्गीकरण अति-समावेशी होता है जब इसमें न केवल वे लोग शामिल होते हैं जो समान हैं। उद्देश्य के संबंध में स्थित है लेकिन अन्य जो इतने स्थित नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार का वर्गीकरण व्यक्तियों की एक विस्तृत शृंखला पर एक बोझ लगाता है, जो कि शरारत के साथ भाग लेने वाले लोगों के वर्ग में शामिल हैं, जिस पर कानून का उद्देश्य है। हेरोद ने एक विशेष दिन पर पैदा हुए सभी नर बच्चों की मृत्यु का आदेश दिया क्योंकि उनमें से एक किसी दिन इस तरह के वर्गीकरण का उपयोग करके उनका पतन करेगा।

58. कम समावेशी वर्गीकरणों द्वारा अनुमत एक सामान्य समस्या के लिए टुकड़ों में दृष्टिकोण उचित प्रतीत होता है जब यह माना जाता है कि ऐसी समस्याओं से निपटने वाला विधायी आमतौर पर एक प्रयोगात्मक मामला होता है। यह बताना असंभव है कि एक विशेष दृष्टिकोण कितना सफल हो सकता है, क्या विस्थापन हो सकते हैं, क्या पलायन हो सकते हैं, प्रयास में कौन सी नई बुराइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। प्रशासनिक कार्यों को जाली बनाया जाना चाहिए और उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए विधायक आगे बढ़ना चाह सकते हैं।

सावधानीपूर्वक, और अदालतों को उन्हें ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए। [जोसेफ टसमैन और जैकबस्टन ब्रुक द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, 37 कैलिफोर्निया रेव 341] [2021] 14 एस. सी. आर. देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62. संक्षेप में, विधायी वर्गीकरण की समस्या बारहमासी है। एक, कोई सैद्धांतिक परिभाषा स्वीकार नहीं करना। एक ही क्षेत्र में बुराइयाँ

अलग-अलग आयामों और अनुपातों की आवश्यकता हो सकती है

उपचार। या इसलिए विधायिका सोच सकती है (टिग्नर बनाम देखें। टेक्सास)।

[310 यू. एस. 141]

64. आर्थिक गतिविधि को विनियमित करने वाले कानूनों को अलग तरह से देखा जाएगा। उन कानूनों से जो बोलने और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं,

कई में समान संरक्षण खंड को दी गई प्रमुखता अमेरिका में आधुनिक राय और निर्णय सभी दर्शाते हैं कि न्यायालय

विधायी को न्यायिक सम्मान देने के लिए कम विवश महसूस करता है

मानव और नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में निर्णय की तुलना में

संरक्षण ", 32 हार्व, लॉ रेव 1065,1127] 65. सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 14 के तहत कोई वर्गीकरण है

उचित या अनुचित, अंतिम विश्लेषण में निर्भर करता है

समस्या के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण पर। इस में बड़ा विभाजन

क्षेत्र वास्तविकताओं पर जोर देने के बीच के अंतर में निहित है या

कानून की अमूर्तता। अधिक जटिल समाज

इसकी समस्याओं की विविधता जितनी अधिक होगी और उतनी ही अधिक होगी

क्या कानून खुद को विविधताओं की ओर निर्देशित करता है।

66. कि कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई

समस्याएँ एकवचन और आकस्मिक हैं कि कानून अमूर्त नहीं हैं।

प्रस्ताव और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और नहीं होने चाहिए

अमूर्त समरूपता द्वारा मापा जाता है, कि सटीक ज्ञान और अच्छा

उपचारों के अनुकूलन की आवश्यकता नहीं हो सकती है, यह निर्णय काफी हद तक है अल्प और अव्यक्त अनुभव पर आधारित एक भविष्यवाणी, होनी चाहिए

यह अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि इस क्षेत्र में न्यायालय नहीं लेता है शैक्षणिक तरीके से समान सुरक्षा की आवश्यकता [देखें "सामान्य"

कानून और राज्य का सिद्धांत "पी-161]।"

(जोर दिया गया)

176. विशेष न्यायालय विधेयक में इस न्यायालय के निर्णय में,

56 , इस न्यायालय के सात विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने कुछ निर्धारित किया

79) 1 एस. सी. सी. 380 मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]सीशंस। हमें केवल उन प्रस्तावों की ओर संकेत करने की आवश्यकता है जो हमारे सामने इन मामलों के भाग्य के लिए उपयुक्त हैं:

ऐसे सभी व्यक्तियों को पक्षपात के भेदभाव के बिना उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद लेने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह समान कानूनों, यानी उन कानूनों के संरक्षण की प्रतिज्ञा है जो समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर समान रूप से काम करते हैं। (2) राज्य को अपनी सरकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी नीतियों को प्रभावी बनाने में विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के वर्गों पर अलग-अलग तरीके से काम करने वाले कानून बनाने की आवश्यकता है, और उस उद्देश्य के लिए उसके पास होना चाहिए।

(3) राज्य को अपने कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करने का संवैधानिक आदेश एक ऐसा लक्षय निर्धारित करता है जो एक सटीक सूत्र के आविष्कार और अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वर्गीकरण का गठन व्यक्तियों या चीजों के सटीक या वैज्ञानिक बहिष्कार या समावेश से नहीं किया जाना चाहिए। अदालतों को भ्रम पर जोर नहीं देना चाहिए किसी भी मामले में वर्गीकरण की वैधता निर्धारित करने के लिए सटीकता या सैद्धांतिक परीक्षण लागू करें। वर्गीकरण उचित है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है।

(4) अनुच्छेद 14 की गारंटी में अंतर्निहित सिद्धांत यह नहीं है कि भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों पर कानून के समान नियम लागू होने चाहिए या परिस्थितियों के अंतर के बावजूद उन्हें समान उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसका केवल यह अर्थ है कि समान परिस्थिति वाले सभी व्यक्तियों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों और अधिरोपित देनदारियों दोनों में समान व्यवहार किया जाएगा। समान कानून एक ही स्थिति में सभी पर लागू होने चाहिए, और एक व्यक्ति और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि कानून के विषय-वस्तु के संबंध में उनकी स्थिति काफी हद तक समान है।

व्यवस्थित संबंध, जो आमतौर पर सामान्य गुणों और विशेषताओं में पाया जाता है। यह एक तर्कसंगत आधार मानता है और इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ व्यक्तियों और वर्गों को मनमाने ढंग से एक साथ रखा जाए। (6) कानून समाज की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार वर्गों को बना और अलग कर सकता है और जैसा कि सुझाव दिया गया है

अनुभव। यह बुराई के स्तर को भी पहचान सकता है, लेकिन वर्गीकरण कभी भी मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल वाला नहीं होना चाहिए।

(7) वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात यह केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो समूह में शामिल सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं।

एक साथ और दूसरों में नहीं जो छूट गए हैं, लेकिन उन गुणों या विशेषताओं का कानून के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (1) कि वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन लोगों को अलग करता है जो समूहबद्ध हैं।

(2) उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। (8) भेद जो वर्गीकरण का आधार है और अधिनियम का उद्देश्य अलग-अलग चीजें हैं और जो आवश्यक है वह यह है कि उनके बीच एक संबंध होना चाहिए। संक्षेप में, जबकि अनुच्छेद 14 विशेषाधिकार प्रदान करके या बड़ी संख्या में से मनमाने ढंग से चुने गए व्यक्तियों पर देनदारियां थोपकर वर्ग भेदभाव को मना करता है।

प्रदत्त किए जाने वाले विशेषाधिकारों या अधिरोपित किए जाने वाले प्रस्तावित दायित्वों के संबंध में समान रूप से स्थित अन्य व्यक्तियों के लिए, यह कानून के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण को मना नहीं करता है, बशर्ते कि

इस तरह का वर्गीकरण उपर्युक्त अर्थ में मनमाना नहीं है।

XXX

XXX

XXX

(11) वर्गीकरण का तात्पर्य अनिवार्य रूप से वर्गीकृत व्यक्तियों और मनीष कुमार बनाम के बीच अंतर या भेदभाव करना है।

(12) कुछ अपराधों के मुकदमे के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करने वाला कोई अधिनियम भेदभावपूर्ण है या नहीं और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि सभी मामलों में लागू होने वाला कोई सामान्य नियम सुरक्षित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में कानून के संचालन का व्यावहारिक मूल्यांकन आवश्यक है। (13) कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का नियम उतना ही अनुच्छेद 14 के दायरे में आता है जितना कि मूल

कानून का कोई भी नियम और यह आवश्यक है कि सभी वादी, जो समान रूप से स्थित हैं, राहत और रक्षा के लिए समान सुरक्षा और बिना भेदभाव के समान प्रक्रियात्मक अधिकारों का लाभ उठाने में सक्षम हों।

177. अजय कुमार बनर्जी और ओआरएस में। वी. भारत संघ और

ओआरएस। 57 , इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा संशोधित एक योजना की चुनौती पर विचार करते हुए,

यह आधार है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) जी और 31 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" क्या समान परिणाम या बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे और भेदभाव का बेहतर आधार विकसित हो सकता था, यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है और इसे विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

178. इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय में

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई और अन्य। 58 यह मुद्दा दिल्ली विशेष पुलिस की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता का था।

स्थापना अधिनियम, 1946। धारा 6ए ने घोषणा की कि सी. बी. आई. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए किसी भी अपराध की कोई जांच या जांच नहीं करेगी, सिवाय इसके कि

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ जहां आरोप केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों और केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संबंध में था

57 1984) 3 एससीसी 127 58 (2014) 8 एससीसी 682 [2021] 14 एस. सी. आर.

केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में सरकार। यह इस चुनौती पर विचार कर रहा है कि इस न्यायालय ने विशेष न्यायालय के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले सहित पहले के मामले कानून को संदर्भित करने के बाद यह निर्णय दिया कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतें नीति के बारे में अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 49. जहाँ संवैधानिक वैधता के लिए चुनौती है

विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी कानून को न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।

कि हमेशा एक की संवैधानिकता का अनुमान है

अधिनियमन, और संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन दिखाना पड़ता है। मूल प्रकृति और महत्व

विधायी प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है और विधायी प्रक्रिया को सम्मान और सम्मान दिया जाना चाहिए।

जहाँ कानून को चुनौती देने की मांग की जाती है

असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन,

न्यायालय को स्वयं को प्रयोज्यता से संबंधित सिद्धांतों की याद दिलानी चाहिए।

विधान के अमान्य होने के संबंध में अनुच्छेद 14। इन दोनों

विधान और प्रतिपादन पर इसके अनुप्रयोग में अनुच्छेद 14 के आयाम

अमान्य कानून अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं और ये हैं: ((i)

एक अस्वीकार्य या अमान्य वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव,

और कार्यपालिका पर दिशाहीन शक्तियाँ, चाहे उसके रूप में प्रत्यायोजित विधान या पारित करने के लिए अधिकार प्रदान करने के माध्यम से

प्रशासनिक आदेश यदि ऐसा सम्मान बिना किसी मार्गदर्शन के है,

नियंत्रण या जाँच, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। न्यायालय को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई कानून ऐसा नहीं करता है

केवल इसलिए असंवैधानिक हो जाता है क्योंकि कोई अन्य दृष्टिकोण है या क्योंकि एक अन्य विधि को उतना ही अच्छा माना जा सकता है या

इससे भी अधिक प्रभावी, किसी भी सामाजिक या आर्थिक मुद्दे की तरह

नीति। यह अच्छी तरह से तय है कि अदालतें अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।

नीति क्या है "।

(जोर दिया)

179. यह पाया गया कि धारा 6 ए में किया गया वर्गीकरण

केंद्र सरकार की सेवा में स्थिति का आधार संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अनुमत नहीं है। न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि क्या भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर ठोस अंतर है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह प्रावधान असंवैधानिक पाया गया।

मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

180. इस तर्क के संदर्भ में कि एक वर्ग के भीतर एक उप-वर्ग नहीं बनाया जा सकता है, इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया था।

संघ द्वारा यह तर्क देना कि यह तर्कसंगत आधार की उपलब्धता या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। 181. 1960 में 1 एस. सी. आर. 39/ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1124 में याचिकाकर्ताओं ने चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 की संवैधानिकता को उसके तहत पारित कुछ आदेशों के अलावा चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चूंकि अधिनियम का घोषित उद्देश्य विदेशी मुद्रा अर्जित करना था, इसलिए केवल चीनी निर्माताओं को ही मजबूर करना पड़ा कि वे

चीनी के निर्यात के लिए वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा निर्मित भेदभावपूर्ण था। उन्होंने यह भी बताया कि चीनी के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माताओं को उसी तरीके से निर्यात करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था और आगे भी किया गया था भेदभाव। इस तर्क को पलटते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया:

" 21. हमारी राय में, यह तर्क आधारहीन है। विदेशी मुद्रा के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है -

प्रकट होता है। संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 36 विशेष रूप से प्रदान करती है

विदेश के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद की अधिकारिता

विनिमय करें। यदि इस प्रविष्टि की व्यापक रूप से व्याख्या की जाए, तो इसमें न केवल विदेशी मुद्रा के नियंत्रण से संबंधित कानून शामिल होंगे, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए इसके अधिग्रहण से भी संबंधित कानून शामिल होंगे। विभिन्न विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता, बहुत उचित रूप से, विवादित नहीं थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम का उद्देश्य जनहित में है। अगर हमें एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहना है, तो यह बहुत आवश्यक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने लिए जगह बनाएं। शुरुआत करनी पड़ती है, और कई बार, यह बहुत बड़े नुकसान में होता है। कि केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को निर्यात के लिए चुना है

कार्यक्रम का मतलब यह नहीं है कि यह वर्गीकरण नहीं कर सकता है जिस, यह ध्यान में रखते हुए कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से विदेशों में किस वस्तु का आसान बाजार होगा। स्वेज संकट के दौरान, इस देश से बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया था, और

विदेशी मुद्रा के रूप में 12 करोड़ 40 लाख रुपये की कमाई हुई थी। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अन्य वस्तुओं का निर्यात भी नहीं किया गया था, हालांकि तर्कों में यह बताया गया था कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए मैंगनीज अयस्क का भी इसी तरह से निर्यात किया गया था। यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार

सभी और विभिन्न प्रकार के निर्मित [2021] 14 एस. सी. आर. के निर्यात का आदेश नहीं दे सकते।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देश से वस्तुएँ, विदेशों में बाजार का आश्वासन दिए बिना। आवश्यक रूप से, सरकार केवल उन उत्पादों के संबंध में एक निर्यात नीति शुरू कर सकती है, जिनके लिए

हमारे देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशों में उत्पादित वस्तुओं से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, और यह निर्यात भी केवल महान बलिदान पर किया जाता है, और केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए किया जाता है,

जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होता।

182. 19762 में एस. सी. सी. 310, यह न्यायालय चुनौती पर विचार कर रहा था।

उच्च न्यायालय के उस निर्णय के लिए जिसके द्वारा उसने प्रत्यर्थी द्वारा एक ऐसे नियम की चुनौती को बरकरार रखा था जिसने अपीलकर्ता राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आवश्यक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और छूट देने की शक्ति प्रदान की थी।

पदोन्नति के लिए विचार किया गया। विद्वान ए. एस. जी. ने न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू के फैसले में निम्नलिखित कथन से समर्थन प्राप्त किया:

" 83. एक वर्गीकरण उचित है यदि इसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं।

नियम या यहां तक कि विचाराधीन नियमों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए। एक प्राथमिकता मान लेना एक गलती है कि एक वर्ग के भीतर कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है, मान लीजिए, निचले विभाग के क्लर्क। यदि कोई बोधगम्य अंतर है जो उस वर्ग के भीतर एक समूह को बाकी से अलग करता है और उस अंतर का वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ संबंध है, तो मुझे वर्ग के भीतर आगे के वर्गीकरण पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालांकि एक अर्थ में वर्गीकरण असमानता लाता है, लेकिन यह समानता को बढ़ावा देता है यदि इसका उद्देश्य उन लोगों को एक वर्ग के तहत लाना है जो पर्याप्त और उचित कारणों से विभेदक उपचार के

लिए एक सामान्य विशेषता साझा करते हैं। इस दृष्टिकोण से, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिद्धांत निर्धारित किया गया है

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स और सहायक स्टेशन मास्टर्स में

एसोसिएशन वी। महाप्रबंधक, मध्य रेलवे [(1960) 2 एस. सी. आर. 311 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 384] ; एस. जी. जयसिंघानी बनाम संघ का

भारत और जम्मू-कश्मीर राज्य। वी. त्रिलोकी नाथ खोसा [(1974) 1 एससीआर 771 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

: (1974) 1 एससीसी 19: 1974 एससीसी (एल एंड एस) 49.] कोई आवेदन नहीं है

यहाँ "।

उचित आधार पर उप-वर्गीकरण किया जाए। 184. पश्चिम बंगाल और ओआरएस राज्य में। वी. रास बिहारी सरकार और ओआरएस "। , बंगाल मनोरंजन अधिनियम, 1922 के तहत छूट दी गई थी, जैसा कि 1981 में संशोधित किया गया था, उन थिएटर समूहों के लिए मनोरंजन कर से छूट दी गई थी जो प्रामाणिक थे और जिन्होंने मौद्रिक लाभ के लिए प्रदर्शन नहीं किया था, जो थिएटर समूहों को कर छूट नहीं दी गई थी जो मौद्रिक लाभ के लिए प्रदर्शन करते थे। दोनों थिएटर समूह थे। हालाँकि, रंगमंच समूहों के बीच अंतर को देखते हुए, इस न्यायालय ने आगे कहा:

" 4. समानता का अर्थ है समान उद्देश्य और उद्देश्य के लिए समान वर्ग के व्यक्तियों के बीच समान परिस्थितियों में समानता। यह असमान लोगों के बीच काम नहीं कर सकता है। केवल पसंद के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के बीच भी विधायिका या कार्यपालिका उन अंतरों को वर्गीकृत कर सकती है जो वास्तविक हैं। समूहों के बीच वर्गीकरण

मौद्रिक लाभ और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रदर्शन करना मनमाना नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि दोनों समूह सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के विधायी उद्देश्य को पूरा करें। और , इसलिए, वे
समान हैं लेकिन मौद्रिक लाभ और अन्यथा दोनों के बीच का अंतर वास्तविक और बोधगम्य है। जब तक वर्गीकरण उचित है तब तक इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

मनमाना। पसंद को अच्छे और वैध कारणों से अलग तरीके से माना जा सकता है। सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्य की उन्नति के लिए नाट्य प्रदर्शन करने वाले समूह के साथ व्यवहार करने में राज्य, अलग तरह से, विशेष रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाए गए लाभ के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है।

185. केरल राज्य में बनाम। अरविंद रमाकांत मोदावदाकर

और ओआरएस। 661, अंतर-राज्य स्टेज कैरिज ऑपरेटरों को करों में कमी दी गई थी जिसका लाभ अंतर-राज्य स्टेज कैरिज ऑपरेटरों को नहीं दिया गया था। हालांकि अदालत ने कहा कि अंतर-राज्य संचालक और अंतर-राज्य संचालक दोनों, सामान्य अर्थों में, राज्य परिवहन थे

59 1992 पूरक 3 एस. सी. सी. 217

60 (1993) 1 एस. सी. सी. 479

61 1999 7

एससीसी 400 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संचालकों, दोनों के बीच एक अंतर था। इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 10 में जो कुछ निर्धारित किया है, उसका उल्लेख करना उचित है।

" 10.अधिनियम की धारा 22 की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है कि कौन सी धारा राज्य को जनहित में अनुदान देने का अधिकार देती है।

छूट इस तरह से दी जाती है कि यह लोगों के एक वर्ग के लिए उपयुक्त हो। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि अंतर-राज्य परमिट और अंतर-राज्य परमिट द्वारा कवर किए गए अनुबंध कैरिज अनुबंध कैरिज के बड़े वर्ग के भीतर दो अलग-अलग वर्ग बना सकते हैं, तो हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि यह वर्गीकरण या तो अनुचित है या इसमें उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

186. संसार चंद अत्रि बनाम। पंजाब राज्य और अन्य 62, याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया, यह तर्क देने के लिए कि अनुच्छेद 14 को अस्वीकार किया जाता है एक वर्ग के भीतर एक उप-वर्ग का निर्माण, मामले ने अपने तथ्यों को बदल दिया। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह तर्क है। संक्षेप में, सवाल यह था कि क्या अपीलार्थी पंजाब पूर्व सैनिकों की भर्ती नियम, 1982 के प्रावधानों के आधार पर एक पूर्व सैनिक था या नहीं, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 22.09.1992 द्वारा संशोधित किया गया था। का विवाद

प्रत्यर्थी यह था कि चूंकि अपीलार्थी को सेना के अनुरोध से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए उसे एक पूर्व सैनिक के रूप में नहीं माना जा सकता था। नियमों पर विचार करने के बाद, जैसा कि संशोधित किया गया और तथ्यों पर, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

" 8. ..... यदि सेवा आयोग और राज्य सरकार की ओर से यह तर्क उठाया गया है कि जब से अपीलार्थी अपने अनुरोध पर सेना से छुट्टी मिलने पर उसे पूर्व सैनिक के रूप में नहीं माना जा सकता है, स्वीकार किया जाता है तो यह उसके भीतर एक वर्ग का निर्माण करेगा।

तर्कसंगत आधार के बिना एक वर्ग और इसलिए, मनमाना और भेदभावपूर्ण हो जाता है। यह उस उद्देश्य को भी विफल कर देगा जिसके लिए

आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

188. हमारा विचार है कि वे सिद्धांत, जो एक वर्ग के भीतर उप-वर्ग की वैधता को नियंत्रित करते हैं, अनिवार्य रूप से उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट हैं। यह स्पष्ट है कि कानून एक वर्ग के भीतर एक वर्ग के निर्माण को पूरी तरह से बाधित नहीं करता है। यदि किसी वर्ग के भीतर उपवर्ग बनाने के लिए कोई तर्कसंगत आधार है, तो यह अस्वीकार्य नहीं है। यह है। 62 (2002) 4 एस. सी. सी. 154 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था, उनके विश्लेषण का अपरिहार्य परिणाम। , संसार चंद अत्री बनाम। पंजाब राज्य और दूसरा (ऊपर)। संघ द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है और जिन्हें हमने स्वीकार किया है, वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एक वर्ग के भीतर

उपवर्ग, वास्तव में अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी के विरोधी नहीं है।

189. अब, आइए हम उन सिद्धांतों को लागू करें, जो हमारे सामने मौजूद तथ्यों के लिए निर्विवाद हैं। वास्तव में, आवंटनकर्ता वित्तीय ऋणदाता होते हैं। उनके पास है तथापि, कुछ विशेषताएँ जो विधायिकाकेँ वित्तीय ऋणदाता सभक व्यापकता सँ अलग करैत प्रतीत होइत अछि। ये विशेषताएं, जो उन्हें अलग करती हैं, संघ के रुख में स्पष्ट रूप से इंगित की गई हैं। वे इस प्रकार हैं:

आई. संख्यात्मकता;

ii. विषमता;

iii. निर्णय लेने में व्यक्तित्व।

190. धारा 21 (6ए) और धारा 25ए, जिसकी संवैधानिकता को इस न्यायालय द्वारा पायनियर (उपरोक्त) में बरकरार रखा गया है, यह दर्शाती है कि डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों को निम्नलिखित के दायरे में लाया जाएगा:

21 (6ए) (ए)। जहाँ तक अचल संपत्ति परियोजना के आबंटियों का संबंध है, वे 21 (6ए) (बी) द्वारा शासित होंगे। इन दोनों श्रेणियों की एक समान विशेषता है। संख्यात्मकता वह विशिष्ट पहचान है जो

उन्हें वित्तीय लेनदार की व्यापकता से अलग करती है। वास्तव में इस पहलू को इस न्यायालय द्वारा स्विस रॉबिन्स (ऊपर) (पैरा 49) में देखा गया है। इन लेनदारों की सरासर संख्या से, वे धारा 21 (6ए) के तहत विशेष उपचार के लिए आए हैं। एक अन्य विशेषता, जिसे इस संबंध में विषमता में देखा जाना चाहिए। अंत में, इसका पहलू भी है

व्यक्तिगत निर्णय लेना। धारा 21 (6ए) के तहत वित्तीय लेनदारों की इन श्रेणियों के संबंध में अधिकृत प्रतिनिधियों पर विचार किया जाता है। इन अधिकृत प्रतिनिधियों को मतदान करने का तरीका भी धारा 25ए में दिया गया है। एक और पहलू भी ध्यान देने योग्य है। धारा 7 ने हमेशा एक संयुक्त आवेदन की संभावना पर विचार किया। परंतुक 1 और 2 को शामिल करने वाले विवादित संशोधन केवल विधानमंडल के अनुभव और विशेषज्ञ निकाय की रिपोर्ट के आधार पर धारा 21 (6ए) और 25ए के माध्यम से पहले से ही बनाए गए भवन पर आधारित हैं। यह निश्चित रूप से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण इनपुट है जो हमें आगे बताता है कि वित्तीय लेनदारों के इन वर्गों के संबंध में वर्गीकरण वर्जित वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

191. संहिता की धारा 25ए इस प्रकार है:

" 25ए. वित्तीय लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार और कर्तव्य। - (1) उप-धारा के तहत प्राधिकृत प्रतिनिधि

भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त ऐसे लेनदारों के पूर्व मतदान निर्देशों के अनुसार वित्तीय लेनदार की ओर से लेनदारों की समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। (2) समिति की बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त को प्रसारित करना अधिकृत प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा।

उस वित्तीय लेनदार को लेनदार जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।

(3) अधिकृत प्रतिनिधि उस वित्तीय लेनदार के हित के खिलाफ कार्य नहीं करेगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और हमेशा कार्य करेगा।

उनके पूर्व निर्देशों के अनुसार:

अधिकृत प्रतिनिधि ऐसे लेनदार की ओर से मतदान करने से बचेंगे। (3क) उप-धारा (3) में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, धारा 21 की उप-धारा (6ए) के तहत अधिकृत प्रतिनिधि उन सभी वित्तीय लेनदारों की ओर से अपना वोट डालेगा जिनका वह पचास प्रतिशत से अधिक के वोट से

लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनिधित्व करता है। वे जिन वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने अपना वोट डाला है, उनके मतदान हिस्से के बारे में:

बशर्ते कि किसी आवेदन के संबंध में वोट डालने के लिए

धारा 12ए के तहत, अधिकृत प्रतिनिधि उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार अपना वोट डालेगा।] (4) अधिकृत प्रतिनिधि ऋणदाताओं की समिति के पास भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त किसी भी निर्देश को दाखिल करेगा, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके अनुसार मतदान करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जिस वित्तीय लेनदार का प्रतिनिधित्व करता है, उसके उचित मतदान निर्देश सही हैं।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प द्वारा दर्ज किया गया

पेशेवर, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक

इसका अर्थ है "ऐसा होगा जो निर्दिष्ट किया जाए।] "

192. हम इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अचल संपत्ति परियोजना के आबंटियों के मामले में, यह विधानमंडल का दृष्टिकोण है कि

दीवानी मुकदमा, इसमें कोई संदेह नहीं है, खारिज नहीं किया गया है। आम तौर पर, आबंटित व्यक्ति के पास अधिक प्रभावी विकल्प के रूप में रेरा या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार होंगे। ऐसी परिस्थितियों में, यदि विधानमंडल, लेनदारों के एक समूह की सरासर संख्या को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्। , अचल संपत्ति परियोजनाओं के आवंटनकर्ता, इसे एक समझदार अंतर पाते हैं, जो आबंटियों को अन्य वित्तीय लेनदारों से अलग करता है, जिनके पास संख्यात्मकता की विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं, तो इस तरह के उपाय के विवेक पर निर्णय लेना इस न्यायालय का काम नहीं है।

193. हम महसूस करते हैं कि जांच का अंत यह पता लगाने के साथ नहीं होना चाहिए कि एक बोधगम्य अंतर है, जो संख्यात्मकता, विषमता में पाया जा सकता है। और आबंटियों के निर्णय लेने में व्यक्तिगतता। कानून आगे

यह आवश्यक है कि भेद का कानून के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

194. कानून का उद्देश्य स्पष्ट है। पूर्ववर्ती शासन से एक आमूलचूल विचलन पर विचार किया गया था, जो अनिवार्य रूप से बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में निहित था, और जिसने एक गहरी अस्वस्थता को प्रकट किया, जिसने अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित किया।

संक्षेप में कहें तो अधिनियम के तहत शामिल प्रक्रियाओं का मतलब केवल उन मामलों में विलंब करना था, जहां गति और गतिशील निर्णय समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। संकट में कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य, [2021] 14 एस. सी. आर. के अपरिहार्य और तेजी से पारित होने से बर्बाद हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समय और धीमी दर जिस पर मंचों ने वित्तीय संकट की समस्या का जवाब दिया। यह संहिता राष्ट्र के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थी कि वह व्यापार करने में आसानी, ऋण की वसूली की दर बढ़ाने, बीमार चिंताओं की परिसंपत्तियों को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के मामले में बाकी दुनिया के साथ बराबरी करने का प्रयास करे। संहिता का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उन निगमित निकायों की परिसंपत्तियों के अधिकतमकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना है जो दिवालिया हो गए हैं। एक डिफ़ॉल्ट प्रस्तुत करें, जो निस्संदेह समय द्वारा वर्जित नहीं है (सीमा की धारा 5 के तहत प्राधिकरण की शक्ति के अधीन)

अधिनियम), दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह दो चरणों में आता है। पहले चरण या शांत अवधि में, कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन में पड़ने से बचाने के लिए हर प्रयास पर विचार किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 14 के तहत स्थगन अपरिहार्य है। संहिता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अपरिवर्तनीय प्रतीत होने वाली समय सीमा है, जो धारा 12 के तहत तय की गई है। धारा 7 (5) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने पर, एक अंतरिम समाधान पेशेवर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। उसमें निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन करने की शक्तियां निहित होती हैं। उसे एक समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है या उसे समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संहिता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ऋणदाताओं की समिति का गठन और उसकी भूमिका है।

खेलते हैं। संक्षेप में, यह शो रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा चलाया जाता है, जो लेनदारों की समिति के नियंत्रण के अधीन है। दिवाला का समाधान अनिवार्य रूप से एक समाधान योजना के साधन के माध्यम से किया जाता है

एक संकल्प आवेदक द्वारा प्रस्तुत। संहिता की धारा 29ए के माध्यम से समाधान आवेदक के संबंध में विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाते हैं। एक समाधान योजना का उद्देश्य एक बीमार निगम को पुनर्जीवित करना है।

ऋणी और इसे एक चालू चिंता के रूप में जारी रखें। इस तरह की चिंताओं में नया जीवन डालने के रूप में बीमार व्यवसायों को बचाने के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। इसका महत्व विभिन्न दिशाओं में निहित है। लेनदारों की विभिन्न श्रेणियां होंगी, जिनमें से विधायी विकल्प दिखाई देता है। वित्तीय लेनदारों के लिए कुछ हद तक वरीयता दिखाना, विशेष रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के रूप

में। संहिता के मुख्य लक्षयों में से एक पूंजी के मूल्य के नुकसान को रोकना है। यदि ऋण की वसूली जल्द से जल्द की जाती है, तो यह अन्य उद्यमियों को उधार दिए जाने के लिए बरामद पूंजी की उपलब्धता में बदल जाता है, और यह एक ऐसा पहलू है, जो मामले की जड़ तक जाता है। हर गुजरते घंटे के साथ, अस्वाभाविक रूप से नहीं, मूल्यह्रास संपत्ति के मूल्य में कमी के रूप में अपने शिकार का दावा करेगा। यदि दिवालियापन परिसमापन के चरण में चला जाता है, तो नुकसान न केवल संबंधित व्यवसायों का है, बल्कि यह मनीष कुमार बनाम का भी प्रतिनिधित्व करेगा।

राष्ट्र के लिए एक नुकसान। निस्संदेह, यह सभी हितधारकों के हितों के नुकसान के अलावा है। हितधारकों में शामिल होंगे वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार भी। असफल व्यवसाय के कर्मचारियों को सीधा झटका लगेगा। इसलिए, संहिता दिवाला प्रक्रिया से गुजरने के मामले में तेजी लाने को सबसे अधिक महत्व देती है।

195. धारा 12, संक्षेप में, दिवाला शुरू होने की तारीख से 330 दिनों की अधिकतम अवधि पर विचार करती है, जिसे हम

पहले ही समझा चुके हैं। यद्यपि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के ऋणदाताओं की समिति के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा 'अनिवार्य रूप से' शब्द को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इस न्यायालय ने केवल उन मामलों में समय बढ़ाने की अनुमति देकर सभी संबंधित लोगों के हितों को संतुलित किया है, जहां देरी संबंधित खिलाड़ियों की गलती के कारण नहीं होती है और यह सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। इस न्यायालय ने विधानमंडल द्वारा निर्धारित समय सीमा को कम नहीं किया है और वास्तव में, इसने समय सीमा के अनुरूप होने के महत्व को रेखांकित किया है। गति, वास्तव में, संहिता का सार बनी हुई है।

196. जिस गति से प्रक्रियाएं संचालित की जा सकती हैं और पूरी की जा सकती हैं, वह मुकदमे की मात्रा पर आधारित है। द एडजुडिकेटिंग

प्राधिकरण और अपीलीय निकाय, अर्थात। , N.C.L.A.T., अन्य अधिनियमों के तहत भी प्राधिकरण हैं। वे समय के लिए कठोर दबाव में हैं। संहिता के अंतर्गत आने वाले मामले जटिल तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मुद्दे कानून और तथ्यों दोनों में जटिलताओं से भरे हो सकते हैं। यदि किसी उपसमूह से संबंधित वित्तीय लेनदारों के एक बड़े निकाय में से, उदाहरण के लिए किसी अचल संपत्ति परियोजना के आवंटनकर्ताओं को संहिता को सक्रिय करने की स्वतंत्रता दी जानी थी, तो कई व्यक्तिगत कार्यों की संभावना एक भूत है, जिसके बारे में विधानमंडल को पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल संहिता के पूरे उद्देश्य के खतरे के लिए जीवित हो गया, संहिता के तहत अधिकारियों के डॉकेट में व्यक्तिगत खिलाड़ियों को भीड़ लगाने की अनुमति देकर पटरी से उतर गया, और

परिणामस्वरूप, उस स्थिति को पुनर्जीवित किया गया, जिसने विधानमंडल को कानून के इस क्षेत्र में एक नई सुबह लिखने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय, संख्या को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने एक को अपनाना उचित समझा है आबंटित व्यक्ति को वित्तीय लेनदारों के दायरे से पूरी तरह से बाहर न निकालकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। आबंटित व्यक्ति एक वित्तीय लेनदार बना हुआ है। केवल इस बात की परिकल्पना की गई है कि विधायी मूल्य निर्णय को सक्रिय किया जा सकता है कि आबंटियों के लिए संहिता के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक महत्वपूर्ण जन अनिवार्य है।

आवेदकों के महत्वपूर्ण समूह का उद्देश्य यह सुनिश्चित करेगा कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों की एक उचित संख्या, यह विचार बनाती है कि रेरा या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या दीवानी मुकदमे के तहत उपलब्ध उपचारों के बावजूद, संहिता का आह्वान ही एकमात्र तरीका है

बाहर, एक विशेष मामले में। जैसा कि इस न्यायालय ने पायनियर (ऊपर दिए गए) मामले में, विश्लेषण करने के बाद, एक आवंटी को संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए क्या इंतजार है, इसके विपरीत कि वह रेरा के तहत क्या प्राप्त कर सकता है या जो हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नोट करते हैं और यह पाते हुए कि संहिता को सामान्य रूप से एक आवंटी द्वारा सक्रिय किया जाएगा, जब उसे लगता है कि समाधान संहिता के तहत प्रदान किए गए उपचार में निहित है, अर्थात। , अचल संपत्ति परियोजना के प्रबंधन को एक नए प्रबंधन के साथ प्रतिस्थापित करते हुए, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यदि दिवाला समाधान परिसमापन के एक चरण तक पहुंच जाता है, तो असुरक्षित लेनदार होने के कारण, आवंटनकर्ताओं को वह राशि भी नहीं मिलेगी, जो उन्होंने निवेश की है। वास्तव में, डालने के बाद

लेनदारों की समिति के गठन के बाद किसी भी समय धारा 33 (2) का स्पष्टीकरण ऐसी संभावना संभव है। संक्षेप में, एक अचल संपत्ति परियोजना के आवंटनकर्ताओं की संख्या, विधानमंडल की दृष्टि में, जैसा कि प्रावधानों से प्राप्त किया गया है, एक पूर्ण अधिकार की शर्त के लिए आवश्यक है, जिसका उद्देश्य के साथ एक स्पष्ट तर्कसंगत संबंध है हासिल किया। हमने देखा है कि उद्देश्यों में से एक सभी हितधारकों के हितों का संतुलन है। या तो सौ आबंटियों की एक सीमा लागू करके या यदि आबंटियों के दसवें हिस्से के मानदंड के अनुसार आबंटियों की संख्या सौ से भी कम है, तो आबंटियों की उक्त संख्या को संहिता लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए। यह फिर से, विषमता के बोधगम्य अंतर पर आधारित है। विषमता का अर्थ है, एक प्रतीत होने वाले सजातीय समूह के बीच अंतर। एक अचल संपत्ति परियोजना के सभी आवंटी एक वर्ग बनाते हैं। अचल संपत्ति परियोजना को शीघ्र और प्रभावी ढंग से पूरा करने में इन सभी की हिस्सेदारी है। हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि आबंटित व्यक्ति वैध रूप से परियोजना के पूरा होने और नियत समय में फ्लैट या अपार्टमेंट का कब्जा सौंपने की उम्मीद करेगा। इस उद्देश्य की

प्राप्ति, जिसे प्रत्येक आबंटित व्यक्ति को उसके लक्षय के रूप में उचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, विभिन्न आबंटियों के विचारों में अलग-अलग संभव हो सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, उपचारों की एक बहुलता है, जो कानून प्रदान करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संहिता को सक्रिय करने का परिणाम लगभग एक अनिश्चित दांव की तरह है। अलग-अलग आबंटियों द्वारा संहिता को लागू करने का परिणाम न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के दस्तावेजों को और भी अधिक बड़ी फाइलों के साथ अवरुद्ध करने के अलावा होगा, जिससे अधिक देरी होगी, कि ऐसे व्यक्ति के कहने पर

आबंटित व्यक्ति, जिसे एक परिहार्य आपदा के रूप में माना जाएगा, वह है मनीष कुमार बनाम।

चिरस्थायी। दूसरे शब्दों में, जबकि अधिकांश आबंटियों को या तो समय देने और अचल संपत्ति परियोजना के मौजूदा प्रबंधन में विश्वास रखने या उनके लिए उपलब्ध अन्य उपचारों को सफलतापूर्वक लागू करने में कारण दिखाई दे सकता है, विषम समूह में से एक व्यक्तिगत आबंटकर्ता, खर्च को कार्यों में लगा दें और पूरी अचल संपत्ति परियोजना को एक संभावित विनाश के लिए लाएं। धारा 33 (2) में नए जोड़े गए स्पष्टीकरण के तहत, किसी भी समय, लेनदारों की समिति के गठन के बाद, परिसमापन हो सकता है।

197. तीसरी विशिष्ट विशेषता, जिसे संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यक्तित्व में अंतर है।

आबंटियों को श्रेय दिया गया। इसका मतलब यह है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के विपरीत, जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संस्थागत है, एक व्यक्तिगत आवंटी को धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

यह उच्च स्तर की व्यक्तिपरकता प्रदर्शित करेगा। जैसा कि विद्वान ए. एस. जी. बताते हैं, और जो संख्यात्मकता और विषमता दोनों पर आधारित तर्क का भी हिस्सा है, संसद ने जिस पर जोर दिया है, वह है अन्य आबंटियों के लिए चिंता प्रदर्शित करने के सराहनीय मूल्य की उपस्थिति, जो संहिता को लागू करने के विवेक के बारे में पूरी तरह से अलग तरह से सोच सकते हैं। यहाँ फिर से, यह विशिष्ट विशेषता, जो विधानमंडल की दृष्टि में एक बोधगम्य अंतर बन जाती है, और जिसे स्पष्ट रूप से केवल एक दिखावा नहीं दिखाया जा सकता है, इसके साथ एक तर्कसंगत संबंध रखता है

संहिता की वस्तुएँ, जिन्हें हम पहले ही चित्रित कर चुके हैं। पुनर्कथन के लिए, व्यक्तिगत आबंटित व्यक्ति, निर्णय लेने में उच्च स्तर की व्यक्तिपरकता के साथ, परिणामों के बारे में अधिक वैश्विक दृष्टिकोण के बिना, संहिता को लागू करने में एक डुबकी ले सकता है, जो आगे आएगा। इस तरह के किसी भी प्रयास को केवल तुच्छ ही कहा जाएगा। व्यक्तिगत आबंटियों द्वारा किए गए इस प्रयास के निम्नलिखित परिणाम होंगे:

आई. यह पहले से ही भारी डाकेट को भीड़ देगा;

ii. परिणामस्वरूप यह संहिता के तहत प्रक्रियाओं को धीमा कर देगा, यहां तक कि उन मामलों के संबंध में भी, जो अधिक वास्तविक हो सकते हैं और जिन पर अधिक और अधिक समय पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

iii. यह सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा। हमें यह इंगित करना चाहिए कि विलंब के बारे में पहलू

प्रक्रिया के बारे में, जब आवंटी एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, संहिता की उपयुक्तता के बारे में परस्पर विरोधी विचार रखते हैं, तो स्पष्ट संभावना है कि आवंटी आवेदन का विरोध करके मंच में टकराव में आ सकते हैं, [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक निर्विवाद वास्तविकता बनें। यह इस तथ्य के बावजूद है कि यह हमेशा व्यक्तिगत आवंटी द्वारा तर्क दिया जा सकता है कि कानून क्या है

धारा 4 में अधिदेश, केवल 1 करोड़ रुपये की राशि में चूक के तथ्य को साबित करता है, जैसा कि मामला है। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि दूसरे के लिए क्या प्रासंगिक है

वित्तीय लेनदार, 1 करोड़ रुपये का चूक साबित कर रहे हैं, केवल आबंटियों के लिए एक सीमा पर जोर देने से, यह हो जाता है

भेदभावपूर्ण। वित्तीय लेनदार होने के नाते, यह माना जाना चाहिए कि उनके सर्वोत्तम हित में क्या है। जो एक हाथ से दिया जाता है, दूसरे हाथ से नहीं लिया जा सकता है, वह दूसरा संबद्ध समर्पण है। यह भी तर्क दिया जाता है कि कोई अनुभवजन्य नहीं है पायनियर (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के बाद, आवंटनकर्ताओं के अधिकारों को बरकरार रखते हुए, इस तर्क को खारिज करना कि एक अकेला रेंजर समाप्त हो जाएगा, का दुरुपयोग होने का सबूत।

प्रणाली का दुरुपयोग करना;

198. इस पहलू का, वास्तव में, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर विरोध किया जाता है। 2016 और जून, 2018 के बीच, जब संहिता लागू की गई थी, आवंटनकर्ताओं द्वारा 241 आवेदन किए गए थे। संशोधन के बाद, यानी 06.06.2018 से, आबंटियों द्वारा आवेदनों में अचानक तेजी आई (लगभग अठारह महीनों की छोटी अवधि में 2201 मामले)। अगस्त, 2020 तक आठ महीने की अवधि में 29.12.2019 से दायर किए गए केवल 130 आवेदनों से इसकी तुलना की जा सकती है। संघ के लिए यह भी मामला है कि एक विशेषज्ञ निकाय, अर्थात। , समिति ने सीमा के लिए सिफारिश की है। यह

सिफारिश नुकसान के अनुभव से पैदा हुई थी, जिसके बाद, अलग-अलग आवंटनकर्ताओं को स्थानांतरित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हाथ की अनुमति मिलती है। आवेदन। हम असंगत नोटों के संदर्भ से प्रभावित नहीं हैं, दोनों ही क्षेत्राधिकार की प्रकृति के कारण जिसका हम प्रयोग करते हैं और साथ ही उस योग्यता के कारण जो हम कानून के पीछे के तर्क में देखते हैं।

199. हम संघ के रुख में काफी योग्यता देखते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई समझदारी भरा अंतर न हो। जांच के तहत कानून एक आर्थिक उपाय है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 14 की चुनौती से निपटने में, न्यायालय एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। जन-प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करने की अपेक्षा की जाती है। अनुमान यह है कि वे हर तथ्य के प्रति सचेत हैं, जो कानून की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाएगा। एक कानून शून्य में काम नहीं कर सकता है। ठोस दुनिया में, जब व्यावहारिक अनुभवों में कानून को लागू किया जाता है, तो बाधाएं जो बहेंगी-मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसके अनुप्रयोग से, कानून दाताओं द्वारा सबसे अच्छी परिकल्पना की जाती है। अनुभव के माध्यम से प्रकट की गई परेशान करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वास्तव में बहुत सारे प्रयोगों की आवश्यकता होगी, जब तक कि यह कानून में पास हो जाता है। यह जांच करना अदालत के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है जिसे वह किसी समस्या से निपटने के लिए अधिक बुद्धिमान या बेहतर तरीका मानता है। आर्थिक मामलों में, कानून देने वाले को दिया गया व्यापक अक्षांश समय के साथ ठोस सिद्धांत और परखे गए तर्क पर आधारित होता है। वास्तव में, हालाँकि भारत में शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है, जैसा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त होता है, व्यापक रूप से शक्तियों का पृथक्करण है, जिसे वास्तव में संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता दी गई है (परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम देखें। केरल राज्य और अन्य 6 3)। किसी भी मामले में, न्यायालय कानून के न्यायिक वीटो में गलती करता है, कहने के तरीके से, यह उस शक्ति को हड़प रहा है, जो राज्य के किसी अन्य अंग के लिए निर्धारित है, अर्थात। , विधायिका। बड़ी संख्या में मान्य करने वाले अधिनियम उत्पन्न करेंगे

उसी का निर्विवाद प्रमाण।

ए. एल. ओ. टी. ई. एस. बनाम। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स

200. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक याचिकाकर्ता (आवंटनकर्ताओं) और संचालन के बीच शत्रुतापूर्ण भेदभाव के संबंध में है।

लेनदार। परिचालन लेनदारों की तुलना में वित्तीय लेनदारों को होने वाले लाभों का उल्लेख किया जाता है।

201. उन लाभों के संबंध में, जो वित्तीय लेनदारों को परिचालन लेनदारों की तुलना में प्राप्त थे, जिनमें भी अंतर थे।

उनके बीच, निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गया है, प्रक्रिया में अंतर के अलावा, जिसके द्वारा, परिचालन लेनदार बाहर खड़ा हो सकता है, अगर कॉर्पोरेट देनदार एक प्रशंसनीय विवाद स्थापित कर सकता है:

आई. सबसे पहले, यह बताया जाता है कि वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति में होता है और समाधान पेशेवर के साथ देनदार के मामलों का प्रबंधन करता है; परिचालन लेनदारों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है।

ii. वित्तीय लेनदार तय करते हैं कि समाधान कौन होगा।

पेशेवर;

iii. वित्तीय लेनदार संकल्प को मंजूरी या अस्वीकृत करते हैं।

योजना बनाएँ।

iv. लगभग सभी प्रमुख निर्णयों के लिए वित्तीय मंजूरी की आवश्यकता होती है।

लेनदार।

वी. परिसमापन में धारा 53 के तहत परिचालन दावों में वित्तीय ऋणों को तीसरे पक्ष की तुलना में प्राथमिकता मिलती है। इन सबके बावजूद, विवादित संशोधन के बाद, बड़ी संख्या में वित्तीय लेनदार हैं।

कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रावधानों द्वारा कवर किए जाने की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना है। आबंटितों की श्रेणी में वित्तीय लेनदार अब बदतर स्थिति में हैं।

202. जहां तक अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से संबंधित तर्क का संबंध है, हमारा विचार है कि कोई नहीं है

उसी में योग्यता। इस तथ्य के अलावा कि संहिता के तहत उनके साथ विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यवहार किया जाता है और इसके तहत एक अलग प्रक्रिया शामिल है, यहां तक कि इस न्यायालय के निर्णयों ने भी वित्तीय लेनदार के साथ परिचालन लेनदार से अलग व्यवहार किया है।

203. इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य 64, इस न्यायालय ने संहिता की योजना और अंतर का विस्तृत विश्लेषण किया वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच। इस न्यायालय ने देखा कि धारा 8 के तहत, एक परिचालन लेनदार द्वारा आवेदन के मामले में, कॉर्पोरेट देनदार नोटिस के दस दिनों के भीतर, के तहत जारी किया गया है।

धारा 8 परिचालन लेनदार के ध्यान में विवाद का अस्तित्व या अदालत में या अदालत के समक्ष कार्यवाही का रिकॉर्ड ला सकती है।

मध्यस्थ। यह अभ्यास, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा सफलतापूर्वक किया गया,

यह इसे संहिता के दायरे से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगा। वित्तीय लेनदार के मामले में, यदि ऋण देय है, कि यह तब तक देय है जब तक कि यह किसी कानून द्वारा बाधित नहीं है या यह देय नहीं हुआ है, तो संहिता के तहत विचार किया गया चूक हो गया है और वित्तीय लेनदार द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए और मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

204. स्विस रिबन (ऊपर) में विवाद में वर्गीकरण

यह परिचालन और वित्तीय लेनदार के बीच था। संहिता के पीछे की नीति और इसके कारणों पर विचार करने के अलावा, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 42. "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय लेनदार" की परिभाषा का अवलोकन

ऋण "यह स्पष्ट करता है कि एक वित्तीय ऋण ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण है, जो इसके लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है।

धन का समय मूल्य। यह आगे वह धन हो सकता है जो उधार लिया गया हो या धारा 5 (8) में या अन्यथा निर्धारित किसी भी तरीके से उठाया गया, क्योंकि धारा 5 (8) एक समावेशी परिभाषा है। दूसरी ओर, एक "परिचालन ऋण" में प्रावधान के संबंध में एक दावा शामिल होगा।

64 (2018) 1 एस. सी. सी. 407 मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले और सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय बकाया के भुगतान के संबंध में रोजगार या ऋण सहित वस्तुओं या सेवाओं का।

43. एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों या ऐसे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से संहिता लागू कर सकता है जिन्हें "चूक" होने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संहिता ऐसे व्यक्तियों द्वारा निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को किए गए चूक के संबंध में शुरू की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हो

जाता है कि एक बार शुरू होने के बाद, संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया एक सामूहिक कार्यवाही है जो पहली बार में निगमित देनदार के पुनर्वास का प्रयास करती है। धारा 7 (4) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, निर्धारित अवधि के भीतर, वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगा; और धारा 7 (5) के तहत, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को संतुष्ट होना चाहिए कि एक चूक हुई है, जब वह आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर सकता है, या आवेदन को खारिज कर सकता है यदि ऐसा चूक नहीं हुआ है। दूसरी ओर, धारा 8 और 9 के तहत, एक परिचालन लेनदार, चूक की घटना पर, एक मांग सूचना दे सकता है जिसका जवाब तब धारा 8 के भीतर दिया जाना चाहिए।

निर्दिष्ट अवधि। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर, यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो निगमित देनदार यह साबित कर सकता है कि ऋण विवादित है। जब ऋण इतना विवादित होता है, तो इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

49. यह स्पष्ट है कि डिबेंचर धारक और गृह ऋण वाले व्यक्ति कई हो सकते हैं और इसलिए, संहिता के साथ-साथ विनियमों में किए गए उपरोक्त परिवर्तन द्वारा वैधानिक रूप से निपटा गया है। हालांकि, एक सामान्य नियम के रूप में, यह कहना सही है कि वित्तीय लेनदार, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, निश्चित रूप से एक कॉर्पोरेट देनदार के परिचालन लेनदारों की तुलना में कम संख्या में होंगे।

50. हमारे अनुसार, यह स्पष्ट है कि अधिकांश वित्तीय लेनदार, विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थान, सुरक्षित लेनदार हैं, जबकि अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित हैं।

माल और सेवाओं के साथ-साथ श्रमिकों को भुगतान जो गिरवी रखे गए दस्तावेजों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं और इसी तरह। सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच का अंतर एक अंतर है जो [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूनाइटेड किंगडम और इस देश दोनों में कंपनी अधिनियमों के शुरुआती समय से प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय लेनदारों के साथ ऋण समझौतों की प्रकृति माल की आपूर्ति के लिए परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंधों से अलग है और

सेवाएँ। वित्तीय लेनदार आम तौर पर एक सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी के लिए वित्त उधार देते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार को या तो अपना व्यवसाय स्थापित करने और/या संचालित करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर, परिचालन ऋणदाताओं के साथ अनुबंध वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित हैं और

व्यवसाय के संचालन में सेवाएँ। वित्तीय अनुबंधों में आम तौर पर बड़ी राशि शामिल होती है। इसके विपरीत, परिचालन

वित्तीय लेनदारों के विरोध में, जो व्यवसाय की स्थापना या काम करने के लिए वित्त उधार देते हैं। इसके अलावा, वित्तीय लेनदारों ने निर्दिष्ट किया है पुनर्भुगतान अनुसूची, और चूक वित्तीय लेनदारों को अधिकार देते हैं

51. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय लेनदार, शुरू से ही, निगम की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल हैं। ऋणी। वे ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में शामिल हो सकते हैं और इसलिए कर सकते हैं, जब वित्तीय तनाव होता है, जो ऐसी चीजें हैं जो परिचालन लेनदार नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं। इस प्रकार, निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करते हुए, सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना संहिता का उद्देश्य है, वित्तीय लेनदार परिचालन लेनदारों से स्पष्ट रूप से अलग हैं और इसलिए, मनीष कुमार बनाम है।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

स्पष्ट रूप से दोनों के बीच एक समझदार अंतर है जिसमें एक है

संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ सीधा संबंध।

XXX

XXX

XXX

XXX

119. यह देखा जाएगा कि के बीच अंतर करने का कारण

वित्तीय ऋण, जो सुरक्षित हैं, और परिचालन ऋण, जो

असुरक्षित हैं, दो प्रकार के सापेक्ष महत्व में हैं

ऋण जब उस उद्देश्य की बात आती है जिसे प्राप्त करने की मांग की जाती है दिवाला संहिता। हम पहले ही देख चुके हैं कि

वित्तीय ऋण अर्थव्यवस्था में पूंजी डालते हैं जैसे कि बैंक

और वित्तीय संस्थान सक्षम हैं, उस धन के साथ जो किया गया है

अन्य उद्यमियों को इस तरह के धन को आगे उधार देने के लिए भुगतान किया गया

वित्तीय ऋणों और परिचालन ऋणों के बीच, जो हैं - असुरक्षित, जो सीधे उस वस्तु से संबंधित है जिसकी मांग की गई है

असुरक्षित ऋणों को भी पारंपरिक रूप से सबसे ऊपर रखा गया है अन्य ऋण। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि असुरक्षित ऋण

विभिन्न प्रकार, और जब तक कुछ वैध ब्याज है

संरक्षित होने की मांग की गई, जिस वस्तु से संबंध रखने की मांग की गई थी

कोड भी विफल होना चाहिए।

205. यह याद रखना चाहिए कि निर्धारित सिद्धांत आए थे

संहिता के प्रावधानों को चुनौती देने के संदर्भ में अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की ओर इशारा किया जाए क्योंकि परिचालन लेनदार और वित्तीय लेनदार के बीच वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 के विपरीत बताया गया था।

206. पायनियर (ऊपर) में मामला और निर्णय के करीब है

तथ्य हमारे सामने हैं। चुनौती संहिता में संशोधन के लिए थी जिसमें संहिता की धारा 5 (8) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण भी शामिल था। जैसा कि हमने नोट किया है कि स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किसी से उठाया गया कोई भी ऋण

अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटित व्यक्ति को उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव रखने वाली राशि माना जाता है। उक्त प्रावधान के अलावा अन्य प्रावधानों पर भी सवाल उठाए गए थे। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

5 (8) (च) में स्पष्टीकरण डालने के माध्यम से संशोधन

यह केवल मौजूदा कानून का स्पष्टीकरण था। फ्लैटों के आवंटनकर्ता

और अपार्टमेंट को धारा [2021] 14 एस. सी. आर. के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया था।

5 (8) (च)। दूसरे शब्दों में, आबंटित व्यक्ति एक वित्तीय लेनदार होता था। संहिता और आर. ई. आर. ए. के प्रावधानों पर गौर करने के बाद, यह न्यायालय

यह भी माना गया कि आर. ई. आर. ए. और संहिता सह-मौजूद हैं और टकराव की स्थिति में, संहिता हावी रहेगी। इस प्रकार आर. ई. आर. ए. को एक विशेष क़ानून नहीं पाया गया जो सामान्य क़ानून अर्थात् संहिता को ओवरराइड करेगा। संहिता में संशोधन की चुनौती से इस आधार पर निपटना कि इस आधार पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है और असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, इस अदालत ने इसे अस्वीकार्य पाया। इस न्यायालय ने संशोधन को एक आर्थिक उपाय पाया। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 41 में संहिता के तहत उपचार का पीछा करने वाले एक आबंटित व्यक्ति से जुड़े खतरों की ओर भी इशारा किया और उसके बाद निम्नानुसार निर्णय लिया: " 42. यह कहना असंभव है कि अचल संपत्ति डेवलपर्स को वर्गीकृत करना एक समझदार अंतर पर आधारित नहीं है जो उन्हें अन्य परिचालन लेनदारों से अलग करता है, और न ही यह कहना संभव है कि

इस तरह का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से मनमाना है जिसका संहिता के उद्देश्यों से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया था कि यदि अचल संपत्ति डेवलपर्स को संहिता के चंगुल में लाया जाता, तो परिचालन देनदारों की तरह होने के नाते, उन्हें इस नियम के तहत लाया जा सकता था न कि वित्तीय देनदारों के रूप में। यहां फिर से, परिचालन ऋणों की तुलना में अचल संपत्ति डेवलपर्स के लिए जो अनूठा है, वह यह है कि, परिचालन ऋणों में आम तौर पर, जब कोई व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करता है, तो ऐसा व्यक्ति लेनदार होता है और जिस व्यक्ति को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है वह ऋणी होता है। में

रियल एस्टेट डेवलपरों के मामले में, डेवलपर जो फ्लैट/अपार्टमेंट का आपूर्तिकर्ता है, वह देनदार है क्योंकि घर खरीदार/आवंटनकर्ता डेवलपर को उस इमारत के निर्माण के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करके अपने अपार्टमेंट का धन देता है जिसमें उसका अपार्टमेंट पाया जाना है। एक और महत्वपूर्ण अंतर

परिचालन ऋण और अचल संपत्ति परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं का कहना है कि एक परिचालन लेनदार का कॉर्पोरेट देनदार में कोई हित या हिस्सेदारी नहीं है, एक अचल संपत्ति परियोजना के आवंटनकर्ता के मामले के विपरीत, जो कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय स्वास्थ्य के साथ महत्वपूर्ण रूप से चिंतित है, अन्यथा, अचल संपत्ति परियोजना को सफल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में, न तो कोई मुआवजा, न ही ब्याज के साथ धनवापसी, जो कि दूसरा विकल्प है, कॉर्पोरेट देनदार से वसूली योग्य होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

परिचालन ऋण, धन के समय मूल्य के लिए कोई विचार नहीं है-ऋण का विचार उन वस्तुओं या सेवाओं को माना जाता है जो या तो परिचालन लेनदार से बेचे जाते हैं या उनका लाभ उठाया जाता है। वस्तुओं

और सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान ऐसी वस्तुओं के निर्माण या ऐसी सेवाओं के प्रावधान के लिए नहीं किया जाता है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए किए जा रहे अग्रिम भुगतान के उदाहरण दिए गए हैं, जहां ऐसी वस्तुओं का अनुकूलन और विशिष्टता महत्वपूर्ण है, जिसके कारण अग्रिम भुगतान किए जाते हैं, जो आबंटियों द्वारा किए गए अग्रिम भुगतानों के उदाहरण के रूप में पूरी तरह से अनुचित हैं। अचल संपत्ति परियोजनाओं में, आवंटनकर्ता से धन जुटाया जाता है, जिसे धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध जुटाया जाता है। यहां तक कि ऐसे समय में सहमत कुल प्रतिफल जब फ्लैट/अपार्टमेंट अस्तित्व में नहीं है या अधूरा है, खरीदार को एक तैयार/पूर्ण फ्लैट/अपार्टमेंट के लिए भुगतान करने की कीमत से काफी कम है, और इसलिए, उसे धन का समय मूल्य प्राप्त होता है। इसी तरह, विकासकर्ता जो इससे लाभान्वित होता है

वितरित राशि भी धन के समय मूल्य से प्राप्त होती है। तथ्य यह है कि आवंटी ऐसे भुगतान किश्तों में करता है जो अचल संपत्ति परियोजना के पूरा होने के चरणों के साथ सह-टर्मिनस ऐसे भुगतान नहीं करते हैं जिनमें "विनिमय" शामिल है अर्थात केवल एक फ्लैट/अपार्टमेंट प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए अग्रिम। प्रमुख क्या है, जहाँ तक अचल संपत्ति की बात है

विकासकर्ता इस तथ्य से चिंतित है कि इस तरह के किश्त भुगतान का उपयोग अचल संपत्ति परियोजना के लिए वित्त के साधन के रूप में किया जाता है। परिचालन ऋणों के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह तथ्य है कि रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा देय और देय राशि के लिए दस्तावेजी साक्षय रेरा के तहत अनिवार्य रूप से रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के रूप में है। यह जानकारी, संहिता के तहत सूचना उपयोगिताओं की जानकारी की तरह, घर खरीदारों/आवंटनकर्ताओं के लिए संहिता की धारा 7 के तहत एन. सी. एल. टी. से संपर्क करना आसान बनाती है ताकि इस पर दी गई रियल एस्टेट डेवलपर की अपनी जानकारी पर संहिता को लागू किया जा सके।

निर्माण आदि में देरी के बारे में वेबपेज। यह रियल एस्टेट डेवलपर और आपूर्तिकर्ता के बीच ये बुनियादी अंतर हैं। जिन वस्तुओं और सेवाओं पर विधायिका ने ध्यान केंद्रित किया है और अचल संपत्ति डेवलपर्स को वित्तीय देनदार के रूप में शामिल किया है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि कानूनों के समान संरक्षण का कोई उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. श्री श्याम दीवान नागपुर सुधार पर भरोसा कर रहे हैं

ट्रस्ट वी। विठ्ठल राव [नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम। विठ्ठल राव, (1973) 1 एस. सी. सी. 500] एस. सी. सी. पैरा 26 और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सी. बी. आई. [सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सी. बी. आई. (2014) 8 एस. सी. सी. 682: (2014) 6 एससीसी (सीआरआई) 42: (2014) 3

एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 36] एस. सी. सी. पैरा 44,58 और 68 ने तर्क दिया कि संशोधन का उद्देश्य अपने आप में भेदभावपूर्ण है।

कि यह एक "साधन और शामिल" परिभाषा में एक ऐसी श्रेणी को सम्मिलित करना चाहता है जो उसमें फिट नहीं होती है, अर्थात्, अचल संपत्ति डेवलपर्स जो, शास्त्रीय अर्थों में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे धन उधार नहीं लेते हैं। उनके अनुसार, इसलिए, उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण होने के कारण, अचल संपत्ति डेवलपर्स को वित्तीय देनदारों के रूप में शामिल करने को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि रियल एस्टेट डेवलपर, वास्तव में, ऐसे व्यक्ति हैं जो आबंटियों से वित्त का लाभ उठाते हैं जो तब रियल एस्टेट का वित्तपोषण करते हैं।

विकास परियोजना। ऋण को दो भागों में विभाजित करने का उद्देश्य संहिता के तहत श्रेणियां, अर्थात् वित्तीय और परिचालन ऋण, मोटे तौर पर उन ऋणों में उप-विभाजित करने के लिए हैं जिनमें धन उधार दिया जाता है और जहां माल के कारण ऋण किए जाते हैं।

बेचा जा रहा है या प्रदान की जा रही सेवाएं। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि रियल एस्टेट डेवलपर मूल रूप से अधिनियमित संहिता के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे वित्तीय देनदार हैं और परिचालन देनदार नहीं हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। जहाँ तक असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने का संबंध है, घर खरीदारों/आवंटनकर्ताओं को अन्य व्यक्तिगत वित्तीय लेनदारों के साथ आत्मसात किया जा सकता है जैसे

डिबेंचर धारक और सावधि जमा धारक, जिन्होंने कॉर्पोरेट देनदार को कुछ राशि अग्रिम दी है। उदाहरण के लिए, सावधि जमा धारक, हालांकि वित्तीय लेनदार, अचल संपत्ति की तरह होंगे।

आबंटित लोग असुरक्षित लेनदार होते हैं। इन व्यक्तियों के मामले में वित्तीय अनुबंधों में बड़ी राशि शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अचल संपत्ति धारकों के विपरीत, डिबेंचर धारक और सावधि जमा धारक यह देखने में शामिल हैं कि वे उधार दी गई राशि की वसूली करते हैं और इस प्रकार वे सीधे रूप से शामिल नहीं हैं या कॉर्पोरेट देनदारों की व्यवहार्यता का आकलन करने में रुचि नहीं रखते हैं। यद्यपि समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने की स्थिति में विशेषज्ञता या जानकारी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को, वित्तीय लेनदार होने के कारण, अपने हितों की रक्षा के लिए लेनदारों की समिति में होने का अधिकार है। इसके अलावा, वह प्रश्न जो पूछा जाना है जब कोई डिबेंचर धारक या सावधि जमा धारक संहिता के तहत धारा 7 के आवेदन को पसंद करता है, आवंटी मनीष कुमार बनाम के मामले में पूछा जाएगा।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

207. इस प्रकार, हम निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देते हैं: स्विस रॉबिन्स (ऊपर) में कानून से जुड़ी चुनौती के आधार पर, इस न्यायालय ने नोट किया कि एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य

वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से कोड को ट्रिगर कर सकता है जब कोई चूक होती है। के संबंध में प्रक्रिया

हालांकि परिचालन ऋणदाता अलग हैं। आवेदन को स्वीकार करने से पहले के चरण में, कॉर्पोरेट देनदार के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि ऋण विवादित है, जिस स्थिति में आवेदन खारिज हो जाता है। पैराग्राफ-49 में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि

डिबेंचर धारक और गृह ऋण वाले व्यक्ति हो सकते हैं कई और इसलिए द्वारा वैधानिक रूप से निपटा गया है

संहिता में किए गए परिवर्तन। लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में यह पाया गया कि जिन वित्तीय लेनदारों में बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, वे निश्चित रूप से परिचालन लेनदारों की तुलना में छोटे होंगे। इसके अलावा यह माना गया कि अधिकांश वित्तीय लेनदार विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थान सुरक्षित लेनदार हैं जबकि अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित हैं। स्विस रिबन के पैरा 50 में इस न्यायालय ने सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच अंतर किया और नोट किया कि यू. के. और भारत दोनों में कंपनी अधिनियमों के शुरुआती समय से एक विभाजन मौजूद था। वित्तीय लेनदार आम तौर पर ऋण देते हैं। सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी के लिए। परिचालन लेनदार वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के कारण लेनदार होते हैं। वित्तीय अनुबंधों में शामिल राशि आम तौर पर बड़ी राशि होती है।

परिचालन ऋण में शामिल राशियों के विपरीत जो आम तौर पर कम होती हैं। पुनर्भुगतान कार्यक्रम अलग-अलग होते हैं। इन दोनों के बीच अन्य अंतर देखे जा सकते हैं। यह आगे पाया गया है कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से वित्तीय लेनदार इसमें शामिल हैं -

शुरू से ही निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करना। यह वित्तीय लेनदार को इसमें शामिल होने में सक्षम बनाता है। ऋण का पुनर्गठन। संहिता का उद्देश्य सभी लेनदारों के लिए उच्चतम वसूली सुनिश्चित करते हुए कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करना है। इसलिए वित्तीय ऋणदाता परिचालन ऋणदाताओं से स्पष्ट रूप से अलग थे। स्पष्ट रूप से एक [2021] 14 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोनों के बीच बोधगम्य अंतर जिसका उस वस्तु के साथ सीधा संबंध है जिसे कोड द्वारा प्राप्त किया जाना है। इस न्यायालय ने संहिता की धारा 53 को चुनौती देने के संदर्भ में आगे ध्यान दिया जो परिसमापन कार्यवाही में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के वितरण के तरीके से संबंधित है, कि वित्तीय ऋण जो सुरक्षित हैं और परिचालन ऋण जो असुरक्षित हैं, के बीच सापेक्ष महत्व में अंतर है। यह अंतर दो

प्रकार के ऋणों के सापेक्ष महत्व में पाया गया जब यह उन उद्देश्यों की बात आती है जिन्हें प्राप्त करने की मांग की जाती है। इस न्यायालय का विचार था कि जब पुनर्भुगतान किया जाता है

वित्तीय लेनदार यह अर्थव्यवस्था में पूंजी के नए निवेश की ओर ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप अन्य व्यवसायियों को ऋण देने के लिए धन उपलब्ध होता है।

208. स्विस रिबन (ऊपर) में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित प्रावधानों की चुनौती से निपटने के लिए, यह न्यायालय

इन संस्थानों द्वारा अपनाया गया, जब से ऋण के लिए आवेदन किया जाता है, और इसे संसाधित किया जा रहा है, इसमें शामिल राशियों की विशालता, पुनर्भुगतान की विधि, ऋण के पुनर्भुगतान की पुनः व्यवस्था, अध्ययन किया गया, वास्तव में, ऋण दिए जाने से पहले, जिसे बैंक और वित्तीय संस्थान देनदार पर बनाए रखते हैं, और अंत में, ऐसी संस्थाओं को पुनर्भुगतान का महत्व, देश की आर्थिक स्थिरता और प्रगति के लिए, वसूल की गई राशियों के माध्यम से अन्य उद्यमियों के लिए एक नई पूंजी का निवेश, परिचालन ऋणदाताओं के विपरीत था, जो आम तौर पर असुरक्षित ऋणदाता थे। परिचालन ऋणदाता ऐसे ऋणदाता होते हैं जिन्हें निगमित ऋणदाता वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए धन देता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को चिह्नित करने वाली विशेषताएं लागू में पाई गईं

प्रचालन ऋणदाताओं को।

209. पायनियर (ऊपर) पर आते हुए, इस न्यायालय ने मान्यता दी है कि एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत आवंटनकर्ता असुरक्षित लेनदार हैं (देखें

पैराग्राफ-61, जिसमें यह पाया जाता है)। समान रूप से, पैराग्राफ 43 में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

" 43. उदाहरण के लिए, सावधि जमा धारक, हालांकि वित्तीय लेनदार, अचल संपत्ति आवंटनकर्ताओं की तरह होंगे क्योंकि वे हैं

असुरक्षित लेनदार "। मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

210. यह भी पाया गया है कि इन व्यक्तियों (आबंटित व्यक्तियों) के मामले में वित्तीय अनुबंधों में बड़ी राशि शामिल करने की आवश्यकता नहीं है [पायनियर (उपर्युक्त) के पैराग्राफ-43 को देखें]।

211. इसलिए यह आग्रह किया जा सकता है कि वास्तविक आधार जिसके आधार पर इस न्यायालय ने प्रक्रिया में अंतर को उचित ठहराया

एक ओर वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच धारा 7 और दूसरी ओर धारा 8 और 9 यह है कि संयोजन के बाद

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ वित्तीय लेनदारों और उन्हें सुरक्षित लेनदार बताते हुए, बड़ी राशि उधार देते हुए, जो कि एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत आवंटनकर्ताओं के मामले में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आवंटनकर्ता असुरक्षित लेनदार बने रहते हैं और उनके अनुबंध में बड़ी राशि शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें कम से कम उन परिचालन लेनदारों की तरह माना जाना चाहिए जिनके साथ वे अधिक समानता रखते हैं। जिस बात की शिकायत की गई है, वह यह है कि विवादित संशोधनों से पहले, आबंटियों को वित्तीय लेनदारों के बड़े समूह का हिस्सा माना जा रहा है, वे धारा 7 के प्रावधानों को अकेले और बिना लागू कर सकते हैं।

किसी भी साथी यात्री का समर्थन प्राप्त करना। परिचालन ऋणी भी, इसी तरह, रिश्तेदारों की खोज किए बिना इस तरह का आवेदन दायर कर सकता है। हालांकि, संशोधन के बाद, एक वित्तीय लेनदार के रूप में आवंटनकर्ता द्वारा कब्जा की गई लाभप्रद स्थिति समाप्त हो गई है और आवंटनकर्ता एक परिचालन लेनदार से भी बदतर स्थिति में है। यही कारण है कि एक एकल परिचालन लेनदार अपने दम पर संहिता को सक्रिय कर सकता है, जबकि आबंटित व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता है। यह आबंटित व्यक्ति के साथ भेदभाव का व्यवहार करने के बराबर है।

212. हालांकि यह सच हो सकता है कि आवंटी एक सुरक्षित लेनदार नहीं है और वह बैंक या वित्तीय संस्थान के पद पर नहीं है,

याचिकाकर्ताओं की दलीलें कि अनुच्छेद 14 में शत्रुतापूर्ण भेदभाव निषिद्ध है, असमर्थनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि आंतरिक रूप से ए वित्तीय लेनदार और एक परिचालन लेनदार अलग हैं। एक परिचालन लेनदार वह होता है जिसे देनदार को आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के कारण धन देय होता है। दूसरी ओर, वित्तीय लेनदार का वर्णन इस प्रकार किया गया है, क्योंकि इसमें उधार लेने का तत्व होता है। यह भेद निर्विवाद है। पायनियर (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ-42 में अन्य अंतरों को स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया है, जिसे हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, रियल एस्टेट डेवलपर के लिए परिचालन ऋणों की तुलना में जो अनूठी बात है, वह यह है कि डेवलपर देनदार है क्योंकि एक आवंटी अग्रिम रूप से राशि का भुगतान करके अपने अपार्टमेंट का वित्तपोषण करता है। दूसरी ओर, परिचालन ऋण के मामले में, व्यक्ति [2021] 14 एस. सी. आर.

परिचालन ऋण में धन। आबंटित व्यक्ति के मामले में ऐसा नहीं है। आर. ई. आर. ए. क्वा रियल एस्टेट डेवलपर के तहत उपलब्ध जानकारी के खिलाफ परिचालन ऋणों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य की

अनुपलब्धता एक और विशेषता है जो पायनियर (ऊपर) में देखी गई थी जो एक परिचालन देनदार और एक आवंटनकर्ता के बीच के अंतर से संबंधित है।

213. प्रचालन देनदार, के भुगतान से संबंधित है

आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देय राशि। जब कोई आबंटित व्यक्ति किसी अचल संपत्ति परियोजना में पैसा निवेश करता है, तो उसकी प्राथमिक और प्रमुख चिंता यह होती है कि परियोजना पूरी हो जाए और उसे अपार्टमेंट या फ्लैट का कब्जा मिल जाए। समस्या वास्तव में उत्पन्न होती है क्योंकि कई हितधारक हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं। यह विवाद में नहीं हो सकता है कि कानून के तहत, एक आवंटी रेरा के तहत उपचार की मांग कर सकता है। आबंटित व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार भी ले सकता है या मुकदमा भी दायर कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर. ई. आर. ए. की धारा 71 उस व्यक्ति को अनुमति देती है जिसने एक याचिका दायर की है। आर. ई. आर. ए. की धारा 12,14,18 और 19 द्वारा शासित मामलों के संबंध में शिकायत वापस लेने और उसी के समक्ष दायर करने के लिए

आर. ई. आर. ए. के तहत न्यायिक अधिकारी। बहुत सारे मामले हैं

जहाँ आबंटित व्यक्ति या तो रेरा के तहत या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शरण लेता है। संहिता के तहत धारा 7 के तहत आवेदन के माध्यम से की गई कार्रवाई एक कार्रवाई है। भुगतान की गई राशि की वसूली पर मुख्य रूप से संहिता के तहत विचार नहीं किया गया है। पायनियर (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ-41 में, इस न्यायालय ने एक अचल संपत्ति परियोजना के एक आबंटित व्यक्ति द्वारा धारा 7 के तहत शुरू किए गए मुकदमे के परिणामों की निराशाजनक लेकिन यथार्थवादी तस्वीर को चित्रित किया है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल ऐसा आबंटित व्यक्ति जिसने पूरी तरह से विश्वास खो दिया है

प्रबंधन इस उम्मीद में धारा 7 के तहत आएगा कि कुछ अन्य

डेवलपर परियोजना को संभाल लेगा और पूरा करेगा। साथ ही, इस न्यायालय ने देखा कि इस तरह का साहस एक आसन्न खतरे के मुंह में होगा, कि अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो निगम का अंत हो जाएगा और आबंटित व्यक्ति को जो कुछ भी कम हो सकता है वह प्राप्त करने के लिए कम हो जाएगा।

वह इस आधार पर रहता है और पाया जाता है कि वह संहिता की धारा 53 के तहत निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में केवल एक असुरक्षित लेनदार है। इस न्यायालय ने आर. ई. आर. ए. के तहत आने वाले आवंटी के लिए एक अधिक गुलाबी तस्वीर पेश की है, क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि परियोजना को पूरा किया जा सकता है या जुर्माने के साथ धनवापसी की पूरी राशि दी जा सकती है। इस

प्रकार, विवादित प्रावधानों के अधिकारों को एक ओर न्यायिक जांच से मुक्त होने और दूसरी ओर जनादेश की अवहेलना करने वाले शत्रुतापूर्ण भेदभाव के पीछे के विवेक और विधायी मूल्य निर्णय के बीच के अंतर पर आंखें मूंद लिए बिना आंका जाना चाहिए

अनुच्छेद 14 के तहत समानता, क़ानून के लिए घातक होना। इस मामले में, हालांकि यह सच हो सकता है कि आवंटनकर्ता असुरक्षित लेनदार हैं और इस संबंध में, वे परिचालन लेनदारों के समान हैं और यह भी सच हो सकता है कि अचल संपत्ति परियोजनाओं के तहत कई अनुबंधों में, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिम के विषय के रूप में बड़ी राशि शामिल नहीं हो सकती है, दोनों के बीच समानता वहाँ समाप्त होती है। अधिक महत्व की बात यह है कि धारा 7 के तहत प्रावधानों के अधिकार पर घोषणा करने के मामले में जो अंतर हम पहले ही देख चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उन्हें अलग करता है, वह है आबंटियों की संख्या, और एक विशेष स्थिति में वे जो चाहते हैं उसमें सजातीय नहीं होना, क्योंकि कानून ने वास्तव में आबंटियों को अलग-अलग उपचार प्रदान किए हैं, जिनके अलग-अलग निहितार्थ हैं, चाहे वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हों या रेरा के तहत। यदि विधानमंडल को लगता है कि संहिता के तहत किसी आवेदन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, जब व्यक्तियों का इतना बड़ा समूह एक-दूसरे पर हमला करता है, तो इसके लिए एक अतिरिक्त सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

धारा 7 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए, निश्चित रूप से, यह कानून की न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालय के हाथों संवैधानिक वीटो का सामना नहीं कर सकता है। वास्तव में, पायनियर में इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए आमंत्रित किया गया था कि आवंटनकर्ता वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में परिचालन ऋणदाताओं की तरह अधिक थे और कई पहलुओं को इंगित किया गया था और इस न्यायालय ने

[पैरा 48] में सारणीबद्ध रूप में इसे इंगित किए गए मतभेदों ने तर्कों को खारिज कर दिया। अस्वीकृति का समर्थन स्विस रॉबिन (ऊपर) में निष्कर्षों के संदर्भ में किया गया है जिसका संकेत पायनियर (ऊपर) के पैरा 32 में दिया गया है।

214. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आबंटित व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया हो। जो कुछ भी हुआ है वह आधा है जिस तरह से घर चरम स्थितियों के बीच बनाया गया है, अर्थात। , आबंटित व्यक्ति को संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के अधिकार से पूरी तरह से इनकार करना और अचल संपत्ति परियोजना और उसके तहत सभी हितधारकों को संहिता के तहत एक कार्यवाही के लिए बंधक बनाने के लिए एक व्यक्ति को बेलगाम लाइसेंस देना जो निश्चित रूप से एक निर्धारित [2021] 14 एस. सी. आर. के भीतर निर्विवाद रूप से पारित होना चाहिए।

समय की अवधि को धारा 33 के तहत सभी आबंटियों के अपरिहार्य परिणाम के साथ कॉर्पोरेट मृत्यु में परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिए और न कि केवल धारा 7 के तहत आवेदक को परिसमापन मूल्य से भुगतान के साथ देखा जा रहा है, जो राशि केवल असुरक्षित के कारण है।

लेनदार।

यह याद रखना चाहिए कि, इस मामले में एक वित्तीय लेनदार के बीच अंतर का बिंदु, एक अचल संपत्ति परियोजना के आबंटियों और

एक ओर धारा 7 में निहित परिचालन लेनदारों और दूसरी ओर धारा 8 और 9 को संरक्षित किया गया है। दूसरे शब्दों में, परिचालन लेनदार को अभी भी एक परिचालन लेनदार के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार को अनुमति दी गई रक्षा के दांतों में संसाधित नहीं किए जा रहे आवेदन से बंद नहीं होने की सीमा को पार करना पड़ता है। जो कुछ भी हुआ है वह यह है कि विधायिका ने अपने विवेक में पाया है कि इसमें अधिक अच्छा निहित है।

एक पूर्ण अधिकार की शर्त जो आवश्यकताओं द्वारा एक आबंटित के पक्ष में मौजूद था जो आबंटियों के बीच सहमति के कुछ निश्चित तत्व को सुनिश्चित करेगा। यह याद रखना चाहिए कि आवश्यकता आबंटियों का केवल दसवां हिस्सा है। यह एक ऐसी संख्या है जो नीति में जाती है और विशेष रूप से विधानमंडल के विवेक के अंतर्गत आती है। इसलिए, हमें इस संबंध में विवादों को दूर करने में कोई संकोच नहीं है।

आश्रित भंडार/सुरक्षा भंडार: द.

सबसे पहली गलत शर्त के लिए चुनौती

215. श्री राणा मुखर्जी, डब्ल्यू. पी. में विद्वान वरिष्ठ वकील। (सी) 2020 का No.579 प्रस्तुत करेगा कि पहला परंतुक स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है एक गलती का परिणाम। यह तर्क दिया जाता है कि विधायिका का लक्षय आई. बी. सी. की धारा 7 को लागू करते हुए व्यक्तिगत आबंटियों द्वारा बनाई गई समस्या थी। जहाँ तक उसके ग्राहकों का संबंध है, वे डिबेंचर धारक और अन्य प्रतिभूति धारक हैं जिन पर कॉर्पोरेट देनदार का ऋण है। प्रतिभूति धारकों पर एक सीमा आवश्यकता लागू करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। 'वर्ग' का उल्लेख किया गया है।

216. विद्वान सलाहकार हमारे लिए इस सिद्धांत की सराहना करेंगे

मूर्खता। यह इंगित किया गया है कि बेतुकेपन के सिद्धांत को इस न्यायालय को सुरक्षा के संबंध में इसे लागू नहीं करने के लिए पहले प्रावधान को पढ़ने के लिए निर्देशित करना चाहिए।

धारक और डिबेंचर धारक। इस संबंध में हमारा ध्यान एल. आर. और अन्य द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी) में इस अदालत के फैसले की ओर आकर्षित किया गया है। वी. एल. आर. के माध्यम से अनंत महादेव सावंत (डी) और Ors.55 65। यह आगे अदालत के ध्यान में लाया जाता है कि प्रावधान

65 (2019) 12 स्केल 579 मनीष कुमार बनाम।

प्रकट मनमानेपन से पीड़ित है। वकील फैसले पर निर्भर करता है

शायरा बानो बनाम में इस न्यायालय का। भारत संघ और अन्य निर्णय जिसमें तीन तलाक से संबंधित कानून को निरस्त किया गया था। प्रति।

इसके विपरीत, संघ का यह रुख है कि संहिता की धारा 25 ए के साथ पठित धारा 21 (6 ए) (ए) और (बी) में वित्तीय प्रावधानों के कुछ वर्गों पर विचार किया गया है।

लेनदार स्वयं एक अलग वर्ग में आते हैं।

217. संघ का यह रुख है कि ऋणदाताओं, वित्तीय ऋणदाताओं के कुछ वर्गों के संबंध में, यानी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए,

उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाना था। तदनुसार, डिबेंचर धारकों सहित प्रतिभूति धारकों से संबंधित खंड (ए) के साथ धारा 21 में उप-धारा (6 ए) को शामिल करने के साथ, जिसमें याचिकाकर्ता शामिल होंगे कि लेनदारों की समिति में होने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना था।

218. धारा 25 ए अधिकृत प्रतिनिधियों के अधिकारों और देनदारियों का प्रावधान करती है जिसमें डिबेंचर धारकों के अधिकृत प्रतिनिधि, प्रतिभूति धारक और अंत में आवंटनकर्ता शामिल हैं। जहां तक आबंटियों का संबंध है, यह संघ का रुख है कि वे धारा 21 (6 ए) (बी) के तहत आएंगे, जबकि डिबेंचर धारकों सहित प्रतिभूति धारक जिनके पास कॉर्पोरेट देनदार का पैसा बकाया है, वे इसके तहत आएंगे। धारा 21 (6 ए) (ए)। इन दोनों श्रेणियों के संबंध में, दूसरे शब्दों में, जो विशेषता सामने आती है, वह है बड़ी संख्या में लेनदारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में आबंटियों की संख्या। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आबंटियों के मामले में अन्य विशिष्टताएं भी हैं। उपभोक्ता की परस्पर क्रिया

संरक्षण अधिनियम, रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम के प्रावधान, रियल एस्टेट परियोजना के जारी रहने में आवंटनकर्ताओं की हिस्सेदारी की इष्टतम सुरक्षा के अर्थ में आवंटनकर्ताओं के हितों का संतुलन केवल आवंटनकर्ताओं के संबंध में वर्गीकरण को और मजबूत करेगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि डिबेंचर और प्रतिभूति धारकों के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से सी. आई. आर. पी. शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। समान रूप से रखे गए डिबेंचर धारकों या प्रतिभूति धारकों के संबंध में जानकारी की उपलब्धता के सवाल के संबंध में, संघ का तर्क है कि कंपनी अधिनियम की धारा 88 के तहत डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों के बारे में जानकारी उत्पन्न की जाती है। कोई भी व्यक्ति कंपनी के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके साथ

आवेदन को धारा 7 (1) के पहले परंतुक के तहत भेजा जा सकता है। उनके संबंध में भी यह संघ का मामला है कि विषमता का सिद्धांत लागू होता है। समान रूप से, यह संघ का मामला है कि व्यक्तिगत लेनदार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त वर्ग इस संबंध में एक अत्यधिक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक निर्णय लेगा कि क्या धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए और यह संस्थागत निर्णय लेने के विपरीत है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के संबंध में लागू होगा। 219. हमारा विचार है कि पहला परंतुक अभेद्य है। जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सम्मिलन के साथ बताया है

धारा 21 में उप-धारा 6ए के साथ-साथ धारा 25ए का भी, विधायिका का इरादा वित्तीय लेनदारों के साथ अलग व्यवहार करना है। वे संख्यात्मकता के संदर्भ में अद्वितीय विशेषताओं से चिह्नित हैं और विषमता स्पष्ट है। धारा 21 (6ए) (ए) इस प्रकार है:

" (6(क) जहाँ वित्तीय ऋण हो।
(क) प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक ट्रस्टी या एजेंट की नियुक्ति के लिए प्रदान करती हैं, ऐसे ट्रस्टी या एजेंट ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेंगे;

(ख) XXX XXX

XXX

((c) XXX

XXX

धारा 25ए निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" 25ए. के अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार और कर्तव्य

वित्तीय लेनदार।

(1) धारा 21 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6ए) या धारा 24 की उप-धारा (5) के तहत अधिकृत प्रतिनिधि को वित्तीय लेनदार की ओर से लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होगा।

वित्तीय लेनदार को लेनदार जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। (3) अधिकृत प्रतिनिधि उस वित्तीय लेनदार के हित के खिलाफ कार्य नहीं करेगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और हमेशा कार्य करेगा।

उनके पूर्व निर्देश के अनुसार:

बशर्ते कि यदि अधिकृत प्रतिनिधि कई का प्रतिनिधित्व करता है

वित्तीय लेनदार, फिर वह प्रत्येक मनीष कुमार बनाम के संबंध में अपना वोट डालेंगे।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रत्येक वित्तीय लेनदार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वित्तीय लेनदार, अपने मतदान हिस्से की सीमा तक:

बशर्ते कि यदि कोई वित्तीय लेनदार पहले नहीं देता है

पचास प्रतिशत से अधिक। वित्तीय के मतदान हिस्से का वह जिन लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने अपना वोट डाला है:

बशर्ते कि धारा 12 ए के तहत किसी आवेदन के संबंध में मतदान करने के लिए, अधिकृत प्रतिनिधि उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार अपना मतदान करेगा।

220. इन प्रावधानों को इस न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी जैसा कि पायनियर (उपरोक्त) में निर्णय से स्पष्ट है। जैसा कि संघ की ओर से बताया गया है, उक्त मामले में चुनौती अचल संपत्ति परियोजनाओं के प्रवर्तकों द्वारा दी गई थी। इन प्रावधानों को उप-धारा 6 ए द्वारा कवर किए गए याचिकाकर्ताओं जैसे लेनदारों द्वारा स्वीकार किया गया है। धारा 25 ए में उप-धारा 3 ए को शामिल करने के प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, धारा 25 ए, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणपत्र धारकों और आबंटियों जैसे लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकारों और देनदारियों के प्रयोग से संबंधित है। धारा 25 ए में उप-धारा 3 ए को शामिल करने के बाद, एक वर्ग के अधिकांश लेनदारों को भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। दूसरे शब्दों में, इसका दृष्टिकोण हावी रहेगा। यह अन्यथा संहिता के अधीन है। विधायी समझ स्पष्ट है कि बड़ी संख्या की पहचान रखने वाले ऐसे लेनदारों के संबंध में उनके साथ अलग व्यवहार करने की आवश्यकता है। यदि उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है तो यह अराजकता पैदा करेगा और संहिता के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाएगा। यह इस मूल सिद्धांत का विस्तार है जिसके कारण विवादित परंतुक को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के लेनदारों के संबंध में एक सीमा पर जोर देने से अंधाधुंध मुकदमेबाजी पर रोक लग जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप जहां तक संहिता का काम करने वाले अधिकारियों का संबंध है, एक अनियंत्रित डॉकेट विस्फोट होगा। ऋणी जो स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त होता है, ऊंट की पीठ पर आखिरी पुआल से मुक्त हो जाता है, जैसा कि व्यक्तिगत लेनदारों को रोककर, जिनके विचार आवेदनों के साथ दौड़ने वाले

उसके साथियों की उचित संख्या द्वारा भी साझा नहीं किए जाते हैं। फिर से, जैसा कि आबंटियों के मामले में, [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तुच्छ या परिहार्य अनुप्रयोग। परिहार्य आवेदनों से हमारा मतलब एक ऐसा निर्णय है जो समान रूप से रखे गए लेनदारों द्वारा उन परिणामों को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया जाएगा जो न केवल एक ही श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के संबंध में बल्कि लेनदारों और अन्य हितधारकों की व्यापकता के संबंध में भी होंगे। संशोधन से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि आवेदन दाखिल करने से पहले कम से कम समान रूप से रखे गए लेनदारों के एक छोटे से प्रतिशत के लिए आम सहमति हो कि एक कानूनी विवाद शुरू करने का समय आ गया है जो दूसरों के अलावा आवेदकों के लिए स्वयं खतरों से घिरा हुआ है। जहां तक परंतुक के तहत विचार किए गए आवेदकों का प्रतिशत है, यह स्पष्ट है कि इसे मनमाना या मनमौजी आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है। विधायिका अन्य कानूनों के तहत इसी तरह की आवश्यकताएं नहीं चाहती है। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके पूर्ववर्तियों के प्रावधानों में समान प्रावधान थे। जिसे 'लोन रेंजर' अनुप्रयोगों के रूप में वर्णित किया गया है, उसे अत्यधिक गंभीर प्रभावों से घिरा हुआ है जो वस्तुओं के साथ क्रॉस उद्देश्यों पर हैं कोड। यह विशेष रूप से वर्तनी में समान श्रेणियों में आने वाले लेनदारों के हित के लिए इससे अलग है जिससे बचा जा सकता है। सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही तय करने में तेजी लाने का उद्देश्य डिबेंचर धारकों और प्रतिभूति धारकों पर सीमा लागू करके भी हासिल किया जाएगा। विधायिका की विवेक या नीति और संविधान द्वारा रखी गई सीमा के बीच विभाजन रेखा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

221. मूर्खता की प्रयोज्यता पर आधारित विवाद

इस सिद्धांत पर सिद्धांत कि जिसका परिणाम है, 'सभी मानव जाति बिना किसी अटकलों के अस्वीकार करने में एकजुट होगी', वह प्रावधान पर लागू नहीं हो सकता है। संहिता की संहिता और उद्देश्य और विशिष्ट विशेषताएं जो इस मामले में शामिल लेनदारों को लेनदारों की व्यापकता से अलग करती हैं, एक आर्थिक उपाय के लिए चुनौती और विधायिका के लिए परिणामी अक्षांश पूरी तरह से असंगत के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है।

222. पायनियर (ऊपर) के पैराग्राफ-49 में उनकी संख्या के संदर्भ में उनकी पहचान को ध्यान में रखने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें पहले परंतुक की शर्तों के भीतर उनके शामिल होने की शिकायत करते हुए नहीं सुना जा सकता है। इसके अलावा धारा 25 (ए) के साथ पठित धारा 21 (6ए) (ए) मामले को संदेह के दायरे से परे रखती है।

मनीष कुमार बनाम। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

[के. एम. जोसेफ, जे.]

223. याचिकाकर्ताओं के लिए कोई समर्थन प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है

2019 (12) SCALE.579 में इस न्यायालय के निर्णय से। उक्त मामले के तथ्यों ने एक स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत की जिसने सिद्धांत के अनुप्रयोग को आमंत्रित किया।

द चैलेंज टू एक्सप्लेनेशन-II टू सेक्शन

11 कोड से।

224. याचिकाकर्ता ने 2020 की रिट याचिका संख्या 267 में उपरोक्त स्पष्टीकरण को चुनौती दी है।

28.12.2019 पर लागू होना (यह याद रखना चाहिए कि वही स्पष्टीकरण सम्मिलित करने वाला अध्यादेश लागू किया गया था) 28.12.2019) .

226. याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

प्रतिवादी संख्या 3 याचिकाकर्ता की एक सहायक कंपनी है। उत्तरदाता संख्या 2 भी एक निगमित निकाय है। वहाँ निश्चित थे

दूसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाप्त करने के लिए 19.11.2018 पर एक आदेश पारित किया है। संहिता की धारा 34 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2। यह विकास धारा 11 (डी) के प्रकोप को भी आमंत्रित करता है। हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 24.08.2019 पर, संहिता के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन को गलती से स्वीकार कर लिया था। उसी के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा एक अपील की गई थी, जो लंबित है। इस बीच, अध्यादेश को धारा 11 बनाम [2021] 14 एस. सी. आर. में स्पष्टीकरण-II जोड़ते हुए 28.12.2019 पर प्रख्यापित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके बाद इसी तर्ज पर विवादित, संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

227. याचिकाकर्ता के तर्क का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

एक स्पष्टीकरण मुख्य प्रावधान को संशोधित नहीं कर सकता है जिसके लिए

यह एक स्पष्टीकरण है।

धारा 11 (ए) और धारा 11 (बी) स्पष्ट रूप से एक कॉर्पोरेट देनदार को एक अन्य कॉर्पोरेट के लिए सी. आई. आर. पी. आवेदन दायर करने से रोकती है। संहिता की धारा 7 और धारा 9 के तहत ऋणदाता। एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम में दिए गए स्पष्टीकरण के लिए कानून की व्याख्या से समर्थन प्राप्त करने की मांग की जाती है। आर.

पट्टाबिरमन और अन्य 67 और सोनिया भाटिया बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 68. यह शिकायत की जाती है कि स्पष्टीकरण के लेबल का उपयोग काफी हद तक संशोधन करने के लिए किया गया है, जो शक्ति का एक मनमाना और तर्कहीन प्रयोग है।

228. यह इंगित किया गया था कि स्पष्टीकरण-I से धारा 11 में 'शामिल' शब्द इंगित करता है कि सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन वर्जित है

केवल अपने विरुद्ध, बल्कि किसी अन्य निगमित देनदार के विरुद्ध भी जब आवेदक-निगमित देनदार धारा 11 में व्यक्त परिस्थितियों में पाया जाता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि विवादित संशोधन, प्रभावी रूप से धारा 11 (ए) और 11 (डी) को निरस्त करता है। यदि स्पष्टीकरण का उद्देश्य, जो विवादित है, यह है कि कानून का इरादा केवल एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपने खिलाफ सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन को रोकना था, तो यह अव्यवहारिक और व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। स्पष्टीकरण-II स्पष्ट रूप से मनमाना है। शायरा बानो (ऊपर) से समर्थन प्राप्त करने की मांग की जाती है। यह आगे तर्क दिया गया कि संशोधन का उपयोग पूर्वव्यापी रूप से नहीं किया जा सकता है और निहित अधिकार को छीन नहीं लिया जा सकता है। वास्तव में, यह तर्क दिया जाता है कि एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन संभावित है लेकिन स्पष्टीकरण II वास्तव में एक ठोस प्रावधान है। वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा संग्रह करने का प्रयास किया जाता है। आयकर आयुक्त, दिल्ली-169, जिसमें यह न्यायालय धारा 271 पर विचार कर रहा था।

आय-कर अधिनियम, 1961, जिसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। विचाराधीन धारा, एक दंडात्मक प्रावधान था।

229. यह भी तर्क दिया गया कि कानून का निपटारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और राष्ट्रीय कंपनी कानून द्वारा किया गया है।

67 (1985) 1 एस. सी. सी. 591

68 (1981) 2 एस. सी. सी. 585

69 (2007) 9 एस. सी. सी. 665 मनीष कुमार बनाम।

अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने कहा कि धारा 11 (ए) और 11 (डी) के अंतर्गत आने वाला एक निगमित देनदार, किसी अन्य निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. पी. आर. के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता है। आक्षेपित संशोधन का उपयोग पूर्वव्यापी रूप से नहीं किया जा सकता है

28.12.2019 से पहले स्थापित मामले, जो वह दिन है जिस दिन विवादित संशोधन लागू हुआ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन

यह अनुच्छेद 14 और संबंधित कानून का उल्लंघन है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 का प्रत्यर्थी संख्या 2 का बकाया है, जो रुपये की राशि से अधिक है। 26 करोड़, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के परिसमापन मूल्य का 20 प्रतिशत है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि नोटों पर खंड प्रावधान के उद्देश्य की व्याख्या करता है। संशोधन का बचाव उचित और मनमाना नहीं होने के रूप में किया गया है। यह इंगित किया गया है कि यह संहिता के उद्देश्य के विपरीत होगा यदि कॉर्पोरेट देनदार के कारण ऋण को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की रक्षा और संरक्षण के लिए संहिता के तहत समाधान पेशेवर के कर्तव्यों को इंगित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के समर्थन में अपीलीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का एक आदेश भी इंगित किया गया है। व्याख्या-II, यह इंगित किया गया है, केवल स्पष्ट करता है कि क्या

हमेशा सही स्थिति थी।

231. भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी संशोधन का समर्थन करेंगे। संदर्भ है

दिवाला विधि समिति की फरवरी, 2020 की रिपोर्ट, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति। समिति के समक्ष यह लाया गया कि इससे इस बात पर भ्रम पैदा हो गया है कि क्या कोई कॉर्पोरेट देनदार जो सी. आई. आर. पी. या परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहा है, अन्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है जो इसके देनदार हैं। 6.2 . समिति ने नोट किया कि विभिन्न न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों ने अन्य कॉर्पोरेट देनदारों के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए एक समाधान पेशेवर के अधिकार के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए थे। एक ओर समाधान पेशेवर का [2021] 14 एस. सी. आर. शुरू करने का अधिकार है।

अन्य निगमित देनदारियों के खिलाफ सी. आई. आर. पी. को इस पर भरोसा करके बरकरार रखा गया था

समाधान पेशेवर का वैधानिक कर्तव्य पुनर्प्राप्त करने के लिए धारा 25 (2) (बी) के तहत कॉर्पोरेट देनदार का बकाया। दूसरी ओर, समाधान पेशेवर को धारा 11 (ए) की शाब्दिक व्याख्या के आधार पर ऐसा करने से रोक दिया गया था। जबकि अपीलीय प्राधिकरण ने अभय एन. मनुधाने बनाम गुप्ता कोल इंडिया प्राइवेट में इनमें से किसी भी दृष्टिकोण का समर्थन किए बिना इनमें से कुछ आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया था। लिमिटेड, इसने बाद वाला दृष्टिकोण अपनाया था और परिसमापक को अन्य के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दायर करने के अधिकार से इनकार कर दिया था।

निगमित देनदार (धारा 11 (घ) के संदर्भ में)।

6.3 . हालाँकि, धारा 11 के खंडों पर टिप्पणियों के अनुसार, इस धारा को "बार-बार उपयोग करने" को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

विलम्ब हेतु निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

देय ऋणों का पुनर्भुगतान या परिसंपत्तियों को उनकी पहुंच से बाहर रखने के लिए लेनदार "और परिसमापन आदेश पारित होने के बाद एक कॉर्पोरेट देनदार को सी. आई. आर. पी. शुरू करने से रोककर परिसमापन आदेश की अंतिमता सुनिश्चित करना। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 11 का उद्देश्य एक कॉर्पोरेट देनदार को वैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोकना है।

इसके बजाय, समाधान पेशेवर या एक कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापक को अन्य चूक करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने से रोकने के लिए व्याख्या की गई, यह एक कॉर्पोरेट देनदार की अपने देनदारों से अपने बकाया की वसूली करने की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। विश्लेषण

232. संहिता के प्रावधानों के संबंध में तर्क को संबोधित करने से पहले, स्पष्टीकरण के कार्य के संबंध में लागू सिद्धांतों को निकालना आवश्यक है। तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ, एस. सुंदरम पिल्लई (ऊपर) में एक गैर-उद्धृत निर्णय में एक स्पष्टीकरण के दायरे की विस्तार से जांच करने के लिए आई। संयोगवश, न्यायालय को एक स्पष्टीकरण से निपटना पड़ा जो एक परंतुक के साथ जोड़ा गया था और इसलिए, इसका निर्णय एक परंतुक के संबंध में लागू सिद्धांतों से भी संबंधित है। विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने पहले के मामले के कानून का सर्वेक्षण किया। हम पैराग्राफ-49,50,52 और अंत में, पैराग्राफ-53 में इसके निष्कर्षों का उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं:

【 अनीश कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 49. उपरोक्त लेखकों द्वारा निर्धारित सिद्धांत इस न्यायालय के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं। केवल उद्धृत करने के लिए

कुछ, बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। सीटीओ [(1961) 1 एससीआर 902: ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 325: (1960) 11 एस. टी. सी. 764] एक संविधान पीठ का निर्णय, हिदायतुल्ला, जे.

न्यायालय के लिए बोलते हुए, इस प्रकार टिप्पणी की:

" अब, स्पष्टीकरण की व्याख्या उसकी अपनी अवधि के अनुसार की जानी चाहिए, और इसका उद्देश्य अनुच्छेद के खंड (1) (एफएल) की व्याख्या करना है, न कि इसके विपरीत। यह समझाने में त्रुटि है कि

अनुच्छेद की सहायता से स्पष्टीकरण, क्योंकि यह उल्टा है

उनकी भूमिकाएँ।

50. बिहटा सहकारी विकास में बेंत विपणन

यूनियन लिमिटेड बनाम। बैंक ऑफ बिहार [(1967) 1 एस. सी. आर. 848: ए. आई. आर 1967 एस. सी

389 : 37 कॉम कैस 98] इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" स्पष्टीकरण को पढ़ा जाना चाहिए ताकि मुख्य खंड में किसी भी अस्पष्टता के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके और उसे दूर किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस तरह से खंड के दायरे को व्यापक बनाने के लिए।

52. दत्तात्रेय गोविंद महाजन बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र [(1977) 2 एससीआर 790: (1977) 2 एससीसी 548: ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 915] जे. भगवती ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एस. सी. सी पी. 563, पैरा 9)

" यह सच है कि एक स्पष्टीकरण का रूढ़िवादी कार्य मुख्य प्रावधान के अर्थ और प्रभाव की व्याख्या करना है जिसके लिए यह एक स्पष्टीकरण है और इसमें किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने के लिए है। इसलिए, भले ही विचाराधीन प्रावधान किया गया हो

एक स्पष्टीकरण कहा जाता है, हमें इसके अनुसार इसका अर्थ लगाना चाहिए

सादा भाषा और किसी भी प्राथमिक विचार पर नहीं। "

53. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के एक पहलू से, यह स्पष्ट है कि एक वैधानिक स्पष्टीकरण का उद्देश्य

प्रावधान है

" (क) अधिनियम के अर्थ और आशय की व्याख्या करना।

स्वयं,

(ख) जहाँ कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता है

मुख्य अधिनियम, उसी को स्पष्ट करने के लिए ताकि इसे उस प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके जिसे वह कम करता प्रतीत होता है,

(ग) प्रमुख वस्तु को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।

अधिनियम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, [2021] 14 एस. सी. आर.

छोड़ दिया जाता है जो स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, ताकि शरारत को दबाया जा सके और उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके अधिनियम यह अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य और इरादे की व्याख्या करने में न्यायालय की सहायता या सहायता कर सकता है, और

(ई) हालाँकि, यह उस वैधानिक अधिकार को छीन नहीं सकता है जिसके साथ किसी क़ानून के तहत किसी व्यक्ति को पहना गया है या स्थापित किया गया है।

में बाधा बन कर किसी अधिनियम का कार्यकरण नहीं

उसी की व्याख्या "।

233. वास्तव में एक के दायरे को समझना महत्वपूर्ण है

स्पष्टीकरण। हम पैराग्राफ-53 में एस. सुंदरम पिल्लई (ऊपर) में इस न्यायालय के निष्कर्षों के सारांश को पहले ही देख चुके हैं। यह दे सकता है

यह धारणा कि एक स्पष्टीकरण, उन परिस्थितियों में, मुख्य प्रावधान की सीमाओं को चौड़ा नहीं करता है, जिसके लिए यह एक स्पष्टीकरण है। हालाँकि, यह उचित है कि हम इस अदालत ने पहले के एक अवसर पर जो कहा था, उसे सुनें। हीरालाल रतनलाल और अन्य में चार विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय में। वी. यू. पी. राज्य और अन्य 70 इस न्यायालय ने, एक कराधान क़ानून में एक स्पष्टीकरण

के दायरे पर विचार करते हुए, अर्थात्। , संयुक्त प्रांत बिक्री कर अधिनियम, 1948 में यह कहा गया था:

" 22. इसके बाद यह आग्रह किया गया कि धारा 3-डी के स्पष्टीकरण 2 के सही निर्माण पर, विभाजित या संसाधित दालों की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। सबसे पहले यह तर्क दिया गया था कि एक स्पष्टीकरण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है

असंदिग्ध और यदि उस प्रावधान से, विधायी आशय है स्पष्ट रूप से, हमें क़ानूनों के निर्माण के अन्य नियमों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। विधियों के निर्माण के अन्य नियमों को तभी सहायता के लिए बुलाया जाता है जब विधायी इरादा स्पष्ट नहीं होता है। आम तौर पर ए

किसी धारा के प्रावधान का उद्देश्य मुख्य के एक हिस्से को निकालना है।

विशेष उपचार के लिए अनुभाग। इसका विस्तार होने की उम्मीद नहीं है। मुख्य खंड का दायरा। लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि एक प्रावधान को परन्तुक कहा जाता है,

यह वास्तव में एक अलग प्रावधान है और तथाकथित परंतुक में

70 (1973) 1 एस. सी. सी. 216 मनीष कुमार बनाम।

मुख्य खंड में काफी बदलाव किया गया। सी. आई. टी. वी. में बिपिनचंद्र

मगनलाल एंड कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1040: (1961) 2

एससीआर 493: (1961) 41 आई. टी. आर. 290] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि काल्पनिक रूप से धारा 10 (2) (vii) धारा 2 (6-सी) के साथ पठित दूसरा परंतुक

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 जो वास्तव में आय नहीं है, उसके लिए

कर योग्य बनाई गई आकलन योग्य आय की गणना का उद्देश्य

आय।

25. स्पष्टीकरण की भाषा के आधार पर यह

एक स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इसने इसका दायरा बढ़ा दिया है मुख्य धारा, विधायी आशय के बावजूद प्रभाव दिया जाना चाहिए

तथ्य यह है कि विधानमंडल ने उस प्रावधान को एक स्पष्टीकरण के रूप में नामित किया।

इन सभी मामलों में अदालतों को सही इरादे का पता लगाना होता है - विधानमंडल "।

(जोर दिया गया)

234. हालांकि, एस. सुंदरम पिल्लई (ऊपर) में एक बाद के निर्णय में,

इस न्यायालय ने इस निर्णय को तब स्वीकार किया था जब इसे रद्द करने की बात आई थी

प्रस्ताव, एक स्पष्टीकरण के बारे में पहलू, एक प्रावधान के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। यह याद रखना चाहिए कि विधानमंडल अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के माध्यम से बोलता है। यह उपकरण को जो नामकरण देता है, वह व्यक्त भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसे वह नियोजित करता है। यदि, वास्तव में, किसी विशेष मामले में, एक स्पष्टीकरण मुख्य प्रावधान की शर्तों को व्यापक बनाता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाएगा कि वह विधानमंडल की इच्छा को प्रभावी बनाए।

235. वास्तव में, एस. सुंदरम पिल्लई में निर्णय के संबंध में

(ऊपर), उन प्रावधानों को विच्छेदित करना आवश्यक हो सकता है जो इसके लिए पड़े थे

विचार करें। न्यायालय, उक्त मामले में, तमिलनाडु में प्रचलित किरायेदार की बेदखली पर प्रतिबंधों से संबंधित कानून पर विचार कर रहा था। मूल प्रावधान ने मकान मालिक को एक किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार प्रदान किया, अगर वह जानबूझकर किराया देने में विफल रहता है। हालाँकि, एक परंतुक था जो न्यायालय को 30 दिनों की सीमा के अधीन किरायेदार को समय देने का अधिकार देता था, यदि यह पाया जाता है कि किराए का भुगतान जानबूझकर नहीं किया गया था। इस परंतुक में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। स्पष्टीकरण में, बदले में, यह प्रावधान किया गया कि यदि मकान मालिक किरायेदार को किराया और किराया देने के लिए नोटिस देता है तो वह दो की अवधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

महीनों तक, इसे जानबूझकर चूक के मामले के रूप में माना जाएगा।

जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष संबोधित किया गया था, उनमें यह तर्क शामिल था कि भले ही स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर एक नोटिस दिया गया हो, यह यह पता लगाने के लिए न्यायालय के कर्तव्य को नियंत्रित नहीं करेगा कि क्या जानबूझकर चूक हुई थी। यह, जब न्यायालय इन तर्कों पर विचार कर रहा था, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालय ने दो प्रस्तावों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले, ऐसे मामले में जहां मकान मालिक द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर, यह अदालत को तथ्यों और परिस्थितियों पर पता लगाना था कि क्या जानबूझकर चूक हुई थी। दूसरा प्रस्ताव, जो निर्धारित किया गया था, वह यह था कि भले ही स्पष्टीकरण के तहत एक नोटिस दिया गया था और भुगतान में चूक थी, इसे जानबूझकर चूक के मामले के रूप में माना जाएगा जब तक कि किरायेदार यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि उसे उन परिस्थितियों के कारण भुगतान करने से रोका गया था जो उसे ऐसा करने से रोकती थीं। हम सोनिया भाटिया (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले को अभी भी बाद में देख सकते हैं। उक्त मामले में, सवाल गिर गया

भूमि सुधारों से संबंधित कानून के तहत विचार के लिए। उप-यू. पी. भूमि स्वामित्व अधिनियम की धारा 5 की धारा (6), 1960 बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित तिथि के बाद किए गए स्थानांतरण को नजरअंदाज किया जाना था। हालांकि, एक प्रावधान था, जिसमें कुछ स्थानांतरणों को छोड़ दिया गया था। किसी मामले के परंतुक के दायरे में आने से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों में से एक यह थी कि हस्तांतरण मूल्यवान विचार के लिए किया गया होना चाहिए। उक्त परंतुक के लिए फिर से एक स्पष्टीकरण I था जिसके बाद स्पष्टीकरण II था। वह इस प्रकार है:

" स्पष्टीकरण I-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "भूमि का हस्तांतरण के चौबीसवें दिन के बाद किया गया। जनवरी, 1971 "में शामिल हैं -

(क) जनवरी, 1971 के चौबीसवें दिन के बाद किसी व्यक्ति की सह-कार्यकाल धारक के रूप में घोषणा, चाहे वह मुकदमा या कार्यवाही जनवरी, 1971 के चौबीसवें दिन लंबित थी या उसके बाद शुरू की गई थी।

(ख) किसी अन्य विलेख या लिखत में या किसी अन्य तरीके से किए गए समान प्रभाव के लिए किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रवेश, स्वीकृति, त्याग या घोषणा। व्याख्या II: यह साबित करने का भार कि कोई मामला परंतुक के खंड (बी) के भीतर आता है, उस पक्ष के पास होगा जो अपने लाभों का दावा करता है। ”

236. उक्त मामले में स्थानांतरण एक उपहार था जिसने मुख्य प्रावधान की नाराजगी को आकर्षित किया जिसका अर्थ था कि हस्तांतरण होना था

अनदेखी की गई, और भूमि, जो उपहार की विषय वस्तु थी, को मनीष कुमार बनाम होना था।

दाता के अधिकतम सीमा खाते में शामिल। इस न्यायालय ने विधान के दायरे को न्यायसंगत होने की सराहना की और स्पष्टीकरण की शर्तों के आधार पर तर्क को खारिज कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 24. बिहटा को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बिहार [ए. आई. आर 1967 एस. सी. 389: (1967) 1 एससीआर 848: 37 इस न्यायालय को बिहार और उड़ीसा सहकारी की धारा 48 (1) के स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए कहा गया था।

सोसायटी अधिनियम, 1935। इसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की: " फिर सवाल यह उठता है कि क्या धारा का पहला स्पष्टीकरण धारा 48 की उप-धारा (1) के दायरे को व्यापक बनाता है ताकि गैर-सदस्यों के खिलाफ पंजीकृत समितियों द्वारा किए गए दावों को शामिल किया जा सके, भले ही वे खंड (सी) के दायरे में न आए हों।

237. हमने एक स्पष्टीकरण के वास्तविक प्रांत की व्याख्या करते हुए कुछ मामले कानून का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण किया है।

238. तत्काल मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह आवश्यक है कि

धारा 11 के अंगों का विश्लेषण करें। धारा 5 के साथ पठित धारा 7,9 और 10, वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदनों से निपटने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है।

परिचालन लेनदार और निगमित देनदार। इसके बाद धारा 11 संहिता में दिखाई देती है। यह घोषणा करने का तात्पर्य है कि एक आवेदन के लिए सी. आई. आर. पी. की शुरुआत धारा 11 में स्पष्ट रूप से विस्तृत श्रेणियों द्वारा नहीं की जा सकती है। धारा 11 (ए) एक निगमित देनदार द्वारा एक आवेदन को वीटो करती है, जो स्वयं एक सी. आई. आर. पी. से गुजर रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा संबोधित किए जाने की मांग की गई एक तर्क यह है कि उक्त प्रावधान का उद्देश्य यह है कि यह न केवल एक कॉर्पोरेट देनदार, जो एक सी. आई. आर. पी. से गुजर रहा है, को अपने खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने से रोकता है, जो, लेकिन तथ्य के लिए, यह एक सी. आई. आर. पी. से गुजर रहा है, संहिता की धारा 10 के तहत बनाए रखने योग्य होगा, लेकिन यह एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दूसरे के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए एक आवेदन को भी प्रतिबंधित करता है।

निगमित देनदार। यह हमें स्पष्ट प्रतीत होता है और इसकी पुष्टि की जाएगी।

आगे के प्रावधानों द्वारा भी, कि विधानमंडल का वास्तविक इरादा यह था कि निषेध केवल निगमित देनदार के खिलाफ था, जो पहले से ही किसी वित्तीय लेनदार द्वारा दायर सी. आई. आर. पी. का सामना कर रहा है या

परिचालन लेनदार, धारा 10 के तहत एक आवेदन के साथ मैदान में कूद। यह हमारे सामने रखी गई रिपोर्टों से स्पष्ट प्रतीत होता है।

239. धारा 11 (बी) पर आते हुए, यह फिर से एक कॉर्पोरेट देनदार को अक्षम कर देता है जिसने [2021] 14 एस. सी. आर. की तारीख से बारह महीने पहले सी. आई. आर. पी. पूरा कर लिया है।

कोड को लागू करने से आवेदन करना। इसे निम्नानुसार विमुद्रीकृत किया जा सकता है:

धारा 7,9 या 10 के तहत किए गए आवेदन के बल पर, सी. आई. आर. पी. शुरू किया जाता है और इसे एक निश्चित समय पर पूरा किया जाता है। यह

इस धारा का उद्देश्य आगे के आवेदन को हमेशा के लिए नहीं बल्कि दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद बारह महीने की अवधि के लिए रोकना है। इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता भी धारा 11 (बी) द्वारा आधार नहीं रखते हैं और उनका मामला धारा 11 (ए) और 11 (डी) पर आधारित है, धारा 11 (बी) का महत्व यह है कि यह विधानमंडल के इरादे के बारे में प्रकाश डालता है कि कॉर्पोरेट देनदार शुरू नहीं कर सकता है।

सी. आई. आर. पी. धारा 11 के किसी भी अंग के तहत अपने खिलाफ, उसमें विस्तृत परिस्थितियों में। धारा 11 (सी) एक बार फिर निगमों को अयोग्य ठहराती है।

ऋणी, एक वित्तीय लेनदार के अलावा जिसने समाधान योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, जिसे आवेदन करने से बारह महीने पहले मंजूरी दी गई थी। दूसरे शब्दों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा संहिता की धारा 31 के तहत एक समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद,

निगमित देनदार, अन्य बातों के साथ-साथ, समाधान योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है और वह अभी भी धारा 10 के तहत एक आवेदन के साथ फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क करने का प्रयास करता है और प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास करता है।

अनुमोदन, इसे धारा 11 (सी) के तहत अस्वीकार्य घोषित किया जाता है।

240. अंत में, धारा 11 (डी) पर आते हुए, यह एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन करने को अयोग्य घोषित कर देता है, जिसके संबंध में

परिसमापन का आदेश दिया गया है। हम पहले ही संहिता की योजना को देख चुके हैं। विधानमंडल का इरादा दो चरणों का दृष्टिकोण रखने का है -

पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन के लिए एक सी. आई. आर. पी. शुरू की जाती है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो पर्दा डालने से पहले लेनदारों की एक समिति का गठन किया जाता है। दिवाला समाधान प्रक्रिया पर समय के अपरिहार्य बीतने तक, जो धारा 12 के तहत तय की गई है। यदि किसी समाधान योजना को लेनदारों की समिति और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के हाथों मंजूरी मिल जाती है, तो परिसमापन रोक दिया जाता है। यदि समय सीमा के भीतर कोई समाधान योजना नहीं है या समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो संहिता के संदर्भ में परिसमापन प्रक्रिया की प्रक्रिया के लिए पर्दा उठ जाता है। नाटक के पहले कार्य में परिसमापन का क्रम शामिल है

संहिता की धारा 33 के तहत पारित किया गया। यह वह आदेश है जिसका उल्लेख धारा 11 (घ) में किया गया है। धारा 33 (4) के तहत पहले अनुमेय परिसमापन का आदेश भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पष्टीकरण की शुरुआत के बाद मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 33 (2) के अनुसार परिसमापन का आदेश पारित किया जा सकता है। एक बार जब यह आदेश पारित हो जाता है, तो विधानमंडल का इरादा था कि एक निगम

ऋणी, जिसके संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू किया गया था और जिसके पास है

दिवालियापन का कोई समाधान नहीं होने के बाद परिसमापन का आदेश पारित किया जा रहा है, फिर से एक नया सी. आई. आर. पी. शुरू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हाल के दिनों में एक पूरी प्रक्रिया थी। वास्तव में, "हाल के अतीत" शब्दों का उपयोग करना धारा 11 (बी) और 11 (सी) के विपरीत सही नहीं हो सकता है, एक मामले में, जहां धारा 33 के तहत परिसमापन का आदेश है, तो धारा 10 के तहत एक आवेदन नहीं होगा

बनाए रखने योग्य। धारा 11 (डी) के तहत अपात्र व्यक्ति निगमित देनदार होगा और अपात्रता स्वयं ही आवश्यक है। 241. अब, हम पहले स्पष्टीकरण की ओर मुड़ते हैं। स्पष्टीकरण में घोषणा की गई है कि धारा 11 के उद्देश्य के लिए, एक निगमित देनदार में ऐसे निगमित देनदार के संबंध में एक निगमित आवेदक शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एक तर्क उठाया गया है जो शब्द को घेरता है।

स्वयं धारा 11 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में निषिद्ध है, लेकिन इसने यह भी विचार किया कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा धारा 11 द्वारा कवर की गई परिस्थितियों में किसी अन्य कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. दायर नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, "शामिल" शब्द का उपयोग करने का कोई अर्थ नहीं था। इस तर्क की सराहना करने के लिए, संहिता में "कॉर्पोरेट आवेदक" शब्द की परिभाषा निर्धारित करना आवश्यक है।

" 6 (5) " निगमित आवेदक "का अर्थ है

(क) निगमित देनदार; या
(ख) निगमित देनदार का एक सदस्य या भागीदार जो निगम के संवैधानिक दस्तावेज के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत है।

निगमित देनदार; या
(ग) एक व्यक्ति जो संचालन के प्रबंधन का प्रभारी है।

और निगमित देनदार के संसाधन; या

((घ) एक ऐसा व्यक्ति जिसका निगमित देनदार के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण हो।

242. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संहिता की धारा 10 के तहत, एक कॉर्पोरेट देनदार सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन दायर कर सकता है, जब कोई चूक [2021] 14 एस. सी. आर. हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने आप में। वे व्यक्ति, जो धारा 10 के तहत आवेदन कर सकते हैं, वे हैं जिन्हें "निगमित आवेदक" शब्द की परिभाषा में संदर्भित किया गया है। दूसरे शब्दों में, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए एक आवेदन, जब कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कोई चूक होती है, तो न केवल कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बल्कि अन्य तीन में से कोई भी कर सकता है।

"निगमित आवेदक" शब्द को परिभाषित करने वाले प्रावधान के खंड (बी), (सी) और (डी) में आने वाली श्रेणियां। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि स्पष्टता हो।

इस प्रश्न के संबंध में कि क्या धारा 11 में निगमित देनदार के खिलाफ विभिन्न परिस्थितियों में निषेध है और वह धारा 10 के तहत अपने खिलाफ आवेदन दायर करने से अक्षम है।

"निगमित आवेदक" शब्द की परिभाषा में शामिल अन्य व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। यही कारण है कि स्पष्टीकरण I जोड़ा गया था। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित करने के लिए था कि धारा 11 में विचार की गई परिस्थितियों में, "निगमित आवेदक" शब्द की परिभाषा में उल्लिखित व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी द्वारा धारा 10 के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता है।

243. अब, आइए हम अंत में विवादित स्पष्टीकरण पर विचार करें। विवादित स्पष्टीकरण को विवादित संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जाहिरा तौर पर, धारा 11 की व्याख्या करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि राय में कुछ विभाजन हुआ है। यह याचिकाकर्ताओं की ओर से स्थापित मामले और भारत संघ की ओर से स्थापित मामले से स्पष्ट है। विधानमंडल का इरादा हमेशा कॉर्पोरेट देनदार को निशाना बनाना था जहां तक यह संहिता के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपने खिलाफ

आवेदन को प्रतिबंधित करने के लिए अभिप्रेत है। विधायिका का यह कभी भी इरादा नहीं हो सकता था कि वह धारा 11 में निहित किसी भी परिस्थिति में निगमित देनदार के रास्ते में बाधा उत्पन्न करे, ताकि दूसरों से उसके कारण देनदारियों की वसूली करने का प्रयास करके अपनी परिसंपत्तियों को अधिकतम किया जा सके। यह न केवल बुनियादी सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण के खिलाफ जाता है, बल्कि यह संहिता के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, अगर किसी कॉर्पोरेट देनदार को संहिता के प्रावधानों को लागू करने से रोका जाता है।

या तो स्वयं या अपने समाधान पेशेवर के माध्यम से, जो बाद के चरण में, इसके परिसमापक का आवरण धारण कर सकते हैं। इस प्रकार, विवादित स्पष्टीकरण के प्रावधान स्पष्ट रूप से एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन के बराबर हैं। एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन, जो विवाद में भी नहीं है, प्रकृति में पूर्वव्यापी है। स्पष्टीकरण केवल विधानमंडल के इरादे को स्पष्ट करता है।

संदेह के दायरे से परे। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि संशोधन केवल आई. डी. 1 पर लागू हुआ और इसलिए, धारा 7,9 या 10 के तहत दायर आवेदनों के संबंध में, इसका कोई असर नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन मामलों के तथ्यों में स्पष्टीकरण मनीष कुमार बनाम है।

स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है और यह निश्चित रूप से सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा। 244. हम देख सकते हैं कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाएं हैं, जो अनिवार्य रूप से उल्लंघन की शिकायत करती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार, जहां तक स्पष्टीकरण को चुनौती देने का संबंध है, इस संशोधन को स्पष्ट रूप से मनमाना बताने के लिए एक कठिन प्रयास किया गया है। इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए,

एक प्रयास यह तर्क देने के लिए किया जाता है कि एक स्पष्टीकरण व्यापक नहीं हो सकता है

प्रावधान या इसके दायरे को कम करें। हमें डर है कि हमें यह मानने के लिए मनाने का प्रयास करने का यह प्रयास कि एक स्पष्टीकरण अपने प्रांत की सीमाओं का उल्लंघन करेगा, अगर यह मुख्य प्रावधानों के दायरे को व्यापक बनाता है, तो इसके पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है, जैसा कि पहले बताया गया है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि विधानमंडल के लिए स्पष्टीकरण के माध्यम से अपने इरादे को स्पष्ट करने के लिए इसे मनमाना कैसे कहा जा सकता है। हमें इस आधार पर प्रावधान को पलटने के लिए मनाने का आगे का प्रयास कि

धारा 11 (ए) और 11 (डी) के निरसन के परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्पष्टीकरण का प्रयास पूरी तरह से निरर्थक है। हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि धारा 11 (ए) और 11 (डी) की उचित समझ पर, यह इस तरह का कुछ नहीं करता है। धारा 11 (ए) और 11 (डी) हमारे द्वारा प्रतिपादित तरीके से बरकरार हैं।

245. हमें याचिकाकर्ता के प्रयासों के बारे में अपनी समझ दर्ज करनी चाहिए क्योंकि आवेदन लंबित है और अपील भी जो याचिकाकर्ता द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. में पसंद की जाती है। हम सच में

संबंधित और केवल इस आधार पर कि यह कानून को ज्ञात किसी भी आधार पर असंवैधानिक है, क़ानून के अधिकारों पर उच्चारण करने के लिए कहा जा सकता है। एकमात्र आधार जिसका हमारे सामने आग्रह किया जाता है वह है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। यह आधार स्वीकृति के योग्य नहीं है। चुनौती दूर हो जाती है।

क्या धारा 32 ए असंवैधानिक है?

246. धारा 32 ए को आबंटियों द्वारा 2020 की रिट याचिका No.75 में चुनौती दी गई है। 2020 की रिट याचिका No.27 और रिट याचिका में याचिकाकर्ता

2020 का सं. 579, जो लेनदार (साहूकार) हैं, भी धारा 32 ए को चुनौती देते हैं।

247. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कॉर्पोरेट देनदारों और अपराधों की आय से अर्जित इसकी परिसंपत्तियों और किसी भी तरह की छूट दी गई है।

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले किए गए अपराधों के लिए पूर्ववर्ती प्रबंधन के अपराधों से उत्पन्न होने वाला आपराधिक दायित्व और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना की मंजूरी से और अधिक खतरे में पड़ जाता है। आबंटियों/लेनदारों का ब्याज। इससे भारी नुकसान होगा जिसकी मांग की जाती है [2021] 14 एस. सी. आर.

धन की रोकथाम के प्रावधानों के तहत रोका गया

डेरिंग अधिनियम, 2002।

248. धारा 32 ए मनमाना, अधिकार से परे और अनुच्छेद का उल्लंघन है।

और अनुच्छेद 14,19 और 21।

249. दूसरी ओर संघ का रुख इस प्रकार है:

धारा 32 ए निगमित देनदार और उसकी संपत्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करती है जब समाधान योजना की मंजूरी होती है जिसके परिणामस्वरूप

निगमित देनदार के नियंत्रण के प्रबंधन में परिवर्तन। यह सफल समाधान आवेदक के अपराध करने में शामिल नहीं होने के अधीन है। एस्सार स्टील के लेनदारों की समिति (उपरोक्त) के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को अब धारा 32ए के तहत सांविधिक आधार दिया गया है। इस न्यायालय ने इसमें यह विचार रखा कि सफल समाधान आवेदक नहीं हो सकता है

अपनी समाधान योजना के बाद अनिर्णित दावे का सामना करना पड़ा है स्वीकार कर लिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक सफल समाधान आवेदक एक नए स्लेट पर शुरुआत करे। भारत संघ द्वारा व्यक्त किए गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

XXX

2. दिवालियापन को रोकने के लिए निगमित ऋणदाताओं को अंतिम छोर तक के वित्त पोषण के पुनर्भुगतान में उच्चतम प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस की गई, यदि कंपनी निगमित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया या परिसमापन में जाती है, तो वित्तीय ऋणदाताओं के कुछ वर्गों द्वारा संहिता के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, ऋणदाताओं के खिलाफ अभियोजन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए।

निगमित देनदार और उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई

दिवालियापन संहिता, 2016। 3.दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

XXX मनीष कुमार बनाम। भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

((vii) एक नई धारा 32क सम्मिलित करना ताकि यह उपबंध किया जा सके कि निगमित देनदार का दायित्व इससे पहले किए गए अपराध के लिए है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

कुछ परिस्थितियों में बंद हो जाएगा।

250. रिलायंस को दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट में भी रखा गया है। जिन प्रासंगिक उद्धरणों पर भरोसा किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

" वरीयता

वी. पूर्व में किए गए अपराधों के लिए निगमित देनदार की देयता

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत-दायित्व के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जो समाधान आवेदक पर पहले किए गए अपराधों के लिए पड़ता है

सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ में, यह सिफारिश की गई है कि एक नया खंड जोड़ा जाना चाहिए जिसमें यह प्रावधान है कि जब निगम ऋणी का सफलतापूर्वक समाधान हो गया है, उसे सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि

सफल समाधान आवेदक भी शामिल था

अपराध करना, या एक संबंधित पक्ष, प्रवर्तक या

निगमित देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में अन्य व्यक्ति

अपराध करने के समय या उसके बाद के किसी भी समय। इसके बावजूद, वे व्यक्ति जो इस तरह के अपराध के समय अपने व्यवसाय के संचालन के लिए निगमित देनदार के लिए जिम्मेदार थे, ऐसे अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा 70 के लिए उत्तरदायी बने रहना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नई जोड़ी गई धारा में संपत्ति की सुरक्षा भी शामिल होगी। सफल समाधान आवेदक द्वारा किए जाने पर प्रवर्तन कार्रवाई। साथ ही, यह अनुशंसा की गई कि सहयोग और सहायता

पूर्व में किए गए अपराधों की जाँच करने वाले अधिकारी

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी रखी जाएगी जिसे लागू कानून के तहत ऐसी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

XXX

अध्याय 1: निगमित दिवालियापन के संबंध में सिफारिशें

समाधान प्रक्रिया

XXX

17. निगम ऋणदाता की देयता

शुरू करने से पहले किए गए अपराध

17.1 . संहिता की धारा 17 में यह प्रावधान है कि

सी. आई. आर. पी., निगमित देनदार के प्रबंधन की शक्तियां अंतरिम समाधान पेशेवर के पास निहित होती हैं। इसके अलावा, शक्तियाँ

निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदार निलंबित हो जाते हैं, और उनका उपयोग अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा किया जाता है। इसके बाद, धारा 29ए, जिसे धारा 35 (1) (एफ) के साथ पढ़ा जाता है, कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्षों पर प्रतिबंध लगाती है।

एक समाधान योजना का प्रस्ताव करना और क्रमशः सी. आई. आर. पी. और परिसमापन प्रक्रिया में निगमित देनदार की संपत्ति खरीदना। इस प्रकार, ज्यादातर मामलों में, संहिता के प्रावधान कॉर्पोरेट देनदार के नियंत्रण में बदलाव को प्रभावी बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार अपने पूर्व प्रबंधन से पूरी तरह से अलग हो जाता है। हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार का कानूनी रूप सी. आई. आर. पी. में जारी है, और समाधान योजना में संरक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जबकि कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति भी हाथ बदल सकती है।

खरीदार। 17.2 . हालांकि, सी. आई. आर. पी. के शुरू होने के बाद या इसके सफल समाधान या परिसमापन के बाद भी, निगमित देनदार, अपनी संपत्ति के साथ, सी. आई. आर. पी. के शुरू होने से पहले उसके द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों से संबंधित जांच या कार्यवाही के लिए अतिसंवेदनशील होगा, जिससे निगमित देनदार पर कुछ देनदारियों और प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है।

दायित्व जहाँ समाधान योजना को मंजूरी दी गई हो। 17.3 . समिति के समक्ष यह लाया गया कि इसने संभावित समाधान आवेदकों के बीच आशंका पैदा कर दी थी, जिन्होंने ऐसा नहीं किया था

सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए दायित्व लेना चाहते हैं। एक मामले में, जे. एस. डब्ल्यू. स्टील ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत समाधान योजना के एक अनुलग्नक के भीतर विशेष रूप से कुछ राहत और रियायतें मांगी थीं। इस तरह के दायित्व को लागू करने से राहत के बिना, समिति ने नोट किया कि लंबे समय में, संभावित समाधान आवेदक समाधान योजना का प्रस्ताव करने से हतोत्साहित किया जा सकता है। समिति इस बात से भी चिंतित थी कि समाधान योजनाओं की कीमत औसतन कम हो सकती है, यहां तक कि जहां कॉर्पोरेट देनदार ने कुमार बनाम को नहीं माना।

समाधान आवेदकों द्वारा प्रतिकूल चयन के कारण कोई अपराध किया और जांच के अधीन नहीं था, जो हो सकता है आशंका है कि उन्हें उन अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिनका वे सूचना विषमता के कारण पता नहीं लगा पाए हैं। इस प्रकार, कानूनी इकाई का अधिग्रहण करने वाले

प्रामाणिक व्यक्तियों पर देयता का खतरा, संभावित समाधान आवेदकों द्वारा इसके सफल अधिग्रहण की संभावनाओं को काफी कम कर सकता है।

17.4 . इससे संहिता के मूल्य अधिकतम करने के लक्षय में काफी बाधा आ सकती थी, और वित्तीय संस्थानों सहित लेनदारों के लिए वसूली कम हो सकती थी, जो अपनी बैलेंस शीट पर एन. पी. ए. के समाधान के लिए संहिता का सहारा लेते हैं। साथ ही, समिति इस बात से भी अवगत थी कि अधिकारी किसी भी अपराध के लिए दंडित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, विशेष रूप से पर्याप्त सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में। इस प्रकार, दो प्रतिस्पर्धी चिंताओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। 17.5 . समिति ने नोट किया कि संहिता के तहत कार्यवाही, जो मूल्य के अधिकतमकरण को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, आम तौर पर कॉर्पोरेट देनदार को प्रामाणिक व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में, धारा 29ए एक व्यापक जाल डालती है जो किसी भी अवांछनीय व्यक्ति, संबंधित पक्ष या चूक करने वाली संस्था को कॉर्पोरेट देनदार प्राप्त करने से रोकती है। इसके अलावा, संहिता एक खुली प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जिसमें हस्तांतरण के लिए या तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता होती है, या इसके समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार, सी. आई. आर. पी. आम तौर पर 72 समाधान आवेदकों के नियंत्रण में परिवर्तन में समाप्त होता है जो कॉर्पोरेट देनदार के पुराने प्रबंधन से असंबंधित हैं और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के बाद कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन को हल करने के लिए कदम उठाते हैं।

17.6 . इसे देखते हुए, समिति ने महसूस किया कि निगमित देनदार के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जिसने इससे पहले अपने पिछले प्रबंधन के नियंत्रण में अपराध किए हों।

सी. आई. आर. पी., और निगमित देनदार जिसका समाधान किया जाता है, और जिसे एक असंबद्ध समाधान आवेदक द्वारा ले लिया जाता है। जबकि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले कॉर्पोरेट देनदार के कार्यों की जांच और दंडित किया जाना चाहिए, दायित्व केवल उन लोगों पर लगाया जाना चाहिए जो इस अवधि में कॉर्पोरेट देनदार के कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि, निगम का नया प्रबंधन

ऋणी, जिसका इस तरह के पिछले अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है, को [2021] 14 एस. सी. आर. के पूर्व प्रबंधन के कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

निगमित ऋणी, जब तक कि वे स्वयं अपराध करने में शामिल नहीं थे, या संबंधित पक्ष, प्रवर्तक या

अपराध के समय या उसके बाद किसी भी समय निगमित देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में अन्य व्यक्ति, और निगमित देनदार का अधिग्रहण कर सकते हैं, इसके बावजूद

धारा 29ए के तहत निषेध।

17.7 . इस प्रकार, समिति इस बात पर सहमत हुई कि एक नई धारा जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां कॉर्पोरेट देनदार का सफलतापूर्वक समाधान किया जाता है, उसे सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि

समाधान आवेदक अपराध करने में भी शामिल था, या अपराध करने के समय या उसके बाद किसी भी समय निगमित देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में एक संबंधित पक्ष, प्रवर्तक या अन्य व्यक्ति था। 17.8 .

इसके बावजूद, वे व्यक्ति जो निगमित देनदार के लिए उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे

इस तरह के अपराध का करना, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व समाप्त हो गया है, अप्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा इस तरह के अपराध के लिए उत्तरदायी बना रहना चाहिए। निगमित देनदार की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई

17.9 . समिति ने यह भी नोट किया कि आपराधिक जांच और अभियोजन को आगे बढ़ाने में, एक कंपनी की संपत्ति, जो एक कॉर्पोरेट के समाधान या परिसमापन के बाद भी मौजूद है।

देनदार, कुर्क, जब्त या जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति कुर्की, जब्ती या जब्ती के जोखिम में हो सकती है जहां कोई संदेह था कि ऐसी संपत्ति धन शोधन के अपराध में अपराध की आय से प्राप्त की गई थी। यह महसूस किया गया कि ऐसी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करना, एक प्रस्ताव द्वारा अधिग्रहित होने के बाद

आवेदक, या परिसमापन में एक बोलीदाता, कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य अधिकतमकरण के हित के विपरीत हो सकता है,

परिसमापन में एक इच्छुक समाधान आवेदक या बोलीदाता को खोजने की संभावनाओं को काफी कम करना, या बोलियों की कीमत को कम करना, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। 17.10 . इस प्रकार, समिति इस बात पर सहमत हुई कि एक निगमित देनदार की संपत्ति, जब एक सफल समाधान आवेदक द्वारा ली जाती है, या जब संहिता के तहत परिसमापन में एक प्रामाणिक बोलीदाता को बेची जाती है, तो इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई से संरक्षित की जानी चाहिए, और नया मनीष कुमार बनाम।

पैराग्राफ 17.7 में चर्चा की गई धारा में इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। यहां भी समिति इस बात पर सहमत हुई कि निगमित देनदार की संपत्तियों को दी गई सुरक्षा किसी भी तरह से संबंधित जांच अधिकारियों को निगमित देनदार के पूर्व प्रबंधन में व्यक्तियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकनी चाहिए, जो इस तरह के आपराधिक अपराध में शामिल हो सकते हैं।

17.11 . पर्याप्त सावधानी बरतते हुए समिति ने यह भी माना और सहमति व्यक्त की कि ऐसे सभी मामलों में जहां समाधान योजना लागू है।

अनुमोदित, या जहां निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को परिसमापन के तहत बेचा जाता है, ऐसी अनुमोदित समाधान योजना या निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की परिसमापन बिक्री के परिणामस्वरूप निगमित देनदार के नियंत्रण में एक ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन करना होगा जो निगमित देनदार का संबंधित पक्ष नहीं था। अपराध करना, और निगमित देनदार के साथ इस तरह के आपराधिक अपराध में शामिल नहीं था।

जाँच में सहयोग

17.12 . जबकि समिति ने महसूस किया कि निगमित देनदार और निगमित देनदार या उसकी संपत्ति के प्रामाणिक खरीदारों को ऐसा करना चाहिए

इससे पहले किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा

दिवाला शुरू होने पर समिति ने सहमति व्यक्त की कि निगमित देनदार और किसी भी व्यक्ति को, जिसे लागू कानून के तहत सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, सी. आई. आर. पी. के शुरू होने से पहले किए गए अपराध की जांच करने वाले अधिकारियों को सहायता और सहयोग प्रदान करना जारी रखना चाहिए। नतीजतन, समिति ने सिफारिश की कि नए खंड को इस तरह के निरंतर सहयोग और सहायता प्रदान करनी चाहिए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मार्च, 2020 में बनाई गई लोकसभा की स्थायी समिति के छठे भाग पर भी भरोसा करते हैं। विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" उपरोक्त खंड पर हितधारकों ने प्रस्तुत किया

3.8

निम्नलिखित सुझाव: "

यद्यपि विधेयक निगमित देनदार (एक कानूनी इकाई के रूप में कंपनी) को पूर्व अपराधों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ऐसे अपराधों को करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

ऋणी की ओर से अभी भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

सवाल [2021] 14 एस. सी. आर.

है।

क्या ऋणी को इस तरह की पूर्ण प्रतिरक्षा के साथ सभी प्रकार के पूर्व अपराधों से मुक्त किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव ने 15 जनवरी, 2020 को आयोजित बैठक के दौरान टिप्पणी की:

" यदि बोलीदाता, जो अदालत की निगरानी में प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत आ रहा है और भाग ले रहा है, उसे सुरक्षा नहीं मिलती है और उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है, तो कोई समस्या हो सकती है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने उपरोक्त सुझाव पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत की:

" ..... यह प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब सी. आई. आर. पी. नियंत्रण में 75 पूरी तरह से असंबद्ध समाधान आवेदक में परिवर्तन में समाप्त होता है। इस प्रकार, एक समाधान आवेदक का किसी भी पूर्व सी. आई. आर. पी. अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, और कॉर्पोरेट देनदार अब मूल रूप से वही इकाई नहीं है जिसने अपराध किया है।

समिति इस संशोधन के आशय से सहमत है कि पूर्व प्रवर्तकों द्वारा किए गए अपराधों के तहत समाधान आवेदक (ओं) की स्थिति की रक्षा के लिए उन्हें अभियोजन और देनदारियों से मुक्त किया जाए। आदि। समिति कंपनी या निगमित ऋणदाता को एक शुद्ध इकाई के रूप में मानने की आवश्यकता को समझती है।

अपराध। समिति इस बात पर सहमत है कि यह प्रावधान समाधान आवेदक (ओं) को इकाई को पुनर्जीवित करने का एक उचित मौका प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो अन्यथा सीधे परिसमापन में चला जाएगा। जो अर्थव्यवस्था के लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता है। समिति का मानना है कि पिछले प्रवर्तक या प्रबंधन के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से उत्पन्न समाधान आवेदक पर अतिरिक्त देनदारियां लगाए बिना पुनरुद्धार या समाधान प्राप्त करने के लिए यह घेराबंदी आवश्यक है। मनीष कुमार बनाम।

भारत और एक अन्य का संघ [के. एम. जोसेफ, जे.]

251. इस तथ्य के अलावा कि इसका उद्देश्य सफल समाधान आवेदक को एक क्लीन ब्रेक देना है, यह बताया गया है कि इसमें बचाव किया गया है।किसी भी शोषण से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ। समान इस प्रकार हैं:

" 106. सफल समाधान आवेदकों को पूर्ववर्ती प्रबंधन से बचाने के लिए धारा 32 ए लगाई गई थी।

सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले किए गए अपराधों के लिए उन्हें अभियोजन और देनदारियों से प्रतिरक्षित करना। इसके अलावा, उक्त प्रावधान में पर्याप्त सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है

किसी भी शोषण को रोकें, अर्थात्:

आई. प्रतिरक्षा तभी आकर्षित होती है जब धारा 31 और संकल्प के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दी जाती है।

योजना के परिणामस्वरूप निगम के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन होता है।

ऋणी।

ii. प्रतिरक्षा केवल निगमित देनदार और उसकी संपत्ति को दी जाती है, जहां ऐसी संपत्ति धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के तहत शामिल है, किए गए अपराधों के संबंध में किसी भी दायित्व या अभियोजन से।

निगमित दिवाला संकल्प की शुरुआत से पहले प्रक्रिया।

iii. कोई भी व्यक्ति जो प्रवर्तक था या निगमित देनदार या संबंधित पक्ष के प्रबंधन या नियंत्रण में था या किसी भी क्षेत्र में था। निगमित देनदार के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के अपराध में शामिल था, उसके द्वारा किए गए ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना और दंडित किया जाना जारी रहेगा।

निगमित देनदार के बावजूद कि निगमित देनदार की देनदारी समाप्त हो गई है।

iv. धारा 32 ए निगमित देनदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक नहीं लगाती है, जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई ऐसी कानून के तहत की जा सकती है जो लागू हो। वी. धारा 32 ए के तहत दी गई प्रतिरक्षा के बावजूद, निगम ऋणी और कोई भी व्यक्ति, जिसे ऐसे कानून के तहत सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है जो ऐसे निगम पर लागू हो सकती है।

ऋणी या व्यक्ति, इससे पहले किए गए अपराध की जांच करने वाले किसी भी प्राधिकरण को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत। "[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

252. धारा 32 ए को तीन भागों में विभाजित किया गया है जिनमें शामिल हैं:

उप-धारा (1) से (3)। उप-धारा (1) के तहत, संहिता या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, किसी निगम का दायित्व

देनदार, शुरू होने से पहले किए गए अपराध के लिए

सी. आई. आर. पी. बंद हो जाएगी। इसके अलावा, निगमित देनदार पर इस तरह के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दोनों, ये प्रतिरक्षाएँ निम्नलिखित स्थितियों के अधीन हैं:

आई. निगमित देनदार के संबंध में एक समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा धारा 31 के तहत अनुमोदित किया जाना चाहिए।

कोड;

ii. इस प्रकार अनुमोदित समाधान योजना के परिणामस्वरूप निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन होना चाहिए।

iii. अनुमोदित समाधान योजना के तहत प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं होना चाहिए, जो प्रवर्तक था, या कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में, या कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष के पक्ष में नहीं होना चाहिए।

iv. निगम के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन

या संबंधित प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की। इस अंतिम अंग को थोड़ा और डिमिस्टिफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है। जो व्यक्ति निगमित व्यक्ति के प्रबंधन और नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए आता है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराध के लिए उकसाया या साजिश रची हो। इसलिए, संहिता की धारा 31 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के तहत निगमित देनदार का प्रबंधन और नियंत्रण हासिल करने वाले व्यक्ति द्वारा उकसाना या साजिश करना और रिपोर्ट दाखिल करना, धारा 32 ए द्वारा लगाए गए सुरक्षात्मक छत्र या प्रतिरक्षा को हटा देगा।

निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराध

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए, यदि रिपोर्ट के बाद आने वाली शर्तों में से कोई एक, अर्थात् उकसाना या साजिश करना, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, मौजूद है, तो किसी अपराध के लिए निगमित देनदार का दायित्व है।